15 मार्च, 1980

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

[दूसरा सत्र]

सत्यमेव जयते

(खंड 3 में अंक 11 से 14 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय–सूची

संख्या 5 शनिवार, 15 मार्च, 1980/25 फाल्गुन, 1901 (शक)

विषय	पृष्ठ
सभा–पटल पर रखे गये पत्र	1—3
सभा का कार्य	3—8
नियम 377 के अधीन मामले	8—9
(एक) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के वैज्ञानिक और तकनीकी अधिकारियों द्वारा क्रमिक भूख हड़ताल	8
श्री कृष्ण प्रताप सिंह	8
(दो) साइलेंट वेली पन बिजली परियोजना	
श्री वी० एस० विजयराघवन	
(तीन) पटना - हाजीपुर गंगा नदी पर पुल का निर्माण कार्य पूरा होने में विलम्ब	9
श्री राम विलास पासवान	
(चार) मध्य रेलवे अधिकारियों द्वारा बम्बई उपनगरीय यात्रा के किराये बढ़ाये जाने के बारे में समाचार	9
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी	
आसाम बजट, 1980–81 सामान्य चर्चा, लेखानुदानों की मांगें (आसाम), 1980-81 और अनुदानों की अनुपूरक मांगें (आसाम), 1979-80	10—35
श्री रवीन्द्र वर्मा	10
श्री संतोष मोहन देव	12
श्री चन्द्रजीत यादव	16
श्री पी० के० थुंगन	20
श्री सत्य साधन चक्रवर्ती	23
श्रीमती गीता मुखर्जी	26
श्री आर० वेंकटरामन	28
आसाम विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1980-पारित	36
आसाम विनियोग विधेयक, 1980-पारित	36—37

विषय	पृष्ठ
बिहार बजट, 1980-81 सामान्य चर्चा, लेखानुदानों की मांगें (बिहार), 1980-81 और अनुदानों की अनुपूरक मांगें (बिहार), 1979-80	37—82
श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा	38
श्री केदार पांडे	40
श्रीमती कृष्ण साही	42
श्री आनन्द पाठक	44
श्री कमल नाथ झा	50
श्री भागवत झा आजाद	53
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह	57
श्री जमीलुर्रहमान	60
श्री तारिक अनवर	63
श्री सूर्य नारायण सिंह	66
श्री रणजीत सिंह	68
श्री एन० ई० होरो	70
श्री कृष्ण प्रताप सिंह	72
श्री समीनुद्दीन	73
श्री राम विलास पासवान	75
श्री आर० वेंकटरामन	78
बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1980-पारित	83
बिहार विनियोग विधेयक, 1980-पारित	83—84
प्याज की खरीद के बारे में, वक्तव्य	84—85
श्री आर० वी० स्वामीनाथन	
गुजरात बजट, 1980-81 सामान्य चर्चा, लेखानुदान की मांगें (गुजरात), 1980-81 और अनुदानों की अनुपूरक मांगें (गुजरात), 1979-80	85—114
श्री सत्यगोपाल मिश्र	85
श्री मोतीभाई आर० चौधरी	87
श्री छीतूभाई गामित	92
श्री मगनभाई बरोट	93
श्री आर० पी० गायकवाड़	95
श्री नरसिंह मकवाना	97
श्री दिग्विजय सिंह	99
श्री हीरालाल आर० परमार	102
श्री सी० डी० पटेल	103

श्री आर० वेंकटरामन	104
गुजरात विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1980-पारित	114—115
गुजरात विनियोग विधेयक, 1980-पारित	115—116
मध्य प्रदेश बजट, 1980-81 सामान्य चर्चा, लेखानुदानों की मांगें (मध्य प्रदेश), 1980-81 और अनुदानों की अनुपूरक मांगें (मध्य प्रदेश), 1979-80	116—144
श्री बसुदेव आचार्य	116
श्री मुंगेर शर्मा	117
श्री दलबीर सिंह	121
श्री एन० के० शेजवलकर	123
कुमारी पुष्पा देवी सिंह	127
श्री गोदिल प्रसाद अनुरागी	128
श्री मोतीलाल सिंह	130
श्री चक्रधारी सिंह	130
श्री विजय कुमार यादव	131
श्री कालीचरण शर्मा	132
श्री प्रतापभानु शर्मा	134
श्री अरविन्द नेताम	135
श्री बाबूलाल सोलंकी	136
श्री आर० वेंकटरामन	136
मध्य प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 1980–पारित	144
मध्य प्रदेश विनियोग विधेयक, 1980–पारित	144—146

लोक सभा

शनिवार, 15 मार्च, 1980/25 फाल्गुन, 1901 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सभा पटल पर रखे गये पत्र

दिल्ली विक्रय कर (दूसरा संशोधन) नियम, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (तीसरा संशोधन) नियम, धनकर अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, आयकर अधिनियम, सीमा-शुल्क अधिनियम और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरमन) : श्री जगन्नाथ पहाड़िया की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) दिल्ली विक्रय कर अधिनियम, 1975 की धारा 72 के अन्तर्गत दिल्ली विक्रय कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 22 फरवरी, 1980 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4 (50)/76-फाइनेन्स (जी) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी/देखिये संख्या एल० टी० 489/80]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (तीसरा संशोधन) नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 6 मार्च, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 77(ङ) में प्रकाशित हुये थे, की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी/देखिए संख्या एल० टी० 490/80]

(3) केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा 1 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा सीमा-शुल्क बोर्ड (व्यापारिक सौदों का विनियमन) संशोधन नियम, 1979, जो दिनांक 5 अक्तूबर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 572 (ङ) में प्रकाशित हुये थे, की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी/देखिये संख्या एल० टी० 491/80]

(4) धनकर अधिनियम, 1957 की धारा 46 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) धनकर (संशोधन) नियम, 1980 जो दिनांक 19 जनवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ०4 1 में प्रकाशित हुये थे।

(दो) धनकर (दूसरा संशोधन) नियम, 1980 जो दिनाँक 28 जनवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०आ० 75(ङ) में प्रकाशित हुये थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं/देखिए संख्या एल० टी० 492/80]

(5) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) आयकर (छठा संशोधन) नियम, 1979 जो दिनांक 29 अक्तूबर, 1979 के भारत के राजपत्र में सा० आ० 608 (ङ) में प्रकाशित हुये थे।

(दो) आयकर (संशोधन) नियम, 1980 जो दिनांक 19 जनवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 40(ङ) में प्रकाशित हुये थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं/देखिए संख्या एल० टी० 493/80]

(6) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सां० सा० नि० 35(ङ) जो दिनांक 15 फरवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा पोंड्स स्टर्लिंग को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को पोंड्स स्टर्लिग में रूपांतरित करने के लिए विनिमय दरों में संशोधन के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सा० नि 64(ङ) जो दिनांक 27 फरवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा पी० वी० सी० के आयात पर प्रतिसंतुलनकारी सीमा-शुल्क में वृद्धि के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० सा० नि० 71(ङ) जो दिनांक 3 मार्च, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा स्वीस फ्रांस को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को स्वीस फ्रांक में रूपान्तरित करने के लिए विनिमय दरों के संशोधन के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० सा० नि० 72(ङ) जो दिनाँक 3 मार्च, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा अल्यूमिनियम पन्नी को निर्यात के लिए चाय पेटियों के अस्तरण में उपयोग के लिये हो समस्त मूल अतिरिक्त सीमा-शुल्क में छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं/देखिए संख्या एल० टी० 494/80]

(7) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सा० नि० 29(ङ) जो दिनांक 1 फरवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा दिनांक 1 मार्च, 1979 की अधिसूचना संख्या 89/79–सी० ई० के संशोधन के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सा० नि० 61(ङ) जो दिनांक 27 फरवरी; 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा गैर-नैफ्था आधारित पी०वी०सी० पर उत्पाद शुल्क की दर में वृद्धि के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० सा० नि० 62(ङ) जो दिनांक 27 फरवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा पोलिस्टरीन पर उत्पाद शुल्क की दर में कमी के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं/देखिए संख्या एल० टी० 495/80]

सभा का कार्य

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। ये वार्षिक प्रतिवेदन समय-समय पर सभा पटल पर रखे जाते हैं। 1970-71 के लिये भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त का तेरहवां प्रतिवेदन 22 अगस्त, 1973 को सभापटल पर रखा गया था। वर्ष 1971-72 के लिये चौदहवां प्रतिवेदन 10 मई, 1974 को सभापटल पर रखा गया था। वर्ष 1972-73 के लिये पन्द्रहवां प्रतिवेदन 15 जून, 1977 को सभा-पटल पर रखा गया था। वर्ष 1973-74 के लिए सोलहवां प्रतिवेदन 15 जून, 1977 को सभा-पटल पर रखा गया था। अन्य प्रतिवेदनों के बारे में स्थिति की हमें जानकारी नहीं है। परन्तु यह बात बिल्कुल स्पष्ट है और यह बड़े दुःख की बात है कि वर्ष 1970-71 और उसके बाद तमाम वर्षों के लिए भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त के वार्षिक प्रतिवेदनों पर इस सभा में कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया है। यह बड़ी ही दुःखद स्थिति है कि लगभग नौ-दस वर्ष की अवधि में भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त के इन प्रतिवेदनों पर कोई चर्चा नहीं हुई। अल्पसंख्यकों के बारे में हम बातें तो बहुत करते हैं, परन्तु यह बड़े खेद की बात है कि संविधान के अनुसार अपेक्षित होते हुए भी इन प्रतिवेदनों पर चर्चा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय नहीं होता। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस बात पर ध्यान दे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रतिवेदनों पर, जो कि संविधान के उपबन्धों के अनुसार प्रस्तुत किए जाते हैं, चर्चा के लिए शीघ्र समय निकाला जाए।

अन्त में मैं कहूंगा कि जहां तक मुझे पता है, बहुत पहले अल्पसंख्यक आयोग अपना प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन भी सरकार को प्रस्तुत कर चुका है, परन्तु इस प्रतिवेदन को सभा-पटल पर नहीं रखा गया है। अतः मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस बात पर ध्यान दे कि अल्पसंख्यक आयोग का जो वार्षिक प्रतिवेदन उसे बहुत पहले प्राप्त हो चुका है वह शीघ्रातिशीघ्र सभा-पटल पर रखा जाए।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं उपयुक्त समय पर कार्यसूची में दो मुद्दे जोड़ने का सुझाव देने के लिए खड़ा हुआ हूं। प्रथमतः ऐसा सुनने में आया है कि कुछ राज्यों में नये राज्यपालों की नियुक्ति के मामले को न्यायालय में चुनौती दिये जाने की सम्भावना है। संविधान के अनुच्छेद 156 (1) के अनुसार, राज्यपाल तब तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक कि राष्ट्रपति चाहें। परन्तु राष्ट्रपति की यह चाह अन्य सभी चाहों की ही तरह नहीं है और इसे मनमाने ढंग से पूरा नहीं किया जा सकती। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि इस पर विचार-विमर्श कर लिया जाए। चूंकि कुलपति को नियुक्त और अपदस्थ करने और उसके स्थान पर नए उपकुलपति की नियुक्ति करने के मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय और पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालयों के फैसले पहले से ही हैं जिनमें इस बात का विशिष्ट रूप से उल्लेख है कि कुलपति की चाह मनमाने ढंग से नहीं चल सकती और इसका कोई आकार होना चाहिए। इसी प्रकार का प्रश्न तब भी उठा था जब यह बात चली थी कि बंगाल के भूतपूर्व राज्यपाल श्री एस० एस० धवन को पदच्युत कर दिया जाए। उन्होंने जब हो-हल्ला मचाया तो उसके पश्चात उन्हें वही वित्तीय सुविधाएं तथा लाभ देकर विधि आयोग का सदस्य बना दिया गया। इसलिए मामला वहीं समाप्त हो गया।

उससे कहीं बुरी बात यह है कि नौ राज्यों में विधान सभाएं भंग कर दी गई हैं और विश्वसनीय रूप से यह पता चला है कि कुछ राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए जाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। एक बैठक होने वाली है और उसमें राज्यपालों को बुला भेजा गया है—मुझे इस शब्द के प्रयोग की अनुमति दी जाए—और यह भी सम्भावना है कि इन नौ राज्यों में जहां विधानसभाएं पहले से ही भंग की जा चुकी हैं और जहां कोई लोकप्रिय सरकार नहीं है, वहां किसी लोकप्रिय सरकार की सहमति के बिना ही कुछ राज्यपालों को उन राज्यों में थोंप दिया जायेगा। इसका कारण यह है कि भय की यह तलवार सिर पर लटकी हुई है कि नौ राज्यों में राष्ट्रपति-शासन की राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा के राज्यसभा में अस्वीकृत हो जाने की सम्भावना है। अतः वे ऐसे राज्यपाल नियुक्त करना चाहते हैं जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली सलाह और की जाने वाली कार्यवाही के अनुकूल कार्य करते रहें।

यह एक गंभीर मामला है। मैं समझता हूं कि इस मामले पर सदन में चर्चा होनी चाहिए और मुझे आशा है कि संसदीय कार्य मंत्री इसके लिए कुछ समय निकाल लेंगे।

एक मामला और भी है। (व्यवधान)। अध्यक्ष महोदय ने मुझे बोलने की अनुमति दी है। अध्यक्ष महोदय को भी यह पता है।

दूसरा प्रश्न यह है : मेरा यह सुझाव है कि आज छोटे मछुआरों और यन्त्रों की सहायता से मछली पकड़ने वालों के बीच चल रही प्रतियोगिता को ध्यान में रखते हुए, जिसके परिणामस्वरूप छोटे मछुआरों को बड़ी हानि उठानी पड़ रही है, विभिन्न राज्यों को, और विशेषकर समुद्रतटीय राज्यों को, भेजे जाने वाले विद्यमान मार्गदर्शक सिद्धान्तों में संशोधन किया जाना चाहिये। इसमें कोई सन्देह नहीं कि समुद्र तट से 5 कि० मी० दूर तक समुद्र उनके लिए आरक्षित है और शेष दूरी तक यन्त्रीकृत ढ़ंग से मछली पकड़ने वाले मछली पकड़ सकते हैं। परन्तु केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र और शेष समुद्र तटीय क्षेत्रों के अधिकांश मछुआरों को यह सीमा स्वीकार्य नहीं है और वे चाहते हैं कि पुलिस की गश्ती-नौकाओं द्वारा गश्त लगाई जाये जिससे उन क्षेत्रों में जिनमें सामान्य ढ़ंग से मछलियां पकड़ी जाती हैं यन्त्रचालित मछली पकड़ने

वाली बड़ी नौकाओं द्वारा घुसपैठ न की जा सके। मुझे आशा है कि इस प्रश्न पर चर्चा के लिए कुछ समय दे दिया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती प्रमिला दण्डवते ।

श्रीमती प्रमिला दंडवते (बम्बई उत्तर मध्य) : अध्यक्ष महोदय, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनको सुरक्षा देने के सवाल पर पार्लियामैंट में, लोक-सभा में चर्चा होनी चाहिये, इसकी विनती करने के लिये मैं आपके सामने खड़ी हुई हूं । यह खुशी की बात है कि पिछले कई दिनों से महिलाएं सामने आकर अपनी सुरक्षा के लिये मांग कर रही हैं । मेरी आपसे प्रार्थना है कि यह किसी भी पोलिटिकल पार्टी का इश्यू नहीं है, राजनीति से ऊपर का है और इसके ऊपर हमारे देश में जो यह सबसे ऊपर का भवन है, उसमें महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बहुत सोच-समझकर ठोस कदम उठाने के लिए हमें सोचना चाहिये ।

मैं दो-चार बातें यहां रखना चाहती हूं, जिनके ऊपर हम यहां बहस करें । मैं पिछले हफ्ते बांदा में गई थी जहां कि सदागांव जगह हैं । वहां पर दारोगा और दो कांस्टेबिलों ने एक पति को बांधकर बच्चों के सामने पत्नी के साथ बलात्कार किया । मैं खुद जाकर उस बदकिस्मत महिला श्रीमती उर्मिला से मिलकर आई हूं । 5 साल की लड़की से और उसमें एक तीन साल की लड़की भी थी, उसके साथ भी बलात्कार किया गया है ।

दिल्ली में भी दो बातें हो गई हैं । पटेल नगर में एक छोटी लड़की के साथ बलातकार किया गया है । खास बात यह है कि पुलिस महिलाओं को प्रोटैक्शन नहीं देती है, वह गुंडों के साथ मेल जोल रखती है और खुद भी ऐसे काम करती है ।

आपको पता है कि मथुरा नाम की महाराष्ट्र की एक 15 साल की लड़की के साथ पुलिस ने बलात्कार किया था । इस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमैंट है जिसको रि-ओपन और रिव्यू करने के लिये महिलाएं राष्ट्र के सामने आई हैं । जगह-जगह पर पूरे हिन्दुस्तान में उसका डिमांस्ट्रेशन हो रहा है । मेरी यह प्रार्थना है कि यह बहुत ही महत्व का सवाल है और हम जैसे जो प्रतिनिधि यहां पर चुनकर भेजे गये हैं, उन सब को मिलकर सोच-समझकर इस पर ठोस कदम उठाना चाहिये जिससे कि हमारी महिलाओं की सुरक्षा हो सके ।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती गीता मुखर्जी । जो प्रश्न आप उठाना चाहती हैं उनकी सूचना आपको लिखित रूप में देनी चाहिये थी । आपने केवल अपनी बोलने की इच्छा प्रकट की है लेकिन उन विशिष्ट मुददों के बारे में आपने उल्लेख नहीं किया जिन्हें आप उठाना चाहती है । भविष्य में इसका ध्यान रखिए ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : वह नई सदस्या है ।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : श्रीमती दंडवते ने वह प्रश्न उठा दिए है जिन्हें मैं उठाना चाहती थी इसलिए मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहती । मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस विषय पर मेरा अनियत दिन वाला प्रस्ताव गृहीत कर लें ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रस्ताव को चर्चा के लिए गृहित किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा करेंगे... मुझे इस के बारे में जानकारी है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह अविलम्बनीय विषय है और सभी इस पर चर्चा का समर्थन कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम जानते हैं और हम इस पर चर्चा करेंगे।

एक माननीय सदस्य : हम मंत्री महोदय की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह अनियत दिन वाला प्रस्ताव है इन पर चर्चा अगले सप्ताह हो सकती है।

श्री नीरेन घोष (दमदम) : राज्यपालों की नियुक्ति एक गंभीर मामला है। अगले सप्ताह के दौरान इस पर चर्चा की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : डा० सुब्रहमण्यम स्वामी और श्री एडुआर्डो फेलीरो दोनों ही कुछ कहना चाहते थे। लेकिन मैं आपका विशेष ध्यान रख कर अब अनुमति दे रहा हूं। आगे से आप नोटिस समय पर दिया करें। कृपया अधिक समय न लें और अपनी बात संक्षेप में कहें। श्री फेलीरो आप तो युवक हैं आपने देर से क्यों सूचना दी ?

श्री ऐडुआर्डो फेलीरो : मैंने 10 बजे से पहले सूचना दी थी।

अध्यक्ष महोदय : आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वह नोटिस सुबह 10.20 पर प्राप्त हुआ।

श्री ऐडुआर्डो फेलीरो : मुझे खेद है पर मैंने पत्र 10 बजे से पहले भेज दिया था हो सकता है कि चपरासी देर से देकर गया हो।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है यह कहीं अटक गया हो खैर ठीक है आप अपनी बात कहिए।

श्री एडुआर्डो फेलीरो (मोरभुगाओ) : 11 तारीख को एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतिवेदन, वैद्यलिंगम प्रतिवेदन सभा पटल पर रखी गयी। वैद्यलिंगम समिति ने भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री मोराराजी देसाई के परिवार के सदस्यों तथा भूतपूर्व गृह मंत्री और प्रधान मंत्री, श्री चरण सिंह के परिवार के सदस्यों के विरुद्ध लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की और आरोपों को सही पाया। उच्चाधिकारियों के निकट सम्बन्धियों पर सत्ता के दुरुपयोग के गंभींर आरोप हैं और इन लोगों यथा श्री कान्ति देसाई, श्रीमती पदमा देसाई और भूतपूर्व गृह मंत्री और प्रधान मंत्री श्री चरण सिंह की पत्नी, को अधिकारों के दुरुपयोग के लिए सभी अवसर दिए गए। वकीलों ने उन की सहायता की। इस मामले पर सरकार को केवल उनके विरुद्ध कार्यवाही ही नहीं करनी चाहिए अपितु यह भी बताना चाहिए कि उनके विरुद्ध कार्यवाही करने में विलंब क्यों किया गया है। सभा में इस विषय पर पूरी चर्चा की जाए। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है और सभा में इस पर चर्चा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : (बम्बई उत्तर-पूर्व) इस संसद ने भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान, पवई, की स्थापना की अनुमति दी इसलिए हम इस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान मानते हैं। लेकिन यह संस्थान पिछले दस दिनों से बंद पड़ा है। विद्यार्थियों को ऐसे समय पर जबकि उनकी परीक्षा निकट है होस्टल खाली करने के लिए कहा गया है। इसलिए संसद को इस गम्भीर

स्थिति की ओर ध्यान देना चाहिये। संस्थान के निदेशक ने छात्रों को प्रदर्शन से, जोकि कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन नहीं था, नाराज होकर संस्थान को बन्द कर दिया है। मेरे विचार में निदेशक एक छोटे से प्रदशन के प्रति कुछ अधिक उत्तेजित हो गए थे। इस संस्थान को इस प्रकार बन्द नहीं रखा जा सकता। इसे खोला जाना चाहिए। संसद को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसके स्थापना संसद के एक अधिनियम के अन्तर्गत की गई थी, के कार्यों पर चर्चा अवश्य करनी चाहिए।

सरकार को सत्ता में आए दो महीने हो गए हैं और अभी तक हमें सरकार की मूल नीतियों के बारे में पता नहीं। उदाहरणार्थ हम नहीं जानते कि सरकार की विदेश नीति क्या है। क्या वह जनता सरकार वाली विदेश नीति जारी रख रहे हैं अथवा वह उसमें कुछ परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस समय भारत-पाकिस्तान संबंध एक नाजुक दौर में हैं इसलिए सभा में विशेषकर भारत पाकिस्तान संबंधों के संदर्भ में विदेश नीति पर अवश्य चर्चा होनी चाहिए।

श्री के० लकप्पा : (टुमकुर) अध्यक्ष महोदय, मैंने इसी विषय पर एक पत्र लिखा है—

अध्यक्ष महोदय : आप कहना क्या चाहते हैं ?

श्री के० लकप्पा : वैद्यलिंगम प्रतिवेदन के बारे में।

अध्यक्ष महोदय : आपको मुझे सूचना देनी चाहिये थे। मुझे इस बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई अतः मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता।

श्री के० लकप्पा : जब शाह आयोग का गठन किया गया था और उसका प्रतिवेदन दिया गया था उस समय उस पर चर्चा की माँग की गई थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार वैद्यलिंगम प्रतिवेदन के मामले में चुप क्यों बैठी है? अनुवर्ती कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही? (व्यवधान) ऊचे पदों वाले लोग भ्रष्टाचार में शामिल थे। एक जांच समिति की नियुक्ति की गई थी—

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है। अब आगे मैं अनुमति नहीं दे सकता।

संसदीय कार्य मंत्री

(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। संसदीय कार्य मंत्री उत्तर देंगे।

संसदीय कार्य तथा संचार मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैंने माननीय सदस्यों के सुझावों को नोट कर लिया है और मैं इन्हे कार्य मंत्रणा समिति के सम्मुख रखूंगा — केवल उन सुझावों को नहीं रखा जायेगा जो कल्पित आधार पर हैं।

श्री के० लकप्पा : अध्यक्ष महोदय, यह एक गम्भीर मामला है। देश के लोग मांग कर रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण मामला है —(व्यवधान) वह इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। कृपया मंत्री महोदय से इस सम्बन्ध में कुछ कहने के लिए कहें।

*कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया गया।

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैं पहले बता चुका हूं कि यह मामला कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं और क्या कह सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अधीन मामलों पर विचार होगा। श्री स्कारिया थामस उपस्थित नहीं। श्री कृष्ण प्रताप सिंह

श्री मृत्युजंय नायक (फूलबनी) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक अल्प सूचना प्रश्न उठाना चाहता हूँ। मेरे क्षेत्र में कई लोग मारे जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप नियमानुसार चलिए। मैं माननीय सदस्य —श्री कृष्ण प्रताप सिंह का नाम बुला चुका हूँ और यह खड़े हैं।

नियम 377 के अधीन मामले

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वैज्ञानिक एवं तकनीकी अधिकारियों द्वारा क्रमिक हड़ताल

श्री कृष्ण प्रताप सिंह (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदय, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वैज्ञानिक और तकनीकी अधिकारियों ने प्रबन्धकों को नोटिस जारी किया है कि वे 17 मार्च से रिले हड़ताल करेंगे। यह अधिकारी अक्तूबर 1979 में प्रबन्धकों के साथ हुए समझौते को लागू करने के लिए आन्दोलन चलाने वाले हैं। यदि इनका आन्दोलन चलने दिया गया तो इस से उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस स्थिति को पैदा न होने देने के लिए सरकार को तत्काल कोई कदम उठाना चाहिए। कर्मचारी और अधिकारी देश हित की परवाह किये बिना आन्दोलन चलाने पर उतारू रहते हैं। सरकार इसका कोई हल जरूर निकाले।

(दो) साइलेंट वैली पन बिजली परियोजना

***श्री वी० एस० विजयराघवन** (पालघाट) : साइलेंट वैली पन बिजली परियोजना के कारण मेरे निर्वाचन क्षेत्र की ओर विश्व का ध्यानाकर्षित हुआ है। जैसाकि आप जानते हैं इस परियोजना पर केरल सरकार 3 करोड़ रुपया व्यय कर चुकी है। लेकिन आगे का काम कुछ वातावरण वैज्ञानिकों द्वारा उठाई गई आपत्ति के कारण रोक दिया गया है। यह परियोजना राज्य के भावी विकास के लिए बहुत महत्व रखती है और यदि इसे पूरा न किया गया तो 1985 तक राज्य में बिजली की बहुत कमी हो जाएगी। सामान्यत: ऐसा समझा जाता है कि केरल में बिजली की अधिकता है लेकिन यह भ्रम है। उदाहरणार्थ एक सभ्य समाज में औसत प्रति व्यक्ति बिजली खपत 500 यूनिट होती है लेकिन केरल में प्रति व्यक्ति खपत केवल 93 यूनिट है जोकि 135 यूनिट के राष्ट्रीय औसतन स्तर से काफी कम है। इस समय केरल में 47150 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है। 1982-83 तक कुल खपत 61224 लाख यूनिट होगी और इदामालयार परियोजना के पूरे होने पर भी उत्पादन केवल 55390 लाख यूनिट ही होगा और 1985 तक यह कमी 10460 लाख यूनिट तक पहुंच जाएगी। बिजली की यह कमी साइलेंटवैली परियोजना के पूरे होने पर ही दूर होगी। इस संदर्भ में मैं यह उल्लेख करना चाहता हूँ

---

*मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतरण

कि यद्यपि मालाबार क्षेत्र में अन्य नदी परियोजनाओं की भी संभावनाएं है लेकिन इन अधिकांश नदियों के संबंध में विवाद चल रहे हैं। साइलेंट वैली परियोजना ही एकमात्र ऐसी परियोजना है जिसके सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। मालाबार के पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए यह परियोजना बहुत आवश्यक है।

कुछ पक्षों ने जान-बूझकर वातावरण का संतुलन बिगड़ने की बात उठाई है। केरल सरकार केन्द्र को पहले ही आश्वासन दे चुकी है कि वातावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं। इस परिस्थिति में केन्द्र सरकार को इस परियोजना के संबंध में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर देना चाहिए ताकि राज्य सरकार काम को आगे बढ़ा सके।

(तीन) पटना-हाजीपुर गंगा नदी पर पुल का निर्माण कार्य पूरा होने में विलम्ब

श्री राम बिलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित अत्यन्त लोक महत्व के विषय की ओर सदन का ध्यान खींचना चाहता हूँ।

बिहार में पटना-हाजीपुर गंगा पुल निर्माण का कार्य पिछले दस वर्षों से चल रहा है लेकिन अभी भी अधूरा पड़ा है। पुल के निर्माण की लागत अनुमानित व्यय से काफी बढ़ गई है। उस पुल निर्माण का कार्य गेमन कम्पनी द्वारा कराया जा रहा है। इस साल भी सीमेंट के अभाव में पुल निर्माण का कार्य बन्द है। यह पुल राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है तथा भारत नेपाल को जोड़ने का एक मुख्य मार्ग है। वैसे यह पुल राज्य सरकार से सम्बंधित है लेकिन केन्द्रीय सरकार ने चौथी योजना अवधि में इस पुल पर 50 प्रतिशत खर्च के लिए गैर योजना ऋण दिया।

जिस रफ्तार से पुल निर्माण कार्य चल रहा है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि आगामी कई वर्षों में भी पुल का निर्माण नहीं हो सकेगा।

अतः भारत सरकार से मांग है कि केन्द्रीय अनुदान देकर अविलम्ब पटना हाजीपुर गंगा पुल निर्माण का कार्य पूरा किया जाये।

(चार) मध्य रेलवे अधिकारियों द्वारा बम्बई उपनगरीय यात्रा के किरायों का बढ़ाया जाना

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : मध्य रेलवे ने बम्बई उपनगरीय यात्रा के किराए में वृद्धि कर दी है और मेन तथा हार्बर ब्रांच लाइनों पर सीज़न टिकट पर यात्रा की सुविधा वापस ले ली है। ऐसा करना सर्वथा अनुचित हैं। संसद् के सत्र और रेल बजट पेश किए जाने से केवल एक सप्ताह पूर्व मध्य रेलवे अधिकारियों ने किराए में यह वृद्धि करके संसद का अपमान किया है।

किराए में यह वृद्धि तुरन्त रद्द की जानी चाहिए और सीजन टिकट पर यात्रा करने की सुविधा पुनः प्रदान की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब हम कार्य सूची की मद की संख्या 3,4,5 पर एक साथ विचार करेंगे और मतदान कराएंगे। सबसे पहले हम आसाम बजट को लेंगे।

आसाम बजट, 1980-81—सामान्य चर्चा, लेखानुदानों की मांगें (आसाम) 1980-81—और अनुदानों की अनुपूरक मांगें (आसाम) 1979-80

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) : मैं वित्त मंत्री को बधायी देने के साथ अपना भाषण शुरू करता हूँ। ये सौभाग्यशाली हैं क्योंकि वित्त मंत्री को साधारणत: वर्ष में एक बजट पेश करना पड़ता है लेकिन इन्होंने दस अथवा ग्यारह बजट पेश करने से अपना काम शुरू किया है। मैं यह नहीं जानता कि राज्य विधान सभाओं को अनुचित ढ़ंग से भंग करके इन्हें यह सौभाग्य प्रदान किये जाने का न जाने क्या कारण है। लेकिन आसाम को जो बजट इन्होंने पेश किया है, और आसाम का जो लेखानुदान इस सभा से पास कराना चाहते हैं उसका आधार भिन्न है, आसाम की विधान सभा भंग नहीं हुई है। यह विधान सभा जिंदा है। यह निलम्बित अवस्था में है। आसाम राज्य में कोई लोकप्रिय सरकार नहीं है। आसाम में कछार घाटी को छोड़ कर इस सभा के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए कोई भी चुनाव नहीं हो सके जिससे कि वे प्रतिनिधि वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट अथवा लेखानुदानों के बारे में यहां चर्चा कर सकते। अत: यह एक असाधारण स्थिति है जिसमें विधान सभा तो है लेकिन वह निलम्बित अवस्था में है। इस सभा में समूची आसाम घाटी के अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों से इन लेखानुदानों पर चर्चा करने के लिए कोई भी लोकप्रिय प्रतिनिधि नहीं हैं।

इससे इस सभा की जिम्मेदारी बढ़ गई है। एक बड़े आन्दोलन से वहां के लोगों के मन उल्लेखित हो उठे हैं जिससे देश के अन्य भाग भी प्रभावित हो रहे हैं। अत: इस क्षेत्र के लोगों की समस्याओं, जरूरतों, भावनाओं तथा मांगों पर विचार करने के बारे में इस सभा की जिम्मेदारी निसंदेह वहुत बड़ी है।

श्री आनन्द गोपाल मुखर्जी (आसनसोल) : श्री वर्मा, दो साल के बाद आपने ऐसा महसूस किया इसके लिए धन्यवाद। आप इस मामले को भूले बैठे थे; अपने भूतपूर्व गृह मंत्री को पूछें—

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं इस प्रकार की चर्चा का जवाब देने के लिए सभा का समय बर्बाद नहीं करना चाहता।

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न डालें।

श्री रवीन्द्र वर्मा : यह बात ठीक है कि सरकार आज केवल चार महीनों के लेखानुदान पर स्वीकृति लेगी लेकिन सभा को प्रस्तुत वित्तीय तथा अन्य विवरणों से राज्य की अर्थ व्यवस्था सम्बन्धी तस्वीर की झलक मिलती है। यह तस्वीर गरीबी, पिछड़ेपन, विकास सम्बन्धी विषमता, साधनों के अभाव की है, जिससे राज्य सरकार आर्थिक विकास सम्बन्धी विषमता को दूर करने के विषय में अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभा सकती। यहां की समस्यायें गम्भीर हैं और यह बात मानी जानी चाहिये कि इस क्षेत्र में आर्थिक विषमता देश के अन्य भागों से अधिक है। 1976 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 869 रुपये थी जबकि राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय 1049 रुपये थी। इस क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय में जो कम वृद्धि हुई है वह भी विस्मयकारी रहीं है।

आसाम में प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि 93 रुपये रही जबकि अन्य क्षेत्रों में 240 रुपये तक थी। स्थिर मूल्यों के आधार पर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय में 1970-71 की तुलना में 1977-78 में 8.6 प्रतिशत वृद्धि हुई लेकिन आसाम में यह वृद्धि केवल 2.8 प्रतिशत ही हुई।

जहां तक औद्योगीकरण का सम्बन्ध है, इस बात को सभी जानते हैं कि यह राज्य पिछड़ा हुआ है वहां के कुल उत्पादन का 58 प्रतिशत भाग प्रारम्भिक क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्र से हैं। शायद मेरे माननीय मित्र को इस बात की जानकारी है कि उस क्षेत्र में कृषि उत्पादन में वृद्धि अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम रही है। जहां तक बेरोजगारी का संबंध है, यह सारे देश में एक गम्भीर समस्या है, परन्तु इस क्षेत्र में दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंत में 1,17,000 व्यक्ति बेरोजगार थे। और अब यह संख्या आज बढ़कर 1,50,000 हो गयी है, जबकि यहां की कुल आबादी 10,50,000 है। आवश्यक वस्तुओं की प्रति व्यक्ति उपलब्धता की स्थिति भी इस क्षेत्र में चिंताजनक है क्योंकि दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन या निर्माण राज्य में नहीं होता और उन्हें देश के विभिन्न भागों से वहां मंगाया जाता है इससे आपूर्ति, परिवहन, स्टाक आदि की समस्यायें पैदा होती हैं जिससे क्षेत्र के अंदर जमाखोरी, मुनाफाखोरी तथा मूल्य वृद्धि की समस्यायें पैदा होने की सम्भावना बनी रहती है।

यहां मैं राज्य के संसाधनों, जिनका जिक्र मेरे माननीय मित्र ने किया है, पर भी प्रकाश डालना चाहता हूँ। जहां तक इस राज्य का सम्बन्ध है, अधिकांश संसाधन कराधान से प्राप्त होते हैं। राज्य के उपक्रमों, वाणिज्यिक तथा अन्य उपक्रमों का अंशदान बहुत कम है। वास्तव में, राज्य का 6 प्रतिशत राजस्व, राज्य के अंदर कार्यरत बाहर के श्रमिकों द्वारा लाभ तथा बचत के प्रत्यार्तन के कारण राज्य से बाहर चला जाता है।

जहां तक वित्तीय संसाधनों का सम्बन्ध है, यह राज्य एक पिछड़ा राज्य है। फिर भी राज्य चाय तथा तेल से बहुत राजस्व का अर्जन कर रहा है, अपने ही लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी। लेकिन चाय से प्राप्त 86 प्रतिशत आय केन्द्र को जाती है, राज्य को नहीं। तेल पैदा करने वाले राज्यों और केन्द्र के बीच कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि के कारण रोयलटी बढ़ाने सम्बन्धी जो विवाद चल रहा है, मैं उसके बारे चर्चा करके सभा का समय बर्बाद नहीं करना चाहता।

एक दूषित वातावरण के कारण पर्याप्त विकास नहीं हो पा रहा। जहां तक संसाधनों का संबंध है, राज्य की आर्थिक सम्पत्ति का मुख्य साधन वनों के अलावा ब्रह्मपुत्र है। यह एक बहुत बड़ी नदी है और इसकी तुलना समुद्र से ही की जाती है। यह नदी राज्य के लिए समस्या पैदा करती है। इस नदी के कारण यहां बाढ़ आती है और भूमि कटाव होता है। हर साल लगभग 20 करोड़ रुपये लागत की सम्पत्ति और कृषि उत्पादन का नुकसान इस नदी के कारण होता है। इस नदी पर बांध बनाये जाने चाहिए। यदि इस पर बांध बनाये जायें और घाटी क्षेत्र के विकास के लिए पनबिजली का उत्पादन करने के लिये उसका उपयोग किया जाये तो इसके लिए काफी पूंजी लगाने की आवश्यकता होगी, जो राज्य सरकार के बश से बाहर है।

ब्रह्मपुत्र घाटी का विकास बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां टेनेसी घाटी प्राधिकरण है। ब्रह्मपुत्र घाटी विकास के लिए अनेक प्रस्ताव किए गए हैं। जब तक समूची घाटी के विकास का काम हाथ में नहीं लिया जाएगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी सम्बन्धी कार्यों पर ध्यान केन्द्रित नहीं किया जाएगा उस समय तक इस क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन दूर नहीं हो सकता। (व्यवधान)

मैं अब आसाम की स्थिति सम्बन्धी एक गम्भीर पहलू का जिक्र करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि एक जन आन्दोलन ने राज्य के प्रशासन तथा जनजीवन को ठप्प कर दिया है। यह दुर्भाग्य की बात है कि मामला इस स्थिति तक पहुंच गया है (व्यवधान)। लेकिन जहाँ तक इस सभा का सम्बन्ध है, हमारे लिये इस समस्या को पूर्णतः समझना अनिवार्य है। यह समस्या विदेशी राष्ट्रिकों की उपस्थिति से सम्बन्धित है। एक ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है जिसमें कई वर्षों से बड़े पैमाने पर घुसपैठ के कारण असंख्यक विदेशी राष्ट्रिक हमारे देश की मतदाता सूची में शामिल हो गये हैं। इस प्रश्न के बारे में कोई दो राय नहीं हो सकतीं। प्रश्न भाषा तथा धर्म का नहीं है। प्रश्न घुसपैठियों के विदेशी दर्जे का है। अतः इस समस्या को कोई इलाकायी समस्या नहीं समझा जाना चाहिये। यह एक राष्ट्रीय समस्या है। घुसपैठिया कौनसी भाषा बोलता है और कौन सा धर्म अपनाता है, इससे उसके विदेशी होने के दर्जे पर कोई फर्क नहीं पड़ता और इस सभा को इस बात का पता कई वर्षों से लग रहा है कि इस क्षेत्र में घुसपैठ होती ही रहती हैं। 1950 में इस सभा ने आसाम से अवान्छनीय प्रवासी को बेदखल करने सम्बन्धी अधिनियम पास किया था। अतः यह वहां की पुरानी समस्या है जो अब गम्भीर होती जा रही है।

मुझे खुशी है कि सरकार की आन्दोलन के नेताओं से वार्ता हुई है। यह एक गम्भीर मामला है मैं यही कामना करता हूँ कि इस समस्या का हल वार्ता व समझौते द्वारा हो जायेगा। हमें बताया गया है कि इस बारे में अब मतभेद कम हो गये हैं। प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति को घुसपैठिया या विदेशी घोषित करने के लिये क्या मापदंड अपनाया जायेगा। मैं यह भी समझता हूँ कि बातचीत तथा वार्ताओं के फलस्वरूप विदेशी घुसपैठियों का पता लगाया जाना तथा उनके नाम को मतदाता सूचियों से हटाया जाना सम्भव हो गया है। यदि यह सच है ·· (व्यवधान)। मुझे ऐसा बताया गया है। मैं यह नहीं कह रहा कि बात ऐसी है (व्यवधान) मैं नहीं चाहता कि कोई माननीय सदस्य व्यवधान डाले। मैं यही कह रहा था कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है। मै इसे दलगत दृष्टि से नहीं देखता। मुझे इस समस्या से कोई भाषा सम्बन्धी स्वार्थ पूरा नहीं करना है। इस समस्या को प्रशासन की दृस्टि से देखा जाना चाहिये क्योंकि यदि इस समस्या को हल नहीं किया गया तो इस क्षेत्र में असंतोष और बढ़ेगा। इस क्षेत्र में असंतोष तथा पृथकतावादी भावनाएं पहले ही से विद्यमान हैं। अतः मुझे आशा है कि बातचीत जारी रखी जायेगी और यह नहीं समझा जायेगा कि यह वार्ता का अंत है। सरकार द्वारा इस समस्या को हल करना संभव होना चाहिये जो राष्ट्रीय हित में है और वहाँ के लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप है।

श्री संतोष मोहन (सिलचर) : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री ने अपने बजट में कुल 17.89 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया है और अपने भाषण में उन्होंने राज्यों से खर्चे कम करने, कर वसूल करने और कर वसूल करने के उपाय ढूंढने के बारे में अनुरोध किया है। वर्तमान स्थिति

इतनी खराब है कि चार महीने के बाद भी वहां सरकार बनने के लक्षण नहीं दीख रहे हैं। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि योजना के लिये नियत राशि को 116.38 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये कर दिया जाये और तेल की रोयलटी भी बढ़ाई जाये जो इस समय 40 रुपये प्रति मैट्रिक टन है। इस बजट के बारे में बोलना अनावश्यक है क्योंकि यह केवल चार महीने का लेखानुदान है। चार महीने के बाद हमें बोलने का कुछ और अवसर मिलेगा।

विपक्ष के माननीय वक्ता श्री वर्मा ने कहा कि आसाम की समस्या राष्ट्रीय समस्या है। इसे हल किया जाना चाहिये। मैं उनसे सहमत हूं। लेकिन मैं यह सिद्ध करूंगा कि यह समस्या जिसकी ओर आसाम के लोग गणतंत्र परिषद् के लोग ध्यान दिला रहे हैं वे वहां की कुल जनसंख्या का एक-एक छोटा सा भाग है। वे लोग उच्च वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं और यह आंदोलन उन्होंने शुरू किये। आसाम की सरकारी मशीनरी, प्रचार साधन, समाचारपत्रों तथा आकाशवाणी में उनका अच्छा बोलबाला है। उस दिन सदस्य इस सभा में आकाशवाणी की स्वायत्तता के बारे बोल रहे थे। यदि हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री आसाम जायें तो उन्हें पता चलेगा कि आकाशवाणी गोहाटी इस आन्दोलन का भोंपू बनकर रह गया है और वह आन्दोलन सम्बन्धी समाचारों को सेंसर करके प्रसारित नहीं करते। इस बात का कि आसाम में घुसपैठिये हैं और बाहरी लोग आसाम की संस्कृति एवं परम्परा को तहस नहस कर रहे हैं। इन तथ्यों से निराकरण किया जा सकता है, कि यदि आप भारत सरकार के जनगणना प्रतिवेदन को देखें तो आप को पता चलेगा कि 1911 में असमिया-भाषी लोग 35.3 प्रतिशत थे।

1921 में असमिया-भाषी 33.4 प्रतिशत, 1931 में 32.3 प्रतिशत, 1951 में 56.3 प्रतिशत, 1961 में 57.1 प्रतिशत तथा 1971 में 60.5 प्रतिशत लोग थे। इसकी तुलना में बंगला-भाषी 1911 में 26.9 प्रतिशत, 1921 में 27.6 प्रतिशत, 1931 में 27.5 प्रतिशत, 1951 में 19.6 प्रतिशत, 1961 में 17.6 प्रतिशत तथा 1971 में 19.5 प्रतिशत लोग थे। अतः हम देखते हैं कि 1931 से 1971 के बीच असमिया-भाषी लोगों की संख्या बढ़ी है तथा बंगाली-भाषी लोग कम हुए हैं।

अखिल भारतीय आधार पर जनसंख्या में कुल वृद्धि 22.68 प्रतिशत हुई थी जबकि आसाम में असमिया-भाषी लोगों की जनसंख्या में वृद्धि 34 प्रतिशत हुई। यदि आप बंगाली-भाषी लोगों की तुलना अन्य भाषा-भाषी लोगों से करते हुए तुलनात्मक आंकड़ों को देखें तो आपको पता चलेगा कि 1961-71 में असमिया-भाषी लोग 35 प्रतिशत बढ़े हैं जबकि दूसरी भाषाओं के बोलने वाले लोग 19 प्रतिशत कम हुए हैं। अतः इस बात का शोर करना, कि बंगाली तथा अन्य भाषा-भाषी लोग असमियों की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं, सही नहीं है।

इसके अतिरिक्त यदि आप 1971 की जनगणना पर विचार करें, तो आप उन लोगों से पूछ सकते हैं जो 1971 में जनगणना के समय अवयस्क थे, उनमें से लाखों 1977 और 1978 में मतदाता बनने के हकदार हो गये। वे मुख्यतय: असमिया वर्ग से सम्बन्धित हैं। वे संख्या में बंगाली वर्ग, बंगाली मुस्लिम वर्ग, नेपाली वर्ग तथा तिब्बती वर्ग की तुलना में अधिक हैं। 1971 की जनगणना के अनुसार 12 लाख ऐसे अवयस्क हैं जो 1977-1978-79 में मतदाता बनने के हकदार हो जायेंगे।

इसके अतिरिक्त कि यह भी शोर मचाया जा रहा है कि बंगालियों ने सरकारी सेवा में कब्जा करके आसाम के लोगों को सरकारी सेवा से बाहर निकाल दिया है। मैं इस सभा का ध्यान असम सरकार की 1971 की सिविल सूची की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिससे यह पता चलता है कि 200 ए०सी एस०—I अधिकारियों में से केवल 13 बंगाली है, 328 ए० सी० एस०—II अधिकारियों में से केवल 27 बंगाली हैं, लोक निर्माण विभाग में 600 सरकारी इंजीनियरो में से केवल 69 बंगाली हैं, एस० पी० दर्जे के 30 में से केवल तीन पुलिस आफीसर बंगाली हैं, 60 प्रथम श्रेणी के सहकारी अधिकारियों में से केवल 8 बंगाली हैं तथा स्वास्थ्य सेवाओं में 224 में से केवल 18 बंगाली हैं।

विरोधी पक्ष के एक माननीय सदस्य ने कहा है कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है। किन्तु उनका दल राष्ट्र विरोधी कार्य कर रहा है। कैसे ? यह मैं बताता हूँ। 12 मार्च को इस सभा में श्री वाजपेयी ने प्रधान मंत्री, गृह मंत्री तथा आसाम-गण संग्राम के मध्य हो रही बात-चीत का विरोध किया था। जब वे आसाम गये थे, तो वहां ऐसे भाषण दिये थे जिनमें कहा गया था कि जहां तक बंगाली भाषी लोगों का संबंध है, केवल हिन्दुओं को आसाम में रखा जाना चाहिये तथा मुसलमानों को वहाँ से निकाला जाना चाहिये। इस सभा में इस प्रकार का प्रचार करना किया जाना उचित नहीं है। इस बात की जांच आसाम के समाचार-पत्रों के समाचारों से की जा सकती है। इस प्रकार आसाम में उनके दल द्वारा प्रचार किया जा रहा है और वे ऐसा कह रहे है कि मुसलमानों को बाहर निकाल दिया जाना चाहिये।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं इस बात से इंकार करता हूं।

श्री संतोष मोहन देव : आप इससे इन्कार कर सकते हैं किन्तु, यह एक तथ्य है जिसे कार्यवाही वृत्तांत के आधार पर झुठलाया नहीं जा सकता।

श्री रवीन्द्र वर्मा : आप कार्यवाही वृत्तांत प्रस्तुत करिये।

श्री संतोष मोहन देव : आसाम में मुसलमानों ने आंदोलन के विरुद्ध सक्रिय रूप से भाग लिया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि आसाम में वर्तमान राज्यपाल इस आन्दोलन के प्रति दादाजी जैसा रवैया अपना रहे हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 3 तथा 6 तारीख को चुनाव हुए थे। 30 नवम्बर को आकाशवाणी पर इस समाचार का प्रसारण किया गया था। चुनाव आयोग ने 28 दिसम्बर, 1979 को यह निर्णय लिया कि चाहे कुछ भी हो, कछार में कराये जायेंगे। राज्यपाल ने 30 दिसम्बर, 1979 को एक वक्तव्य जारी किया कि यदि चुनाव कछार के दो निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव कराये जाते हैं, तो सारे आसाम में कानून और व्यवस्था की समस्या उठ खड़ी होगी। यदि आप रिकार्ड को देखें, तो आपको मालूम हो जायेगा कि राज्यपाल के इस प्रकार वक्तव्य के पश्चात् नलबारी तथा बारपेटा में 1 से 6 जनवरी, 1980 के बीच मुसलिम तथा हिन्दू समुदायों पर आगजनी लूटपाट तथा आक्रमण किये गये। मैं सभा से आसाम में प्रशासनिक तंत्र में परिवर्तन करने की प्रार्थना करता हूं। अन्यथा इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता।

जब आसाम में गत 2½ वर्ष जनता सरकार थी, तो उसने आसाम के विकास के प्रति रचनात्मक रवैया नहीं अपनाया। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों, प्राथमिक तथा उच्च स्कूलों तथा विश्वविद्यालय स्तर पर कालेजों के निर्माण के लिये एक पैसा भी नहीं दिया। मुझे आज प्रातः बताया गया है कि गोहाटी से छात्र स्कूलों के डी० पी० आई० के पास यह धमकी देने के लिये जा रहे हैं, "यदि आप आसम में बंगाली माध्यम के स्कूलों को कोई अनुदान देंगे, तो बड़े पैमाने पर दंगे होंगे तथा अराजकता फैलेगी"। मैं शिक्षा मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह इस समस्या की ओर ध्यान दे तथा इसका समाधान करने का प्रयास करे।

ब्रह्मपुत्र में बाढ़ें आसाम के लोगों के लिये दुख पैदा करती है। इन बाढ़ों से प्रतिवर्ष तबाही होती है। ब्रह्मपुत्र रक्षा सम्बन्धी एक परियोजना बनी हुई हैं। मैं वित्त मंत्री महोदय से ब्रह्मपुत्र घाटी की रक्षा के लिये अधिक धन की व्यवस्था करने की प्रार्थना करता हूं।

बारक बांध के निर्माण का भी एक प्रस्ताव है जिस पर पूर्वोत्तर परिषद् ने भी विचार किया है। यह बांध आसाम तथा त्रिपुरा, मिजोरम तथा मणिपुर के लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। इसके लिये तीन वर्ष की अवधि निर्धारित की गयी है। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस अवधि को कम करके दो वर्ष कर दिया जाना चाहिये। यदि इस बांध का निर्माण हो जाता है, तो इससे 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकता है जिससे त्रिपुरा तथा मिजोरम के साथ-साथ उस समूचे क्षेत्र की समस्याओं का समाधान होगा।

मैं सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर से आकर्षिक करना चाहता हूं कि जो आंदोलन चल रहा है उसमें कछार के छात्र भाग नहीं ले रहे हैं, हजारों छात्रों को विश्वविद्यालय और स्कूल बोर्ड की परीक्षाओं में बैठना है, किन्तु गोहाटी विश्वविद्यालय ने अपनी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। इसलिए सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि जो विद्यार्थी आंदोलन में भाग नहीं ले रहे हैं कम से कम वे तो परीक्षाओं में बैठ सकें। यदि इसका प्रबन्ध नहीं किया जा सकता, तो उन छात्रों को मुआवजा दिया जाना चाहिए; क्योंकि जब वे आंदोलन में भाग नहीं ले रहे है तो उन्हें हानि क्यों हो? वे मुख्यतयः मध्य वर्ग परिवारों तथा ग्रामीण कृषि परिवारों के हैं। इंजीनियरी अथवा मेडिकल कालेज में पढ़ने वाला एक छात्र 15,000 से 20,000 रुपये प्रति वर्ष खर्च कर रहा है किन्तु दुर्भाग्यवश, उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति रुपये नहीं दी गयी है। उनके लिए या तो परीक्षा की व्यवस्था की जाये अथवा इंजीनियरी तथा मेडिकल कालेजों में पढ़ रहे लड़कों को देश के अन्य भागों के कालेजों में दाखल कराया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री महोदय से मेरी यही प्रार्थना है।

मैं शिक्षा मंत्री महोदय से इस बात की भी प्रर्थना करता हूं कि कछार में विश्वविद्यालय अवश्य बनाया जाये। गोहाटी विश्वविद्यालय ने एक संकल्प पारित किया था कि 1982 तक के केवल असमिया भाषा को ही शिक्षा का माध्यम बना देंगे। जब 1972 में कछार में आन्दोलन हुआ तो के० सी० पन्त सूत्र के अधीन इस बात पर सहमति हुई कि 1952 तक अंग्रेजी और असमिया को शिक्षा का माध्यम बनाये रखा जायेगा। इसलिये मेरा अनुरोध है कि कछार में एक विश्वविद्यालय अवश्य होना चाहिए। अन्यथा बंगला-भाषी समुदाय के छात्रों को काफी हानि पहुंचेगी।

जैसा कि मैंने प्रारम्भ में ही कहा था यह आन्दोलन नगर आधारित है और असम में कृषकों को चाहे वे ब्रह्मपुत्र घाटी में हों, अथवा कछार में हों, बहुत ही हानि उठानी पड़ रही है। आसाम में पहले ही इस आंदोलन के विरुद्ध आंदोलन चल रहा है। वे यह बात कहते हैं कि नगरीय क्षेत्रों में छात्र व्यापारी समुदाय से धन प्राप्त करके इस आन्दोलन को चला रहे हैं और गांवों के लोगों को अत्यधिक कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम चालू होने वाले है, किन्तु, उसके अन्तर्गत जब तक आसाम के गांव के लोगों को अपने कृषि ऋणों से छुटकारा पाने का अवसर नहीं दिया जाता, तब तक बैंकों तथा अन्य वित्तीय सस्थाओं से कोई ऋण प्राप्त नहीं करने के अधिकारी नहीं हो सकते। अतः कृषि संबन्धी ऋणों तथा सहकारी संस्थाओं द्वारा दिये जाने वाले ऋणों को, जो समय-समय पर ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा दिये जाते हैं, माफ कर दिया जाना चाहिये।

बिजली के संबंध में, हमें एक दूसरी 132 किलोवाट की लाईन मिलनी चाहिए जो मुलाये ग्रिड सबस्टेशन से पंचग्राम सबस्टेशन तक होनी चाहिये, क्योंकि वर्तमान लाइन पवर्तीय क्षेत्र में होकर जाती है और बार बार यह फेल होती रहती है। इसके परिणामस्वरूप 50 मेगावाट में से हमें केवल 5 मेगावाट बिजली मिलती हैं। अतः हम अपने उद्योग, मुख्यतयः चाय उद्योग, को नहीं चला सकते।

इसके साथ साथ मैं मंत्री महोदय से यह सुविस्तित करने के लिये प्रार्थना करूंगा कि कछार को आवश्यक वस्तुयें पहुंचायी जाती रहें। आवश्यक वस्तुओं के न, मिलने के कारण कछार के लोगों को बहुत अधिक दुख उठाना पड़ रहा है। आज प्रातः मुझे सिलचर से तार प्राप्त हुआ है। नूर मिया नाम के एक व्यक्ति को बाजार में मार दिया गया। इस व्यक्ति को लाइन में खड़े होकर नमक लेते समय मार दिया गया। एच० एस० डी०, मिट्टी के तेल, चीनी, चावल तथा नमक की ऐसी स्थिति है। मैंने मंत्री महोदय से पहले ही इस ओर ध्यान देने की प्रार्थना की है।

मैं केन्द्रीय सरकार से पुनः यह अनुरोध करता हूं कि वह आसाम में किसी राजनीतिक दल द्वारा लोक प्रिय सरकार बनाये जाने की सम्भावना का पता लगावे। लोक प्रिय सरकार के विना आसाम की समस्याओं का समाधान करना बहुत ही कठिन हो जायेगा। अतः इस पर विचार किया जाना चाहिये।

श्री चन्द्रजीत यादव (आज़मगढ़) : मेरे विचार में इस राष्ट्रीय मंच पर वित्त मंत्री द्वारा आसाम के बजट को प्रस्तुत करने से हमें इस ओर गम्भीर रूप से विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ है कि हमारे राष्ट्रीय परिदृश्य पर क्या घटित हो रहा है और यह कि केन्द्र और राज्यों के बीच क्या संबंध होने जा रहे हैं। मेरे विचार में आसाम की घटनाओं पर पृथक रूप से विचार नहीं किया जाना चाहिये। दुर्भाग्यवश समूचा पूर्वोत्तर क्षेत्र भड़क उठा है। देश के उस भाग के लोग राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूप से अपने आप को बहुत ही उपेक्षित महसूस करते हैं। देश के उस भाग में रहने वाले लोगों में, चाहे वे आदिवासी हों अथवा गैर-आदिवासी, यह भावना तीव्र होती जा रही है कि उनका शोषण किया गया है और केन्द्रीय सरकार उनके हितों की ओर उचित ध्यान देने में पूरी तरह असफल रही है। अब यह एक राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। आज देश के उस भाग के युवकों की मनोदशा विद्रोह करने की है।

11 सत्तारूढ़ दल सहित सभी राष्ट्रीय दलों ने चिन्ता व्यक्त की है और एक अपील भी जारी की है कि अपने देश की अखंडता तथा उस भाग के लोगों की उचित शिकायतों को दृष्टि में रखते हुये अवश्य ही कोई समाधान ढूंढ़ा जाना चाहिये । प्रत्येक व्यक्ति इस बारे में आज चिन्तित हैं । हम इसे राजनीतिक मामला नहीं बनाना चाहते क्योंकि यह एक बहुत ही नाजुक राष्ट्रीय मामला है । हमें इन समस्याओं के मूल कारण को देखना चाहिए । देश के उस भाग में हुये कथित आक्रमण तथा बहुत बड़ी संख्या में वहां आने वाले अनधिकृत प्रवासियों की ओर ध्यान न देकर केन्द्र सरकार अपना राष्ट्रीय दायित्व निभाने में शायद विफल रही है । जब हम 1961-1971 की जनगणना के आंकड़ों पर दृष्टि डालते हैं तो उनसे पता चलता है कि जहाँ समूचे देश में जनसंख्या की कुल वृद्धि 24% हुई थी, वहां आसाम में यह वृद्धि 35 प्रतिशत हुई थी । यदि एक छोटे से राज्य में जनसंख्या के 11 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि हुई है तो वह वृद्धि प्राकृतिक वृद्धि नहीं है । सभी लोग यह स्वीकार करते हैं कि अनधिकृत विदेशी दूसरे देशों से लाखों की संख्या में आये और कि यह एक गम्भीर स्थिति है और यदि हमारी सरकार अपने देश में घुसपैठ को रोकने के लिए प्रभावी पग उठाने में विफल रहती है और इतने बड़े पैमाने पर अनधिकृत आप्रवास होने देती है तो इससे हमारी राष्ट्रीय अखंडता को गम्भीर खतरा पैदा हो जायेगा । यह स्थिति देश के किसी भी सीमावर्ती नाजुक क्षेत्र में हो सकती है ।

हम जानते हैं कि हमारे देश में हो रही घटनाओं में विदेशी शक्तियां सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं । 31 दिसम्बर को, मुख्य मंत्री के संसदीय सचिव श्री अनिल दास ने खुले तौर पर यह कहा था कि विदेशी शक्तियां आसाम के मामलों में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं । जब कोई जिम्मेदार व्यक्ति सार्वजनिक रूप में एक वक्तव्य देता है कि विदेशी शक्तियां भारत के आंतरिक मामलों में सक्रिय रूप से अन्तर्ग्रस्त हैं, तो केन्द्रीय सरकार को यह पता लगाने के लिये सभी सम्भव पग उठाने चाहिये थे कि ये विदेशी शक्तियां कौन-कौन सी हैं ।

माननीय प्रधान मंत्री ने विरोधी पक्ष के नेताओं से सरकार के साथ सहयोग करने का अनुरोध किया है । विरोधी पक्ष के नेताओं ने सरकार को आश्वासन दिया है कि वह संतोषजनक समाधान ढूंढने में सहयोग देंगे । किन्तु हम वास्तविक स्थिति जानना चाहते हैं, क्योंकि हमें अंधकार में रखा गया है । इसका क्या कारण है कि भारत सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि यह निर्णय करने के लिये कि कौन लोग विदेशी हैं और कौन लोग भारतीय राष्ट्रिक हैं? 1871 की जनगणना को ही मानदण्ड मानने पर क्यों जोर दे रही है ? क्या भारत सरकार एवं बंगला देश की सरकार के बीच कोई गुप्त समझौता हुआ था ? यह अफवाह फैल रही है कि इस बारे में कुछ समझौता हुआ था, किन्तु हमें इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। जब हम यह सुनिश्चित करने के लिये रुचि ले रहे हैं कि कोई समाधान ढूंढ़ लिया जाये, तो भारत सरकार को अवश्य ही सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को विश्वास में लेना चाहिये और उनके समक्ष सभी तथ्य रख दिये जाने चाहिये ताकि हम सभी के द्वारा कोई संतोष जनक हल ढूंढ़ निकाला जा सके ।

एक अन्य प्रश्न, जो चिन्ता पैदा कर रहा है, वह यह है कि यह एक ऐसी समस्या नहीं है जो केवल असम को ही प्रभावित करती है । गत छः महीनों में क्या हुआ है ? तेल शोधन कारखाने को बन्द कर देने के कारण हमारे देश को 56 करोड़ रुपये मूल्य की 2 लाख टन एच०

एस० डी० तथा 15 करोड़ रुपये मूल्य के 50,000 टन मिट्टी के तेल से हाथ धोना पड़ा। धन के रूप में देश को 75 करोड़ से 85 करोड़ रुपये के बीच हानि हुई। उसके अतिरिक्त एच० एस० डी० तथा मिट्टी के तेल के उपलब्ध न होने के कारण देश भर में फसलों को गम्भीर क्षति पहुंची। अतः हमारे राष्ट्र को पर्याप्त रूप से आर्थिक तौर से हानि सहन करनी पड़ी। देश के उस भाग में रहने वाले लोग कुछ प्रश्न उठाते रहे है। कई बार यह असमियों तथा गैर-असमियों के बीच तथा कई बार आदि-वासियों तथा गैर-आदिवासियों के बीच का झगड़ा बन जाता है। आसाम में एक आदिवासियों का संगठन है जिसे प्लेनज़ ट्राइबल काउंसिल के नाम से जाना जाता है और इस संगठन ने 20 मई, को भारत के राष्ट्रपति को दिये ज्ञापन में यह बात मुख्य रूप से स्पष्ट की थी कि उनका अस्तित्व, उनकी संस्कृति, उनकी रीति-रिवाज यथा उनके जीवन का तरीका आदि सभी कुछ गैर-आदिवासी असमियों के कारण खतरे में पड़ गया है। इसलिए अब यह केवल असमियों तथा गैर-असमियों के बीच का मामला नहीं है परन्तु यह तो उस क्षेत्र में आदिवासियों यथा गैर-आदिवासियों के बीच का, आसमियों तथा गैर-आसामियों के बीच का और भारतीयों तथा विदेशियों के बीच का प्रश्न है जोकि काफी पेचीदा हो गया है। मैं समझता हूँ कि यह प्रश्न अनेक वर्षों से ही नहीं अपुति दशको से उठाया जाता रहा है और यदि हम वहां के लोगों की भावनाओं को शांत करने के लिए कोई संतोषजनक हल नहीं खोज सके तो यह मामला बहुत गंभीर हो जायेगा। इसलिए यह हमारी चिंता का कारण बना हुआ है ?

भारत हमारा देश है और कई बार हमें यह सोच कर वास्तव में बहुत संतोष होता है कि हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन की हमें सबसे बड़ी देन यही है कि देश के किसी भी कोने में रहने वाले लोग अपने आपको भारतीय मानते हैं. उनमें देश के कार्यों में भाग लेने की भावना है तथा वे देश के कार्यों में अपने आपको भागीदार समझते हैं। परन्तु गत छः महीनों में यह बात पूर्ण रूप से देखने को मिल रही है कि देश के विभिन्न भागों में एक प्रकार से राजनीतिक अस्थिरीकरण दृष्टिगोचर हो रहा है। मैंने स्वयं केरल तथा गौहाटी का दौरा किया था और गौहाटी में मुझे 7 पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों से मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ। हमारे देश में जो कुछ हो रहा है उससे सभी चिंतित थे और वह सभी यह चाहते थे कि हमारे देश में राजनीतिक स्थिरता तो होनी ही चाहिये, हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिये हमारे देश के टुकड़े-टुकड़े न हो जाये और हम अपने कार्य-व्यवस्था का विकास करने में अग्रसर हो सके, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकें तथा अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर एक राष्ट्र के रूप में अपनी भूमिका अदा कर सके। हमारे देश के लिए यह बहुत ही गौरव की बात है कि इस देश में रहने वाले लोगों में, चाहे वह देश के किसी भी भाग में क्यों न रहते हों, यही भावना रहती है कि वह इसी देश के वासी हैं। यह भावना निश्चय ही अच्छी भावना है, राष्ट्रीय भावना है तथा हमें इसका विकास करते हुये इसे प्रोत्साहित करना चाहिये।

परन्तु कुछ बातें ऐसी होती हैं जो भावनाओं से बढ़कर होती है। जीवन के कुछ कटु सत्य होते हैं। जब लाखों तथा करोड़ों युवक बेरोजगार हों और उन्हें जीवन में निकट भविष्य में कोई आशा की किरण नजर नहीं आ रही हो तो फिर वह विद्रोह करने के ही सोचते है और आसाम में ऐसा ही विद्रोह हो रहा है। मैं आसाम के युवकों को इसके लिए दोषी नहीं ठहराता,

क्योंकि सम्भवतः उनकी यह भावना जायज़ ही है कि उनके अपने ही क्षेत्र में, तथा अपने ही राज्य में उनकी अर्थ-व्यवस्था पर राज्य से बाहर के लोग हावी होते जा रहे हैं और यदि वह लोग न होते, यदि उन लोगों का प्रभुत्व उनके आर्थिक जीवन में न होता, उनके व्यापारिक या राजनीतिक जीवन पर उनका प्रभाव न होता, उनके प्रशासन पर वह हावी न होते तो सम्भवतः स्थानीय लोगों को विकास के अधिक अवसर मिलते और इसी आक्रोश के फलस्वरूप ही कई बार वह ऐसा रवैया अपना लेते हैं जो देश के लिए हानिकारक होता है।

जब यह प्रश्न असमियों तथा बंगालियों का प्रश्न बन जाता है या जब यह असमियों तथा गैर-असमियों का प्रश्न बन जाता है या फिर आसाम तथा नागालैंड या आसाम तथा मेघालय का प्रश्न बन जाता है, तो निश्चय ही हम इससे काफी चिंतित हो उठते हैं। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि इस देश का कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता है देश के लिए किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न हो। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि उसे इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये कि इसके बारे में क्या आर्थिक, प्रशासनिक तथा राजनीतिक कदम उठाये जाने चाहिये और इस विषय को अविलम्बनीय राष्ट्रीय महत्व का विषय माना जाना चाहिये।

यह अच्छी बात है कि सरकार इस मामले पर बातचीत कर रहे है तथा इसका हल निकालने के लिए प्रयत्नशील है। मुझे विश्वास है कि सरकार इस मामले पर कभी भी कड़ा रवैया नहीं अपनायेगी। सैनिकों, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को भेजकर या पुलिस के हाथों में छड़ियां देकर इस प्रकार की समस्याओं की हल नहीं किया जा सकता। सरकार इस समस्या पर जितना भी समय देना चाहते हो, वह इसके बारे में बातचीत करने में लगाये। समस्या के हर पहलू के बारे में विचार-विमर्श करने की अनुमति होनी चाहिये और सरकार को संकीर्ण दृष्टि से नहीं अपितु व्यापक दृष्टि से इस बात पर विचार करना चाहिये कि इनकी समस्यायें क्या हैं और उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है।

मैं आपको इस बात की चेतावनी देना चाहता हूँ कि हमारे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है उसे एक सूचक के रूप में लिया जाना चाहिये। यदि सरकार द्वारा सम्पूर्ण सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों का निर्धारण पुनः नहीं किया जाता, यदि सरकार द्वारा गरीबी की समस्या का समाधान करने के लिए कारगर कदम नहीं उठाये जाते, यदि गरीब तथा अमीर के बीच बढ़ती हुई खाई की समस्या को सुलझाया नहीं जाता और यदि सरकार द्वारा हमारे देश के लाखों बेरोजगार युवकों की समस्या का कोई हल नहीं खोजा जाता, तो इस प्रकार की समस्यायें देश के किसी भी कोने में खड़ी हो सकती हैं और उनसे एक ऐसी विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसका समाधान करना सरकार के लिए कठिन होगा।

यह किसी दल से सम्बद्ध मामला नहीं है। देश के कुछ समस्याओं को उठाया गया है। आपात स्थिति से पहले युवकों ने गुजरात में विद्रोह क्यों किया था ? ऐसा आपातस्थिति के कारण तो नहीं किया गया था। यह तो आपातस्थिति से पहले हुआ था। जब मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई, छात्रावास की दरों में बहुत वृद्धि कर दी गई तथा जब देश के उस भाग में रहने वाले लोगों

को यह लगने लगा कि सरकार द्वारा प्रशासन में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को समाप्त करने, ग्रावश्यक वस्तुग्रों के मूल्यों को नीचे लाने तथा बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है तो उन्होंने ग्रान्दोलन आरम्भ कर दिया ग्रौर वही ग्रान्दोलन सम्पूर्ण देश में फैल गया ग्रौर फिर बाद में हमने यही सोचा कि इस प्रकार के ग्रान्दोलन को काबू में करने के लिए ग्रापातस्थिति ही एकमात्र तरीका है। परन्तु हमने देखा कि यद्यपि ग्रापातस्थिति से एक प्रकार की शांति ग्रा गई परन्तु यह शांति ग्रस्थाई थी और लोगों को यह पसन्द नहीं थी तथा इसीलिए उन्होंने विद्रोह किया। इसके बाद लोगों ने स्वयं ग्रपनी सरकार का चुनाव किया ग्रौर जब उन्होंने देखा कि उनकी ग्रकांक्षाग्रों को पूरा नहीं किया जा रहा है तो उन्होंने फिर सरकार को बदल दिया। हमारे देश में एक बात देखने को ग्रा रही है ग्रौर वह यह कि सभी प्रकार की कठिनाइयों के बावजूद तथा सभी प्रकार की राजनीतिक तथा ग्रार्थिक समस्याग्रों के बावजूद भी हमारे देश के लोग लोकतांत्रिक प्रणाली में ग्रपना पूर्ण विश्वास बनाये हुये है। ग्रभी तक इस देश के लोगों की ग्रास्था प्रजातांत्रिक मूल्यों में बनी हुई है ग्रौर वह इस देश में प्रजातांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने में लगे हुये हैं। सत्ता में चाहे यह दल ग्राये या दूसरा दल ग्राये, जब तक देश ग्रागे बढ़ता रहता है, तब तक इस बात का कोई विशेष महत्व नहीं है कि सत्ता किस दल के हाथ में है। मैं ग्रपने मित्र श्री बर्मा के साथ सहमत हूँ जिन्होंने कि सुझाव दिये हैं कि सरकार को इस समस्या का हल शीघ्र निकालना चाहिये ग्रौर ग्रासाम के लोगों की इच्छा के विपरीत कुछ भी उन पर थोपा नहीं जाना चाहिये ग्रौर सरकार को उनके प्रति सख्त रवैया न उठाते हुये सदन को यह ग्राश्वासन देना चाहिये कि देश में ग्रनधिकृत तरीके से घुसपैठ करने वाले विदेशियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी ताकि किसी भी समय देश की ग्रखंडता के लिए खतरा उत्पन्न न हो सके। मैं समझता हूँ कि वित्त मंत्री इसकी ग्रोर बहुत ग्रधिक तकनीकी दृष्टि से ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ग्रासाम एक पिछला राज्य है, आर्थिक दृष्टि से वह पिछड़ा हुग्रा है ग्रौर वहां प्रति व्यक्ति ग्राय भी बहुत कम है तथा देश के उस भाग में विकास नहीं हो पाया है। इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। परन्तु ग्रार्थिक पहलुग्रों के साथ-साथ लोगों की ग्राकांक्षाग्रों को भी दृष्टिगत रखा जाना चाहिये।

श्री पी० के० थुंगोन (ग्ररुणाचल पश्चिम) : ग्रध्यक्ष महोदय, श्रीमानजी माननीय वित्त मंत्री द्वारा ग्रासाम का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इस ग्रन्तरिम बजट में ग्रासाम के लोगों की विभिन्न समस्याग्रों को सुलझाने की ग्राशा नजर ग्राती है। मैं क्रियान्वति हेतु केवल कुछ सुझाव देना चाहूंगा ग्रौर चाहूंगा कि ग्रगला बजट तैयार करते समय उन्हें दृष्टिगत रखा जाए। ग्रासाम समस्या का मूल कारण यही है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा देश के ग्रन्य भाग तथा उत्तर पूर्व भाग के बीच संचार साधनों की बहुत कमी है। इसी कमी के परिणाम-स्वरूप ग्रासाम तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र की समस्याग्रों को ग्रायोजना कार्य में लगे दिल्ली में बैठे लोग सही ढंग से समझ नहीं पाते है। मुझे, मुझे ही क्यों ग्रपितु हम सबको इस बात का ग्रनुभव है कि जब कभी भी हम कुछ समस्यायें प्रस्तुत करते रहे हैं, या कुछ सुझाव देते रहें हैं, ग्रर्थशास्त्री पंडित उनके बारे में हमसे ग्रनेक प्रश्न करते रहे हैं तथा उनकी ग्रनेक कारण बताते रहे हैं कि यह ग्रार्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं होगा या तकनीकी दृष्टि से सम्भाव्य नहीं होगा ग्रादि, ऐसा केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र के साथ ही नहीं किया जाता रहा है।

अन्य पिछड़े हुए पर्वतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले मेरे मित्रों ने बताया है कि उनके साथ भी ऐसा ही किया जाता है। इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि योजना आयोग में तथा कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालयों में एक विशेष सैल का गठन किया जाना चाहिये जो पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याओं पर विचार करे तथा उनकी समस्याओं को सही ढंग से समझे और संचार माध्यमों की कमी नहीं रहनी चाहिए।

जब संचार साधनों की बात आती है तो स्वाभाविक रूप से हमारा ध्यान सड़कों, रेल, विमान-सेवा तथा जल-सेवा की ओर आकृष्ट हो जाता है। जहां तक पूर्वोत्तर क्षेत्र का सम्बन्ध है, जैसा कि हम सब को मालूम है, जैसा कि इस सदन को मालूम है, संचार की दृष्टि से यह सब से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मैं सभी संचार माध्यमों के ब्यौरे में नहीं पड़ना चाहता। परन्तु फिर भी मैं सड़कों के बारे में कुछ विशिष्ट प्रश्न उठाना चाहता हूँ। संचार के अन्य साधन पूर्वोतर क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है और उन्हें शीघ्र निकट भविष्य में इस क्षेत्र के लोगों को उपलब्ध करवाये जाने की कोई संभावना भी नहीं है। सरकार द्वारा केवल सड़कों के कार्य में ही शीघ्र कार्यवाही की जा सकती है।

आसाम में सड़कों की स्थिती बहुत ही शोचनीय है। मैं केवल सड़क के एक ही भाग का उल्लेख करना चाहूंगा जहां कि मैं प्रायः यात्रा करता हूं। तेजपुर तथा उत्तर लखीमपुर तथा जोनाई के बीच एक सड़क है। उत्तर लखीमपुर तथा जोनाई के बीच विशेष रूप से कोई सड़क पुल नहीं है। यदि सड़क कोई टुकड़ा है तो वहां पुल नहीं है और यदि वहां पुल बना हुआ है तो उसके आगे सड़क का टुकड़ा नहीं है और यदि वहां सड़क है तो वह इतना खराब है कि वहां पर मोटर गाड़ियां नहीं चलाई जा सकतीं। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि आसाम के लिये अपेक्षित सड़कों की आवश्यकता की पूर्ति केवल प्रताप द्वारा नहीं की जा सकती। जिस सड़क का मैं उल्लेख कर रहा हूं उसका प्रयोग केवल आसाम जाने के लिए ही नहीं अपितु अरुणाचल-प्रदेश, नागालैंड़ तथा मेघालय आदि जाने के लिये भी किया जाता है। मैं सम्बद्ध मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि वह इस सड़क की ओर ध्यान दे तथा इस सड़क की स्थिति सुधारने के लिए कोई कार्यवाही करे।

मुझे याद है कि काफी समय पूर्व हमने पूर्वोत्तर क्षेत्र परिषद (एन० ई० सी०) में इस मामले पर चर्चा की थी। हमने इस सड़क में सुधार करने के प्रश्न पर कई बार विचार करके, उसे क्रियान्वित करने की सिफारिश की थी। जब कभी भी हमने इस सड़क की स्थिति सुधारने या इसका निर्माण करने का अनुरोध किया हमें बताया गया कि इसके लिये धनराशि नहीं है। हमने यह सुझाव भी दिया था कि इसी क्षेत्र में एक रेलवे लाइन है और वहां रेल-पुल भी है और उन रेल पुलों को सड़क-एवं-रेलवे पुलों में बदला जा सकता है क्योंकि वहां रेलवे यातायात अधिक नहीं हैं। मुझे यह मालूम नहीं है कि इसका परिणाम क्या होगा। अभी तक हम इस मामले के बारे में अनुरोध करने आये हैं परन्तु अभी तक कुछ नहीं हुआ है।

इसी प्रकार तेजपुर तथा जामुगुरी के बीच भी एक सड़क का टुकड़ा है। हम नदी पर लोग्रर जिला बोरोली पुल बनाने का ग्रनुरोध करते रहे हैं। यदि इस पुल का निर्माण कर दिया जाता है तो वर्तमान सड़क की दूरी 20 किलोमीटर घट जायेगी ग्रौर यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी के दूसरे पुल के साथ इस भाग को जोड़ देगा।

पूर्वोत्तर राज्य की संचार सम्बन्धी समस्या के ग्रतिरिक्त मैं एक ग्रन्य समस्या का उल्लेख भी करना चाहता हूं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में ग्रादिवासी लोगों में साक्षरता की दर कम है। मै ग्ररुणाचल प्रदेश की साक्षरता दर उद्धत करना चाहता हूँ। ग्रापको यह जान कर हैरानी होगी कि यह दर केवल 5.6 प्रतिशत है। इस प्रकार की परिस्थितियों में यह ग्रावश्यक है कि वहां श्रव्य-दृव्य सम्बन्धी पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध करवाई जायें जिससे कि लोग उस क्षेत्र के विकास के बारे में जान सकें ग्रौर साथ ही यह जान सके कि देश में क्या कुछ हो रहा है तथा उनके कर्त्तव्य तथा दायित्व क्या हैं। इस प्रयोजन हेतु मैं सुझाव देना चाहता हूं कि समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र में, एक टेलिविजन केन्द्र की शीघ्र ग्रावश्यकता है ग्रौर मैं ग्रापके माध्यम से सम्बन्धित मंत्री से ग्रनुरोध करता हूं कि वह एक टेलिविजन केन्द्र ग्रौर एक उच्च शक्तियुक्त रेडियो स्टेशन खोलने के लिए शीघ्र कदम उठायें। मुझे याद है कि हमने सूचना मंत्रालय से ईटानगर में एक उच्च शक्तियुक्त रेडियो स्टेशन खोलने का अनुरोध किया था। इसके लिए हमने जमीन भी दी थी। परन्तु यह वैसी ही पड़ी हुई है। उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। तीन वर्ष बीत चुके हैं ग्रौर मुझे नहीं मालूम कि प्रस्ताव की स्थिति क्या है। इस क्षेत्र में कुछ भी नहीं किया गया है। मैं ग्रापके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि ये ही कारण है ग्रौर कुछ ऐसी बातें हैं जिससे ग्रसंतोष ग्रौर रोष उत्पन्न होता है।

ग्रधिक समय न लेते हुए मैं बेरोजगारी की समस्या के बारे में उल्लेख करना चाहूँगा। एक माननीय सदस्य ने इस क्षेत्र में बेरोजगारी की भीषण समस्या के बारे में उल्लेख किया है। मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं। ग्रासाम में भी ऐसा ही है। माननीय सदस्य श्री वर्मा ने जो ग्रांकड़े प्रस्तुत किए हैं मैं उनमें पड़ना नहीं चाहता हूँ, परन्तु मैं यह कहना चाहता हूँ कि ग्रासाम में विभिन्न रोजगार कार्यालयों में 2,65,000 युवक रोजगार की प्रतीक्षा में हैं। प्रथम दृष्टि में यह एक बड़ी समस्या प्रतीत होती है ग्रौर इस समस्या को हल करना तो एक कठिन कार्य है। परन्तु यदि हम समस्या का ईमानदारी के साथ हल करें तो समस्या 2 वर्ष के भीतर समाप्त हो सकती है। इस बारे में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

बोंगाई गांव में पेट्रोलियम रसायन समूह है। पेट्रो-रसायन पर ग्राधारित 2000 से ग्रधिक लघु पैमाने के उद्योग वहां खुल सकते हैं ग्रौर उनमें 50,000 से ग्रधिक बेरोजगार युवकों को काम पर लगाया जा सकता है।

एक ग्रौर पहलू यह है कि हम ग्रान्दोलनों ग्रौर लोगों के वहां ग्राने से रोकने ग्रादि के बारे में बातचीत करते हैं। इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा बल ग्रौर हमारा पुलिस बल सुदृढ़ बने। यदि हमारे पुलिस बल में कुछेक, ग्रर्थात् 5 या 10 बटालियनें जोड़ दी जाती हैं तो इस प्रकार से 1500 ग्रौर युवकों को रोजगार में लगाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, ऐसे स्कूल हैं जिनमें एक ही शिक्षक है और ऐसे गांव हैं जिनमें स्कूल नहीं हैं। यदि हम शिक्षित युवकों को अध्यापक बनायें और यदि हम गांवों में अधिक स्कूल खोलें और हम ऐसे स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था करें जिनमें केवल एक ही शिक्षक हैं तो इस प्रकार से 30,000 और युवकों को रोजगार प्रदान किया जा सकता है।

अतः यदि इस प्रकार से एक समुचित कायक्रम तैयार किया जाये, तो हम बेरोजगारी की इस भीषण समस्या को हल कर सकते हैं।

अंत में मैं आसाम में एक लोकप्रिय सरकार बनाने की तुरन्त आवश्यकता का जिक्र करना चाहता हूँ। मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में अधिक नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम तो केवल आसाम के बारे में बात कर रहे हैं। इस समय आसाम की स्थिति ऐसी है कि एक लोकप्रिय सरकार बना करके ही वर्तमान समस्यायें समाप्त हो सकती हैं। 'आसाम ट्रिब्यून' में "प्रधानमंत्री लोकप्रिय सरकार के गठन के हक में नहीं" शीर्षक के अंतर्गत आज सुबह एक समाचार प्रकाशित हुआ है। मैं गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या इस तरह की खबर तथ्यों पर आधारित है। यदि नहीं, तो यह निस्सन्देह ऐसे कतिपय लोगों के हित में है जो केवल युवकों को उकसाना चाहते हैं और जो समस्या का हल नहीं चाहते हैं।

एक और मामला मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में उठाना चाहता हूँ। हमने ब्रह्मपुत्र में बाढ़ की समस्या के बारे बात की है। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि ब्रह्मपुत्र का 80 प्रतिशत जल अरुणाचल प्रदेश से आता है और यदि उस क्षेत्र में इसके लिए कोई बाढ़ नियन्त्रण उपाय किये जाते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में उपाय किये जाने चाहिए। इस कार्य के लिए आसाम में जो निवेश किए जाने का विचार है, वह बेकार जाएगा। बांध बनाकर और डैम निकाल कर समस्या तब तक हल नहीं हो सकती जब तक स्रोत में उसे नहीं रोका जाएगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, मैं अपने राज्य पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य आसाम के बारे में बोलने के लिए बड़े दुःख के साथ खड़ा होता हूं। मुझे उस समय भारी दुःख होता है जब मैं यह देखता हूं कि आसाम में मेरे देशवासियों को इस देश के लोगों के ही विरुद्ध लड़ाया जाता है, श्रमजीवी लोगों को श्रमजीवियों से लड़ाया जाता है। मुझे इस बात का भी भारी दुःख है कि हम यहां आसाम के बजट पर चर्चा कर रहे हैं जिस पर चर्चा तो आसामी लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा आसाम राज्य की विधान सभा में होनी चाहिए थी। आसाम की स्थिति के बारे में जानकारी जितनी मुझे है, उतनी और किसी को नहीं हो सकती। मुझे भारी खेद है कि आसाम के प्रतिनिधि, जिनका इस सम्मानित सभा में उचित स्थान होना चाहिए, यहां नहीं हैं। उन्हें अपने राज्य की ओर से बोलना चाहिए था।

महोदय, मुझे पता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अनियमित विकास के कारण हमारे देश में पिछड़े क्षेत्र हैं। हमारे यहां संसाधनों की कमी नहीं है। भारत एक धनी देश है। लोग परिश्रमशील हैं, परन्तु लोग बहुत गरीब हैं और लाखों लोगों को काम न करने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि बेरोजगारी है। हम उन लोगों को रोजगार प्रदान नहीं कर सकते जो समृद्ध भारत के लिए कार्य और सेवा करने को तैयार है। विशेष रूप से आसाम अविकसित रहा

है। इसकी परिवहन और संचार व्यवस्था का अभी विकास होना है। उद्योग वहां विकसित नहीं हुए हैं। हम जानते हैं कि विशेष रूप से आसाम में शिक्षित युवकों में भारी बेरोजगारी की समस्या है। हमें पता है कि आसाम के लोगों को ये सही आकांक्षायें हैं कि उनका राज्य समृद्धशील हो, उनके युवकों को रोजगार मिले और उनकी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो। ये सभी सही इच्छायें हैं। सांस्कृतिक एकता बनाये रखने के बारे में उनकी सही शिकायतें हैं। उनकी यह आशंका सही है कि उन्हें बाहरी व्यक्तियों द्वारा दबाया जा सकता है। मेरा ऐसे लोगों से कोई विवाद नहीं है जो यह चाहते हैं कि आसाम मजबूत बने और आसाम अपनी संस्कृति तथा सांस्कृतिक अस्तित्व बनाये रखे। परन्तु सचमुच मुझे यह कहने में खेद होता है कि उदासीन और स्वार्थी राजनीतिज्ञ तथा देशभक्त का बाना पहने हुए क्षेत्रीय अन्ध भक्त अपने गुप्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लोगों में व्याप्त असंतोष का फायदा उठ रहे हैं। और मुझे इस बात पर बल देना चाहिए कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो अपने विदेशी मित्रों से पूर्वोत्तर क्षेत्र में पृथकतावाद को भड़काने के लिए प्रेरणा ले रहे हैं। ये तत्व आसाम में सक्रिय हैं। हम यह भी देखते हैं कि जब हजारों लोगों की हत्यायें की जाती हैं और घर जलाये जाते हैं तब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ गुंडे सप्लाई करता है, तकनीकी जानकारी सप्लाई करता है। आज हम देखते हैं कि कुछ नेताओं ने, जो राजनीतिक दंभी व्यक्ति हैं, यह नारा लगाया है "भारत माता से प्यार मत करो, परन्तु असम माता से प्यार करो"। वे कह रहे हैं कि 'स्थानीय लोगों को रोजगार दो।' मैं एक सरल प्रश्न पूछता हूं। क्या हम भारत मां के सपूत नहीं हैं? क्या यह सत्य नहीं है कि हमारे संविधान में यह अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक नागरिक भारत में कहीं भी रोजगार प्राप्त करके बस सकता है? पहले हम भारतीय हैं। प्रश्न यह है: संविधान के मूल सिद्धान्त को इन तत्वों ने नष्ट कर दिया है। उनका कहना है कि किसी विशेष क्षेत्र के युवकों को उस विशेष क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है। मुझे याद है कि शिवसेना के लोगों ने यह नारा लगाया था। मुझे मालूम है कि आसाम में लक्चत सेना ऐसी ही आवाज उठा रही है। हमारा पश्चिम बंगाल में ऐसा विश्वास नहीं है। कलकत्ता के आस-पास कारखानों में 60% कर्मकार ऐसे हैं जो बंगाली नहीं हैं। फिर भी उन्हें बंगाल में काम करने का अधिकार है, क्योंकि हम भारतीय हैं।

(श्री शिवराज वी० पाटिल पीठासीन हुए)

दूसरी बात यह है कि बेरोजगारी युवकों में असंतोष है उसी से वे इस शरारतपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। वे बेरोजगार लोगों को बेरोजगार लोगों से लड़ा रहे हैं। उनका कहना है, 'देखिये यदि आप आसाम से गैर-असमियों को निकाल देंगे तो आपको रोजगार मिलेगा।' तब क्या इससे समस्या का समाधान हो जाएगा? मान लीजिए, यदि आसाम से गैर-असमियों को निकाल दिया जाता है तो बदले की भावना से अन्य राज्य भी ऐसा ही करेंगे। और भारत की अखंडता का क्या होगा? हमारे समूचे देश का क्या होगा जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी और उन आदर्शों का क्या होगा जो अखंड भारत के लिए हमने अपने हृदयों में संजोए हुए हैं।

मेरा निवेदन है कि वहां ताकते हैं। मैंने यहां अपने एक मित्र को यह कहते हुए सुना है कि विदेशियों को निकाल बाहर करना चाहिए। मैं कहता हूं कि हां यह ठीक है। आपका कहना बिल्कुल सही है कि विदेशियों को निकाला जाना चाहिए। परन्तु क्या मैं आपसे पूछ

सकता हूं कि यह कैसे निश्चित किया जाये कि विदेशी कौन है ? क्या हम पृथकतावादी ताकतों से प्रेरित लोगों को कहें कि वे यह निश्चित करें कि विदेशी कौन है और कौन विदेशी नहीं है ? क्या हमें ऐसे लोगों को कानून अपने हाथों में लेने देना चाहिये ? हमारा एक संविधान है। हमारे कानून हैं। हरेक व्यक्ति को तब तक कानून का पालन करने वाला नागरिक होना चाहिए जब तक हम खुलेग्राम यह न कहे कि हमारी भारत के संविधान में कोई निष्ठा नहीं है और हम कोई कानून नहीं चाहते और हम अराजकता चाहते हैं। आसाम में क्या हो रहा है ? वहां सरकारी अधिकारियों के संघ ने खुले आम यह कह दिया है—मैं खुले आम कहता हूं—कि वे आम नेताओं की गण संग्राम परिषद के आदेश को मानेंगे। वे एक नियमित सरकार के आदेशों का पालन नहीं करेंगे। क्या यह अराजकता नहीं है जिसका समर्थन आसामी अधिकारी कर रहें हैं ? ये लोग आवश्यक वस्तुयें बांट रहे हैं। यह कबसे निर्णय किया गया है कि सरकार इन एजेन्सियों के माध्यम से लोगों को आवश्यक वस्तुयें वितरित करेगी।

ये सभी चीजें हो रही हैं। आप कहते हैं कि 1948 के बाद आने वाले लोगों को विदेशी माना जाना चाहिए। क्या यह उचित है ? आसाम में जो कुछ हो रहा है वह खतरनाक बात है। श्री चरण सिंह की काम चलाऊ सरकार समस्या हल नहीं कर सकी है। आसाम की समस्या हल करने में सरकार की कोई राजनीतिक इच्छा नहीं है। मुझे यह कहने में खेद होता है कि जनता सरकार इस समस्या को हल नहीं कर सकी। मुझे यह कहने में भी खेद होता है कि वर्तमान सरकार चुपचाप स्थिति को देख रही है। एक दिन के बीत जाने का मतलब है हजारों लोगों की जानें जाना। हजारों मकानों का जलाया जाना, सम्पत्ति का नष्ट होना, बच्चों, महिलाओं और लड़कियों को अपंग बनाया जाना और लोगों की हत्यायें की जाना। हमारे देशवासियों का अपमान किया जा रहा है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह यह दृश्य न देखें, इसे राजनीतिक चाल के रूप में न माने। मुझे मालूम है कि इस सभा के अनेक दल भी यह घोषणा कर रहे हैं कि वे राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से बोल रहे हैं। मैं इन महानुभावों, माननीय सदस्यों को बताता हूं कि वे अपने दिलों को टटोलें कि जब आन्दोलन शुरु हुए थे तब क्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वे आन्दोलनों में नहीं थे ? क्या आपने यह नहीं सोचा कि आपको राजनीतिक दृष्टि से लाभ होगा, क्योंकि चुनाव होंने वाले हैं ? वहां क्या हो रहा है ? आपने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है। ताकतें नियंत्रण से बाहर हो रही हैं। ऐसे सदस्य हैं जो हां कहते हैं। समस्याओं पर शान्ति के साथ विचार करना होगा। परन्तु जब हत्यायें होती हैं और जब संगठित रूप से हत्या की जाती है तो नागरिकों के जीवन और उनकी सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए पहला काम कानून और व्यवस्था की स्थिति कायम करना है। किसी सरकार को, चाहे यह जनता सरकार हो चाहे कांग्रेस(आई) सरकार, यह पहला कार्य हमारा संविधान सोंपता है। आपको यह कार्य अवश्य ही करना चाहिए और इसमें कोई भी विलम्ब विनाश का कारण बन सकती है।

इसी कारण, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि 1977 को आधार वर्ष क्यों माना जाए। हमें इसकी बात को तय करना चाहिए और सर्वसम्मति से किसी निश्चय पर पहुंचना चाहिए।

हमें वहां चल रहे साम्राज्यवादियों के षड़यंत्रों से सावधान रहना चाहिये—ब्रह्मपुत्र घाटी परियोजना में ग्रौर सी०ग्राई०ए० के लोगों की वहां चल रही गतिविधियों से हमें सावधान रहना चाहिए ग्रौर हमें इन पृथकवादी ताकतों से भी सावधान रहना चाहिए जो ग्रासामी लोगों के मित्र प्रतीत होते हैं; ग्रौर साथ ही ईसाई चर्चों की गतिविधियों से भी सावधान रहना चाहिए।

मैं इस सरकार को चेतावनी देता हूं कि वह एक मिनट भी नष्ट न करे। सरकार को उन लोगों को प्रसन्न करने के प्रयत्न में नहीं लगे रहना चाहिए जो भारत को नष्ट करने पर तुले हैं ग्रौर जो इस महान देश की शान्ति भंग करने में लगे हैं। यह बंगाली या ग्रासमियों का प्रश्न नहीं है यह देश की सुरक्षा का ग्रौर देश के लोकतान्त्रिक ग्रधिकारों की सुरक्षा का प्रश्न है। यह उन शक्तियों से दृढ़ता से पेश ग्राने का सवाल है जो हमारे देश के लोकतान्त्रिक ढांचे को ग्रौर संस्कृति को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। यह हमारे देश की एकता ग्रौर संस्कृति का प्रश्न है। ग्रतः महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं ग्रापका धन्यवाद करता हूं ग्रौर एक बार फिर सरकार से ग्रनुरोध करता हूं कि वे इस मामले को गम्भीरता से लें। सर्वप्रथम हमें इस प्रश्न को राजनीतिक दृष्टि से हल करना है ग्रौर चुनाव करने हैं तथा हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि उसम ग्रार्थिक दृष्टि से विकास करें ग्रौर बेरोजगार युवक रोजगार प्राप्त करें। इन प्रश्नों को विरोधी दलों के परामर्श से हल किया जाए।

ग्रध्यक्ष महोदय : श्री पी० के० थुंगोन। वे यहां नहीं हैं। श्रीमती मुखर्जी।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : ग्रध्यक्ष महोदय, यह खेद की बात है कि हमें यहां, इस सभा में ग्रमम का बजट पारित करना पड़ रहा है।

जहां मैं ग्रौर मेरी पार्टी इस बात का पूर्ण समर्थन करते हैं कि ग्रासाम के लोगों को ग्रसम के विकास हेतु भारतीय प्रान्तों का ग्रधिक भाग मिलना चाहिए ग्रौर हम यह भी महसूस करते हैं कि उनकी उपेक्षा की जाती रही है, परन्तु इसी के साथ-साथ मैं यह कहे बिना भी नहीं रह सकती कि हमें एक ऐसे राज्य का बजट पारित करने के लिये कहा जा रहा है जहां वस्तुत: प्रशासन नाम की चीज है ही नहीं। यह न केवल हम बंगालियों के लिये ग्रपितु सम्पूर्ण देश के लिए गम्भीर चिन्ता का विषय है। प्रधान मंत्री ग्रौर गृह मंत्री को मिलने ग्राया शिष्ट मण्डल वापस चला गया है। परन्तु हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि वार्ता ग्रसफल हो गई है। हमने समाचार पत्रों में पूर्वांचल लोक परिषद के नेता श्री निहारन बोरा के उस जहरीले वक्तव्य को भी पढ़ा है जिसमें उन्होंने कहा है कि विदेशी दबाव सरकार को विवश कर देगा कि वह 10 दिनों में उनकी मांगे स्वीकार कर ले। यह उनके विचारों की एक झलक है कि विदेशी दबाव सरकार को 10 दिनों में ग्रपनी मांगें मानने के लिए विवश कर देगा। एक दूसरी मांग यह है कि 1971 को ग्राधार वर्ष न माना जाए। उनके वक्तव्य में एक ग्रौर बात भी है जिसमें कहा गया है कि वामपंथी दलों जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ग्रौर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) द्वारा, जो कि ग्रसमियों के दुश्मन हैं, जवाबी ग्रान्दोलन चलाया जाएगा। ये दोनों वक्तव्य खतरनाक हैं।

सर्वप्रथम, क्या हमारी सरकार को विदेशी दबाव में श्राना चाहिए ? दूसरे, क्या वामपंथी दल श्रासाम के लोगों के दुश्मन हैं ? ये दोनों विचार विषैले हैं श्रौर दोनों ही बहुत खतरनाक हैं। श्रतः महोदय, मैं श्रापके माध्यम से शासक दल से अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री इस सभा में श्रसम की वस्तुस्थिति के बारे में तथा इस संबंध में एक वक्तव्य दें कि तथा वार्ता के परिणाम क्या रहे हैं श्रौर श्रागामी दिनों में क्या हो सकता है।

श्रब रहा यह प्रश्न कि श्रसम में बंगाली श्रौर विदेशी लोग काफी संख्या में श्रा गए हैं। पहले तो मैं उनकी इस भावना की प्रशंसा करूंगा कि श्रसम में बहुत से विदेशी श्रा गए हैं श्रौर इस संबंध में कुछ किया जाना चाहिए, बाद में यह भी कहना चाहता हूं कि यह सारा श्रान्दोलन उनकी श्रपनी स्वस्थ भावनाश्रों की उपज नहीं है क्योंकि जो वक्तव्य श्रौर नारे लगाए जा रहे हैं, वे खतरनाक हैं। पिछली बार मैंने श्रनुरोध किया था कि देश के प्रत्येक भाग के सदस्यों का एक प्रतिनिधिमण्डल श्रसम जाए ताकि श्रसम की स्थिति का वे स्वयं श्रन्दाजा लगा सकें। मुझे प्रसन्नता है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एक प्रतिनिधिमण्डल ने, जिसमें बंगाली नहीं थे, श्रसम का दौरा किया। वापसी पर उन्होंने एक प्रतिवेदन दिया। उन्होंने दीवारों पर लिखे हुए नारों श्रौर उन्हें दिए गए इश्तहारों को देखा। नारे कुछ इस प्रकार थे "यदि श्राप को सांप श्रौर बंगाली इकट्ठे मिलें तो पहले बंगाली को मारो।" "एक बंगाली सिर चाहिए–इनाम 25 रुपए।" सदस्यों को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह श्रान्दोलन केवल बंगालियों के विरुद्ध है। उस प्रतिनिधिमण्डल को यह भी देखने को मिला "भारतीय कुत्तो श्रसम से भाग जाश्रो, भारत माता को भूल जाश्रो श्रौर श्रसम माता से प्रेम करो।" क्या इस सबसे श्रसम की स्वस्थ परम्पराश्रों की झलक मिलती है ? मैं ऐसा नहीं समझती। मुझे खेद है कि हाल ही में श्रसम सरकार ने कई वक्तव्य दिए हैं जिसमें यह कहा गया है कि श्रसम श्रांदोलन में केवल 78 व्यक्ति मारे गये हैं। परन्तु न केवल बंगाली प्रेस श्रपितु सम्पूर्ण भारत के समाचार-पत्रों में यह समाचार दिया है कि उत्तरी कामरूप जिले में 400 व्यक्ति मारे गये हैं। 1971 की जनगणना के श्रनुसार कामरूप जिले में श्रसमी बोलने वाले 76.7% थे श्रौर बंगाली बोलने वाले 12.3%। क्या श्राप सोचते हैं कि 12.3% लोग 76.7% लोगों पर हावी हो सकते हैं ? और यह सब हत्याकांड वहां हुश्रा। यह तो ठीक है कि श्रसम के विकास के संबंध में श्रसमियों की श्राकांक्षाश्रों के प्रति पूर्ण सहानुभूति दिखाई जानी चाहिए, परन्तु मेरे विचार में यह सुनिश्चित करने के लिए भी श्रत्यधिक ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस प्रकार की उग्र राष्ट्रीयता के प्रति कड़ा रुख श्रपनाए जाए। किसी ऐसे पक्ष के प्रति जो कि श्रतिवादी उद्देश्य रखता हो, किसी प्रकार के भी लाड़-प्यार से न तो श्रसमियों का भला होगा न शेष भारत का। सरकार को किसी भी विदेशी दबाव या चुनौती के दबाव में श्राकर घोषित श्राधार-वर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए। सरकार को दबाव के आगे नहीं झुकना चाहिए। इसमें कोई सन्देह नहीं कि भाषायी या धार्मिक श्रल्प-संख्यकों का पीछा किया जा रहा है श्रौर वे स्वयं को वहां श्रसुरक्षित श्रनुभव कर रहे हैं। तेल तथा प्राकृतिक गैस श्रायोग ने पहले ही गैर-श्रसमियों को वहां से बुलाने का निश्चय कर लिया है क्योंकि वे श्रसुरक्षित श्रनुभव कर रहे हैं। यही हालत श्रन्य कई सरकारी सेवाश्रों की है, केन्द्रीय सरकार में भी। बैंक भी कुछ ऐसा ही करने को सोच रहे हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो श्रन्य स्थानों पर क्या हो सकता है श्राप इसका श्रनुमान लगा सकते हैं।

मेरे माननीय मित्र ने पहले ही कलकत्ता और इसके उपनगरों के बहु-भाषायी स्वरूप की की चर्चा की है। कलकत्ता में वामपंथी आन्दोलन चुनावों में उग्रवादियों, 'अमारा बंगालियों को हराने में सफल हुआ है और तब भी हमें आसाम के लोगों का शत्रु माना जाता है। यह नहीं हो सकता। यही कारण है कि हमें भाषायी अथवा राजनीतिक आधार पर संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि इस स्थिति का कड़ाई से सामना किया जाए और नहीं शान्ति स्थापित की जाए। केवल उसी दशा में असम राज्य की समृद्धि की गारंटी दी जा सकती है। असमी, बंगाली और अन्य भाषायी अल्पसंख्यक शान्ति से रहें और असम की प्रगति का केवल यही रास्ता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करती हूं और चाहती हूँ कि विकास के लिए और अधिक आवंटन तथा प्रशासन के लिए कम आवंटन किया जाना चाहिए क्योंकि प्रशासन को वहां बहुत असफलतायें मिली हैं।

श्री आर० वेंकटरामन (वित्त और उद्योग मंत्री) : महोदय, मैं उन सीमाओं का जानता हूं जिनके अधीन मैं विभिन्न राज्यों का अन्तरिम बजट पेश कर रहा हूं। हमने योजना आयोग से चर्चा करके विभिन्न राज्यों के योजना आबंटन को अन्तिम रूप दे दिया है। सामान्य तरीका तो यह है कि राज्य सरकार के अधिकारी योजना आयोग में आते हैं और चर्चा करते हैं और राज्य के लिए कुल धनराशि स्वीकृत कराते हैं जो कि राज्य का योजना आवंटन होता है। इसके पश्चात् मुख्य मंत्री के साथ बैठक होती है और मुख्य मंत्री से यह वचन ले लिया जाता है कि वे घाटे को पूरा करने के लिए स्रोतों का पता लगाएंगे। इसलिए मेरा यह कहने का तात्पर्य कि हमने योजना आबंटनों को अन्तिम रूप दे दिया है यही है कि अधिकारी स्तर पर चर्चा हो चुकी है और इसका लगभग निर्धारण हो गया है।

इस बजट के विरुद्ध की गई अधिकांश आलोचना कुछ गलत भी है क्योंकि पिछले वर्ष की लगभग 155 करोड़ रुपए की योजना की तुलना में हमने इस वर्ष 178.87 करोड़ रुपए का आबंटन किया है। यह लगभग 15% की वृद्धि है जोकि पर्याप्त है। हमने यह अनुभव किया कि जब तक आसाम के लोगों की विक्षुब्ध भावनाओं को शान्त करने के लिए विशेष प्रयत्न नहीं किए जाते तब तक हम उन्हें ठीक बात सोचने के लिए नहीं कह सकते जिससे वे पूरे देश के साथ सहयोग कर सकें। इसी आधार पर हमने योजना आबंटन को बढ़ाया है और इन परिस्थितियों में यथासम्भव सहायता दी है।

हमने इस तथ्य को भी नजर में रखा है कि राज्य को अपना अंश भी देना है और राज्य के अंश को न्यूनतम रखा गया है। यदि आप आंकड़ों पर दृष्टि डालें तो आपको पता चलेगा कि इस संबंध में केन्द्र की सहायता वास्तव में 121.86 करोड़ रुपए है और राज्य का अंश न्यूनतम निर्धारित किया गया है। अतः मैं यह कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक असम को आर्थिक सहायता देने का संबंध है, इन परिस्थितियों के अन्तर्गत यथा-सम्भव सहायता दी गई है।

यह आलोचना की गई थी कि ब्रह्मपुत्र की बाढ़ की स्थिति को सही ढंग से नहीं निपटाया गया है, और यह कहा गया है कि तेनेसी घाटी प्राधिकरण की भांति ब्रह्मपुत्र घाटी प्राधिकरण

की स्थापना की जानी चाहिए। मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि हमने ब्रह्मपुत्र नदी बोर्ड की स्थापना पहले ही कर दी थी और इस बोर्ड की स्थापना तथा आरम्भिक जांच हेतु केन्द्र ने 50 लाख रुपए दिए थे। मुझे प्रसन्नता है कि श्री रवीन्द्र वर्मा वापस आ गए हैं और यह उनके ब्रह्मपुत्र घाटी के प्रश्न के सन्दर्भ में है।

दूसरा मुद्दा जो उठाया गया है वह है बेरोजगारी की वृद्धि। यह राष्ट्रीय समस्या है और इस समस्या का हमारा यही समाधान है कि विकास कार्य-क्रमों अधिक से अधिक निवेश किया जाए और इस राज्य में हमने इस स्तर पर पहुँचने का प्रयत्न किया है, विशेषरूप से अब पेश किए गए इस अन्तरिम बजट में।

आसाम के लोगों द्वारा नमक, चीनी और डीजल की कमी के कारण अनुभव की जा रही कतिपय कठिनाइयों की भी हमें जानकारी है। नमक और चीनी का अभाव परिवहन की बाधाओं के कारण है। और राज्य अधिकारियों के साथ बात करने के पश्चात् मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि पिछले दो सप्ताहों में नमक की आवागमन की स्थिति में काफी सुधार हुआ है, तथा अब स्थिति में सुधार हो रहा है और भविष्य में इसमें और भी सुधार होगा।

जहाँ तक चीनी का संबंध है, यथासम्भव सीमा तक इसकी सप्लाई की जा रही है, परन्तु यह इस सम्बन्ध में असम के लिए कठिनाई उतनी ही है जितना कि शेष भारत के लिए। जहां तक डीज़ल का संबंध है, मुझे यही कहना है कि यह समस्या स्वय असम द्वारा खड़ी की गई है। आन्दोलन के पक्ष में उनका चाहे कोई भी दावा, विचार और आधार हो परन्तु यदि असम में संबंधित लोग तेल शोधक कारखानों को काम करने दें और बरौनी को कच्चा तेल जाने दें तो सम्पूर्ण असम को आवश्यकतानुसार मिट्टी का तेल और डीज़ल मिल जाएगा और साथ ही उत्तर-प्रदेश और बिहार को भी। मुझे इससे बड़ी निराशा हुई है कि बड़ी लागत से स्थापित किया गया बरौनी तेल शोधक कारखाना, जिसे सम्पूर्ण पूर्वी और उत्तरपूर्वी क्षेत्रों की पूर्ति करनी है, बन्द कर दिया गया है और यह राष्ट्र की सेवा नहीं कर पा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के श्री थुंगोन ने सड़कों और पुलों आदि के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये हैं। मुझे उनको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस बजट में सड़कों और पुलों के लिये अधिक राशि आबंटित की गई है और इस समस्या का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जा रहा है।

एक माननीय सदस्य : फरक्का की क्या स्थिति है ?

श्री आर० वेंकटरामन : अन्य माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई अन्य बातों के सम्बन्ध में मेरे पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि उन राज्यों के सम्बन्ध में शीघ्र ही सूचना एकत्रित करना सम्भव नहीं जो हमारे सीधे नियन्त्रण में नहीं है। अन्त में मैं लगभग सभी माननीय सदस्यों और विशेष रूप से श्री यादव, श्री चक्रवर्ती, श्रीमती मुखर्जी तथा श्री रवीन्द्र वर्मा द्वारा उठाये गये राजनीतिक मामलों के सम्बन्ध में सारांश रूप से कहूंगा। उन्होंने आसाम में वर्तमान राजनीतिक स्थिति का उल्लेख किया है। मैं सदन को यह बताना चाहता हूँ कि यह समूचा मामला बड़ा ही नाजुक है और प्रधान मन्त्री स्वय अपने स्तर पर इसे निपटाने का प्रयास कर रही हैं तथा प्रधान मन्त्री ने इस सम्बन्ध में स्वंय ससद में विपक्षी नेताओं के साथ दो बैठकें की है और उसमें एक

प्रकार की सहमति बन गई थी और इस मामले पर ग्रासाम में छात्र ग्रान्दोलन के नेताओं के साथ अभी भी बात-चीत चल रही हैं। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि जो बात भी हम इस समय कहें, वह ऐसी न कहें कि स्थिति के और बिगडने का कारण बने। इस समस्या के अनेक पक्ष हैं। एक प्रश्न उन व्यक्तियों का है जो भारतीय हैं ही नहीं। विदेशी कौन है इस सम्बन्ध में कोई स्वीकृत परिभाषा नहीं है और यदि कोई कानूनी परिभाषा है भी तो उसे लागू करना अनेक कठिनाइयों से भरा है। अतः मैं सदन से अपील करता हूं कि इस समस्या का समाधान सभी राजनीतिक दलों, ग्रासामी जनता, वहां के निवासियों तथा उन लोगों के साथ मिलकर जो भारत के नागरिक हैं करना होगा। इस बात से सभी सहमत होंगे कि कानूनी परिभाषा के अनुसार एक विदेशी की कोई जगह नहीं है। किन्तु मैं यह कहता हूं कि कठिनाई तब पैदा होती है जब इसे लागू किया जाता है, सरकार इस सम्बन्ध में भरसक प्रयास कर रही है कि बातचीत और परस्पर विचार-विमर्श से कोई न्यायोचित हल निकल आये। इस समय मैं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहना चाहता, जैसाकि मैंने आरम्भ में कहा कि यह बड़ा नाजुक मामला है और प्रधान मन्त्री स्वयं इसे अपने स्तर पर निपटा रही है और हम यह आशा करते हैं कि हमें ग्रासाम की समस्याओं का समाधान शीघ्र ही मिल जायेगा। जब इस समस्या का समाधान हो जायेगा तो ग्रासाम भी भारत के अन्य राज्यों की तरह प्रगति और समृद्धि की ओर चल पड़ेगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "मांग संख्या 1, 3 से 16, 19 से 77, 80 तथा 82 के के लिये कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दर्शाये गये शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिये कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों में अनधिक लेखानुदान राशियाँ ग्रासाम की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माँग संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		रु० राजस्व	रु० पूंजी
1.	राज्य विधान मण्डल	20,93,000	
3.	मंत्री परिषद	7,26,000	
4.	विवेकाधीन अनुदान	20,000	
5.	न्याय प्रशासन	63,32,000	
6.	निर्वाचन	16,70,000	
7.	आय और व्यय	2,80,000	
8.	भू राजस्व और भूमि की अधिकतम सीमा	2,58,70,000	

1	2	3	
9.	स्टाम्प	3,20,000	
10.	पंजीकरण	9,60,000	
11.	राज्य उत्पाद शुल्क	25,04,000	
12.	बिक्री कर और अन्य कर	37,08,000	
13.	परिवहन सेवाएं	1,22,60,000	10,40,000
14.	बिजली निरीक्षणालय	2,74,000	
15.	अल्प बचतें	99,000	
16.	वित्तीय निरीक्षण	83,000	
19.	सिविल सचिवालय	1,13,18,000	
20.	जिला प्रशासन	1,01,81,000	
21.	राजकीय प्रशासन	36,55,000	
22.	पुलिस	11,74,77,000	
23.	जेलें	66,19,000	
24.	राज्य के कैदी	12,000	
25.	लेखन-सामग्री और मुद्रण	48,91,000	
26.	प्रशासनिक और कार्योपलक्षी इमारतें	2,64,34,000	
27.	अग्निशमन सेवाएं	36,24,000	
28.	सतर्कता और विशेष आयोग	2,32,000	
29.	नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड	48,88,000	
30.	सामूहिक परिवहन	1,04,000	
31.	अतिथि गृह, सरकारी होस्टल	10,09,000	
32.	प्रशासनिक प्रशिक्षण	2,21,000	
33.	जन्म-मरण के आँकड़े	5,32,000	
34.	पेंशने और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	1,23,72,000	
35.	सहायता सामग्री	61,28,000	
36.	राज्य लाटरियाँ	13,41,000	
37.	शिक्षा	33,30,25,000	1,20,000
38.	कला और संस्कृति	28,92,000	

1	2	3	
39.	राज्य ग्रभिलेखागार	83,000	
40.	चिकित्सा ग्रौर लोक स्वास्थ्य	14,47,33,000	57,00,000
41.	सफाई ग्रौर मल निकासी	3,14,000	
42.	ग्रावास स्कीमें	51,66,000	12,40,000
43.	रिहायशी इमारतें	93,26;000	1,33,56,000
44.	नगर विकास	49,63,000	2,40,,000
45.	सूचना ग्रौर प्रचार	20,90,000	
46.	श्रम ग्रौर रोजगार	86,22,000	
47.	नागरिक पूर्ति	45,99,000	
48.	राहत ग्रौर पुनर्वास	46,000	2,00,000
49.	ग्रनुसूचित जातियों/ग्रनुसूचित जन जातियों ग्रौर ग्रन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1,59,89,000	
50.	समाज कल्याण	1,00,21,000	
51.	नशाबन्दी	16,68,000	
52.	स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन, राज्य सैनिक बोर्ड ग्रादि	15,69,000	
53.	दैवी विपत्तियाँ	2,00,00,000	
54.	सामाजिक ग्रौर सामुदायिक सेवाएं	83,000	
55.	योजना बोर्ड	11,91,000	
56.	सहकारिता	2,29,88,000	1,39,86,000
57.	उत्तर-पूर्वी परिषद स्कीमें	22,40,000	93,65,000
58.	साँख्यिकी	39,12,000	
59.	तौल ग्रौर नाप	11,88,000	
60.	व्यापार सलाहकार	1,96,000	
61.	कृषि	7,39,14,000	1,20,000

1	2	3	
62.	सिंचाई	1,58,55,000	8,43,64,000
63.	भूमि ग्रौर जल संरक्षण	1,33.42,000	24,29,000
64.	पशुपालन ग्रौर पशु चिकित्सा	2,79,44,000	
65.	डेरी विकास	47,58,000	
66.	मोन उद्योग	63,93,000	80,000
67.	वन	5,58,44,000	
68.	सामुदायिक विकास	3,13,73,000	
69.	उद्योग	10,54,000	76,40,000
70.	रेशम कोट पालन ग्रौर बुनाई	1,46,68,000	3,77,000
71.	कुटीर उद्योग	89,07,000	36,00,000
72.	खानें ग्रौर खनिज़	28,59,000	8,00,00,000
73.	बाढ़ नियंत्रण	1,99,28,000	3,45,60,000
74.	सड़कें ग्रौर पुल	8,33,70,000	5,40,86,000
75.	पर्यटन	10,99,000	
76.	स्थानीय निकायों ग्रौर पंचायती राज संस्थाग्रों को मुग्रावजे ग्रौर सम दिष्ट राशि की ग्रदायगी	1,54,00,000	
77.	आसाम राजधानी निर्माण		13,00,000
80.	सरकारी कर्मचारियों को उधार ग्रौर ग्रग्रिम		1,92,16,000
82.	काम के बदले ग्रनाज कार्यक्रम	80,000	

प्रस्ताव स्वीकृत हुग्रा

ग्रनुदानों की ग्रनुपूरक मांगे (ग्रासाम) 1979–80

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिये कार्य सूची के

स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से ग्रनधिक संबंधित ग्रनुपूरक राशियां ग्रासाम राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

मांग संख्या : 4, 11, 14, 17 से 19, 22, से 24, 28, 30 32 से 35, 37, 39, 40, 46, 49, 50, 52, 53, 56, 57, 59, 60, 63, 64 तथा 67 से 75 ।

मांग की संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	4
		राजस्व रु०	पूंजी रु०
4.	न्यायप्रशासन	9,10.000	
11.	बिक्री कर ग्रौर वस्तुग्रों ग्रादि पर ग्रन्य कर तथा शुल्क (1)	9,00,000	
14.	ग्रल्प बचतों का संवर्धन	80,000	
17.	जिला प्रशासन	11,23,000	
18.	राजकोष ग्रौर लेखा प्रशासन	3,71,000	
19.	पुलिस	5,08,01,000	
22.	लेखन सामग्री ग्रौर मुद्रण	12 35,000	
23.	लोक निर्माण (I)	32,97,000	44,05,000
24.	ग्रग्नि से बचाव और उसका नियंत्रण	9,99,000	
28.	ग्रतिथि गृह	1,86,000	
30.	ग्रन्य व्यय	40,000	
32.	सहायता सामग्री ग्रौर उपस्कार	1,37,62,000	
33.	समाज सुरक्षा ग्रौर कल्याण ड० ग्रन्य समाज सुरक्षा ग्रौर कल्याण कार्यक्रम (VII)	9,69,000	
34.	शिक्षा (I)	5,62,05,000	8,00,000
35.	कला ग्रौर संस्कृति (I)	4,98,000	
37.	चिकित्सा (I)	1,67,41,000	
39.	ग्रावास-सामान्य (I)	1,50,000	40,00,000

1	2	3	
40.	सरकारी रिहायशी इमारतें (I)		4,50,000
46.	श्रम और रोजगार	5,01,000	
49.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण (III)	39,57,000	
50.	समाज सुरक्षा और कल्याण-समाज कल्याण-(IV) (पी.एण्ड.डी. तथा टी.ए. और डब्ल्यु.वी.सी.)	42,69,000	
52.	अन्य समाज सुरक्षा कार्यक्रम (VI)	26,28,000	1,38,28,000
53.	दैवी विपत्तियां	1,50,00,000	
56.	सहकारिता	6,98,000	
57.	विशेष और पिछड़े क्षेत्र-ग-उत्तर पूर्वी क्षेत्र	80,000	
59.	तोल और माप (II)	1,55,000	
60.	अन्य सामाण्य आर्थिक सेवाए (IV) अन्य व्यय	45,000	
63.	भूमि और जल संरक्षण	40,50,000	
64.	पशुपालन	50,16,000	
67.	वन	39,90,000	
68.	सामुदायिक विकास	18,00,000	
69.	उद्योग-क-सामान्य	75,00,000	
70.	रेशम कोट पालन और बुनाई	15,43,000	
71.	कुटीर उद्योग	35,00,000	
72.	विद्युत परियोजनाओं के लिए उधार	—	8,34,10,000
73.	बाढ़ नियंत्रण आदि	45,00,000	45,00,000
74.	सड़कें और पुल	—	35,00,000
75.	पर्यटन	92,000	—

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

आसाम विनियोग (लेखानुदान) विधेयक

श्री आर० वेंकटारामन : मैं प्रस्ताव करता हूँ "कि वित्तीय वर्ष 1980-81 के एक भाग की सेवाओं के लिए आसाम राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि वित्तीय वर्ष 1980-81 के एक भाग की सेवाओं के लिए आसाम राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री आर० वेंकटरामन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं

श्री आर० वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूं 'कि वित्तीय वर्ष 1980-81 के एक भाग की सेवाओं के लिये आसाम राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है "कि वित्तीय वर्ष 1980-81 के एक भाग की सेवाओं के लिए आसाम राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेंगे।

प्रश्न यह है :

"खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड दिया गया।

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया :

श्री आर० वेंकटारामन : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

आसाम विनियोग विधेयक (1980)

श्री आर० वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि वित्तीय वर्ष 1979-80 की सेवाओं के लिए आसाम राज्य को संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि वित्तीय वर्ष 1979-80 को सेवाओं के लिए गुजरात राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री आर० वेंकटरामन : मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूं ।

श्री आर० वेंकटारामन : प्रस्ताव करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1979-80 को सेवाओं के लिए राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जायें ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि वित्तीय वर्ष 1979-80 कीसेवाओं के लिए आसाम राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

" खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

श्री आर० वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि विधेयक पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

बिहार बजट, 1980-81 सामान्य चर्चा, लेखानुदानों की मांगें (बिहार) 1980-81, अनुदानों की अनुपूरक मांगें (बिहार) 1979-80

सभापति महोदय : अब सदन में बिहार बजट के सम्बन्ध में आदेश-पत्र में 10, 11, 12 मदों पर विचार किया जायेगा, इसके लिये $2\frac{1}{2}$ घंटों का समय आबंटित किया गया है । जिन माननीय सदस्यों ने लेखानुदान मांगों–बिहार बजट के लिये प्रस्ताव दिये हैं, यदि वह अपने कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहते है तो वह 15 मिनट के अन्दर सभापटल पर अपनी स्लिप भेज सकते हैं, इन पर वह उन कटौती प्रस्तावों का क्रमांक भी लिखे जो वह पेश करना चाहते हैं । इन्हीं कटौती प्रस्तावों को पेश किया हुआ माना जायेगा ।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा (आरा) : सभापति महोदय, हमारा बिहार गांवों का राज्य है। विगत 32-33 वर्षों में, आज़ादी के बाद से, इन गांवों की ओर किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं झाँका। शासक केवल शहरों की ओर देखते रहे, यहां के रहने वाले किसानों, खेतिहार-मजदूरों, हरिजनों, गिरिजनों अल्प-संख्यकों की किसी ने कोई खोज-खबर नहीं ली। बिहार की खेती प्यासी है, उसको कभी भी भरपेट पानी नहीं मिला, बिजली नहीं मिली, डीज़ल नहीं, मिला, खाद नहीं मिला।

सभापति महोदय, बिहार का बिजली बोर्ड लूट का अखाड़ा बना हुआ है। जो भी अध्यक्ष बनकर जाता है, वह लूटता है, ईमानदार अफसरों का वहां अभाव है। यदि भूल से कोई ईमानदार अफसर चला आता है तो उसे वहां से हटने के लिए बाध्य होना पड़ता है. वह वहां पर टिक सी नहीं पाता। बिहार को कम-से-कम 12—13 सौ मेगावाट बिजली की जरूरत है, लेकिन मिलती है— केवल 300-से-400 मेगावाट और वह भी खेती के लिये नहीं, छोटे उद्योगों के लिए नहीं, कुटीर उद्योगों के लिये नहीं, बल्कि बड़े-बड़े शहरों के लिये।

बिहार में इस समय भी भयंकर सूखा है। धान की फसल मारी गई है, रबी की फसल चौपट होने वाली है, सूखे इलाकों में अपाहिज या अन्य गरीब खेतिहर मजदूर आज भूखे मर रहे हैं, इनकी ओर कोई देखने वाला नहीं है, कोई खोज-खबर लेने वाला नहीं है। नौकरशाही आराम से रौबदार शासन में मस्त हैं, चैन की वंशी बज रही है। हर जिले में भूख से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अखबारों में आ रहा है कि भूख से मरने वाले जहां–तहां लूट भी करने लगे हैं, चारों ओर अशान्ति और तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसलिए शीघ्र लाल-कार्ड की व्यवस्था करनी चाहिये। जन-श्रम-योजनाएं चलानी चाहिये ताकि बेकारों को काम मिल सके। हर गांव में राशन की दुकानें खोलनी चाहिएं और लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा उपाय करने चाहिये।

इन्दिरा जी और उनकी कांग्रेस इस बात को जानती है कि बिहार में आज किस तरह की स्थिति है। बिहार में 1974 में विद्यार्थियों और नौजवानों में आंदोलन किया था, लड़ाई छेड़ी थी। किस लिए ? उन के सिर्फ तीन मुद्दे थे—पहला शिक्षा में आमूल परिवर्तन करो,

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

दूसरा—बेकारी को दूर करो और तीसरा भ्रष्टाचार को खत्म करो। उनकी मांगें ठीक थीं, जायज़ थीं, लेकिन इनके बदले आप ने उन्हें बड़ी-बड़ी यातनाएं दीं, लाठी मारी, गोली मारी, जेलों में डाला, मीसा लगाया और फिर एमर्जेंसी लगाई। आज भी वे सारी की सारी मांगें ज्यों की त्यों मुंह बाये खड़ी हैं। आपके सामने यह सवाल खड़ा है कि क्या आप शिक्षा में परिवर्तन करना चाहते हैं या नहीं जिससे बढ़ती बेकारी दूर हो सके। आज बेकारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। यदि आप शान्ति से सरकार चलाना चाहते हैं, तो बिहार की गरीबी को, वहां की बेकारी को आप को दूर करना होगा। बिहार में गरीबी रेखा से नीचे जीने वालों की संख्या 70 प्रतिशत से अधिक है। यह आंकड़ा 1977 का ही है।

बिहार में भयंकर सामाजिक और आर्थिक गैर-बराबरी है। यही कारण है कि गांव-गांव में झगड़ा है, लड़ाई है, तनाव है और हर गांव लोग में लड़ने के लिए उतावले हैं, चाहे वह पारसबीघा का कांड हो और चाहे वह पिपरा का कांड हो। ये सारे के सारे कांड सामाजिक और आर्थिक गैर-बराबरी की वजह से, ना-बराबरी की वजह से हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार शीघ्र इस ओर ध्यान दे। इसके लिये सरकार को गाँवों में जाना होगा और वहां के गांवों की हालत को देखना होगा कि कितने प्रकार की वहां कुरीतियाँ फैल रही हैं। हर गांव की सड़कों का पक्कीकरण करना होगा। हर गांव में पैखाने, स्नानघर बनें, जच्चाघर बनें और दवाओं के लिए प्रबन्ध हो। आप को वहां हर गांव का विद्युतीकरण करना होगा। और सिंचाई और पीने का पानी देना होगा।

एक बात यह और कहना चाहता हूं कि खेतिहर मजदूरों के लिए 6 महीनों का काम गांवों में ही देने का प्रबन्ध हो। यम कैह होगा ? इसकेलिए आपको गृह उद्योग और कुटीर उद्योग लगाने होंगे। गांवों में बसने वाले चमार, लोहार, सोनार, बढ़ई, दर्जी बुनकर, दफाली आदि कारीगरों को आधुनिक और सस्ते औज़ार देने होंगे और उनके लिए पूंजी मुहय्या करनी होगी।

जो सीमा सम्बन्धी कानून है, वह बोगस है, एक आडम्बर मात्र है। इसलिए उसमें संशोधन किया जाए और आपको एक ऐसा कानून बनाना होगा, जिससे लोगों फ़ायदा हो। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 23 प्रतिशत बड़े किसानों के पास 70 प्रतिशत भूमि है और बाकी 77 प्रतिशत किसानों के पास केवल 30 प्रतिशत भूमि है। इस को शीघ्र सरकार को ठीक करना होगा।

गांवों के लिए जो योजनाएं स्वीकृत हैं, चाहे वे सिंचाई की हों, बांध या तटबंध की हों, पुल–पुलियां की हों, उन को युद्ध स्तर पर पूरा करना होगा। मैं एक तटबंध का जिक्र, जो मेरे क्षेत्र में आता है, करना चाहता हूँ और उसका हवाला देना चाहता हूं। 1973 में योजना आयोग ने एक योजना की स्वीकृति दी। यह योजना, बक्सर-कोइलवर तटबंध योजना के नाम से जाना जाता है, पांच वर्ष में यह योजना पूरी होनी थी। यानी इस योजना को 1978 में पूरा हो जाना चाहिये था लेकिन वह अभी तक पूरी नहीं हुई है। 10 करोड़ रुपये की लागत से वह योजना तैयार होनी थी लेकिन अब तक उसमें केवल एक चौथाई ही काम हुआ है। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि वह योजना ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। नये प्राक्कलन के हिसाब से उस पर 30 करोड़ रुपये लगेंगे। अब फिर प्राक्कलन बदलने वाला है और इस से भी अधिक खर्च पड़ने वाला है। यह परियोजना 107 किलोमीटर लम्बी है और गंगा नदी के बायें तट पर बक्सर से कोइलवर तक 80,000 हैक्टेयर क्षेत्र को इससे लाभ होने वाला है। कुछ काम हुआ है और कुछ बाकी है। इसके पूरा न होने से किसानों को अपार क्षति हो रही है। हर वर्ष 40-45 करोड़ रुपये की क्षति बाढ़ के कारण फसलें मारे जाने से किसानों को हो रही है लेकिन अभी तक उस ओर कोई ध्यान कारगर ढंग से नहीं दिया जा रहा है। इस भूमि के लिए हाई पावर पम्पिंग सेट गंगा में लगाने चाहिएं, सरकारी नलकूप लगाने चाहिएं और नयी व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार बिहार के अन्दर अनेकों योजनाएं लम्बित हैं जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली के देखा-देखी हर छोटे-बड़े शहरों में युवतियों के साथ बलात्कार की घनटाएं हो रही हैं। बिहार की एक घटना है। सिवान में विगत 10 तारीख की रात्री में गाड़ी छूट जाने के कारण एक महिला जिसके साथ एक नौकर भी था, बाम्बे लाज में ठहर गयी। उस नौकर को अलग करके दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया और उस महिला के साथ सात युवकों ने बलात्कार किया। दूसरे दिन दस बजे उसे छोड़ा गया। अभी वे लोग फरार हो गये हैं। उन पर शीघ्र कार्यवाही होनी चाहिये।

गुण्डे यह सोचते हैं कि देश की राजधानी में जब ऐसा हो रहा है और गुण्डों पर कोई कार्यवाही नहीं होती तो फिर दूसरे बड़े या छोटे शहरों में उन्हें कौन रोकेगा। हत्या, लूट डकैती, आतंक और भ्रष्टाचार वर्तमान राष्ट्रपति शासन में और अधिक बढ़ गये हैं। इसलिए शीघ्र कोई कार्यवाही कीजिये ताकि ये रुकें।

श्री केदार पांडे (बेतिया) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी आबादी 6 करोड़ है और यह तीन हिस्सों में बँटा हुआ है—उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार, छोटा नागपुर और संथाल परगना। यह एक फ्यूडल स्टेट रहा है एक कंजरवेटिव स्टेट रहा है। इसको एक हार्डनट स्टेट भी कहा जा सकता है क्योंकि वहां विकास कार्य कम हुए हैं।

यहां पर ढाई-तीन साल पहले, जब जनता पार्टी की हुकूमत आयी तो बिहार में कास्टिज्म और भी जोरों से पनपा। कास्टिज्म की कुछ जड़ तो पहले ही वहां थी लेकिन सबसे ज्यादा इस ने उग्र रूप धारण किया जब से जनता पार्टी की हुकूमत बिहार में बनी। जब वहां पर बेकवर्ड क्लास और फारेवर्ड क्लास का उग्र रूप सामने आया तो उसमें जातियता का पुट था। बिहार एक गरीब स्टेट है, पुअर स्टेट है। इस के बारे में सब जानते हैं कि बिहार के आबादी के 76 परसेंट लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं जबकि जहां इस देश के शहरों में बिलो पावर्टी लाइन का परसेन्टेज 45 और देहातों में बिलो पावर्टी लाइन का परसेन्टेज 55 परसेन्ट है वहां हमारी स्टेट बिहार मे गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का परसेंटेज 76 है। यह यहां की गरीबी का हालत है। पिछले तीन सालों से यहां विकास के काम एकदम बिल्कुल ठप्प है। जब से वहां जनता पार्टी की हुकूमत बनी तब से वहां विकास का एक भी काम नहीं हुआ। जो भी विकास हुआ वह पहले की हुकूमत के अन्दर हुआ और उसमें ऐसे लोग भी शामिल थे जो आज कांग्रेस आई में नहीं हैं, दूसरी हुकूमत में थे। कांग्रेस की जो हुकूमत थी उसमे वे लोग भी थे। उस वक्त कुछ बात बनी। लेकिन विकास का काम जब से जनता पार्टी की हुकूमत बनी तब तो एक दम ठप्प ही हो गया। यह सही बात है, ईमानदारी की बात है। यह इधर का इतिहास है। इसके पहले जब कांग्रेस की हकूमत थी, जो कुछ भी विकास का काम हुआ वह उस हकूमत मे ही हुआ। इधर सबसे बड़ी बात यह रही कि विधि व्यवस्था, ला एंड आर्डर की स्थिति बिल्कुल चौपट हो गई। जब ला एंड आर्डर ही न रहे तो फिर विकास की बात क्या सोची जा सकती थी। ला एंड आर्डर की बात यह है कि इसको इनफ्रा स्ट्रक्चर माना जाता है टू एर्न फर्दर डिवेलेपमेन्ट एक्टीविटीज। अब ला एंड आर्डर स्टेट सबजैक्ट है। जब से जनता पार्टी की हकूमत बनी तब से ला एंड आर्डर ही ठप्प हो गया। ला एंड आर्डर के बारे

में स्थिति यह है कि जो मुख्य मंत्री बनता है उसकी पूरी जिम्मेदारी रहती है, उसका यह पोर्ट-फोलियो होता है। लेकिन जो जनता पार्टी के मुख्य मंत्री बने वे ला एंड आर्डर के मामले में बिल्कुल ही सुभान अल्लाह साबित हुए। यह इनकी हालत रही जिस की वजह से चोरियां, डकैतियां, लूटपाट सब शुरू हुआ, मर्डर हुए। मैं पहले ही बता चुका हूं कि बिहार एक कंजर्वेटिव स्टेट हैं, कास्ट रिडन स्टेट है, वहां घोर गरीबी है, तरह तरह की बीमारियां हैं। अब उसमें क्या होगा ? मर्डर होंगे, खून खराबे होंगे, प्रोग्रेस कुछ नहीं होगी। जब ला एंड आर्डर नहीं है तो विकास की कल्पना करना बेकार है।

दस दिन पहले प्रेजीडेंट्स रूल हुआ है। यह तो जनता पार्टी ने जो कुछ किया उसी का कंटिनुएशन है अभी तक, उसका एनशिया है लिगेसी है, वही चल रहा है। हम चाहते हैं इस तरह की चीजों को रोकें। लेकिन रोकते रोकते कुछ तो यह खिंच ही जाता है। यही सही स्थिति है, इसलिए यह सोचा गया कि अब इन से चलने वाला नहीं है और दस पंन्द्रह दिन पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। मैं कह चुका हूं कि बिहार बुनियादी तौर पर कास्ट रिडन स्टेट है, कंजर्वेटिव स्टेट है, फ्यूडल स्टेट है। यह पृष्ठभूमि उसकी है। उस पृष्ठभूमि में विकास की बात सोचें तो अच्छी बात है लेकिन वह हुआ नहीं।

ज़मीन का सवाल सबसे बड़ा सवाल है। अगर जमीन का सवाल आप हल कर लें तो बहुत दूर तक मामला हल हो जाए। जब मैं 1972 में मुख्य मंत्री था तब हमने लैंड सीलिंग एक्ट बनाया था। उसके मुताबिक काम भी हुआ। एक लाख से अधिक एकड़ ज़मीन बांटी भी गई। उसके बाद भी जब कांग्रेस की हकूमत रही उसने कुछ काम किया। लेकिन जब जनता पार्टी की हकूमत आयी तो जो ज़मीन लोगों को मिली थी वह भी उनसे छीन ली गई। इसके अलावा लैंड सीलिंग एक्ट का इम्प्लेमेंटेशन ठप्प हो गया। इस दिशा में जनता पार्टी ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया और लैंड सीलिंग एक्ट को लागू किया जाए, इसके बारे में कुछ नहीं किया। इस एक्ट में उसने कोई संशोधन भी नहीं किया, इसको जैसे का तैसा रखा। ये डरते थे कि जिस आधार पर हम जीत कर आये हैं, वह आधार ही खत्म हो जाएगा अगर हमने इस एक्ट को लागू किया और हमारे जो मास्टर हैं वे नाराज़ हो जायेंगे। इस वास्ते इस एक्ट को एक दम लागू नहीं किया गया।

हम लोगों ने मिनिमम वेजिज़ टू दी एग्रिकल्चरल लेबरर्ज़ को भी लागू किया लेकिन जनता पार्टी ने इसको भी लागू नहीं किया। अगर आप गरीबी दूर करना चाहते हैं, अगर आप गांवों की बात कहते हैं तो उसके लिए यह बहुत जरूरी चीज़ है कि एग्रिकलचरल लेबर को मिनिमम वेज मिले। कांग्रेस की हकूमत ने इसको लागू किया और इसको लेकर,गांवों में कुछ टेंशन भी बढ़ा जोकि नैचुरल था क्योंकि एग्रिकलचरल वर्केज़ को मिनिमम वेज देने की और इसको लागू करने की बात जब आप करते हैं तो जो इससे एफैक्टिड होते हैं वे परेशान होते हैं। जमीन के बंटवारे की बात जब हम करते हैं तो ज्यादा जमीन वाले हमसे घबड़ाते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश मे समाजवाद आये। हम सब को खुश नहीं कर सकते, हैव्ज़ को भी खुश करें और हैव-नाट्स को भी खुश करें यह मुमकिन नहीं है, दोनों नहीं हो सकते। इसलिए वैस्टेड इन्ट्रेस्ट के लोग हमसे जरूर नाराज होंगे। यही वजह हुई कि गांवों में भी उथल-पुथल हुई।

अगर जनता पार्टी ने यह दो काम किये होते, करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि लैंड-सीलिंग को लागू करें, यह संभव ही नहीं था इनके लिए और एग्रीकल्चरल लेबर को मिनिमम वेज मिले, यह भी संभव नहीं हुआ। यह जो पारसबीघा, दोहिया या पिपरा वाले कांड हैं यह उसी का आउट-कम है। यह इकनामिक इश्यू है, सोशल इश्यू बहुत कम हैं लेकिन कुछ लोगों ने इस इकनामिक इश्यू को लेकर कास्ट इश्यू बना दिया। लेकिन रूट काज है इकनामिक इश्यू, मिनिमम वेज इश्यू। लैंडलैस एग्रीकल्चरल लेबर को मिनिमम वेज मिले यह इश्यू है और इसी का आउट-कम है कि फलां कास्ट वाले ने फलां कास्ट वाले को मारा ।

कांग्रेस का जो 20 सूत्री कार्यक्रम है, उसके मुताबिक लैंडलैस पीपल जाग गये, इन्होंने मिनिमम वेज की मांग की, जमीन का बंटवारा मांगा। उनमें जागृति पैदा हुई। जो हैव्ज थे, जो लैंडलाईज थे, वे कंजरवेटिव ख्याल के और फ्यूडल दिमाग के थे, उन्होंने इसको बर्दाश्त नहीं किया, इसलिये झगड़ा हुआ है। उन्होंने इसको कास्ट का कलर दिया, हरिजन और गैर-हरिजन की बात की। हरिजन मीन्स व्हाट ? एग्रीकल्चरल लेबर जो हमारे साथ थे । 68 लाख एग्रीकल्चरल लेवर हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : जमींदार उनको मारते-पीटते हैं।

श्री केदार पांडे : वही कहता हूं। आप तो जनता पार्टी में नहीं थे, सी० पी०एम० में हैं। लेकिन उसी में थे, आपको तो सोचना चाहिये था, लेकिन सोचा नहीं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर बिजली स्टेट में न रहे तो विकास क्या होगा ? जनता पार्टी की हुकूमत जब आयी तो बिजली ठप्प हो गयी। जो भी बिजली मिलती थी, वह सब गायब। बिहार की हालत क्या है, वहां 765 मेगावाट बिजली की रेटेड कैपेसिटी है। लेकिन वह रेटेड कैपेसिटी थी, वहां के इंजीनियर्स ने डी-रेट किया और डी-रेटेड कैपेसिटी 650 मेगावाट है अप-टू-डेट। लेकिन जेनरेट कितना होता है, 250 और 275। लेकिन बिहार की बिजली की मिनिमम नीड है 400 और 425 मेगावाट की। वहां एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री की हालत खराब है, न्यू इंडस्ट्री की बात तो सोचना बेकार है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की बात बेकार है, क्योंकि बिजली नहीं, डीजल तो मिलता ही नहीं, कैरोसिन और चीनी की हालत खराब है। ला एण्ड आर्डर की बात मैंने बताई, वह तो नेशनल फिनोमिनन है लेकिन स्पेशल फीचर जो बिहार का है, मैंने उसके बारे में आपसे जिक्र किया। ये जितने सवाल हैं, उनके पीछे इकानोमिक इस्यूज हैं। मुख्य प्रश्न लैंड हंगर का है। इसलिए लैंड और मिनिमम वेज का इन्तजाम करना चाहिए।

यह जो बजट आया है, वह केवल चार महीने के लिए। मैं इसका समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जब बिहार में पापुलर हुकूमत होगी, तो फिर अच्छे दिन आयेंगे।

श्रीमती कृष्णासाही (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के 1980-81 के बजट का चार महीने का लेखानुदान स्वीकृति के लिये सदन के सामने रखा गया है, जिसकी राशि

3,29,43,00,000 रुपये से कुछ ऊपर है। मैं इसका समर्थन करती हूँ। इसके साथ-साथ मैं कुछ बातों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार इस दिशा में ठोस और कारगर कदम उठायेगी।

बजट का 60 प्रतिशत भाग विद्युत, सिंचाई एवम् अन्य विकास योजनाओं के लिए है। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहती हूं कि मात्र राशि की स्वीकृति हो जाने से ही प्रशासन अच्छा नहीं हो सकता है, विकास का काम नहीं हो सकता है। जनता पार्टी के शासन-काल में बिहार की आर्थिक स्थिति दयनीय ही नहीं हुई, बल्कि बिहार विकास और प्रगति के मामले में दस वर्ष पीछे चला गया। इसकी पुष्टि के लिये मैं सदान के सामने कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहती हूं।

1979-80 में सिंचाई विभाग को अपनी योजनाओं के लिए 106 करोड़ रुपये की राशि खर्च करनी थी। अभी तक मात्र 40 करोड़ रुपये भी खर्च नहीं हो पाये हैं। बाकी के 60 करोड़ रुपये या तो सरंडर हो जायेंगे या उन्हें लूट की तरह समाप्त कर दिया जायेगा। मैं ने इस सम्बन्ध में बिहार विधान सभा में प्रश्न उठाया था और उस समय की सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था। लेकिन जनता पार्टी की सरकार ने इस तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया। उसके पास इन बातों के लिऐ समय ही नहीं था। पहले साम्प्रदायिक दंगे तो हुआ करते थे, लेकिन जात-पांत का इस तरह का नंगा नाच हुआ कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गये।

बिहार में 587 ब्लाकों में से 316 ब्लाक जनता पाटी के शासन-काल में अकाल-ग्रस्त घोषित किये गए थे, लेकिन अकाल संहिता, फ़ैमिन कोड, के अनुसार कहीं भी राहत का काम नहीं हुआ। 66,000 गांवों में से 40,000 गांव आज भी अकाल ग्रस्त हैं और वहां की स्थिति बहुत ही दयनीय है।

बिहार के प्रति भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्री चरण सिंह, ने जो रुख अपनाया, उसके बारे में भी मैं कुछ बातों को सदन के सामने रखना चाहती हूँ। बिहार को सूखे से बचाने के लिए मात्र 15 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई, जबकि सारे देश में 250 करोड़ रुपये का वितरण किया गया था। बिहार में प्रति-मास 40,000 एम टी कैरोसीन तेल की आवश्यकता है, लेकिन लोक दल के शासन-काल में 20,000 एम टी से ज्यादा नहीं मिला, जब कि महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री, श्री शरद पवार, को खुश करने के लिए 65,000 एम टी कैरोसीन तेल प्रति-मास दिया गया।

मैं अपनी नेता, श्रीमती इन्दिरा गांधी, को बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने इस प्रकार की पंगु और अक्षम सरकार को बर्खास्त कर दिया। उस सरकार पर से जनता का विश्वास उठ गया था, क्योंकि विकास का सारा काम ठप्प पड़ा हुआ था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में बिहार का चतुर्मुखी विकास अवश्य होगा।

हमारे प्रांत में बिजली के सम्बन्ध में टेन्थ लोड सरवे कमेटी का सर्वेक्षण हुआ। उसने रिपोर्ट दी कि इस समय बिहार को 400 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है, लेकिन जैसा कि

हमारे नेता, श्री केदार पांडे ने बताया है, हमारी इनस्टाल्ड कैपेसिटी 735 मेगावाट है, जबकि उत्पादन 300 मेगावाट से ज़्यादा नहीं होता है। मैं इस संबंध में कहना चाहती हूं कि यदि बिहार की गरीबी को दूर करना है, बिहार की प्रगति करनी है, बिहार को सब तरफ से आगे बढ़ाना है तो बिजली के उत्पादन की ओर ध्यान देना होगा, छोटे छोटे बिजली घरों का निर्माण करना होगा ओर जो हमारा बिजली का उत्पादन है उसको किस तरह से बढ़ाया जाय उस दिशा में कारगर कदम उठाने पड़ेंगे।

बिहार पर केन्द्र का एंव अन्य संस्थानों का करीब 1300 करोड़ कर्ज है। प्रति वर्ष लगभग 150 करोड़ रुपये सूद की अदायगी करनी पड़ती है। ऐसे गरीब प्रान्त के लिए यह बहुत बड़ा बोझ है। योजना मद में हमें जितनी केन्द्र से सहायता नहीं मिलती उससे अधिक हमें सूद के रूप में देना पड़ता है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में मैं कुछ अपने सुझाव देना चाहती हूं।

मेरा सुझाव है कि बिहार के फ्लड प्रोटेक्शन प्रोग्राम को सेंट्रल सेक्टर में ले लिया जाय। आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र बेसिन को सेंट्रल सेक्टर में ले लिया गया है। उसी तरह से हमारे देश में बाढ़ से जितनी भी क्षति होती है उसकी एक तिहाई क्षति बिहार को होती है। इसलिए बिहार के जितने साधन हैं वह फ्लड प्रोटेक्शन में समाप्त हो जाते हैं। वह जो हमारे साधन फ्लड प्रोटेक्शन में समाप्त हो जाते हैं उनको हम विकास में खर्च कर सकते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि गंगा बेसिन और फ्लड प्रोटेक्शन प्रोग्राम को सेंट्रल सेक्टर में लिया जाय।

दूसरा सुझाव है कि बिहार पर जो केन्द्र का 11 सौ करोड़ का कर्ज है उसे राइट आफ किया जाय। यह अगर टेकनिकल डिफिकल्टी के कारण न हो सके तो मोरेटोरियम दे दिया जाय। गंगा ब्रिज जो वहां बन रहा है उसके बाकी काम को सेंट्रल सेक्टर में लिया जाय और आगे जो भी पुल बनने वाला है उस को भी लिया जाय क्योंकि इतनी बड़ी राशि बिहार जैसे गरीब प्रान्त के लिए खर्च करना सम्भव नहीं है। इसलिए इसको सेंट्रल सेक्टर में लिया जाय।

आप जानते हैं मोकाता और बढैया की ताल योजना करोड़ों की हैं। उस से बिहार अपने तो अन्न के मामले में आत्म-निर्भर होगा ही, दूसरे प्रान्तों को भी अन्न दे सकता है। वह करोड़ों की राशि की योजना वर्षों से पड़ी हुई है, तकरीबन 25 साल तो हो ही गए होंगे। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि मेरे इन सभी सुझावों को माना जाय ताकि बिहार का चतुर्थिक विकास हो सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार इस ओर ध्यान ही नहीं देगी बल्कि बिहार की प्रगति के लिए, बिहार में जो गरीबी और अमीरी का असंतुलन है उस को दूर करने के लिए काम करेगी। वहां क्या नहीं है? वहां खनिज पदार्थ है, वहां गंगा नदी है, जल है, मैंगनीज़ है, लोहा है, कोयला हैं, सभी कुछ है, फिर भी उस की प्रगति नहीं हो पाती है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप को धन्यवाद देती हूं कि आप ने मुझे समय दिया।

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : इस बजट में बिहार के दलित लोगों के लिए आशा की कोई किरण नहीं है।

महोदय, बजट लोगों की अभिलाषाओं और आकांक्षाओं को प्रतिबिम्बित नहीं करता है क्योंकि इसमें उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। केन्द्रीय सरकार ने बिहार और अन्य आठ राज्यों

में अलोकतांत्रिक तरीके से विधिवत् निर्वाचित सरकारों और विधान सभाओं को भंग किया है तथा इससे भारत के संविधान के संघीय ढांचे के ऊपर आघात किया है। केन्द्रीय सरकार की यह कार्यवाही न केवल अलोकतांत्रिक है बल्कि इससे तानाशाही की दिशा में बढ़ती हुई प्रवृत्ति भी प्रकट होती है। केन्द्रीय सरकार की यह कार्यवाही राजनीतिक भावना से प्रेरित है और यही कारण है कि बजट में आप लोगों के सामान्य रूप से तथा श्रमिक वर्ग के विशेष रूप से रहन-सहन के स्तर को बढ़ाने का कोई संकेत नहीं है।

गरीबी और बेरोजगारी व्याप्त है और यह शासकों द्वारा गत 32 वर्षों में पूंजीवादी तरीके से विकास करने के फलस्वरूप है। किन्तु इस मार्ग को बदलने का कोई संकेत नहीं है तथा कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी को, जो बिहार में बहुत कम है, बढ़ाने का भी कोई संकेत नहीं है।

बिहार में हरिजनों, आदिवासियों और समाज के कमजोर वर्गों पर अत्याचार एक आम बात हो गई है। किन्तु बजट मे इस प्रकार के अत्याचारों को समाप्त करने के बारे में सरकार द्वारा किये जाने वाले उपचारात्मक उपायों का कोई संकेत नहीं है। दूसरी ओर, इस प्रकार के अत्याचार बढ़ रहे हैं जैसा कि हमने पिपरा में हुई हाल की घटना में देखा है। महोदय, बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होने से कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है। सरकार का दावा है कि 20—सूत्रीय कार्यक्रम समाज के सभी रोगों की दवा है किन्तु बहुमूल्य माननीय अधिकारों को पैरों के नीचे कुचला जा रहा है और लोगों के इस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है।

बिहार में कोयले की बहुतायत है जिसे काला सोना कहा जाता है किन्तु इन कोयला खानों में काम कर रहे मजदूरों के रहने की दशा दयनीय है और बजट में उनकी दशा सुधारने के लिए कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है।

बिहार में अधिकांशतः आदिम जाति, आदिवासी लोग रहते हैं किन्तु हर सरकार द्वारा उनकी पूरी तरह से उपेक्षा की गई है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की दशा भी अच्छी नहीं हैं। बजट में उनके जीवन स्तर को उठाने तथा उनके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को सुधारने के लिए कोई ठोस प्रस्ताव नहीं हैं।

सामन्तवाद, जातिवाद तथा साम्प्रदायिकता ने बिहार के समस्त राजनीतिक जीवन को जकड़ रखा है किन्तु समाज के इस कैंसर जैसे रोग को दूर करने के लिए कोई उपचारात्मक उपाय नहीं किये गये हैं।

अतः बजट में भूमि सुधारों को तेज करने, किसानों क जमीन दिलाने तथा छोटी और सीमान्त जोतों पर भू-राजस्व से छूट देने जैसे महत्वपूर्ण उपायों के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। आपको गरीब किसानों के सभी बकाया ऋणों को बट्टे खाते डाल देना चाहिए। काम के बदले अनाज कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर आरम्भ किया जाना चाहिए। उन्हें कृषि में काम आने वाली सामग्री के लिए सस्ती ब्याज की दरों पर दीर्घकालीन ऋण दिये जाने चाहिएं। बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। कृषि श्रमिकों को तथा सभी औद्योगिक मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देने और सभी मजदूरों तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों सहित

सभी कर्मचारियों को बोनस देने, कम से कम दसवीं कक्षा तक निशुल्क शिक्षा देने तथा उद्योगों और औद्योगिक विकास आदि के लिए उपाय किये जाने चाहिएं। मुझे इस बजट में कुछ भी दिखाई नहीं देता है।

अतः इस बजट का समर्थन करने का कोई कारण नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (बिहार) 1979-80 के सम्बन्ध कटौती प्रस्ताव

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मंत्रिपरिषद्, निर्वाचन सचिवालय एवं जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 52,17,000 रुपये से अनधिक की राशि के अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[मोतीहारी प्रशासन और अन्य स्थानों में बड़ी मात्रा में विद्यमान रिश्वतखोरी को रोकने में असफलता (1)]

"कि मंत्रीपरिषद्, निर्वाचन सचिवालय एवं जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 52,17,000 रुपये से अनधिक की राशि के अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[खंड स्तर पर विद्यमान भ्रष्टाचार को रोकने में असफलता (2)]

"कि मंत्रीपरिषद्, निर्बाचन सचिवालय एवं जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 52,17,000 रुपये से अनधिक की राशि के अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्वी चम्पारन जिले के मधुवन खंड के खंड विकास अधिकारी द्वारा किये गये लाखों रुपये के गोलमाल को रोकने में असफलता (3)]

"कि न्याय प्रशासन एवं अन्य सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं के सम्बन्ध में 26,40,000 रुपये से अनधिक राशि के अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[बिहार में न्याय विभाग में विचाराधीन पड़े हजारों बटाईदारों के मामले निपटाने में असफलता (4)]

"कि प्रशासन एवं अन्य सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं के सम्बन्ध में 26,40,000 रुपये से अनधिक राशि के अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[बिहार में हजारों मामलों के निपटाये जाने में विलम्ब के कारण निर्धनों के सामने आने वाली कठिनाइयां (5)]

"कि प्रशासन एवं अन्य सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं के सम्बन्ध में 26,40,000 रुपये से अनधिक राशि के अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[भूमिहीन लोगों को पर्याप्त कानूनी सहायता देने में असफलता (6)]

"कि भू-राजस्व एवं प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत के संबंध में 1,61,26,000 रुपये से अनधिक राशि के अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्वी चम्पारन जिले में अधिकतम भूमि सीमा कानून लागू करने में असफलता (7)]

"कि भू-राजस्व एवं प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत के सम्बन्ध में 1,61,26,000 रुपये से अनधिक राशि के अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

[मधुवन, पाकरी दयाल, हरसिद्धि और अन्य कई अंचलों में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को समय पर राहत देने में असफलता (8)]

"कि पुलिस, आग से बचाव एवं अन्य प्रशासनिक सेवाओं के बारे में 6,17,93,760 से अनधिक राशि के अनुपूरक अनुदानों की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्वी चम्पारन जिले के पिपरा, रामगढ़वा, रक्सोल और खरूरिया थानों के पुलिस कर्मचारियों के जन विरोधी कार्यों को रोकने में असफलता (9)]

"कि पुलिस, आग से बचाव एवं अन्य प्रशासनिक सेवाओं के बारे में 6,17,93,760 से अनधिक राशि के अनुपूरक अनुदानों की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्वी चम्पारन के अधिकतर थानों में व्याप्त रिश्वतखोरी को रोकने में असफलता (10)]

"कि पुलिस, आग से वचाव एवं अन्य प्रशासनिक सेवामों के बारे में 6,17,93,760 से अनधिक राशि के अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पुलिस प्रशासन में किसी प्रकार का सुधार लाने में असफलता (11)]

"कि शिक्षा एवं कला और संस्कृति के सम्बन्ध में 1,79,145 रुपये से अनधिक राशि के अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्वी चम्पारन जिले के प्रशिक्षित अध्यापकों को रोजगार देने में असफलता (12)]

"कि शिक्षा एवं कला और संस्कृति के सम्बन्ध में 1,79,145 रुपये से अनधिक राशि के अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्वी चम्पारन में पिपराकोठी में कृषि कालेज की स्थापना में असफलता (13)]

"कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के सम्बन्ध में 55,79,210 रुपये से अनधिक राशि के अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्वी चम्पारन जिला में सागरी अस्पताल में औषधियों की कमी (14)]

"कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के सम्बन्ध में 55,79,210 रुपये से अनधिक राशि के अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्वी चम्पारन जिला के बाराचकिया सरकारी अस्पताल में शय्याएं बढ़ाने में विफलता (15)]

"कि 6,79,68,035 रुपये से अनधिक राशि के अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्वी चम्पारन जिले के मोतीहारी सदर अस्पताल में सिविल सर्जन कार्यालय में व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार (16)]

"कि 6,79,68,035 रुपये से अनधिक राशि के अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्वी चम्पारन जिले के अरेराज में सरकारी अस्पताल के विस्तार में विलम्ब (17)]

"कि 6,79,68,035 रुपये से अनधिक राशि के अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[मोतीहारी झील को साफ करने में, जिससे उसे लोगों के उपयोग के लिए बनाया जा सके, विफलता (18)]

"कि 6,79,68,035 रुपये से अनधिक राशि के अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[वाराचकिया में जल प्रदाय की व्यवस्था करने में विफलता (19)]

"कि 6,79,68,035 रुपये से अनधिक राशि के अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[केसरिया में जल प्रदाय योजना की क्रियान्विती में विलम्ब (20)]

"कि 6,79,68,035 रुपये से अनधिक राशि के अनुपूरक अनुदान की मॉग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[पूर्वी चम्पारन में चन्डी, अरेराज, केसरिया आदि स्थानों में हरिजनों के लिए भूमि का विकास करने में विफलता (21)]

"कि श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 20 रुपये से अनधिक राशि के अनुपूरक अनुदान की मांग (पृष्ठ 16) में 100 रुपये कम किये जायें।"

[बिहार में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने में असफलता (22)]

"कि श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 20 रुपये से अनधिक राशि के अनुपूरक अनुदान की मांग (पृष्ठ 16) में 100 रुपये कम किये जायें।"

बिहार में अशिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने में असफलता (23)]

लेखानुदानों की मांगें (बिहार) 1980-81 के संबंध में कटौती प्रस्ताव

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि जेल शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदानों की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[बिहार में जेलों की दशा सुधारने में असफलता (9)]

"कि जेल शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदानों की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[बिहार में जेलों में अनियमितताओं को रोकने में असफलता (10)]

"कि जेल शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदानों की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्वी चम्पारन की केन्द्रीय जेल में आधुनिक शौचालय और अन्य सुविधाओं के दिये जाने में असफलता (11)]

"कि शिक्षा एवं कला और संस्कृति शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदानों की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्वी चम्पारन जिले में चालिया, दिपरा, शेखपुरा और ब्राह्मण तोली में प्राथमिक स्कूलों के लिये भवनों का निर्माण करने की आवश्यकता (12)]

"कि शिक्षा एवं कला और संस्कृति शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदानों की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्वी चम्पारन में सैकड़ों प्राथमिक स्कूलों के भवनों की मरम्मत करने की आवश्यकता (13)]

"कि शिक्षा एवं कला और संस्कृति शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदानों की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्वी चम्पारन जिले में केसरिया माध्यमिक स्कूल के छात्रावास और अध्यापकों के मकानों की मरम्मत करने की आवश्यकता (14)]

"कि सामाजिक सुरक्षा और कल्याण शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदानों की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[बिहार में हरिजनों और खेत मजदूरों को पानी और आवास सुविधाओं को देने में असफलता (15)]

"कि सामाजिक सुरक्षा और कल्याण शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदानों की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्वी चम्पारन जिले के फलमार ग्राम में हरिजनों पर हुए अत्याचार एवं आगजनी की घटना पर समुचित कार्यवाही करने में असफलता (16)]

"कि लघु सिंचाई शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदानों की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्वी चम्पारन जिले के लघु सिंचाई बिभाग में फैले भ्रष्टाचार को रोकने में असफलता (17)]

"कि मत्स्य उद्योग शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदानों की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्वी चम्पारन की झीलों को मत्स्य पालन के लिये विकसित करने की आवश्यकता (18)]

"कि मत्स्य उद्योग शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदानों की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्वी चम्पारन जिले के मत्स्य पालन उद्योगों में प्रशिक्षित युवकों को काम देने में असफलता (19)]

"कि उ ोग शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदानों की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

बिहार के पूर्वी चम्पारन जिले में लघु उद्योगों को विकसित करने में असफलता (20)]

श्री कमल नाथ झा (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी इस सदन में बिहार के बजट के प्रश्न को लेकर जो चर्चा और विवाद चल रहा है और बिहार की गरीबी, बिहार की बेकारी और बिहार में फैली हुई बद-अमनी की चर्चा की गई है, इससे पहले कि मैं इन प्रश्नों पर कुछ अपने विचार व्यक्त करूं, मैं आपके माध्यम से इस सदन में यह कहना चाहता हूं कि यह बात आज ठीक है कि देश में बिहार की स्थिति सबसे दुःखद है – चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो या राजनीतिक क्षेत्र में हो – लेकिन मैं आपके माध्यम से इस सदन और

इस देश के नेताओं को यह बताना चाहता हूँ कि बिहार राज्य भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसका एक विशेष स्थान है। आदिकाल से जबसे भारत का इतिहास मिलता है, इतिहास के हर मोड़ पर बिहार ने भारत का मार्गदर्शन किया है। भगवान गौतम बुद्ध के समय में शायद भारत की ऐसी स्थिति रही होगी जिसके कारण भगवान बुद्ध ने इंकलाब का झंडा, कामनमैन का झंडा बिहार में गाड़ा था। यहीं तीर्थंकर महावीर जैन हुए, जिसने सम्पूर्ण भारत को मार्ग दिखाया। जब बिहार के समाज पर संकट आया तो अशोक ने भारत को एक नई दिशा दी, जब हिन्दुस्तान गुलामी के संकट पर था, तब उसी बिहार के चन्द्रगुप्त ने सैल्यूकस को हराया। जब मुगलों का राज्य था, तो बिहार ने ही एक ऐसा शासक पैदा किया — शेरशाह, जिसने ढाका से लाहौर तक चार साल में सड़क बनाई और सारे एडमिनिस्ट्रेशन के डवेलपमेंट की नींव की बुनियाद डाली। जब अंग्रेजों का राज्य हुआ तो कुवंर सिंह जी पैदा हुए। और जब हिन्दुस्तान अंग्रेजों के वर्चस्व में फंस गया तो महात्मा गांधी को भी रोशनी चम्पारण में मिली और जब भारत आजाद हुआ तो प्रथम राष्ट्रपति, इस राष्ट्र का देशरत्न, डा० राजेन्द्र प्रसाद, बिहार ने ही दिया। इसलिए सीता से लेकर डा० राजेन्द्र प्रसाद तक भारत की जनता की बिहार ने जो सेवा की है, वह इतिहास में लिखी हुई है। आज यदि बिहार गिर गया है, बिहार दलित हो गया है, बैकवर्ड हो गया है, तो फिर सम्पूर्ण राष्ट्र का यह कर्त्तव्य है कि वह सहानुभूति के साथ, आदर के साथ बिहार के उत्थान में अपना योगदान दें। मैं इस सदन से बिहार के प्रति हमदर्दी, सहानुभूति और सहयोग की अपेक्षा की भावना को लेकर खड़ा हुआ हूं।

जैसा मैंने शुरू में अर्ज किया, निवेदन किया, कि आज की परिस्थिति हमें विरासत में मिली है। जिस बिहार ने जातीयता पर सबसे बड़ी चोट की और जिस बिहार ने गांधी जी को ज्ञान दिया और गांधी जी ने इस देश से साम्प्रदायिकता को मिटाने के लिए अपना बलिदान दिया, उसी बिहार को इस ढाई वर्ष के दौरान कास्टिज्म और कम्यूनलिज़म की लैबोरेट्री बनाया। मैं यहां किसी पर आरोप नहीं करता हूं। चौधरी चरणसिंह और उनके शिष्य कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में जातीयता का वह बीज वपन किया कि ग्राम पंचायतों में जो चुनाव हुए, तो उस के शब्दों में :

"बता इंच भर ठौर कहां वह,
जिस पर शोषित बहा न मेरा"

गांव-गांव में, घर-घर में, बन्दूक, गोली, लाठी, एक जाति दूसरी जाति के खिलाफ, एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ खून का प्यासा हो गया है। अशोक की भूमि में, बुद्ध की भूमि में, गांधी जी की भूमि में डा० राजेन्द्र प्रसाद हुए और उसी दल का एक हिस्सा, उसी जनता पार्टी का एक हिस्सा है — आर०एस०एस० इंडिया का सबसे सैन्सेटिव लेबर एरिया, जमशेदपुर डेढ़ महीने तक साम्प्रदायिकता के कारण सारा काम छोड़ कर बैठा रहा — यह हमारी रियासत है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ इस चीज को लेकर आप जानते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में जातीयता और साम्प्रदायिकता गांव-गांव में फैली हुई है और आर्थिक क्षेत्र में जन-वितरण प्रणाली के माध्यम से आर०एस०एस० और जनसंघ के ब्लैक-मार्केटीयर्स, मुनाफाखोरों ने जन वितरण प्रणाली के माध्यम से दुकानों का जाल बिछा दिया। हमारे बिहार में बहुत मशहूर है

– यह जनसंघ कौन पार्टी है – "बोलो बम, तोलो कम"। ये गांव के बच्चे बोलते हैं और सारी दुकानों पर यही इकोनोमिक सिस्ट्म इन्होंने इजाद किया। सामाजिक क्षेत्र में लोक दल ने जातीयता, साम्प्रदायिकता और आर्थिक क्षेत्र में आर०एस०एस० ने बोलो बम तोलो कम" -ब्लैक-मार्केटियर बनो-इस तरह का प्रचार किया। ये दोनों मिल कर इस तरह का हैवक बिहार में फैला रहे हैं। ये आज बिहार के लिए प्रावलम नं० 1 है। जब बैलट-पेपर पर हार गये तो इन्होंने इस तरह के काम शुरू कर दिये हैं। इन्होंने सोचा था कि कांग्रेस पार्टी को केवल 4 सीटें मिलेंगी, कांग्रेस-आई वालों की जमानतें जब्त होंगी और पटियाला से लेकर पटना तक अपना एकछत्र साम्राज्य हो जायगा। लेकिन केवल 5 सीटें बिहार में जीत कर रह गये, वहां की जनता ने कास्टीज्म को, कम्यूनलिज्म को रिजेक्ट कर दिया और हम 30 सीटों पर जीते। जब ये बैलट में हार गये, साम्प्रदायिक युद्ध में हार गये, धर्म युद्ध में हार गये, न्याय युद्ध में हार गये, तब फिर अन्याय-युद्ध पर आ गये। कैसा अन्याय युद्ध कर रहे हैं – गांव-गांव में जातीयता को बढ़ावा देकर—'अबल जानि शंका सब काहू" अबल जनता को मारने का प्रयास कर रहे हैं। इन जातीयता की आग सुलगाने वालों ने जो स्थिति वहां पर पैदा की उसमें कमज़ोर वर्ग के लोगों, हरिजन लोगों को ज्यादा मारा गया, जब इस बात को यहां पर कहा जाता है तो वे लोग तिलमिला उठते है। यह सब पोलिटीकल मूव है। मैं इस बात से डिस-एग्री करता हूं, जो यह कहते हैं कि यह इकानामिक मूव है। यह इकानामिक मूव नहीं है, जब तक असेम्बली का चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक जातीयता के यज्ञ में ये आहुतियां होती रहेंगी। उनका नारा है कि जातीयता को बरकरार रखो, कास्टीज्म को कायम रखो, क्योंकि इनके पास कास्टीज्म के सिवा कोई पूंजी नहीं है। इसलिये यह एक टेम्परेरी पोलिटीकल मूव है – बिहार में जातिवाद और साम्प्रदायिकता की भावनाओं को जीवित रखना जिससे कि वे इस हिजरम का इस्तेमाल कर चुनावों का सामना कर सकें।

हमारे यहां हर चीज़ की स्केअरसिटी है, लेकिन वास्तव में नहीं है। चीनीं की कमी नहीं है, डीज़ल की कमी थोड़ी-बहुत है, लेकिन जितना हाहाकार मचा हुआ है, उतनी कमी नहीं है। जितने स्मगलर्स हैं, ब्लैक मार्केटियर्स हैं, वे लोग जन.वितरण प्रणाली में घुस गये हैं। एक तो करेला और दूसरे नीच चढ़ा। पिछले ढाई साल के एडमिनिस्ट्रेशन में हालात इतने खराब हो गये हैं, कि जो हिंजेक्टेड, डिजेक्टेड,कंडेम्ड आफिसर्ज़ थे उनको हर महत्वपूर्ण जगह पर पोस्ट कर दिया गया है। आप 5 रुपया लेकर जाइये, डीजल ले लीजिये और इस भाव में जितना चाहें उतना ले लीजिये। 6 रुपया किलो में चीनी ले लीजिये। डीज़ल की कोई कमी नहीं है, लेकिन् पम्प पर डीजल नहीं है। लारी से आ रहा है, दिखला दिया कि ओवर-टर्न हो गई, लुट गई। सहरसा में तीन-तीन डीज़ल की लारियों को शो कर दिया गया कि लुट गई। इसलिये यदि इस सरकार को अभी भी समय रहते भंग न कर दिया जाता, तब फिर तो बिहार का भगवान ही मालिक था।

अब बिहार में चुनाव होने वाला है – वहां पर हम सरकार बनाने वाले नहीं हैं, बिहार की जनता सरकार बनाने वाली है। हम जनता को फेस करने से नहीं डरते हैं, हमने पहले भी चुनाव कराया है और आज भी कराने को तैयार हैं, बल्कि चुनाव में जाने को तैयार हैं। जब

तक बिहार में चुनाव नहीं होता है, यह बजट तभी तक के लिये हैं। हम तो वहां पर एक काम-चलाऊ सरकार चला रहे हैं और इसी संदर्भ में मैं एक दो बातें कहना चाहता हूँ। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इन चार महीनों के अन्दर स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, सब डिवीज़नल लेवल और ब्लाक लेवल पर पीपुल्ज़ रिप्रेज़ेन्टेटिव्ज़ को, हर वाक्स-आफ़-लाइफ के लोगों को लेकर, रेस्पेक्टेड सिटिजन्ज़ को लेकर जो ला-एण्ड-आर्डर की समस्या है, जो जन-वितरण प्रणाली की धांधली है उसको रोकने की आवश्यकता है। ताकि आफ़िसर, सरकार और जन प्रतिनिधि कन्धे से कन्धा मिला कर जो एक्यूट प्राब्लम्स हैं, उनको फेस करें और वहां लोगों को थोड़ी बहुत राहत यह सरकार दिलावे।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के हर गांव के ग्रामीण रात भर जागते हैं और दिन को काम की तलाश में भागा करते हैं। हमने पिछले चुनावों में उन से यह प्रतिज्ञा की थी कि ज्यों ही हमारा शासन आएगा, तुम्हारी सोने की रातें वापस मिल जाएंगी, सड़कों पर जो उठाईगिरी और गुण्डागर्दी होती थी, वह समाप्त हो जाएगी और जो भूख से मरते हो, उसके लिए जो सामान पहले 8 रुपये किलो मिलता था और वह 14 रुपये मिलने लगा था, वह फिर उसी कीमत पर आ जाएगा। इसलिए इस लोकसभा चुनाव में जनता ने जो हमें वोट दिया है, वह इन्हीं दो प्रमुख मुद्दों पर वोट दिया है, एक तो उसे सोने की रात वापस मिल जाएगी और दूसरे यह जो आकाश को चूमती हुई कीमतें हैं, ये उन की जेबों के पैसों के बराबर आकर संधि कर लेंगी। पहले यह संभव नहीं था क्योंकि विभिन्न प्रान्तों में दूसरी सरकारें थीं और वे ऐसा करने में सफल नहीं होतीं। मैं उन पर और कोई इल्जाम तो नहीं लगाता, क्योंकि उस के लगाने के लिए तो और समय मिलेगा लेकिन अगर वे ऐसा नहीं कर पाईं, तो उन को भंग कर दिया गया और अब भंग करने के बाद वहां पर राष्ट्रपति शासन है। प्रसन्नता की बात है कि वहां पर राज्यपाल महोदय वह हैं, जो जनता पार्टी के राज्य में नियुक्त हुए थे, जिन पर संभवतः अब उनको विश्वास है या नहीं मुझे नहीं मालूम लेकिन हम लोगों को विश्वास है और हम यह चाहते हैं कि बिहार के प्रशासन में सुधार हो। हम एसेम्बली के चुनाव तक प्रतीक्षा न करें बल्कि दो महीनों में ही, मई में जब भी चुनाव हो उसके पहले ही बिहार के प्रशासन में सुधार किया जाए। आज बिहार में वही राज्यपाल हैं और उनके एडवाइजर हैं लेकिन मैं आपको बताऊं कि बिहार के तीस जिलों के कलक्टर, एस० पी० को भी नहीं जानते, तो वे शासन नहीं चला सके। बिहार के अन्दर 30 जिले हैं और मेरा कहना है कि उनमें ऐसे कलक्टर जाएं, ऐसे एस० पी० जाएं, जो योग्य हों और जिन को जनता से प्रेम हो। सब से प्रमुख बात आज बिहार के लिए यह है कि इन 30 जिलों में ऐसे प्रशासक जाएं, जो बिहार की जनता से प्रेम करते हों, जिन को अपनी जेब से प्रेम न हो। मैं ऐसे कलक्टर को जानता हूं, ऐसे एस० पी० को जानता हूं, जिसके दिमाग के अन्दर कुछ नहीं है सिवाय भूसे के। गैलरी में बैठे हुए अधिकारी मुझे ऐसा कहने के लिए क्षमा करेंगे लेकिन मैं यह जानता हूं कि उनके पास कोई अक्ल नहीं है और मैं ऐसे एस० पी० को भी जानता हूं जिसके पास कुछ अक्ल तो है लेकिन वह काम करने के लिए नहीं है बल्कि आई० पी० एस० की बड़ी डिग्री ले कर पैसा जमा करने की अक्ल उसमें है। इस तरह के लोग कैसे यह राज्य चलायेंगे। बिहार में एक तरफ तो अड्डा है, एक जाति के महन्त और मठाधीश बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि यह भारत सरकार, हमारे प्रधान मंत्री, बिहार के

राज्यपाल उन मठाधीशों को, जो अपने को बड़ा योग्य और काबिल समझते हैं, वहां से हटाकर दिल्ली में भेज दें और दिल्ली के अन्दर आकर वे काम करें। दो महीने के अन्दर ही उनकी अपनी योग्यता का पता चल जाएगा। इन्होंने बिहार पर बड़ा अहसान किया है, हम पर बड़ी कृपा की है। अब उन को वहां से भेजा जाए। चुने चुनाए कोई स्पेशल कमिश्नर हैं, कोई डिप्टी कमिश्नर है और कोई विशेषाधिकारी है। कोई अमुक महन्त हैं और कोई फलां मठाधीश हैं जिन्होंने 30 लाख रुपया प्रोमोशन देने के लिए और समूची लिस्ट में गड़बड़ करके कमाल कर दिया। तमाम लोगों की उपेक्षा करके सुपरसीड कर के कैसे-कैसे व्यक्ति को चीफ़ इन्जीनियर, मुख्य अभियन्ता बना दिया। ऐसे लोगों का आप दिल्ली में प्रोमोशन कर दीजिए और दूसरी बात यह है कि बिहार के सम्पूर्ण जिलों में ऐसे व्यक्ति भेजे जाएं, जिनके पास अक्ल हो और जिनको पिपरा गांव के हरिजनों के प्रति सहानुभूति हो। नहीं मालूम था बिहार के उन अधिकारियों को कि पिपरा गांव के आस-पास मीटिंग हो रही हैं बड़े-बड़े जमींदारों की और इस तरह से हरिजनों पर चढ़ाई की योजना बनाई जा रही है। उनको क्या यह मालूम नहीं था कि वहां पर चन्दे लिये जा रहे हैं? बेचारे दूध धोये थे, जो ये सब चीजें उनको मालूम नहीं थीं। भागलपुर, पटना के कमिश्नर और दूसरे अफसरों को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था कि पिपरा में क्या होने जा रहा है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाता है, तब ऐसी ही स्थिति होती है। पिपरा गांव के बाहर, जहां 9 हरिजनों को मारा गया है, एक कुतिया भी मरी पड़ी हुई पाई गई थी। उस ने भौंक-भौंक कर उन बदमाशों को रोका था। लेकिन गोली खा कर या लाठी खा कर मर गयी। संभवत: वह चित्रसेन की चित्रांगन होगी। चित्रसेन के महल के बगल में एक झोंपड़ी थी। उसमें एक बुढ़िया रहती थी और उसमें रहती थी उसकी षोडशी रूपवती लड़की। एक दिन चित्रसेन महाराज उस झोंपड़ी में मेहमान बन कर गए। चित्रांगना भोंकने लगी। इस पर बुढ़िया ने बाहर आकर कहा कि क्यों भोंकती हो? तुम्हारे भोंकने से क्या होगा? जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो तुम्हारे और मेरे भोंकने से क्या होगा। इतना सुनकर चित्रांगना चुप हो गयी। इस चित्रांगना को तो वह बुढ़िय कह भी नहीं पायी क्योंकि संगीनधारियों की संगीन पहले ही बाहर हो गयी थीं।

उपाध्यक्ष महोदय, बिहार की समस्याओं का प्रमुख कारण वहां का प्रशासन है और साथ साथ बिहार का राजनीतिक नेतृत्व भी। उत्तर भारत में आर्यवर्त की भूमि गंगा और यमुना के किनारे उत्तर प्रदेश और बिहार के किसान एक हाथ हल पर और एक हाथ तलवार पर रखकर लड़े और गोलन दर्रे और खैबरपास से आने वाले आततायियों का सामना किया। लेकिन उसके बाद आने वाले अंग्रेजों के खिलाफ जब 1857 और 1921 की क्रांतियां हुई जिनके बारे में मेरे मित्र कमलनाथ ने बहुत-सी बातें याद दिलायीं लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम उनके बेटे, उनके उत्तराधिकारी जो हम हिन्दुस्तान में रहते हैं, इन बातों को भूल गये। इसीलिए हमारी दुर्गति हुई। हमारे स्वयं के कारण से भी हमारी दुर्गति हुई।

आज बिहार को आवश्यकता है राजनीतिक नेतृत्व की। वह व्यक्ति कौन है जिस पर बिहार की तमाम जनता का विश्वास हो? यह हमारा नारा है। एसा कौन व्यक्ति है जो अगले चुनाव के बाद बिहार को नेतृत्व दे? उस के बाद 22 ईमानदार मंत्री बिहार को मिलेंगे, 22 स्पेशल सेक्रेट्री बिहार को मिलेंगे। बिहार में प्रशासन का सुधार अति आवश्यक है।

अगर यह नहीं हुआ तो वही बिजली बोर्ड जिसका कल्पना अभी आपने की। बिजली बोर्ड बिहार की एक सुन्दर जमींदारी है। जो चाहे आ कर के अपने-अपने घोड़ों को चरने के लिए छोड़ दे और चरने वाले जब चर लें तो फिर वापस अपने स्थान पर चले जायें और अपने मालिक को खुश कर दें। बिजली बिहार के लिए आवश्यक है। क्या वजह है कि आज 600 मेगावाट बिजली के प्रोजेक्शन के बाद भी 200 मेगावाट बिजली मिलती है? क्योंकि उन बिजली बोर्डों में ऐसे व्यक्तियों को भेजा जाता है जो सिर्फ चरने और खाने के लिए वहां जाते हैं।

मुझे क्षमा करें हमारे अधिकारीगण। हमारे अधिकारीगण भी कम राजनीतिज्ञ नहीं हैं। बदनाम तो हम राजनीतिज्ञों को किया जाता है लेकिन चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे बिहार के अन्य आफिसर्स हों, राजनीति में हम उनसे बहुत कम हैं। हम उनको भ्रष्ट मानते हैं और अपने को सेकिंड मानते हैं। लेकिन बदनामी तो हम को लगी है। मैं कहता हूं कि इन राजनीतिज्ञ प्रशासकों को बिहार प्रशासन से बाहर दिल्ली भेजिये, ताकि वे इस महान् नगरी में, इस देश के महान शासन में अपनी अक्ल और बुद्धि का परिचय दें। बिहार के राज्यपाल और हिन्दुस्तान की प्रधान मंत्री को सबसे पहले यह काम करना चाहिए। दूसरे इन चुनावों के पूर्व तमाम जिलों में परिवर्तन करना चाहिए। जो कलेक्टर, एस० पी० चंदा लेकर पैसा इकट्ठा करते हैं और किसी खास पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए उसे देते हैं, उन्हें तो हटाना ही नहीं चाहिए बल्कि उन्हें तो डिसमिस करना चाहिए। इन्हें पहचानो—

आई० ए० एस०, आई० पी० एस० हैं,
कहते अपने को प्रजातन्त्र के वाचडोग,
कोटि-कोटि जनता के भाग्य विधाता हैं ये,
पूछो इन से तेरी किस्मत कहां, किधर,
किन फाइलों में,
कैद किये रख छोड़ा है ?

जब तक इन फीतों से, इन फाइलों से हमारे बिहार के राजनीतिक नेता वहां की जनता को नहीं छुड़ा पायेंगे तब तक बिजली बोर्ड नहीं सुधरेगा। जब तक हमारे क्षेत्र भागलपुर में गंगा का ब्रिज नहीं बनेगा तब तक हम पावर स्टेशन भी नहीं बना पायेंगे। कमाल की बात है। वाह रे बिहार के नेता, शासक, प्रशासक। भागलपुर के पास मिलियन टंस कोयला निकला है, भागलपुर के पास कहलगांव में गंगा का पानी है लेकिन सुपर पावर स्टेशन बिहार में नहीं बनेगा, कहीं और बनेगा। मै प्रांत की बात नहीं कहता, अगर आपके प्रांत में, आपके क्षेत्र में जस्ता, कोपर मिलता है तो आवश्यक है कि जस्ते का कारखाना वहीं लगाया जाना चाहिए, उसके बाहर नहीं। लेकिन आज लाल मटिया का ताम्बा रेलवे लाइन बना कर के ले जाया जाएगा दूसरे स्थानों में तो मैं कह देना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी तो सदन में नहीं इस वास्ते मैं वित्त मंत्री जी को कह देना चाहता हूं कि लाल मटिया का कोयला तब तक सुपर थर्मल स्टेशन के लिए जाने नहीं दिया जाएगा मेरे क्षेत्र से और तब तक उस रेलवे लाइन को भी बनने नहीं दिया जाएगा और तब तक वहां पर भूमि का अर्जन नहीं होने दिया जाएगा जब तक हमारी आवश्यकताओं के

अनुसार कहलगांव में थर्मल स्टेशन बना नहीं दिया जाता है । मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि हर प्रांत की, हर प्रांत में भी हर क्षेत्र की ओर हर क्षेत्र में भी उसके आसपास की जनता ने अपनी शक्ति को आज पहचान लिया हैं । लाल मटिया का कोयला रेलवे लाइन बना करके नहीं जाने दिया जाएगा, यह मैं साफ कह देना चाहता हूं । बिहार में प्रशासन का सुधार होना भी बहुत जरूरी है । पहले ऊपर के स्तर पर और उसके बाद नीचे गांव तक के स्तर पर यह सुधार होना चाहिये । साथ ही कहलगांव में थर्मल स्टेशन देने के लिए भागलपुर में गंगा पर पुल बनाने की आवश्यकता हो तो उसको बनाया जाना चाहिए, जहाँ पर डबल लाइन की आवश्यकता हो, वहां वह बनाई जानी चाहिए और जहां जहां पर बड़ी बड़ी सिंचाई की योजनाओं की आवश्यकता हो, वहां वहां पर उनको भी बनाया जाना चाहिए । वर्मा जी ने कहा कि बिहार की भूमि प्यासी है । ठीक बात है वह प्यासी है । वह इसलिए प्यासी है कि हम ने सैंकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके कुसुमघाटी जलागार बनाया लेकिन वहां की बदनसीबी को आप देखें, वहां की बदनीयती को आप देखें, वहां के मिसमैनेजमेंट को आप देखें कि आज उससे पानी उन क्षेत्रों को नहीं मिलता है जो उसके अधिकारी हैं लेकिन टैक्स का भार उन पर डाल दिया जाता है जिन्होंने उस पानी का उपयोग ही नहीं किया होता है । इस तरह की शासन व्यवस्था आज बिहार में है । इसमें सुधार लाया जाना चाहिए ।

मैं अपने सम्पूर्ण क्रान्ति के नारे लगाने वाले मित्रों से कहना चाहता हूँ कि मैं उनका विरोध नहीं करता हूँ । सम्पूर्ण क्रान्ति देश को चाहिए थी । जो अधिकार जनता के हैं वे उनको मिलने चाहिए । शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता को सभी महसूस करते हैं, सभी उसके बारे में बोलते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, शिक्षा मंत्री सभी कहते हैं कि उसमें आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए । लेकिन आप देखें कि 1967 में जो शिक्षा के सम्बन्ध में व्हाइट पेपर इस लोक सभा में रखा गया था उसको कार्यान्वित नहीं किया गया है । ऐसी अवस्था में आज बिहार का बेरोजगार नौजवान सड़कों पर आता है तो जुल्म क्या करता है । सम्पूर्ण दक्षिण बिहार में बनी प्राजैक्टों में लेबर मिनिस्टरी के आदेशों के अनुसार कि तीन सौ रुपये तक की नौकरियां स्थानीय लोगों को ही मिलनी चाहिए, अगर उनको नहीं दी जाती हैं और उसको लेकर अगर विद्यार्थी विद्रोह करते हैं तो इस में उनका क्या दोष है, ऐसी अवस्था में विद्यार्थी विद्रोह न करें तो क्या करें । आपका मुंह देखकर वे कब तक इन्तजार करते रह सकते हैं ।

यह स्पष्ट बात है कि सम्पूर्ण क्रान्ति वाली बात सफल नहीं हुई है । इसका कारण यह है कि उसका नेतृत्व कुछ राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थ के लिए किया । योजनाएं मनुष्य ने बनाई पर कब्जा कर लिया बन्दरों ने,(मेन इन्वेस्टेड प्लान्स एण्ड एप्स गॉट होल्ड आफ देम)बिहार में यही हुआ है । फिर यह गलती नहीं दोहरायी जानी चाहिये । वहां के नौजवान, वहां के विद्यार्थी ऐसी शिक्षा मांगते हैं जो उन्हें नौकरी दे, बेरोजगार नौजवान अपने पैरों पर खड़े हो कर काम कर सकें, अपने साधनों से वे फैक्ट्री वहां पर बनाते हैं कोई और फैक्ट्री वहां पर लगती है और उस में वे रोजगार मांगते हैं तो इसमें उनका क्या दोष है । अगर यह चीज सम्भव नहीं हुई और ऐसा हुआ नहीं तो सम्पूर्ण क्रान्ति किसी और रूप

में आएगी । मैं खूनी क्रान्ति का समर्थक नहीं हूं । लेकिन मैं उनको नक्सलपन्थी नहीं मानता हूँ । एक सेर अनाज उस मजदूरी के लिए जो वे वहां पर करते हैं उसको लेकर किसी ने जाकर समझाया कि वे इस शोषण के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए लड़ें और ऐसे लोगों को अगर आप नक्सलपन्थी कहते है तो हम भी नक्सलपन्थी होना मंजूर करेंगे । यह निषिद्ध नहीं है । उस प्रदेश की भूखी नंगी जनता को बचाने के लिए जो आज उड़ीसा से भी नीचे नम्बर पर आ गई है, शासन को चाहिए कि वह तुरन्त कार्रवाई करे ।

समय शेष है नहीं पाप का है अपराधी व्याध
जो तटस्थ हैं, जो पदस्थ हैं, समय गिनेगा उनका भी अपराध ।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा (औरंगाबाद): बजट पर बोलते हुए मेरे मित्र श्री केदार पाण्डेय ने बिहार विधान सभा को भंग करने की केन्द्र सरकार की कार्यवाही का उल्लेख किया । उन्होंने सभा को भंग किए जाने की कार्यवाही को इसलिए उचित बताया कि बिहार में कानून और व्यवस्था की हालत खराब होती जा रही थी और विकास कार्यों की प्रगति रुक गई थी । पर मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि विधि मंत्री ने जो कारण दिए हैं वे ये नहीं हैं । उनका कहना था कि राज्य सरकारें संविधान (संशोधन) विधेयक का अनुसमर्थन करने में देर कर रही हैं । राज्य सरकारें प्रगतिशील कानूनों को लागू करने के लिए जारी किए गए निदेशों का पालन नहीं कर रही हैं और राज्य सरकारों में लोगों का विश्वास खत्म हो गया है । पर ये बातें बिहार पर लागू नहीं होतीं । श्री पाण्डे ने जो बातें कही हैं उनके सम्बन्ध में मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि कांग्रेस (आई) वे ही जनता सरकार को समर्थन दिया था । पर बाद में उसने अपना विचार बदल लिया और जब सभी विरोधी दल सरकार को समर्थन देने लगे तो उन्होंने विधान सभा को भंग कर दिया । बिहार विधान सभा तब भंग की गई जब कि उसका सत्र चल रहा था । यह एक अभूतपूर्व घटना है । मैं समझता हूं संविधान के निर्माताओं ने यह सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह की कार्यवाही की जाएगी,

एक माननीय सदस्य: जब जनता सरकार ने विधान सभाएं भंग की थीं क्या तब वह अभूतपूर्व घटना नहीं थीं ?

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा: मैंने कहा था कि केन्द्रीय सरकार ने पहले कभी भी उस समय हस्तक्षेप नहीं किया था जब कि विधान सभा का सत्र चल रहा हो । इस मामले में यह अभूतपूर्व था । वे हमेशा ही यह कहते रहे कि सरकार संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चल रही है और केन्द्र के निदेशों पर अमल नहीं हो रहा है । इस मामले में कोई निदेश जारी नहीं किया गया । राज्य सरकार ने केन्द्र को आश्वासन दिया था कि वह आगामी सत्र के दौरान संविधान संशोधन विधेयक का अनुसमर्थन करेगी । तब निदेश न मानने का प्रश्न कैसे पैदा होता है ।

कानून और व्यवस्था के बारे में मेरे मित्र ने कहा कि वहाँ हालत खराब हो रही थी । निस्सन्देह कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनके लिए हमें खेद है । पर मैं श्री पाण्डेय जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि पारसबिघा और रोहिया घटनाओं के मामले में राज्य सरकार ने बड़ी ही तत्परता से और प्रभावी ढंग से काम किया था । उसने ऊपर से सब-इन्सपेक्टर तक सभी का तबादला कर दिया था । पर पिपरा के मामले में उन्होने ऐसा नहीं किया । जैसा मेरे मित्र

श्री भागवत झा आज़ाद ने कहा जब सभाएं आयोजित की जा रही थीं और जब तनाव पैदा हो रहा था तब कोई निवारणात्मक कार्यवाही नहीं की गई और हत्याएं होने दी गईं। क्या यह प्रशासन की शिथिलता नहीं थी ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? आपने प्रशासनिक कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है। आपने जांच का काम अपराध शाखा को नहीं सौंपा है जबकि पारसबीघा और दोहिया के मामले की जांच का काम हमने अपराध शाखा को सौंप दिया था और गलती करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की थी। हमने राजस्व बोर्ड के एक वरिष्ठ सदस्य की अध्यक्षता में एक जांच समिति नियुक्त की थी जो प्रशासन की गलतियों पर प्रकाश डालेंगे ताकि राज्य सरकार उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर सके। पर वर्तमान सरकार ने ऐसा नहीं किया। मैं मानता हूँ कि इन्होंने गृह मंत्री को वहाँ भेजा है। पर प्रशासन असफल हो गया है। इसके खिलाफ कार्यवाही करना उनका फर्ज था पर इन्होंने उसे नहीं निभाया। मैं श्री भागवत झा से सहमत हूँ कि उन लोगों को सबक सिखाया जाना चाहिऐ, विधि मंत्री ने जो यह कहा कि राज्य सरकार में लोगों का विश्वास नहीं रहा, ठीक नहीं है। वे उच्चतम न्यायालय के फैसले को देखें। न्यायपूर्ति बी एम• फज़ल अली ने क्या कहा है। उन्होंने इस बात का वर्णन किया है कि कैसे इमरजेंसी लगाई गई, कैसे अत्याचार ढाए गए। उस समय प्रजातंत्र के विरुद्ध तानाशाही का प्रचार था। लोगों ने तानाशाही के खिलाफ वोट दिया था। कई राज्यों में कांग्रेस का एक भी सदस्य चुना नहीं गया। बिहार में कांग्रेस को केवल 36 प्रतिशत वोट मिले। चूंकि चुनाव प्रणाली ऐसी है कि कम मत प्राप्त करके भी अधिक सदस्य चुने जा सकते हैं इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि जनता बिल्कुल ही विश्वास खो चुकी है, वह भी तब जब सारा विरोधी पक्ष सरकार का समर्थन बन गया था। अतः विधि मंत्री ने जो कारण दिए हैं वे बिहार पर लागू नहीं होते। केन्द्रीय सरकार ने यह कार्यवाही संकुचित राजनीतिक विचार से प्रेरित होकर की है। इससे संघीय प्रणाली को होने वाले वास्तविक और स्पष्ट खतरे की आशंका की पुष्टि होती है।

बिहार सरकार का बजट हमारे समक्ष है, लेकिन इस समय राज्य में काम चलाऊ सरकार सत्ता में है क्योंकि मई में राज्य विधान सभा के चुनाव होंगे। अतः ऐसी स्थिति में सरकार से किसी मुख्य नीति निर्णय की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अतः मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूँ कि राज्य के कई भागों में बुरी तरह सूखा पड़ा है और अभी भी कुछ क्षेत्रों में सूखे की स्थिति बराबर बनी हुई है। अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह राज्य को स्थिति का सामना करने के लिए उदारतापूर्वक सहायता दे।

मैं श्री भगवत झा आजाद से इस संबन्ध में पूर्णतया सहमत हूँ कि यदि सरकार वास्तव में लोगों की भलाई चाहती है तो वह अभी से प्रशासन में सुधार करना आरंभ कर दे।

मैं राज्य की कुछ सामान्य समस्याओं की ओर आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं। राज्य सरकार ने 1 जुलाई 1979 को सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आरंभ की और 30, 150 उचित दर की दुकानें खोली। इस राज्य को मार्च महीने के लिए खाद्यान्न की कुल आवश्यकता 2.35 लाख टन हैं और इतना अनाज वहाँ पहुंचाने के लिए मालगाड़ी के 90 रेकों की

आवश्यकता होगी। लेकिन स्थिति यह है कि हमारी 3 रेक की दैनिक आवश्यकता के बदले में हमें केवल 1½ अथवा 1¾ रेक प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं। 12 मार्च 1980 तक यह स्थिति थी। इसमें सुधार किया जाना चाहिए।

दिसम्बर 1979 में चीनी पर लगाए गए आंशिक नियंत्रण के बाद भारतीय खाद्य निगम को शहरी क्षेत्रों में 875 ग्राम प्रति व्यक्ति और ग्रामीण क्षेत्रों में 356 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से चीनी उचित दर की दुकानों को सप्लाई करने का काम सौंपा गया है। बिहार को जो मात्रा आबंटित की गई है वह वास्तविक आवश्यकता से बहुत कम है। हमारी समस्या यह है कि वहां माल भेजा नहीं जाता उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र के कारखानों से फरवरी मास के लिए आवंटित 16000 टन चीनी के कोटे में से कुछ भी चीनी बिहार नहीं भेजी जा सकी। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के कारखानों से दिसम्बर-जनवरी मास के लिये आबंटित 5,855 टन चीनी में से केवल 1,464 टन चीनी ही वहाँ भेजी जा सकी और उनके द्वारा केवल 600 टन चीनी प्राप्त की गई। बिहार के चीनी कारखानों में से भी भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिसंबर जनवरी के 12 814 टन कोटे के बजाय केवल 2,700 टन और फरवरी के 11,000 टन कोटे के बदले केवल 2,777 टन चीनी उठाई गई।

जहाँ तक मिट्टी के तेल का संबन्ध है, राज्य की कुल आवश्यकता 30,000 टन प्रति माह है। मांग और आबंटन में काफी अन्तर है।

राज्य में पड़े भयंकर सूखे को ध्यान में रखते हुए तथा राज्य में बिजली सप्लाई के बारबार फेल होने के कारण राज्य सरकार ने 70 000 टन डीजल की मांग की थी लेकिन सरकार ने मार्च के लिए केवल 36,000 टन डीजल का आबंटन किया है। लेकिन जितना डीजल प्राप्त हुआ हैं वास्तव में, वह आवंटित मात्रा से बहुत कम है।

जहां तक पेय जल का संबंध है, यह प्रसन्नता की बात है कि इसकी सप्लाई बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने प्रयास किए हैं। राज्य सरकार ने निपटान तथा पूर्ति महानिदेशालय को 29 रिगों का क्रयादेश दिया है लेकिन इस क्रयादेश को पूरा करने में ढील बरती जा रही है।

राज्य सरकार ने संबद्ध कालेजों सम्बन्धी परिवर्तन के सम्बंध में पहले से आदेश दे दिए हैं लेकिन राज्यपाल ने समीक्षा हेतु उन आदेशों को रोका हुआ है। सरकार को संबद्ध कालेजों के बारे में अधिसूचना जल्दी ही जारी करनी चाहिए क्यों कि बिहार में अध्यापक इन कालेजों को संबद्ध कालेजों में परिवर्तित करने के लिए आन्दोलन कर रहे हैं।

बिहार में बुरी तरह सूखा पड़ा है अतः कृषकों को न केवल अपने कृषि सम्बन्धी कार्यों को पूरा करने के लिए अपितु अपनी भोजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने 25,000 रुपये प्रति ब्लाक के आधार पर आबंटित किए हैं। इस राशि को बढ़ाकर कम से कम एक लाख रुपये प्रति ब्लाक किया जाना चाहिए, ताकि लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

मैं आशा करता हूं कि चीनी, डीजल और मिट्टी के तेल के संबंध में मेरे सुझावों को स्वीकार किया जायेगा और इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री जमीलुर्रहमान (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार की आबादी करीब 6 करोड़ है और उस 6 करोड़ में करीब 14 फीसदी मुसलमान हैं । बिहार एक ऐसा सूबा है जहां पर हमारे बुजुर्गों ने जन्म लिया है । लार्ड बुद्ध वहीं के थे, हजरत शहबेज रहमतुल्लाह अले साहब वहीं के थे, हजरत मकदूम रहमतुल्ला अले साहब वहीं के थे, गुरु गोविन्द सिंह साहब वहीं के थे । महात्मा गांधी ने जो अपना आन्दोलन शुरू किया वह भी वहीं से किया और भारत ने अपना पहला सदर जो दिया वह भी बिहार से थे । मौलाना मजहरुल साहब हक वहीं के थे । बहुत जद्दोजहद के बाद जब आजादी आई और हमारी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई तो हम लोगों ने एक रास्ता अख्त्यार किया अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक और काम आगे बढ़ाया । जिसके लिए हम लोग कमिटेड थे, हमने उस काम को आगे बढ़ाया । इसी तरीके से 1971 में लोगों ने एक भारी बहुमत से, काफी तादाद में हम लोगों को अपना मत देकर लोकसभा में भेजा था और हम लोगों ने अपनी पार्टी के प्रोग्राम के मुताबिक काम को शुरू किया था । चूंकि हमारी पार्टी को भारी बहुमत मिला था इसलिए यह बात दूसरी हारी पार्टीज़ के लोगों को बहुत खली । उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई । जब हमारी पार्टी अपने सोशल और एकोनामिक प्रोग्राम के ऊपर अमल कर रही थी उसी बीच में एक षडयन्त्र रचा गया और उससे देश में ऐसी हवा फैलायी गयी, ऐसे हालत पैदा हो गए कि एकोनामिक और सोशल फील्ड में एक अस्थिरता आ गई । उसके नतीजे के तौर पर यह हुआ कि जो काम हम शुरू कर रहे थे या शुरू कर चुके थे अपनी पार्टी की लीडर श्रीमती इन्दिरा गांधी की रहनुमाई में उसमें हर बात पर दखलन्दाजी की गई । मुल्क में नफरत की ऐसी फिज़ा तैयार की गई कि जो रिप्रेजेन्टेटिव्ज चुनकर आये थे उनसे मार-पीट शुरू हो गई और दंगे-फसाद शुरू हो गये । सारे बिहार में ऐसी फिजा क्रिएट की गई कि दंगे फसाद शुरू हो गए । (व्यवधान) जमशेदपुर में आपका साथी दीनानाथ पांडे गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि मौलाना कादरी को गिरफ्तार किया गया - शायद आपको मालूम न हो । वहां पर आपकी पार्टी का एम.एल.ए. था, हमारी पार्टी का नहीं था । उस वक्त के आपके होम मिनिस्टर श्री एच. एम. पटेल ने जो स्टेटमेन्ट दिया था वह मैं बता रहा हूं । तुम्हारी पार्टी (जनता पार्टी) और तुम्हारी सरकार ने बिहार में मुसलमानों का जीना दूभर कर दिया । तुमने बसों में बच्चों को जलाया, मुसलमान औरतों और मरदों को जलाया लेकिन आपका एम.एल.ए. दीनानाथ पांडे दनदनाता फिर रहा था । तुमने मौलाना कादरी जोकि रेलिजस लीडर थे उनको पकड़ कर जेल में बन्द कर दिया और दूसरे मासूम मुसलमानों को भी पकड़कर बन्द कर दिया ।

बिहार का जो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है वह हमेशा से अमन का जिला रहा है । अभी यहां पर कुछ देर पहले एक साहब बैठे हुए थे जोकि वहां पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रह चुके हैं वे इस बात को जानते हैं कि यह जिला हमेशा पुर-अमन रहा है, सदियों से पुर-अमन रहा है । लेकिन तुम्हारे जनता पार्टी के एम.एल.ए. सूरज नारायण सिंह ने क्या किया ? यह एम.एल.ए. तुम्हारी जनता पार्टी का था और उसके बाप रामलाल ने जाकर भवानी नगर-माधो नगर में दंगा कराया

जिसमें कितने ही मुसलमानों को मारा गया। 22 लोगों को वहां पर जलाया गया, मैं खुद वहां पर गया हुआ था। मेरे साथी सादिक एम. एल. ए., बिहार भी वहां पर मौजूद थे और यासीन साहब जोकि कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसीडेन्ट थे वह भी मौजूद थे। ऐसा दर्दनाक मंजर हमने कहीं नहीं देखा। वहाँ पर सूरज नारायण सिंह को जेल में बन्द किया जाना चाहिए था और उसके भाई को जेल में बन्द किया जाना चाहिए था लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस तरह से तुम जनता पार्टी ने बिहार में मुसलमानों का जीना दूभर कर दिया।

इतना ही नहीं, तुम्हारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री, कर्पूरी ठाकुर ने जातपांत के नाम पर बिहार में इस कदर दंगे-फसाद कराए जिसमें हजारों लोग मारे गए। तुमने ऐसा बीज बोया हैं; ऐसी दीवार खड़ी कर दी है कि कितनी ही मेहनत करोगे उस दीवार को तोड़ना मुश्किल होगा। नतीजे के तौर पर चाहे पिपरा हो या दूसरी जगह हो वहां पर रायटस होते जा रहे है। मैं श्री कमलनाथ जी से एग्री करता हूं कि आगे एलेक्शन्स को मद्दे नज़र रखते हुए तुम्हारे लीडर श्री कर्पूरी ठाकुर ने गलत बीज बोकर जो गलत फसल काटने की उम्मीद कर रखी है उसमें वे कामयाब नहीं हो पायेंगे। तुम्हारी चाल को बिहार के लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं।

इतना ही नहीं, हमारी पार्टी ने बीससूत्री कार्यक्रम शुरू किया था उसके मातहत मैंने खुद ठाकुरगंज में अपनी अध्यक्षता में तीन सौ लेंडलेस लेबरर्स को अपने हाथ से ज़मीन के पर्चे बांटे थे। उसके बाद मैं लोकसभा के एलेक्शन में हार गया या इनके मददगार लोगों ने जब मुझे हरवा दिया तो उसके बाद मैं कांस्टीटुएन्सी में गया तब सारे लोग मुझसे कहने लगे कि जमील बाबू, आपने खुद आकर जो ज़मीन यहां पर दी थी वह सारी ज़मीन लोग छीन कर ले गए। सिर्फ इतना ही नहीं सिक्टी मेरा इलाका है, वहां मैंने ज़मीन बटवाई, दखल दिलाया सारे गरीब लोगों को, लैंडलैस लोगों को जो करीब 300 थे, ज़मीन मिली लेकिन बाद में क्या हुआ, वह जमीन उनसे छिन गई। मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ - मैंने लिखकर दिया, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, शायद उनका नाम श्री के० पी० नारायण था, से कहा कि उन गरीबों की जमीन छिन गई है, मेहरबानी करके उनकी ज़मीन वापस दिलाइये। मेरे साथ एक अफसर को भेजिये, मैं सब चल कर दिखा देता हूं, उनको वह ज़मीन वापस दिलाई जाय, लेकिन वह कानों में रुई ठूंस कर बैठ गये और कुछ नतीजा नहीं निकला।

एक माननीय सदस्य : आपके अपने पास कितनी ज़मीन है ?

श्री जमीलुर्रहमान : 32 एकड़ है। लेकिन आपके पास कितनी है, वह भी बता दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय: यदि कोई माननीय सदस्य इस तरह बीच में प्रश्न उठाता है तो आप उसका उत्तर न दें। उनका उद्देश्य केवल आपका ध्यान दूसरी तरफ करना है। अतः आप सावधान रहे।

श्री जमीलुर्रहमान: अब मैं सिर्फ एक बात कह कर बैठ जाऊँगा। जो पिछली सरकार गई है उस ने सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को खराब कर दिया है जितनी दूकानें हमारे वक्त में थी, सब खत्म हो गई। सत्येन्द्र बाबू ने कुछ आंकड़े दिये हैं—लेकिन मेरे जिले में जो दुर्गति हुई है, मैं कहां तक बयान करूं। दुकानों पर बोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन उन के अन्दर न गल्ला है, न

चीनी है। दो तीन वर्षों के अन्दर उन को पूरी तरह से कमाने का मौका मिला। इतना ही नहीं जिन पचास हजार लोगों को हमने अपने वक्त में जमीनें बाँटी, उन सब गरीब और लैण्ड-लेस लोगों को एविक्ट कर दिया गया। आप चाहें तो मैं आप को इन्वाइट करता हूँ, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको सब दिखला सकता हूं। हमारी पार्टी ने सब मिलाकर 2.5 लाख एकड़ जमीन गरीबों को बांटी थी, लेकिन वह सब उनके हाथ से निकल गई। अब मैं आप से पूछता हूं कि आप की सरकार ने कितनी जमीन बांटी है, आप बतलाइये ? हमारे वक्त में लैंड-लेस फार्म-लेबरर्स को उस वक्त के डेट-लाज़ के मुताबिक उन के कर्ज़ों की माफी करके 1 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचाया गया था, मैं पूछता हूं आपने उनके लिए क्या किया। 15 हज़ार लोगों को बश्शोबाश ज़मीन दी थी, उन को वहाँ से एविक्ट कर दिया गया, आपने कितनों को बसाया ? बसाना तो दूर रहा, उन को वहां से निकाल दिया गया।

34 करोड़ रुपये का एनुअल प्लान इनकी सरकार के वक्त में लैप्स हो गया। इतना ही नहीं 57 करोड़ रुपया अन-यूटिलाइज्ड रहा, 416 करोड़ रुपये में से कुल मिलाकर 139 करोड़ रुपया यूटिलाइज हुआ, बाकी सब लैप्स हो गया-यह आपकी परफार्मेंस का नमूना है। आप तो जनता का मेन्डेट ले कर आये थे, लेकिन आप ने जनता के लिये कुछ नहीं किया। असल बात यह है कि आप जनता पार्टी के लोग वेस्टेड-इन्टरेस्ट्स के बल पर वहां आये थे, उन्हीं के बल पर हुकूमत करते थे और उनसे डरते थे, क्योंकि अगर आप उनके खिलाफ कार्यवाही करते तो फिर आप के लिये उनकी तिजोरी बन्द हो जाती।

हमारे दौर में इण्डस्ट्रीज़ लगाने के लिये जितने लेटर्स आफ इन्टेन्ट दिये गये थे, सारे-के-सारे लेटर्स आफ इन्टेन्ट को आप ने कैन्सिल कर दिया। अगर मैं यह बात गलत कह रहा हूं तो रिकार्ड आप को बतला सकता है। इसलिये जो बातें मैं अर्ज कर रहा हूं, वह गलत नहीं हैं।

इतना ही नहीं, एजूकेटेड अनएम्पलाएड के लिये जो स्कीम चली थी, उसको आपकी सरकार ने ठप्प कर दिया। आप बतलाइये कितने एजूकेटेड अनएम्पलाएड को आप ने दुकानें दी हैं, राशन शाप्स या बस के परमिट दिये हैं, छोटी-मोटी इन्डस्ट्रीज़ दी हैं ? आप उन के आंकड़े बतला दीजिये।

हमारे यहां एक जूट मिल है, जिसका इनआगुरेशन हमारे वक्त में हुआ था। तीन, साढ़े तीन वर्ष हो गये, मगर उसमें एक भी ईंट बिहार सरकार ने नहीं जोड़ी। सुना है कि पिछली जनता सरकार उस स्कीम को बन्द करने जा रही थी। मैं कह देता हूं कि इसके अंजाम खतर-नाक होंगे।

अध्यक्ष महोदय: यह बाद में रुग्ण हो गई ?

श्री जमीलुर्रहमान: हमने इसका उद्घाटन किया था बाद में हम सत्ता में नहीं रहे जब जनता सरकार सत्ता में आई तो ऐसा हुआ। अगर ये लोग उसमें एक ईंट भी जोड़ देते, तो मैं इस बात को समझता।

आखिर में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आसाम के बारे में जो बहस हुई है, मैं ने उसमें हिस्सा नहीं लिया। मैं कहना चाहता हूँ कि इस एजीटेशन के पीछे एक साजिश है। अफ़सरों की इस एजीटेशन के पीछे वेस्टेड इन्स्ट्रेटस है। इस साजिश की वजह से सारे मुल्क को नुकसान हो रहा है। अगर यह कहा जाये कि यह सब एक पर्टिकुलर एरिया या एक पर्टिकुलर धर्म के लिए किया जा रहा है, तो यह कांस्टीट्यूशन के विरुद्ध है, गलत है। इस एजीटेशन के नाम पर नालवाड़ी में कितने ही मुसलमानों, बंगालियों और दूसरे वेकसूर लोगों को मरवाया गया।

मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि वहां के आई0 जी0 पी0, रेलवे सिक्युरिटी आफिसर और चीफ सेक्रेटरी को तुरन्त हटाया जाये, ताकि सिचुएशन काबू में आये, वहां के लोग अमन-चैन की जिन्दगी गुजार सकें और वहां की पैदावार दूसरे प्रान्तों और दूसरे देशों में जा सके, जिससे इंडस्ट्रीज और दूसरी बातों में उसकी तरक्की हो।

इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री तारिक अनवर (कटिहार) : सभापति महोदय, आज जब आर्थिक पिछड़ेपन की बात आती है, राजनैतिक पिछड़ेपन की बात आती है और सामाजिक पिछड़ेपन की बात आती है, तो बिहार का नाम लिया जाता है।

अभी विरोधी दल के एक सदस्य ने 1974 के छात्र आंदोलन का जिक्र किया। मैं उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। 1974 में बिहार के छात्रों, बेरोजगार नोजवानों किसानों, मजदूरों और समाज के हर एक वर्ग को एक स्वप्न दिखाया गया, एक ख्वाब दिखाया गया। उन्हें कहा गया कि अगर तुम हमारी पार्टी को वोट दोगे और इन्दिरा गांधी के शासन को खत्म कर दोगे, तो हम तुम्हें रोजगार देंगे, बिजली देंगे, आवश्यकता की दूसरी चीजें देंगे और तुम्हारी सब समस्याओं का समाधान कर देंगे। लेकिन 1974 के उस मूवमेंट में जिन नोजवानों और छात्रों ने कुर्बानियाँ दीं, जो जेल गये, आज भी वे बेरोजगार हैं और आज भी उसी तरह नरक की जिन्दगी बिता रहे हैं। हाँ, यह सही है कि उस आन्दोलन के बाद चुनाव हुए और उस चुनाव में कुछ नोजवान साथी जीतकर आए, कुछ विधान सभा में गये और कुछ लोक सभा में गये। उनकी आशाएं जरूर पूरी हो गईं, उनकी तमन्ना थी हवाई जहाजों में सफर करने की और बड़े-बड़े मकानों और फ्लेटों में रहने की और वह पूरी हो गई लेकिन नोजवान जो बेरोजगार थे, जो किसान बिजली के लिए तरसते थे, जो डीजल के लिए तरसते थे, उन मजदूरों के, जिनको 20 सूत्री कार्यक्रम के द्वारा हमारी सरकार ने जमीन दी, मकान दिये थे, सारे मकानात छीन लिये गये उनकी जमीनें छीन ली गई और उनको अगर कुछ मिला, तो सिर्फ निराशा मिली, नाउम्मीदी मिली और इतना ही नहीं अभी जो यहाँ पर चर्चा हो रही है पिछले दिनों जो हमारी सरकार थी, हम ने आजादी के बाद 30 सालों में जो हिन्दू-मुस्लिम एकता को कायम करने के लिये इस एकता को मजबूत करने के लिए, भाई को भाई से मिलाने के लिए जो कोशिश की थी, हम ने जो हिन्दू-मुसलमानों के बीच नफ़रत कम करने की कोशिश की थी, इन ढाई सालों में

जनता पार्टी और लोक दल की सरकारों ने फिर से सारे देश के अन्दर और खास तौर से बिहार में हिन्दू और मुसलमानों के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी है और जो पुल हम ने बनाये थे, उन को तोड़ दिया और इससे भी इनको चैन नहीं मिली । इन्होंने न सिर्फ हिन्दू–मुसलमानों को बल्कि एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाया और जो नौजवान, जो छात्र होस्टलों में एक बेड पर सोते थे, एक साथ रहते थे और उसमें उनकी जिन्दगी बीत गई थी, वे भी एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गये हैं और एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हुए हैं ।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आप के द्वारा यह बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों जो बिहार के प्रशासन की हालत रही है, जो ला एण्ड आर्डर की पोजीशन वहाँ रही है, वह आपके सामने है । आप पिछले ढाई साल में जमशेदपुर के वाक्या को लीजिए । जमशेदपुर से लेकर पिपरा के वाकयात को अगर लिया जाए, तो आप देखेंगे कि इन ढाई सालों में क्या हुआ है । मैं इस बात को महसूस करता हूं कि ढाई साल में पहली बार हरिजनों की सामूहिक रूप से बेलछी में हत्या हुई है और इसका एक ही कारण था कि जब जनता पार्टी की सरकार बनी, तो जो बड़े-बड़े किसान थे, बड़े-बड़े जमींदार थे, उन्होंने इस बात को समझा कि अब उनकी सरकार बन चुकी है, इसलिए अब उनका कोई बिगाड़ नहीं सकता है और पिछली कांग्रेस सरकार के बदलने के बाद, कांग्रेस शासन के समाप्त होने के बाद फौरन अल्पसंख्यकों और समाज के दूसरे कमजोर वर्गों पर जुल्म बढ़ते गये और उन लोगों के खिलाफ, जिन्होंने ये जुल्म किये थे, कोई कार्यवाही नहीं की गई । जमशेदपुर की घटना के बारे में जमीलुर्रहमान साहब ने यहां पर बताया ही है । मैं इस बात को मानता हूँ कि पिछले दिनों में भी फिरकावाराना फ़साद होते रहे हैं, हिन्दू-मुसलमानों में झगड़े हुए हैं लेकिन उन को दो दिन के अन्दर, चार दिन के अन्दर ही कन्ट्रोल कर लिया गया लेकिन अब आप यह देखें कि जमशेदपुर में जो वाकयात हुए या अलगीगढ़ और दूसरी जगहों पर जो ऐसे वाकयात हुए तो छः छः महीने तक दे दंगे चलते रहे, वाकयात होते रहे लेकिन सरकार के कान पर जूँ तक नहीं रेंगी और उनको इस बात का अहसास नहीं हुआ कि किन लोगों ने जुल्म किये हैं बल्कि उन्होंने उनकी ही तरफदारी की । उन की पार्टी के लोगों ने भी इस बात को कहा कि जमशेदपुर में दंगे करवाए गये और वे आज भी ऐसा काम कर रहे हैं । जब इस तरह की बातें हुई तो समाज के कमजोर वर्ग के लोगों ने इस बात को महसूस किया, मुसलमानों ने और हरिजनों ने यह महसूस किया कि हम असुरक्षित हैं और यही कारण है कि जब पिछला चुनाव हुआ, तो समाज के उन सारे कमजोर वर्गों ने इन्दिरा कांग्रेस को वोट दिया क्योंकि उनको यह अहसास हुआ कि इन्दिरा गांधी जी के बीस सूत्री कार्यक्रम से ही उनका कल्याण हो सकता है ।

जहां तक बजट का सवाल है, मैं यह करना चाहता हूँ कि बिहार के अन्दर बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है । वैसे तो यह सारे देश की समस्या है लेकिन बिहार जो हिन्दुस्तान का एक पिछड़ा हुआ इलाका है, सारी सुविधांए होने के बावजूद भी, सारी चीजें रहने के बावजूद आज भी वहां प्रगति नहीं हो रही है और वह आज भी एक पिछड़ा हुआ प्रान्त है और वहां पर बेरोजगारी की समस्या बड़ी जटिल हो चुकी है । अगर इस पर अविलम्ब ध्यान नहीं दिया गया, तुरन्त ध्यान नहीं दिया गया, तो हो सकता है कि आगे चलकर एक आन्दोलन चले

और कहीं वह इतना आगे न बढ़ जाए कि जिससे ला एण्ड आर्डर की प्राब्लम वहां पर बन जाए। इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगा कि बेरोजगारी की जो समस्या है, उसको दूर करने की कोशिश की जाए चाहे स्माल स्केल इंडस्ट्री खोलकर और चाहे दूसरे छोटे-छोटे उद्योग धन्धे खोलकर उनको अपने पैरों पर खड़ा करना चाहिए ताकि जो आर्थिक सहायता का बोझ है उस से वे छुटकारा पा सकें और अपना विकास कर सकें।

आज बिहार के अन्दर विश्वविद्यालय की क्या हालत है? शिक्षा संस्थानो की क्या हालत है? वह इतनी दयनीय हो चुकी है कि उसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से बिहार में एडमिनिस्ट्रेशन में और सरकार की दूसरी संस्थाओं में जात–पांत चल रहा है उसी तरह विश्वविद्यालयों में और कालेजों में भी उसकी जड़ मजबूत होती जा रही है। वहां दो-दो साल और तीन-तीन साल से एग्जामिनेशन नहीं हो रहे हैं। आज वहां के छात्रों के जीवन, उनकी बेरोजगारी का सवाल है। इन सब चीजों पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

सूखे की हालत का भी अभी जिक्र हुआ। बिहार के अन्दर हर जगह सूखा ही सूखा नजर आ रहा है। आज बिहार के लोग सूखे से पीड़ित हैं। उसके बावजूद भी उनको जो सुविधाएं और साधन मिलने चाहिए वे उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। यह एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करने का समय नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि गांवों में जो हमारे भाई और किसान भाई रहते हैं उनकी समस्याओं को हल किया जाए, उनकी कठिनाइयों को दूर किया जाए ताकि उनके अन्दर इस बात का अहसास हो कि वे किसी सरकार के अधीन रहते हैं, उनके ऊपर कोई हकूमत है। उनके ऊपर प्रांत में कोई हुकूमत चल रही है इस बात का उन्हें अहसास होना चाहिए।

पिछले दिनों में जमीन का बंटवारा किया गया था, जिन मजदूरों के पास जमीन नहीं थी और उनको रहने के लिए, मकानों के लिए जमीनें दी गयी थीं वह पिछले ढाई सालों में उनसे छीन ली गयी हैं, उनसे मकान छीन लिए गये हैं। फिर से इस बात की कोशिश होनी चाहिए जो ऐसे भूमिहीन लोग हैं उनको फिर जमीनें दी जाएं और फिर से लेण्ड रिफार्म्स का काम शुरू किया जाए ताकि जो भूमिहीन मजदूर हैं उनको हम कुछ सुविधा पहुँचा सकें। इन्हीं बातों के साथ जो दूसरी समस्याएं हैं, दूसरी बातें हैं जिनका कि यहां जिक्र हो चुका है, मैं उनको नहीं दोहराऊंगा। चाहें बिजली का मामला हो, चाहे सिंचाई का मामला हो, उन सभी पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए और गरीब लोगों को राहत पहुंचायी जानी चाहिए।

एक बार मैं फिर यह कहूँगा कि गरीब लोगों की तरफ पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। आखिर में मैं यह कह कर अपनी बात खत्म करता हूं कि अगर बिहार की समस्याओं पर, बिहार के किसानों और मजदूरों की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में हमें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आज जो लोग बेरोजगार हैं, उनके जीवन को गुजारने की बड़ी समस्या है, उनकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

इन बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे समय दिया ।

श्री सूर्य नारायण सिंह (बलिया): उपाध्यक्ष महोदय, बिहार प्रांत के बजट पर चर्चा चल रही है । वहां कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति पर हमारे माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है । यों तो पूरे बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत भयानक है मगर बेगुसराय की स्थिति और भी ज्यादा भयानक है । बिहार में यह एक ऐसा जिला है जहां एक तस्कर गिरोह है जिसका सरदार कामदेव सिंह एक कांग्रेसी है और जिसके कि बारे में आपके माध्यम से इस सदन को जानकारी देना चहता हूँ । बिहार में सरकारें आयीं और गयीं लेकिन वह तस्कर गिरोह पिछले बीस वर्षों से न सिर्फ केवल बेगुसराय जिले में बल्कि दूसरे स्थानों में भी आतंक बरपा कर कहा है । उसके आप्रेशन का एरिया नेपाल, बिहार के कई जिले, कलकत्ता, कानपुर और पता नहीं कहां-कहां हैं । उसके गिरोह में कई सौ लोग संगठित रूप से काम करते हैं । वह ऐसा गिरोह है जो हथियारों से लेश है । उसके पास राइफलें, सैल्फ लोडिंग राइफल्ज़, स्टेन गन, एल एम जी आदि अत्याधुनिक हथियार हैं । 1962 में वह एक गाड़ीवान था और आज 1980 में वह करोड़ों का मालिक है । आश्चर्य की बात है कि उसके ऊपर सैकड़ों मुकदमे विचाराधीन पड़े हैं लेकिन आज तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है । इस वजह से लगातार वहां हत्याओं का सिलसिला चल रहा है । सौ से ज्यादा लोग उसके गिरोह द्वारा मारे जा चुके हैं ।

1967 के बाद से उसने राजनीतिक हत्यायें करनी शुरू कीं, यह सब से ज्यादा चिन्ता की बात है । दुख की बात तो यह है कि उसको राजनीतिक प्रोटैकशन मिलता है और उसकी वजह से प्रशासन उसके ऊपर उंगली तक नहीं उठा सकता है । उसकी समानान्तर सरकार है । लाखों रुपया खर्च करके बेगुसराय जिले में ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों में भी उसने छोटे बड़े अफसर खरीदे हुए हैं । इस वास्ते कोई उसके खिलाफ उंगली नहीं उठा सकता है । अगर कोई इस गैंग के खिलाफ आवाज़ बुलन्द करने का दुस्साहस करता है तो उसकी जिन्दगी सुरक्षित नहीं रह सकती है । उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है । उस गैंग का हत्या करने का भी एक अजीब तरीका हैं । पहले तो जिसकी हत्या करनी होती है उस व्यक्ति का अपहरण किया जाता है, उसको किडनैप किया जाता है और फिर सिर से पैर तक उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं और उस व्यक्ति की लाश तक का पता नहीं चलता है । जब पुलिस को कोई खबर दी भी जाती है तो वह मूक दर्शक बनकर देखती रहती है और उस गैंग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है । आपको सुन कर हैरानी होगी कि 1977 में भटिहानी क्षेत्र के एक कम्युनिस्ट एम एल ए जो जीतकर आए थे उन्होंने काम देव गैंग के आतंक का चर्चा बिहार असैम्बली में की थी और अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि चूंकि वह कामदेव सिंह के खिलाफ आवाज़ बुलन्द कर रहे हैं बिहार असैम्बली में इस वास्ते फिर उनकी आवाज़ दूसरी बार वहां नहीं सुनी जा सकेगी और हुआ भी यही । एक ही महीने में उसकी हत्या कर दी गई । सरेआम, नैशनल हाईवे पर स्टेन गन से उसकी हत्या कर डाली गई । आज भी सीताराम मिश्र का हत्यारा नैशनल हाइवे पर घूमता है और जब हम लोग पुलिस को खबर देते

हैं तो उसकी निगाह भी उसके खिलाफ नहीं उठती है। यह गुन्डा गर्दी का आलम हैं। कामदेव सिंह के गैंग ने सिहमा गांव जो बेगुसराय में है, एक साल में पांच हत्यायें की हैं। आज से कुछ महीने पहले हथियारबन्द पुलिस और एक दारोगा के संरक्षण में जब कुछ लोग अपनी फसल काटने के लिए जा रहे थे तो कामदेव सिंह के गिरोह ने गोली चलाई पुलिस के सामने और दो बूढे मार डाले गये। एक तो सत्तर साल का बूढा था। उसकी लाश गिरी लेकिन पुलिस मूक दर्शक बन कर खड़ी रही। क्या कोई प्रशासन बेगुसराय में और बिहार में है या हो सकता है ?

23 फरवरी को 23 साल का एक लड़का फुलेना सिंह जो अपनी फसल को देखने के लिए जा रहा था, मकई के खेत में छिपे हुए इस गिरोह के गुंडों ने उस पर स्टेन गन से चौदह गोलियां चलाई जो उसके सीने आदि पर लगीं और उसकी मृत्यु हो गई। यह प्रशासन है। पहले कहा जाता था कि चूंकि जनता पार्टी का राज्य है, इसलिए ऐसा होता है, लेकिन अब क्या बात है और क्यों इस तरह की घटनाएं होती हैं ?

श्रीमती इंदिरा गांधी ने चुनाव के वक्त अपने भाषणों में लम्बी लम्बी बातें कही थीं और कहा था कि कानून और व्यवस्था की हिफाजत करने के लिए उनको सत्ता में लाया जाए। लेकिन आज भी यह गिरोह कांग्रेस के शासन में पलता है, उसको इसके द्वारा संरक्षण दिया जाता है। उसके खिलाफ अगर कोई आवाज़ बुलन्द करता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। राह चलते राहज़न को गोलीं मार दी जाती है। कोई राजनीतिक कार्यकर्ता उसके खिलाफ आवाज बुलन्द करता है तो उसके सीने से गोली पार कर दी जाती है। करोड़ों रुपये की सम्पत्ति उसके पास है। तस्कर विरोधी कानून बना हुआ है लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं अपने कांग्रेसी मित्रों से कहना चाहता हूँ कि एमरजेंसी जब लगी थी तब हम लोगों को तो, हजारों लोगों को तो गिरफतार करके जेलों में ठूंस दिया गया था लेकिन कामदेव सिंह के गिरोह के लोगों को तब भी गिरफ्तार नहीं किया गया था। आप कानून और व्यवस्था स्थापित करने की बात करते हैं लेकिन उसके खिलाफ कुछ नहीं किया जाता है। राजनीति करने वाला खुलकर बात भी नहीं कर सकता है, इस गुण्डागर्दी के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकता है। जिस राज्य में राजनीति करने वाले खुलकर बात नहीं कर सकते, गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज़ नहीं निकाल सकते, यही स्थिति बेगुसराय की है।

आज से कुछ दिन पहले हम लोगों ने पटना के चीफ सेक्रेटरी, आई० जी० से भी बात की है, कल हमने गृह-मंत्री से भी बात की है, स्मारक-पत्र दिया है और अब यह बर्दाश्त के बाहर की बात हो गई है। हम आपके माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय, सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि अगर इस गैंग को निर्मूल करने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाये गये तो हमने तय किया है कि 20 तारीख से हम जिला कलैक्टर के आफिस के सामने रिले-फास्ट करेंगे। अगर उसके बाद भी सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो हम कहना चाहते हैं कि बेगुसराय की जनता कायर नहीं है, गुन्डागर्दी का मुकाबला करना जानती है

और अगर कोई भी घटना घटी बेगुसराय की जमीन पर तो इसकी जिम्मेदारी इस गवर्नमेंट की होगी। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री रणजीत सिंह। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह केवल सात सात मिनट का समय लें आशा है आप पांच मिनट में अपना भाषण समाप्त करने में समर्थ होंगे।

श्री रणजीतसिंह (चतरा) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के इस बजट का जब मैं समर्थन कर रहा हूं तो यह भी कहना चाहता हूं कि इस बजट में बहुत सारी कमियां हैं। समूचे बिहार में पानी के लिए केवल 18 करोड़ रुपये खर्च करने की बात कही गई है। हमारा बिहार सभी राज्यों से बहुत पीछे पड़ा हुआ है। यहां बहुत से गांव हैं। यहां 66 लाख गांव में बसने वाली जनता के लिए कोई पीने के पानी का इन्तजाम नहीं किया गया है। शुरु से जब से हमारी कांग्रेस की सरकार थी, आजादी के बाद यह कहा गया था कि हिन्दुस्तान की जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आजादी दी जायेगी, लेकिन बिहार में तीनों आजादियों में से आज तक एक भी आजादी नहीं है वहाँ आर्थिक आजादी नहीं है, वहां के पढ़े-लिखे लोगों को कोई रोजगार नहीं है। आपातकाल के दिनों में हमारी सरकार ने बहुत सी बसें दी थी, लेकिन जनता पार्टी की सरकार ने उन सब को बन्द कर दिया जिससे हमारे यहां के बहुत से लोग अब बेरोजगार हैं।

इसी तरह से हमारे राज्य में कहीं भी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है जिसकी वजह से बेरोजगारी बहुत बढ़ती जा रही है। मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूँ, वह सारा क्षेत्र नागपुर में पड़ता है, वहां चतरा क्षेत्र में आदिवासियों और हरिजनों की संख्या बहुत है। वहां के लोगों को जाने के लिए रास्ता नहीं है, पीने का पानी नहीं है, दो–दो और चार–चार कोस पर स्कूल हैं जहां जाकर लोग शिक्षा नहीं पा सकते हैं। इस तरह से हमारे बिहार के इंडस्ट्री डिपार्टमैन्ट के अफसर लोगों ने कोई भी ऐसा कारगर कदम नहीं उठाया जिससे हरिजनों, आदिवासियों और पिछड़े वर्ग के लोगों द्वारा कोई इंडस्ट्री लगाई जाये जिससे बेरोजगारी की समस्या हल हो।

बिहार सरकार ने अभी तक किसी स्टेडियम का भी इंतजाम नहीं किया हैं। डिस्ट्रिक्ट में एक स्टेडियम होना चाहिये जहां कि लोग फिजिकल एजूकेशन प्राप्त कर सकें। वहाँ इसका कोई भी स्कूल, कालेज या यूनिवर्सिटी नहीं बन पाया है।

बजट में यह भी प्रावधान है कि बैकवर्ड पीपल्स के वैलफेयर पर 3 करोड़ रुपया खर्च किया जायेगा, लेकिन उसकी कोई भी डैफिनिशन नहीं दी गई है कि बैकवर्ड क्लास की डैफिनिशन क्या है। जब जनता पार्टी की सरकार थी, तो उन्होंने उस समय इसकी डैफिनिशन इकनामिक कंडीशन पर नहीं, बल्कि जातीय आधार पर बनाई थी जो कि सरासर गलत है और समाज पर कलंक है। वैसे श्री कपूंरी ठाकुर की सरकार में जातीय आधार पर पिछड़ी जातियों की लड़ाई बहुत चली और उसी तरह से वहां कपूंरी ठाकुर और लोक–दल के नेताओं ने लोगों को बहुत कन्फ्यूजन किया जिसके कारण ही पिपरा वगैरा के कांड हुए हैं।

जनता पार्टी की सरकार ने विहार की इकानोमिक कन्डीशन को बिगाड़ दिया था, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक इन तीनों आजादियों को कम कर दिया था और लोगों को तबाह

कर दिया था। वहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स या स्पेशल पुलिस की स्थापना की जाये और बजट में इसके लिए प्रावधान किया जाये।

इस बजट में फ्लड प्रोटेक्शन के लिये रुपया रखा गया है। आज बिहार के 40,0000 गांवों में अकाल पड़ा हुआ है। फिर भी वहां न लाल कार्ड दिये जाते है और न डीज़ल या केरो-सीन तेल दिया जाता है। आज बिहार की जनता भूखों मर रही है और बेरोजगारी व्यापक पैमाने पर फैली हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि उन 40,000 गांवों में शीघ्रातिशीघ्र राहत-कार्य का इन्तजाम किया जाये।

बिहार के शहरों में पानी की व्यवस्था करने की बहुत आवश्यकता है। इस काम के लिए सारे बिहार के लिए 10,12 करोड़ रुपये रखे गये हैं, जबकि केवल एक शहर में पानी की व्यव-स्था के लिए दो चार करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इस थोड़ी सी धनराशि से सारे बिहार में पानी की व्यवस्था कैसे हो सकेगी? इसलिए बिहार के विकास के लिए और लोगों को रोजगार देने के लिए बजट में अधिक रुपये का प्राविज़न किया जाये।

माननीय सदस्य, श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा, ने कहा है कि बिहार एसेम्बली को डिजाल्व कर के बहुत अन्याय किया गया है। मैं इस बारे में अपना मतभेद प्रकट करना चाहता हूं। केवल बिहार सरकार ही नहीं, कई अन्य राज्य सरकारों को भी बर्खास्त किया गया है, क्योंकि उन पर जनता का विश्वास नहीं रह गया है। जब जनता पार्टी की सरकार ने नौ स्टेट्स की एसेम्बलीज को डिजाल्व किया था, तो कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी को अब वहां की जनता का विश्वास नहीं प्राप्त है। यह भी कहा गया था कि उस समय कांग्रेस के सारे उम्मीदवार हार गए थे, जिससे उन पर लैक आफ कान्फिडेंस प्रकट होता हैं, इसलिए उन राज्यों की एसेम्बलीज़ को डिजाल्व कर दिया गया।

भारतीय संविधान के आर्टिकल 356 में कहा गया है कि जब प्रेजिडेंट को मालूम हो कि कोई राज्य सरकार भारतीय संविधान के अनुसार नहीं चल सकती हैं, तो उन्हें उस सरकार को बर्खास्त करने और एसेम्बली को डिजाल्व करने का पूरा अधिकार है। बिहार में जात-पांत का नंगा नाच हो रहा था, लोग भूखों मर रहे थे और गरीब लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था। क्या उस समय वहां की सरकार संविधान के अनुसार चल रही थी? इसलिए आज यह डिसोल्यूशन ठीक हुआ है। अगर उचित समय पर यह डिसोल्यूशन न होता, तो लोग भूखों मर जाते और ला एंड आर्डर न होने की वजह से न जाने कितने लोगों की जानें जातीं।

लोक सभा के इन चुनावों में जनता पार्टी को केवल 8 सीटें और लोकदल को केवल 5 सीटें मिल सकीं। इस प्रकार दोनों पार्टियों के केवल 13 सदस्य चुने गये, जबकि बिहार में कुल सदस्य संख्या 54 है। इस स्थिति में प्रेजिडेन्ट ने एसेम्बली का जो डिसोल्यूशन किया, वह बिल्कुल ठीक है।

अन्त में मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता की स्थिति को सुधारने के लिए 20 पायंट प्रोग्राम को पूरी तरह से लागू किया जाये, जिसका वचन हमारी पार्टी के मैनिफैस्टो में किया गया है। इस बारे में अफसरों को विशेष सावधानी बरतने के लिए कहना चाहिए।

इस समय अनाज, डीज़ल और मिट्टी के तेल में चोरी हो रही है। इस बारे में पब्लिक के रिप्रेज़ेंटेटिव्ज़ द्वारा विजिलेंस की व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री एन ई होरो (रतूंटी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज बिहार के 3–6 प्रखंडों में अकाल की स्थिति है। हमने आशा की थी कि राष्ट्रपति का शासन लागू होने के बाद जब केन्द्रीय सरकार बिहार की बाग-डोर सम्भाल लेगी, तो कुछ सुधार होगा। लेकिन हमने देखा कि सुधार के बजाये और खराबी हो रही है।

(श्री शिवराज वी० पाटिल पीठासीन हुए)

मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन 316 प्रखंडों में जो अकाल की स्थिति आई हुई है वहां सरकार ने राहत कार्य चलाने की योजना शुरू की है। फूड फार वर्क के माध्यम से राहत कार्य चलाने की योजना है। मगर स्थिति यह है कि दक्षिणी बिहार के छोटा नागपुर प्रमण्डल के अंदर आज के दिन तक 12 हजार मैट्रिक टन गेहूं उन लोगों को नहीं मिला है जिन्होंने एक डेढ़ महीने से वहां काम किया है। अनाज वहां वह पहुंचा ही नहीं। आदेश यह है कि हर प्रखण्ड में कम से कम दो राहत के काम चलने चाहिए और प्रति दिन नहीं तो हफ्ते में उनको गेहूँ मिलना चाहिए। लेकिन आप अन्दाज कर सकते हैं कि 12 हजार मैट्रिक टन गेहूँ दक्षिणी छोटा नागपुर में बकाया है। केन्द्र की सरकार इसके लिए क्या कर रही है? लाल कार्ड जो लोगों को दिया गया है जो डिसएबल्ड लोग हैं, गरीब लोग हैं उनको उस लाल कार्ड से आज भी एक दाना भी वितरण नहीं हुआ है और कहा यह जाता है कि फूड फार वर्क के तहत यह सारा काम हो रहा है। जितना गेहूँ जाता है वह देहातों तक पहुंच नहीं पाता है। उसका पचास प्रतिशत तो कहीं न कहीं खो जाता है, वह देहातों को पहुंचता नहीं है। यह हालत है। वहां फेमिन डिक्लेयर किया गया है तो फेमिन कोड के तहत वहां काम होना चाहिए लेकिन वह हो नहीं रहा है। हमने वहां की राज्य सरकार के अधिकारियों से और स्थानीय अधिकारियों से यह बात कही कि आप अभी से अगर उन क्षेत्रों में जहां कि फेमिन चल रही है दवाई का प्रबन्ध नहीं करेंगे और पानी का इंतजाम नहीं करेंगे तो वहाँ की दशा और खराब होगी, लेकिन राज्य सरकार उस फेमिन कंडीशन को टैकिल करने के लिए तैयार नहीं है, न पहले इसके लिए वह तैयार थी और न अभी है। यह वहां की हालत है। जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं श्री भीष्म नारायण सिंह, वह पलामू जिले से आते हैं, पता नहीं, इनको मालूम है या नहीं, इनके जिले के मनिका प्रखण्ड में कितने ही लोगों की भूख से मृत्यु हो गई है। लोग वहां मर रहे हैं और इसे सरकार उसको छिपाना चाहती है। भीष्म नारायण बाबू इसको जानते हैं, मगर यह बात छिपायी जा रही है।

सवाल यह है कि राष्ट्रपति शासन में काम सुधरना चाहिये। हम तो यही उम्मीद करते थे। लेकिन यहां तो कांग्रेस वाले जनता पार्टी को गाली देते हैं और जनता पार्टी वाले कांग्रेस को गाली देते हैं। मैं किसी को गाली नहीं देना चाहता हूं। 30 साल तक कांग्रेस ने वहाँ हुकूमत की, आपने क्या किया जो बिहार पिछड़ गया? बिहार क्यों पीछे पड़ गया? जो आज रोना रोते हैं और केन्द्र में आते हैं भीख मांगने के लिए कि इंडस्ट्री नहीं है, यह नहीं है, वह नहीं है, यह किसका काम है? 30 साल में आप ने क्या किया? दो साल जनता पार्टी ने शासन

किया। वे तो कहते हैं कि उन्हें लरनर लाइसेंस था वे ठीक से वह काम नहीं कर पाये। दोनों के राज में मुसलमानों की हत्या होती रही, हरिजनों की हत्या होती रही। इसलिए यह मत कहिए कि वह गलत है, हम सही हैं। हम सब उसके लिए दोषी हैं कि विहार को आगे नहीं बढ़ाया।

मैं श्री भागवत झा आजाद की बात से सहमत हूं और बहुत दिनों से कहता रहा है कि बिहार का प्रशासन इतना गंदा है, इतना करप्ट है, पालिटीशियन्स ने उसको इतना प्रभावित किया है कि चाहे कोई भी सरकार आए, चाहे केन्द्र की सरकार वहां काम करे, उस प्रशासन के माध्यम से काम चलने वाला नहीं है। प्रशासन को साफ करना होगा, तभी काम हो सकता है, नहीं तो रुपया आप यहां से भेजेंगे वह रुपया बिलकुल वेकार जायगा और यों ही खत्म हो जायगा। हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि इतने करोड़ इतने हजार रुपया खर्च नहीं हुआ है। खर्च तो बराबर ही नहीं होता रहा है। 30-32 साल में बराबर यही स्थिति रही है। हर साल का आप देखेंगे तो पाएंगे, कितने ही विभागों को विकास के लिए रुपया मिलता रहा है, उसका उन लोगों ने पूरा पूरा उपयोग नही किया। चूंकि प्रशासन इनएफीशिएन्ट है इसलिए यह हो रहा है। इसलिए जब तक इसको बदला नही जायेगा तब तक प्रगति नहीं हो सकती है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि अभी हमारे जिले में रांची में कोहल-कारो हाइडल प्रोजेक्ट बनने वाला है। नेशनल हाइडल प्रोजेक्ट ने इसको ले लिया है और काम शुरू होने वाला है। इसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि उसके अन्तर्गत जो लोग विस्थापित होने वाले हैं, चूंकि कई गांव पानी में चले जायेंगे उनका जब तक इकानोमिक रिहैबिलिटेशन नहीं हो जाता तब तक उसका काम शुरू नहीं होना चाहिए। हमारे लोगों ने काम बन्द करवा रखा हैं। मैं सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से कहना चाहता हूं कि आप प्रोजेक्ट बनायें लेकिन उससे पहले विस्थापित होने वाले लोगों का एकोनामिक रिहैबिलिटेशन हो जाना चाहिए। आपने कम्पेन्सेशन का रूपया दे दिया और उसके बाद छुट्टी - ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। उन लोगों का एकोनामिक रिहैविलिटेशन करके ही काम शुरू होना चाहिए।

लैण्ड रिफार्मस के बारे में बहुत कुछ कहा जाता रहा है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में जो ट्राइवल एरियाज़ हैं वहां पर लैन्ड रिफार्म्स जैसी कोई चीज़ नहीं हैं। लैन्ड रिफाम्स के नाम पर सर्वे सेटिलमेन्ट आपरेशन चल रहा है लेकिन इसमें जो सेटिल्ड है उनको अनसेटिल्ड किया जा रहा है। 50-60 साल पहले से जो जमीन आदिवासियों के पास थी वह उनके हाथ से छीनी गई है और यह काम रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट के माध्यम से हो रहा है। इसके लिए 50 प्रतिशत जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेन्ट और ला कोर्टस पर आती है। कचहरियों में ज्यादा पैसा लगाकर आप न्याय खरीद सकते हैं। ऐसी स्थिति में बिहार में हरिजन आदिवासियों की बहुत सारी ज़मीन उनके हाथ से चली जा रही है चूंकि वे न्याय नहीं खरीद सकते। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को इसकी ओर भी ध्यान देना चाहिए। एलेक्शन के बाद रूलिंग पार्टी की सरकार अगर वहां पर आती है तो उसको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। वहां के आदिवासियों में जमीन की समस्या का समाधान अगर नहीं होगा तो स्थिति और खराब हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री कृष्ण प्रतापसिंह (महाराजगंज) : सभापति महोदय, बिहार के लिए जो बजट पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्री कमलनाथ झा ने बिहार के स्वर्णिम इतिहास का चित्रण किया, सम्राट अशोक से लेकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति, डा0 राजेन्द्र प्रसाद तक। लेकिन बिहार के मस्तक पर जो एक कलंक का टीका लगा हुआ है उसका चित्रण उन्होंने छोड़ दिया। वह कलंक का टीका न केवल भारत के लिए, न केवल बिहार के लिए, वह सम्पूर्ण विश्व के लिए है। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार में एक ऐसी राजनीतिक पार्टी का जन्म हुआ, जिसने जन्म के तुरन्त बाद सत्ता संभाली, जिसका न कोई सिद्धान्त, न कोई लक्ष्य, न कोई उद्देश्य है और उस जनता पार्टी का जन्म बिहार में ही हुआ और बिहार में जनता पार्टी के शासन के बाद भारत वर्ष तो पीछे गया ही, भारतवर्ष का सम्मान तो घटा ही, उससे बिहार भी अछूता नहीं रहा, बिहार भी उसमें काफी पीछे हो गया। जहां बिहार में आन्तरिक रिसोंसिस को बढ़ाने की बात योजना आयोग ने समझौते के अनुसार की थी, जहां बिहार में 131 करोड़ रु० जो आन्तरिक सोर्स से हम इकट्ठा करते थे और योजना आयोग के समझौते के अनुसार कि हम दो-सौ करोड़ रु० जुटायेंगे, परन्तु जनता पार्टी के शासन में वह रुपया बढ़ने के बजाय घटा और मात्र 11 करोड़ रु० इकट्ठा किया। जनता पार्टी के शासन में जनता पार्टी ने जनता के हित को छोड़कर अपने लक्ष्यों के लाभ के लिए वहां कई कदम उठाए, जिसका कुप्रभाव बिहार के विकास पर पड़ा।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। बिहार में नशाबन्दी कानून लागू किया गया, उसके पीछे इनका राजनीतिक उद्देश्य था, इनकी योजना थी और कहा गया कि इसको चार चरणों में लागू किया जायेगा, लेकिन एक चरण तो इनका पूरा हुआ, बाकी तीन चरण इनके पूरे नहीं हो सके और उनसे बिहार राज्य को 30 करोड़ रु० के राजस्व का घाटा हुआ। बिहार के निकट के प्रान्तों में आज भी नशाबन्दी लागू नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, बंगाल और उड़ीसा में नहीं है। आज भी बिहार में अवैध ढंग से शराब तैयार की जाती है और शराब को वहाँ के लोग व्यवहार में लाते हैं। दूसरे राज्यों से, चोर बाजारों से शराब बिहार राज्य में आ जाती है। इस नशाबन्दी को रोकने के लिए इन्होंने जो निर्णय लिया उसका लाभ तो राज्य को नहीं हुआ, बल्कि 40 हजार लोग जो इस रोजगार में लगे थे, बेकार हो गये। इसी तरह से जो रुपया केन्द्रीय सरकार से सहायता की मद में मिला था, उसका ये उपयोग नहीं कर सके। अगर पिछले तीन वर्षों के आंकड़ों को देखा जाए तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि ये किस तरह से, जैसा श्री भगवत झा आजाद ने और कई मित्रों ने भी कहा है, प्रति वर्ष जो इनको केन्द्रीय सरकार से योजना की स्वीकृति मिली थी, वह खर्च करने में भी विफल रहे हैं। 1977–78 में 309 करोड़ रु० की राशि स्वीकार की गयी थी और इन्होंने उपयोग किया सिर्फ 275 करोड़ रु0, 1978–79 में 352 करोड़ रु० की स्वीकृति मिली थी, खर्च किए इन्होंने 299 करोड़ रु० और इस वर्ष 1979–80 के लिए 387 करोड़ रु0 की स्वीकृति मिली है, इन्होंने जनवरी में 129 करोड़ रु० खर्च किया है, मार्च में कितने दिन बाकी रह गए हैं, पता नहीं ये रुपयों का कितना उपयोग करेंगे।

इस तरह से जहाँ ये आन्तरिक साधन जुटाने में विफल रहें हैं, वहां बिहार की जनता पार्टी की सरकार को केन्द्रीय सरकार से जो अंशदान मिला, उसका भी उपयोग करने में विफल रहे हैं, जिसका कि कुप्रभाव हमारे बिहार प्रान्त पर पड़ा है।

सभापति महोदय, मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि जब योजना बनातें हैं तो उसमें बिहार के भौगोलिक दृष्टिकोण से वहाँ के पिछड़ेपन को ध्यान में रखा जाए और जितना भी उस प्रदेश का हिस्सा हो, उसको दिया जाए, जोकि उसको नहीं दिया जाता है।

दूसरी बात, हमारा बिहार प्रदेश खनिज द्रव्यों से भरा हुआ है। वहां पर लोहा है, कोयला है, अबरक है, जिसकी राज्य को रायल्टी मिलती है। मैं वित्त मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूँ कि आज कोयले का दाम बढ़ रहा है, लोहे का दाम बढ़ा है, अबरक का दाम बढ़ा है, परन्तु उनकी रॉयल्टी की दर नहीं बढ़ती है, इस रायल्टी की दर को भी इस मद के साथ जोड़ा जाए, ताकि हमारे प्रदेश को रायल्टी की मद में अधिक से अधिक पैसा मिले—और हम अपने राज्य का विकास कर सकें। जो हमारे प्रदेश पर एक पिछड़ेपन का कलंक लगा है, उसको मिटाकर जहां हम नीचे से दूसरे स्थान पर हैं, वहां हम ऊपर से दूसरे स्थान पर पहुंच जाए और भारतवर्ष में पहला स्थान हमारा हो, ऐसा मौका हमें दें। इस काम में सहयोग दें, क्योंकि हमारा बिहार प्रान्त में एक पिछड़ेपन की आग भड़क रही है, जोकि जनता पार्टी के शासन में ज्यादा बढ़ी। सबके पीछे एक ही कारण है— हमारे यहां मजदूरों की हालत बहुत खराब है, नौजवानों की बेरोजगारी की समस्या है और वह भयानक रूप धारण करती जा रही है। यही कारण है कि सन 1974 में बिहार प्रदेश में आन्दोलन खड़ा किया गया और बिहार के नौजवानों को उकसाया गया, उनको प्रलोभन दिया गया कि हम आपको रोजगार देंगे। परन्तु जनता पार्टी के शासन में सबसे ज्यादा उपेक्षा हुई है उन नौजवानों की, जिन नौजवानों के कन्धे पर चढ़कर जनता पार्टी शासन में आई थी।

उस वक्त हमारे बिहार प्रदेश में 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू किया गया था, ऐसे क्रान्तिकारी कदम भी उठाये जा रहे थे जिनसे हमारे प्रदेश की तरक्की हो। जो पिपरा की घटना जब बिहार में घटी, ऐसी घटनायें उस समय नहीं घट रहीं थी, किसी जमींदार की हिम्मत नहीं थी कि वह किसी भी मजदूर पर उंगली उठा दे, लेकिन आज जनता पार्टी के राज में बेलछी से लेकर पिपरा तक जो काण्ड हुआ है, यह उसकी एक शृंखला है और इसी वजह से हमारे मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती है।

यह सौभाग्य की बात है कि इसको बिहार के वासियों ने समझा है और उन्हीं की वजह से यह 20 सूत्री कार्यक्रम अब लागू होगा और जो हमारे बेरोजगार हैं, जो खेतिहर मज़दूर हैं, उनको मौका मिलेगा अपना भविष्य सुधारने के लिए।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री समीनुद्दीन (गोड्डा): सभापति महोदय, बिहार के बजट की ताईद करते हुए दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जनता पार्टी के शासन काल में बिहार में मौसमे-बहार नहीं, बल्कि मौसमे-खिज़ां था। इसी सूरते हाल को देखकर वहां के अवाम ने यह फैसला किया कि बिहार

उजड़ रहा है, विधि व्यवस्था बिगड़ गई है, अफसर गंदे हो गये हैं और यह सब कुछ तब तक ठीक नहीं हो सकता है, जब तक कि कोई स्थायी सरकार नहीं लाई जाती। वहां के हिन्दुओं और मुसलमानों ने यह फैसला किया कि इन्दिरा गांधी की सरकार बनाई जाये और इन्दिरा सरकार के हाथ मजबूत किये जायें; जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि आज सदन में इन्दिरा की अकसरियत है।

बिहार में कानून की व्यवस्था बिगड़ने और अफसरों के गन्दे होने का असर खासकर गरीबों पर पड़ा है, हरिजनों और मुसलमानों पर पड़ा है। मैं चन्द मिसालें आपके सामने पेश करूंगा, जिससे आपको मालूम हो जायेगा कि किस तरह से हरिजनों और मुसलमानों पर जुल्म ढाये गये और किस तरह से गरीब भुखमरी के शिकार हो रहे हैं।

अभी अभी हमारे क्षेत्र के चार अंचलों-महागामा, सन्हौला, घुरैया और पतारगांवा-में 70 डकैतियां हैं। वहां एक बस्ती में दस दस और बारह बारह डकैतियां होती हैं। ये डकैतियां अमीरों के यहां नहीं, गरीबों के यहां होती हैं और उनमें से 75 फीसदी डकैतियां कमजोर वर्ग एवं मुसलमानों के घरों में होती हैं। मैंने इसकी रिपोर्ट एस पी, साहबगंज और भागलपुर, से की है कि वह मुखिया के साथ इसकी एनक्वायरी करें। लेकिन उन्होंने एनक्वायरी नहीं की और भ्रष्ट दरोगा जमादार से पूछ कर चले गये। ऐसा लगता है कि गुंडों और लुटेरों से पुलिस का साज बाज है। श्री भागवत झा आजाद ने ठीक ही कहा है कि रात रात भर लोग गांव में नहीं सोते हैं।

मुहर्रम को लगभग तीन चार महीने गुजर गये है। काला डुमरिया, थाना महगाना सन्थाल परगना के एक मैदान में कब्रिस्तान है, पीरस्तान और करबला मैदान है, मगर वहां के तखरीब पसंद अनासिर ने वहां के झोंपड़ें बना डाले हैं और उन लोगों मुसलमानों को पहलाम नहीं करने दिया गया है। आज तक वहाँ झंडा गड़ा हुआ है। मैं ने डी०सी० साहब, दुमका और दूसरे अफसरान से कहा कि इन हालात में दंगा-फसाद हो सकता था तो उन लोगों को गैर–कानूनी तरीके से पहलाम करने नहीं दिया गया है। क्यों नहीं ऐसी सूरत के मेल मिलाप कराकर पहलाम कराया जाता है? मैं साफ तरीके से कहना चाहता हूं कि आसाम की तहरीक से सारे हिन्दुस्तान लरज रहा है और आज वह बीमारी संथाल परगणा में भी संथालियों और गैरसंथालियों के बीच में जोरों पर चली हुई है। संथाल लोग गैर संथालियों को चाहे वे ग़रीब हों और चाहे अमीर हों, वहां से गैर कानूनी तौर पर उजाड़ रहे है और उन को वहां से निकालना चाहते हैं। 17 तारीख को संथाल हंगामा करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। जिस के बारे में मैंने गवर्नर साहब को लिख दिया हूँ कि एक हंगामा होने वाला है, लूट और आगजनी होने वाली है वह इस तरफ़ से ध्यान दें। जमशेदपुर में मुसलमानों पर जुल्म ढाए गये, बहू–बेटियों और मासूम बच्चों को जलाया गया। और उल्टे उन की बन्दूकें भी जब्त कर ली गयी और उन को गिरफ़तार भी किया गया जाने लगा। इस तरह की विधि व्यवस्था का खेमियाजा ज़्यादातर ग़रीबों को हरिजनों को और मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज हमारा वह क्षेत्र अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित हो चुका है इसके पैशेनजर फैमिन एक के मुताबिक वहां पर लोगों को काम मिलना चाहिए,

लाल कार्ड मिलने चाहिए। हार्ड मेनुअल और लाइट मेनुअल काम लोगों को देना चाहिए और जो अपाहिज हैं, उनको लाल कार्ड दिया जाना चाहिए और राशन का बंटवारा होना चाहिए मगर ये सारी की सारी चीजें कुछ भी वहां नहीं हो रही हैं।

चन्द चीजें मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। मैं पहली बार आज पार्लियामेंट में बोल रहा हूँ। हमारे क्षेत्र में ऐसी ऐसी उल्टी बातें हुई हैं जैसे मधुपुर में एक टंकी तो बना दी गई है और शहरों में पानी देने के लिए पाइप लाइनें भी डाल दी गई हैं लेकिन उस टंकी में कहां से पानी आएगा, उस का पता नहीं है। लाखों रुपया खर्च कर के एक बड़ी टंकी बना दी गई और पड़ैया और गोड्डा में नहर खोदी गई है। लेकिन पानी कहां से आवेगा, यह पता नहीं है। ये सारी चीजें पिछली सरकार की नाअहलियत का सबूत हैं और इस नाअहलियत को वहां की जनता ने समझ लिया था कि अगर यह सरकार बरकरार रही, तो हिन्दुस्तान चूर चूर हो जाएगा, और तबाह और बरबाद हो जाएगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेसजन यह न सोचें कि हमारी बातों में आ कर, हमारे प्रोपगेन्डे की वजह से लोगों ने वोट दिये हैं। बल्कि उन्होंने जनता पार्टी की नाअहलियत की वजह से कांग्रेस को वोट दिया है और जनता सरकार को गिराया है। आज मैं अपनी सरकार से कहता हूं कि कि इन सारी बातों को मुद्देनजर रखते हुए युद्ध-स्तर पर हालात में अगर सुधार नहीं किया गया, तो फिर जनता दूसरा फैसला करने को तैयार भी कर सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं अदब के साथ सदन की तवज्जह इन बातों की ओर दिलाना चाहता हूं कि मैंने जो बातें कही हैं उन पर सरकार ध्यान दे और उन का हल निकाले।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : अभी हमारे बिहार के नेताओं और दूसरे साथियों ने भाषण दिये और उनको मैंने बहुत गौर से सुना। सब ने यह कहा है कि जितनी सकरी एट्रोसिटीज हुई हैं, वे सब लोक दल और जनता पार्टी की सरकारों के इशारे पर की है। कुछ ऐसा कलंक का टीका इन माननीय सदस्यों ने लगाया है।

मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि जब पिपरा की घटना घटी थी तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि यह जनता पार्टी और लोक दल के कुशासन का फल था और जब हम लोगों ने सत्ता संभाली और बेलछी कांड हुआ था, तो हमने कभी नहीं कहा था कि कांग्रेस के कुशासन का फल है।

दूसरी बात यह कही गई कि जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो हरिजन और आदिवासी बिल्कुल निश्चित थे और मैं यह बता दूं कि श्री केदार पांडे वहां के मुख्य मंत्री रहे हैं, श्री हरिनाथ मिश्र बिहार के स्पीकर रहे हैं, आप इन से पूछिये सबसे पहले 1970 में रूपसपुर का कांड हुआ था जिसमें 13 संथाल आदिवासी मारे गये थे और मारने वाले बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष श्री लक्ष्मी नारायण सुधांशु और उनके परिवार के लोग थे। कह दो कि गलत बात है। वे आपकी पार्टी के थे। हम ने सुना है कि सुधांशु जी मर गये हैं। लेकिन वे अभियुक्त थे और उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अभी तक मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है।

आज हरिजन अपने अधिकारों के लिए जागरूक है। अगर उसे उसके अधिकार अहिंसा के बल पर नहीं दिये जाएंगे तो वह हिंसा के बल पर उन्हें प्राप्त करेगा। इस को कोई रोक नहीं सकता है चाहे वह इस दल की सरकार हो, चाहे उस दल की सरकार हो। उस में आज जागरूकता आयी है।

आप उन पर अत्याचारों की चर्चा करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तमिलनाडु में 40 हरिजन मारे गये, उनके घर जला दिये गये लेकिन उनके बारे में इस हाउस में कोई डिस्कसन नहीं। वह चीज हमारे नालिज में जब आयी जब कि हरजिन और आदिवासी आयोग की रिपोर्ट यहां पेश हुई। इसलिए मैंने आप से कहा कि चाहे कोई भी हुकूमत हो अब हरिजन और आदिवासी को कोई दबाने वाला नहीं है। चाहे यह भारत सरकार की हुकूमत हो, अगर इसने भी उनके प्रति उपेक्षा बरती तो हम विश्व की संसद में इस मामले को ले जाएंगे लेकिन बेलछी, पिपरा, रूपसपुर के काण्डों को हम बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं।

मैंने सबेरे में एक पत्र को उठाकर जिक्र किया था। 6 मार्च को मुंगेर जिलान्तर्गत सरमतुहां में 50 आदमियों ने जाकर के पूरी मुसलमान बस्ती को घेर लिया और लूटा। हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष श्री रियासत हुसैन के लड़के को बन्दूक के कुन्दे से मारा, हमारे लोक दल के कार्यकर्ता मुहम्मद शहीद के लड़के को पीटा। इतना ही नहीं जो सबसे शर्म की बात वहां हुई वह यह थी कि एक गर्भवती महिला के साथ बलात्कार किया गया जिससे उसी समय उसका अबार्शन हो गया। आप इस सारी घटना का पता लगाइये, आप अपने सी० बी० आई० के लोगों से कहिये कि पता लगायें। अगर मैं आपकी पार्टी का नाम लूंगा तो आप कहेंगे कि हमें बदनाम किया जा रहा है। हमारे यहां के डूमरलाल जी बैठा बैठे हुए हैं। शायद इनके यहां के मुखिया ने इनको कहा होगा कि इनके यहां भी रानीगंज प्रखंड के परिहारी गांव में 28 हरिजनों के घरों को जला दिया गया। यह खबर आप बिहार के आर्यावर्त में पढ़िये।

11 मार्च को सहर्षा जिले के बीरा थाना में एक परिवार के पांच लोगों की हत्या कर दी गयी। 12 मार्च को पटना में, जहां कि राजधानी है, जहां राष्ट्रपति शासन का प्रमुख बैठता है, वहां एक पुलिस वाले ने सबेरे सात बजे एक रिक्शा चालक की पत्नी के साथ बलात्कार किया और वह पकड़ा गया।

सभापति महोदय; मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हरिजन, आदिवासी और मुसलमानों के नाम पर आप बहुत दिनों तक जिन्दा रहने वाले नहीं हैं। आप कहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर ने जातिवाद फैलाया। आप तीस साल तक क्या करते रहे? हरिजनों का वोट मांगना था तो जगजीवन राम जी मांग कर ले आयेंगे, ब्राह्मण का वोट लेना था तो ललित नारायण मिश्र ले आयेंगे, यादवों का वोट लेना था तो श्री रामलखन सिंह यादव ले आयेंगे। ये सब रास्ते आपके दिखाये हुए हैं। ये सब कुकर्म आपके किये हुए हैं। इसलिए आप हम लोगों को अब मत समझाइये।

बिहार में सबसे अधिक बाढ़ का प्रकोप है, सूखे की विभीषिका होती है। बिहार में ठंडक और गर्मी भी बहुत होती है। बिहार में खनिज है तो दूसरी तरफ गरीबी है। बिहार में राजनीतिक चेतना है तो दूसरी तरफ रूढ़िवादिता भी है। बिहार में एक व्यक्ति के पास में हजारों

एकड़ जमीन है जो कि सब के सब आपकी पार्टी के हैं और दूसरी बिना जमीन वाले गरीब हरिजन लोग भी वहां हैं। एक तरफ गरीब की हत्या होती है तो दूसरी तरफ नक्सलाइट्स सिर उठा रहे हैं। चाहे यह गलत तरीके से हो लेकिन गरीब के हक दिलाने के लिए वे सिर उठा रहे हैं। बिहार आज ऐसे प्वाइंट पर पहुंच गया है कि जहां पर अहिंसात्मक तरीके से अगर समस्या का निदान नहीं हुआ तो हिंसा की ज्वाला भड़केगी। इसलिए आप किसी पार्टी को ब्लेम न कीजिए। छोटे-छोटे उद्योगों की स्थापना आप करें, यातायात बिजली, सिंचाई का प्रबंध करें। पिपरा में और बेलची में क्यों घटनाएं घटी? इस वास्ते कि वहां यातायात का कोई साधन नहीं है और पुलिस तुरन्त पहुँच नहीं सकी। इस वास्ते यातायात की व्यवस्था भी आप करें। बेरोजगारी की समस्या का आप निदान करें। रेलवे का जोनल आफिस कलकत्ता में है, यू. पी. में है लेकिन हमारे यहां डी. आर. एम का ही आफिस है जो पोस्ट आफिस का ही काम करता है, इस वास्ते बिहार में जोनल आफिस की स्थापना आप करें। साथ ही पटना के नज़दीक, भागलपुर, मुंगेर आदि के नज़दीक उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को जोड़ने के लिए पुल बनाएं और इन दोनों भागों को जोड़ने की व्यवस्था करें। हरिजनों, आदिवासियों की रक्षा का प्रबंध आप करें, इनकी जमीनों से बेदखलियों को आप रोके। ऐसा आपने किया तभी बिहार का भला होगा, आपका भला होगा, हमारा भला होगा, देश का भला होगा।

वित्त और उधोग मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : सभापति महोदय, वाद-विवाद के दौरान जो भाषण दिए गए हैं उन्हें मैं दो मुख्य वर्गों में विभाजित करूंगा, एक राजनीतिक और दूसरा आर्थिक। बिहार की कानून और व्यवस्था की स्थिति के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन आरोप तो केवल आरोप होते हैं वे कोई प्रमाण नहीं होते। बिहार राज्य के प्रतिनिधि यहां मौजूद हैं और मैं विश्वास करता हूं उन्होंने इन तमाम बातों को ध्यान में रखा होगा और मैं चाहता हूं बिहार में कानून और व्यवस्था बनाये रखने में जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए प्रयास किए जाएं तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि इन कमियों की ओर उच्च स्तर के अधिकारी ध्यान दें।

माननीय सदस्य, श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा ने जारी की गई उदघोषणा को अनौचित्य पूर्ण बताया है। मैं तो केवल यही कहूंगा कि यदि आप बुरे पूर्वोदाहरण स्थापित करेंगे तो लोग उसका नाजायज फायदा उठाएंगे ही। यदि आप कांटे बोएंगे तो अंजीरें आपको मिलने से रही। मैं इस सम्बन्ध में विस्तार में नहीं जाना चाहता। जो सीमित समय मेरे पास है उसके दौरान मैं बिहार की विकास संबन्धी समस्याओं तथा अंतरिम बजट में राज्य हेतु किए गए उपबंधों पर ही कुछ कहना चाहूंगा।

यह सच है कि बिहार भारत का एक पिछड़ा राज्य है। यदि आप राज्य की आर्थिक दशाओं में सुधार के लिए किए गए प्रयासों की ओर ध्यान दें तो पता चलेगा कि बिहार राज्य के विकास के लिए केन्द्र ने इसे संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा दिया है। मैं आपको दो उदाहरण दूंगा।

सम्पूर्ण भारत में सरकारी क्षेत्र में 31 मार्च 1979 तक पूंजीनिवेश की कुल राशि लगभग 15,700 करोड़ रूपये थी और इस राशि में से 2,877 रुपया केवल बिहार में लगाया गया।

मुझे विश्वास है कि बिहार का कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि केन्द्र ने उनकी उपेक्षा की हैं। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि जब अन्य राज्यों में केन्द्रीय विनियोजन का प्रश्न उठे तो इन आँकड़ों का प्रयोग मेरे विरुद्ध न किया जाए।

यदि आप वर्ष 1980-81 की योजना के लिए आबंटित राशि को देखें ... ...

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आप अन्य राज्यों को उकसा रहे हैं।

श्री आर० वेंकटरामन: मैं किसी को उकसा नहीं रहा। मुझे क्या मालूम था कि मेरे माननीय मित्र श्री दण्डवते इससे उत्तेजित हो जाएंगे। मैं तो केवल यह कह रहा था कि अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में अधिक पूंजी निवेश किया गया है। इसलिए बिहार के लोगों को कुछ ऐसी गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि केन्द्र उनके साथ—न्याय नहीं कर रहा। यदि आप योजना उपबंधों को देखें, जिनके लिए मैं सभा से स्वीकृति लेना चाहता हूं, तो आपको पता चलेगा कि 1979-80 के लिए योजना उपबंध 356.85 करोड़ रुपये के थे और 1980-81 के लिए यह राशि बढ़ाकर 425 करोड़ रुपये रखी गई है, अर्थात योजना निवेश में 19 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई हैं। बिहार उन राज्यों में से एक है जहां पूंजी निवेश काफी अधिक बढ़ाया गया है क्योंकि योजना आयोग और केन्द्र सरकार ने बिहार की आवश्यकताओं को अधिक महत्वपूर्ण समझा है। वे चाहते हैं कि राज्य में प्रगति द्रुत गति से हो तथा यह अन्य विकसित राज्यों के स्तर तक पहुँच जाए।

यदि आप इन आंकड़ों का ब्यौरा देखेंगे तो आप को कुछ आलोचनाओं का उत्तर मिल जाएगा। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए 130 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। विपक्ष के एक माननीय सदस्य ने कहा है कि बाढ़ नियंत्रण पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है और कि बिहार एक तरफ तो बाढ़ का शिकार होता है, दूसरी ओर सूखे से ग्रस्त रहता है। सिंचाई के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। बिजली के लिए 115 करोड़ और समाज सेवाओं के लिए 61 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। अतः यह आपत्ति ठीक नहीं है कि अन्तरिम बजट में बिहार के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं की गई है।

इसी से सूखे की समस्या भी सम्बद्ध है। बिहार को सूखे के कारण जो कठिनाई हुई है उसका मुकाबला करने के लिए चालू वर्ष में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत 1,96,000 लाख टन खाद्यान्न का आवेदन किया गया है और हमने 1,25,000 टन अनाज काम के बदले अनाज की विशेष योजना के अन्तर्गत भी दिया है। वस्तुतः इस बात की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए कि सूखे की स्थिति का मुकाबला करने हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं। काम के बदले अनाज के सामान्य कार्यक्रम के अलावा हमने लगभग 2 लाख टन अनाज आबंटित किया है। 1,96,000 टन के अलावा भी 1,25,000 टन अनाज बिहार को दिया गया है। इससे स्थिति पर काबू पाया जा सकेगा।

इसके अलावा, केन्द्र सरकार ने 10 करोड़ रुपया योजगत व्यय के अन्तर्गत दिया है। हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में बाढ़ का प्रकोप नहीं रहा हो। हालांकि व्यवस्था कर दी गई है, पर इस बात की गारण्टी नहीं दी जा सकती कि यह धन सभी क्षेत्रों में समान रूप से पहुँच

जाएगा । अगर कमी ऐसी बात ध्यान में आएगी तो हम सुधारात्मक कार्यवाही अवश्य करेंगे । पर यह आलोचना नहीं की जा सकती कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम व्यापक नहीं है या समुचित ढंग से अमल में नहीं लाया गया ।

मेरे मित्र श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा ने मिट्टी के तेल और डीज़ल की कमी का उल्लेख किया । जनवरी, 1980 में वस्तुतः 28,000 मीटरी टन डीजल और 13,900 मीटरी टन मिट्टी का तेल सप्लाई किया गया । फरवरी में 26,000 मीटरी टन डीजल और 16,000 मीटरी टन मिट्टी का तेल दिया गया ।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा : बिहार की आवश्यकता 70,000 मी० ट० की है ।

श्री आर० वेंकटरामन : सारे देश में कमी है । बरौनी कारखाना काम नहीं कर रहा है, इसलिए पेट्रोल उत्पाद उपलब्ध नहीं हो रहे हैं । जो माल उपलब्ध हैं उसे सारे देश में आवश्यकतानुसार बांटा जा रहा है । देश की सारी कमी को देख कर यह कहा जा सकता है कि बिहार के साथ न्याय हुआ है और उसे काफी मात्रा में माल दिया गया है । मैं उनसे सहमत हूँ कि हम बिहार की सारी मांग पूरी नहीं कर पाये हैं । पर यह न केवल बिहार के मामले में अपितु सभी राज्यों के बारे में है । इसका मुख्य कारण बरौनी और आसाम रिफाइनरियों का बन्द होना है ।

श्रीमती कृष्णा साही ने दो सुझाव दिए हैं । एक यह कि बिहार का ऋण बट्टे खाते डाल दिया जाए । मैं माननीया सदस्या को बताना चाहता हूं कि इस समग्र मामले पर सातवें वित्त आयोग ने विचार किया और उसने कई राज्यों के मामले में ऋणों में राहत देने की सिफारिश की । इसका सबसे अधिक लाभ बिहार को हुआ पर अगर आप चाहें कि हम हर वर्ष ऋणों को बट्टे खाते डाल दें तो शायद ऐसा करना किसी भी सरकार के लिए सम्भव नहीं होगा ।

श्रीमती साही ने गंगा बेसिन योजना को केन्द्रीय योजना के रूप में कार्यान्वित करने की बात कही है । मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूँ कि इसके लिए जितने भी धन की जरूरत होगी उसकी हम व्यवस्था करेंगे । योजना-बद्ध विकास कार्यक्रम वाली अर्थव्यवस्था में यह बात कोई महत्व नहीं रखती कि योजना केन्द्र द्वारा चलाई जाए या राज्यों द्वारा । पर मैं यह आश्वासन दे सकता हूँ कि इस योजना के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की जाएगी क्योंकि यह स्कीम न केवल बिहार के लिए अपितु सारे देश के लिए महत्वपूर्ण है ।

श्री राम विलास पासवान : यह काम दस साल से चल रहा है ।

एक माननीय सदस्य : वह कह रहे है कि यह कार्य 10 वर्षों से चल रहा है ।

श्री आर० वेंकटरामन : जी हां, यह बड़ी योजना है और कई साल से चल रही है । योजना के कार्यान्वियन में समय लगता है । इस पर किताब लिखनी हो तो दो दिन में लिखी जा सकती है ।

प्रो० मधु दण्डवते : अगर आप जेल में हों तो उससे भी कम समय में लिख सकते हैं ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं जेल गया हूं । यह मेरे लिए कोई नई बात नहीं है ।

श्री सी० पी० वर्मा ने सूखा राहत की बात कही। मैं बता चुका हूं कि हमने इसके लिए व्यवस्था की है और बिहार को अधिक अनाज देने का मैं आश्वासन देता हूं। हमारे पास काफी बड़ा भण्डार है और इस बारे में औपचारिकता बरतने की जरूरत नहीं होगी।

दो अन्य सदस्यों ने बिहार के पिछड़ेपन की बात की। पिछड़ापन रातों रात दूर नहीं हो सकता। इसमें समय लगता है और योजनाबद्ध विकास ही इसका मार्ग है। इसीलिए हम योजनाओं में पिछड़े राज्यों को अधिक धन देते हैं।

यह भी आलोचना की जा रही थी कि पानी की सप्लाई के लिए केवल 18 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। पर अगर आप पिछले वर्ष की 13 करोड़ की राशि से तुलना करें तो यह 50 प्रतिशत अधिक है। अतः इसके लिए भी उदारता से व्यवस्था की गई है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अन्तरिम बजट है और अन्तिम बजट बाद में तैयार होगा पर हमने योजना के लिए अन्तिम आंकड़े तैयार करने तक पर्याप्त व्यवस्था की है।

नियमित बजट में सभी करों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। मैं सभा से अन्तरिम बजट को स्वीकार करने का अनुरोध करता हूँ।

सभापति महोदय : बिहार के वर्ष 1980–81 के लेखानुदानों की मांगों पर पेश किए गए सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ मतदान के लिए रखता हूँ। अगर कोई सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव अलग पेश करना चाहता है तो बताए।

(कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गए और अस्वीकृत हुए।)

सभापति महोदय : अब मैं बिहार के सम्बन्ध में लेखानुदानों की मांगों को मतदान के लिए रखूंगा : प्रश्न यह है

"कि कार्य सूची के दूसरे स्तम्भ में मांग संख्या 1,3 से 8 और 10 से 28 के सामने दर्ज मांग शीर्षकों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए उक्त सूची के तीसरे स्तम्भ में दिखायी गई लेखानुदान की क्रमिक रकमों से अनधिक रकमें बिहार राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
1	2	3
		रु०
1	राज्य विधान मण्डल	68,37,500
3	मंत्रि परिषद, निर्वाचन, सचिवालय और जिला प्रशासन ...	8,51,12,966
4	न्याय प्रशासन और अन्य सामाजिक तथा समुदाय सेवाएं ...	2,01,49,266
5	प्राकृतिक विपत्तियों के कारण भू-राजस्व और राहत ...	12,81,03,000

1	2	3
6	कर, खजाना, पेंशन और मुद्रण	7,98,87,966
7	राज्य उत्पाद शुल्क	63,00,000
8	मोटर गाड़ियां तथा सड़कें और जल परिवहन सेवाएं ...	83,83,333
10	पुलिस, आग से सुरक्षा तथा अन्य प्रशासनिक सेवाएं ...	20,78,42,100
11	जेल	2,47,00,000
12	लोक निर्माण, आवास और नागर विमानन् ...	16,96,61,833
13	शिक्षा और कला तथा संस्कृति	63,29,80,066
14	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	17,93,65,966
15	लोक स्वास्थ्य, सफाई, जलपूर्ति और नगर विकास ...	14,84,82,040
16	सूचना, प्रचार और पर्यटन	48,91,666
17	श्रम और रोजगार	1,54,14,333
18	समाज सुरक्षा और कल्याण	8,43,12,233
19	सहकार	6,38,00,173
20	कृषि और पशुपालन	24,48,46,700
21	लघु सिंचाई	7,26,80,666
22	डेरी विकास	36,93,633
23	मछली पालन	55,97,666
24	वन	3,71,37,333
25	सामुदायिक विकास	17,29,35,933
26	उद्योग	5,68,23,166
27	खान और धातु	46,51,666
28	सिंचाई और बिजली	82,97,85,666

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय: अब मैं 1979–80 के लिए बिहार के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों के बारे में पेश किए गए सभी कटौती प्रस्ताव एक साथ मतदान के लिए रखूंगा। अगर कोई सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव अलग पेश करना चाहें तो बताएं।

(कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।)

सभापति महोदय: अब मैं वर्ष 1979–80 के लिए बिहार के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्यसूची के दूसरे स्तम्भ में मांग सं० 1,3 से 6,10 से 26 और 28 के सामने दर्ज मांग शीर्षकों के सम्बन्ध में 31 मार्च 1980 को समाप्त होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए उक्त सूची के तीसरे स्तम्भ में दिखाई गई क्रमिक अनुपूरक राशियों से अनधिक राशियां बिहार की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

मांग संख्या	शीर्षक		राशि
			रु०
1	राज्य विधान मण्डल ...	...	13,27,500
3	मन्त्रि परिषद,निर्वाचन,सचिवालय और जिला प्रशासन	...	52,17,000
4	न्याय प्रशासन और अन्य सामाजिक और समुदाय सेवाएं	...	26,40,000
5	प्राकृतिक विपत्तियों के कारण भू-राजस्व और राहत	...	1,61,26,000
6	कर, खजाना, पेंशन और मुद्रण ...	...	29,49,000
10	पुलिस, आग से सुरक्षा और नियंत्रण तथा अन्य प्रशासनिक सेवाएं		6,17,93,760
11	जेल ...	...	5
12	लोक निर्माण, आवास और नागर विमानन्	...	15
13	शिक्षा और कला तथा संस्कृति ...	...	1,79,145
14	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण ...	...	55,79,210
15	लोक स्वास्थ्य सफाई, जल पूर्ति और नगर विकास	...	6,79,68,035
16	सूचना प्राचार और पर्यटन ...	...	5,34,655
17	श्रम और रोजगार ...	...	20
18	समाज सुरक्षा और कल्याण ...	...	1,68,04,505
19	सहकार ...	...	2,74,72,800
20	कृषि और पशुपालन ...	...	5,43.36,695
21	लघु सिचाई ...	...	1,25,00,005
22	डेरी विकास ...	...	54,00,000
23	मछली पालन ...	...	15,00,000
24	वन ...	...	67,00,005
25	सामुदायिक विकस ...	...	9,16,50,005
26	उद्योग ...	...	2,47.92,530
28	सिंचाई और बिजली ...	...	12,22,54,000
	कुल	...	52,77,24,890

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

बिहार विनियो (लेखानुदान) विधेयक—१९८०

वित्त तथा उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन): मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1980-81 के एक भाग की सेवाओं के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है: "कि वित्तीय वर्ष 1980-81 के एक भाग की सेवाओं के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री आर० वेंकटरामन: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ । मैं प्रस्ताव करता हूँ: "कि वित्तीय वर्ष 1980-81 की एक भाग की सेवाओं के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 1980–81 की एक भाग की सेवाओं के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हु ा ।

सभापति महोदय: अब हम खडण्वार विचार आरम्भ करेंगे ।

प्रश्न यह है :

"कि खन्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 और तीन तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दीजिए । खन्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री आर० वेंकटरामन: मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार विनियोग विधेयक—१९८०

वित्त तथा उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : में प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1979–80 की सेवाओं के लिए बिहार राज्य को संचित निधि में से कतिपय राशियों के

संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1979--80 की सेवाओं के लिए बिहार राज्य की निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि वित्तीय वर्ष 1979--80 की सेवाओं के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1979--80 की सेवाओं के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय: अब हम खण्ड--वार विचार आरम्भ करेंगे ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2,3 और अनुसूचि विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2,3 और अनुसूचि विधेयक में जोड़ दिये गये। खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री आर वेंकटरामन: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्याज की खरीद के बारे में वक्तव्य

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : माननीय सदस्य जानते हैं

कि महाराष्ट्र के पुणे और नासिक जिलों में प्याज का काफी बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। पुणे और नासिक जिलों में वसन्त की वर्तमान फसल बाजार में आनी शुरू हो गई है। सरकार ने कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर गत वर्ष मई में निर्णय लिया था कि 1979-80 के मौसम के लिए अच्छी औसत क्वालिटी की प्याज के साहाय्य मूल्य को बढ़ाकर 40 रु० प्रति क्विंटल कर दिया जाए। यह भी फैसला किया गया था कि राज्य सरकारें प्याज पैदा करने वाले सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर मूल्य-साहाय्य संबंधी कार्य अपने राज्य सहकारी विपणन संघों तथा राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि० के जरिये करेंगी। नाफेड ने महाराष्ट्र में मंडियों की चालू आवक मे लगभग 12,000 मीटरी टन प्याज की खरीद कर ली है। नाफेड को हिदायत दी गई है कि वह उत्पादकों के उचित हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से राज्य सहकारी विपणन संगठनों की मदद से बड़े पैमाने पर प्याज की खरीद शुरू करे। प्याज की क्वालिटी के अनुसार उचित मूल्य दिये जायेंगे जो प्रति क्विंटल 45 रु० से 60 रु० तक होंगे। आशा है कि बड़े पैमाने पर प्याज की खरीद शुरू करने के निर्णय से किसानों को राहत मिलेगी और वे चाहेंगे कि उनका उत्पाद तेजी से खरीद लिया जाए क्योंकि प्याज जल्दी खराब होने वाली फसल है।

श्री मोती भाई आर० चौधरी (मेहसाना) : गुजरात के बारे में भी प्याज की यही हालत है, वहां से प्याज खरीदने का इलजाम किया जाये।

गुजरात बजट, १९८०–८१ सामान्य चर्चा, लेखानुदानों की मांगें (गुजरात), १९८०–८१ और अनुदानों की अनुपूरक मांगें (गुजरात), १९७९ ८०

सभापति महोदय : अब हम वर्ष **1980–81** के बजट (गुजरात) पर सामान्य चर्चा आरम्भ करेंगे।

श्री सत्यगोपाल मिश्र

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तमलुक) : सभापति महोदय, सातवीं लोक सभा के पहले और दूसरे सत्र के बीच नौ राज्य विधान सभाओं को अलोकतांत्रिक तरीके से भंग किया गया। अतः पूर्ण बजट सत्र की बजाय हम यहाँ कुछ राज्यों के अन्तरिम बजट पर कार्यवाही कर रहे हैं।

सभापति महोदय, गुजरात बजट पर चर्चा करने से पहले मैं राज्य की कुछ बुनियादी समस्याओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं, विशेषरूप से कृषि और उद्योग के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। जहां तक कृषि का सम्बन्ध है, सात अथवा आठ वर्षों तक बुरे मौसम के कारण फसलों के न होने से गुजरात राज्य के अनेक भागों पर प्रभाव पड़ा है। अतः राज्य में कृषक अपने ऋणों की अदायगी नहीं कर सकते हैं। सरकार ने राजस्व अधिकारियों को कहा है तथा राजस्व अधिकारियों को कुछ सरकारी आदेश भी जारी किये गये हैं कि वे कृषकों से ऋण वसूल करें। किन्तु, चूंकि कोई फसल नहीं हुई है, कृषक कृषि ऋणों की अदायगी नहीं कर सकते। उनके पास केवल यही विकल्प रह जाता है कि वे सरकारी आदेशों का विरोध करें और मिलकर मुकाबला करें। राजस्व अधिकारियों को यह भी कहा गया है कि वे कृषकों की जमीन की नीलामी भी

करें । किन्तु कृषक एक हैं और वे सरकारी आदेशों के विरुद्ध लड़ रहे हैं । वे एक हैं और सब साथ हैं और उनकी जमीन खरीदने वाला कोई नहीं है । राजस्व अधिकारियों को कहा गया है कि नीलामी 1 रुपया प्रति एकड़ की सांकेतिक कीमत पर होनी चाहिए । ऐसी खतरनाक चीज हो रही है । अतः मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य और वित्त मंत्री यह सुनिश्चित करें कि इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिएं । इस सम्बन्ध में मेरा निश्चित प्रस्ताव यह है कि (क) ऋणों की वापसी से छूट दी जाये (ख) गुजरात में कृषकों या उत्पादकों को नये ऋण दिये जायें । गुजरात में फसलों के मूल्यांकन के लिए एक नीति विद्यमान है जो कृषकों अथवा किसानों के अनुसार गलत है । राजस्व अधिकारियों को गलत मूल्यांकन के लिए लिखित आदेश दिये जाते हैं यानि उनकी फसलों का अधिक अनुमान लगाया जाये । सभी वर्गों के कृषक इसके विरुद्ध हैं और इस सम्बन्ध में मेरा प्रस्ताव यह है कि सरकारी प्रतिनिधियों के द्वारा फसलों का सही मूल्यांकन किया जाना चाहिए ।

तम्बाकू उत्पादकों के बारे में जब वे अपने उत्पाद को बेचते हैं तो उन्हें नकद अदायगी नहीं की जाती है । अतः मेरा आपके माध्यम से वित्त मंत्री से निवेदन है कि उन्हें इस मामले की जांच करनी चाहिए ।

उद्योग में, गुजरात में एक काला कानून है अर्थात् बम्बई औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम । कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की दैनिक मजदूरी केवल 4 रु० से 5 रु० है । इसको 10 रुपया प्रतिदिन करने की मांग है । चूंकि बेरोजगारी की समस्या है और यह अधिनियम भी है, मजदूर दैनिक मजदूरी का दावा नहीं कर सकते क्योंकि छंटनी का भी डर है । महोदय, अतः मेरा वित्त मंत्री से निवेदन है कि उक्त अधिनियम अर्थात् बम्बई औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम के बारे में जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि इस अधिनियम को हटाया जाये ।

गुजरात की फैक्टरियों में एक और प्रणाली है जिसे रोकड़ी प्रणाली कहते हैं समयोपरि काम के लिए मजदूरों को कुछ धनराशि दी जाती है किन्तु उनके काम का रिकार्ड नहीं किया जाता है तथा उनके नामों का रिकार्ड नहीं रखा जाता हैं । अतः उन्हें अपने काम के लिए कम धनराशि दी जाती है । इस प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिए ।

सभा के समक्ष जो बजट रखा गया है मैं उसका विरोध करता हूं क्योंकि मैं इसे जनता विरोधी बजट कहता हूँ, । साथ ही यह घाटे का भी बजट है । श्रमजीवी लोगों की मूल समस्याओं के समाधान का कोई उल्लेख नहीं है । सरकार ने कुछ भी नहीं कहा है कि वह बेरोजगारी की समस्या का कैसे समाधान करेगी, आवश्यक 'वस्तुओं की मूल्य वृद्धि को कैसे रोकेगी, निरक्षरता और गरीबी को कैसे दूर करेगी तथा आप भूमिहीन कृषि श्रमिकों की तथा कमजोर वर्ग के लोगों की समस्याओं का कैसे समाधान करेगी । बजट में ऐसा कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है । अतः मैं इसे "जनता विरोधी बजट" कहता हूं और मैं इसका विरोध करता हूँ ।

मैं अब माननीय वित्त मंत्री के विचारार्थ कतिपय ठोस प्रभाव रखना चाहता हूँ । वे इस प्रकार है :

(क) ग्रामीण गुजरात के पुनर्निर्माण के लिए काम के बदले अनाज कार्यक्रम को व्यापक रूप से आरम्भ किया जाय और साथ ही भूमिहीन मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर बनाये जाये।

(ख) सरकार आवश्यक वस्तुओं के थोक व्यापार को अपने हाथ में ले और इसका वितरण सार्वजनिक वितरण केन्द्रों से करे।

(ग) प्रत्येक गांव में एक प्राथमिक पाठशाला हो।

(घ) प्रत्येक गाँव में एक नल-कूप हो।

(ङ) प्रोढ़ शिक्षा केन्द्रों को व्यापक पैमाने पर खोला जाये।

(च) गुजरात में अधिक औद्योगिक विकास हो।

(छ) वेरोजगारी भत्ता दिया जाये।

ये मेरे ठोस प्रभाव हैं और इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री मोतीभाई आर० चौधरी (मेहसाना) : माननीय उपाध्यक्ष जी, सन् 1974 में इस समय के भ्रष्ट शासकों के विरुद्ध गुजरात के नौजवानों ने नवनिर्माण का आन्दोलन जब छेड़ा था, शुरू में भ्रष्ट प्रतिनिधियों को वापिस बुलाने की मांग की थी और विधानसभा को भंग करने की मांग की थी, उसी समय अभी हैं वे शासक केन्द्र में थे। उन लोगों ने···(**व्यवधान**)···

एक माननीय सदस्य : बजट पर बोला जा रहा है, या किसी और पर ?

श्री मोतीभाई आर० चौधरी : हाउस में गुजरात का बजट आया ही किस वजह से ? मैं जो आप की सरकार ने काम किया है, उसके बारे में बोल रहा हूं।

सभापति महोदय : क्या यह व्यवस्था का प्रश्न है ? इसका सम्बन्ध सभा की कार्यवाही की प्रक्रिया से होना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य ने जो इल्जाम लगाए और उस वक्त के शासन को भ्रष्ट कहा तो भ्रष्ट कहने के लिए उनके पास क्या सबूत हैं या नहीं हैं, यह मैं नहीं जानता हूं। जिस शासन को भ्रष्ट कहा गया, उसके खिलाफ कुछ नहीं कहते हैं उस पर आक्षेप नहीं करते हैं कि उनके प्राइम मिनिस्टर के लड़के के खिलाफ इल्जाम थे, उसके बारे में कुछ नहीं कहते हैं।

सभापति महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप जारी रखें।

श्री मोतीभाई आर० चौधरी : तो उस समय इनकी लोकशाही मानी जाती थी ? और इन्हीं शासकों के द्वारा, जो आज भी शासन में हैं, रात ही रात एक झटके में गुजरात ही नहीं, हिन्दुस्तान के नौ राज्यों जो सारे देश की दो-तिहाई से ज्यादा बस्ती वाले राज्य हैं, जिनकी सीमा हिन्दुस्तान की सीमा के दो-तिहाई से ज्यादा को कवर करती है, ऐसे नौ बड़े-बड़े राज्यों की विधान सभाओं को कानून और व्यवस्था के बहाने भंग कर दिया गया उसका क्या किया

जायेगा ? और इसी वजह से हो तो इस संसद में यह नौ राज्यों का बजट पास करने के लिए यह प्रस्ताव आया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इनको दो मास से शासन का अवसर मिला, फिर भी साल भर का बजट उनसे बना नहीं ऐसी हालत में इनसे हम ज्यादा आशा क्या रखें और जिससे कि एक-एक और दो-दो घंटे में नौ राज्यों का बजट पास किये जानपत्र वक्त आया हमारे सामने । इसलिए इस पर मुझे और ज्यादा नहीं कहना है ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह हम सब जानते हैं कि जिस बिन लोकशाही ढंग से अब कारोबार चल रहा है, इससे और भी बुरे दिन हमारे लिए आने वाले हैं । यह सब जानते हैं, और यह सोचकर हम चल रहे हैं । केन्द्र से संबंधित कई सवाल गुजरात के बजट से जुड़ा हुआ है, मैं इसकी ओर आपका ध्यान खींचता हूं । उपाध्यक्ष महोदय इन्होंने कानून का बहाना बताकर वहां की विधान सभाओं को भंग कर दिया । लेकिन वहां ऐसा क्या चक्र रहा है ? हमारे गुजरात में एक सिद्धपुर नाम का यात्रा स्थान है जो कि एक शान्त शहर है । वहां मिली-जुली बस्ती हिन्दू और मुसलमानों की है । अंग्रेजी शासन में भी और 30 साल के स्वराज्य के बाद के शासन में वहां हिन्दू और मुसलमानों में झगड़े नहीं हुए हैं । आज क्या हुआ है, केन्द्रीय सरकार के पुरातत्व डिपार्टमेंट की गलती के कारण आज वहां हिन्दू और मुसलमानों में झगड़े हो रहे हैं, करफ्यू लादा गया है । ···(व्यवधान)··· आज राष्ट्रपति का शासन है, आपका शासन वहाँ पर चल रहा है । एक गलती की वजह से गुजरात का जो शान्त प्रदेश है, वहां इसी वजह से कानून की व्यवस्था वहां पर विगड़ रही है, मैं इसकी ओर आपका ध्यान खींच रहा हूं और आशा करता हूं कि वहां की कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए जो कुछ हो सके, प्रयास किया जाएगा । पुरातत्व डिपार्टमेंट की वजह से जो गलती हुई है, उसको जल्दी से जल्दी दूर किया जाए, जिससे वह शहर शान्त बना रहे ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गुजरात से संबंधित कुछ बातों का जिक्र करना चाहता हूं । गैस का सवाल गुजरात के लिए सबसे आगे है और यह बर्निंग क्वेश्चन भी है । गुजरात की भूमि में से गैस और प्राकृतिक तेल निकलता है, लेकिन इसका पूरा--पूरा फायदा गुजरात को नहीं मिलता है । बम्बई हाई गैस से गुजरात को गैस मिलनी चाहिए । जब महाराष्ट्र को मिल रही है तो गुजरात को भी मिलनी चाहिए । इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि गुजरात के उमराह शहर में एक भूमि-बिन्दु होना चाहिए, ऐसा करने से 50 किलोमीटर का अन्तर कम होता है, इस तरह से यह सुरक्षित भी ज़्यादा रहता है ।

हमको बताया जाता है कि आपके शासन ने उस समय क्या किया । हम संसद में और संसद के बाहर भी यह प्रश्न उठाते रहे और उसी समय के प्रधान मंत्री और पैट्रोलियम मिनिस्टर ने भी कहा कि (गुजरात में भूमि) बिन्दु होना चाहिए, इसको स्वीकार किया गया है । हमारे शासक पक्ष के नेता, श्री माधवसिंह सोलंकी ने इस ओर प्राइम मिनिस्टर का ध्यान खींचा है । उन्होने बताया कि भूमि बिन्दु इधर है या उधर है, इस से क्या फ़र्क हो सकता है । मै कहना चाहता हूं कि फर्क देखने से मालूम हो सकता है । इस से 50 किलोमीटर सुरक्षित रहता है और खर्च कम पड़ता है । पिछली सरकार ने इस को मंजूर

कर दिया था। इसलिए यह जो गुजरात की मांग है, यह बिलकुल वाजिब है और इस को नज़रान्दाज न किया जाए। इसी तरह से लैंड के प्रश्न के बारे में जो गुजरात की मांग है, उस को मान लेना चाहिए। वहां प्रजा इस के लिए आन्दोलन करने जा रही है। इस को स्वीकृत किया जाए ताकि वहां पर शान्ति हो और वहां की प्रजा को आन्दोलन करने का मौका न मिले।

गैस और तेल की रायलटी के बारे में गुजरात के साथ अन्याय हो रहा है। गुजरात से गैस निकलती है और इस से वहां पर पावर स्टेशन बने हैं। इन पावर स्टेशनों को कोयला भी नहीं मिलता है। थर्मल पावर स्टेशनों को न तो पूरी मात्रा में कोयला मिलता है और न गैस मिलती है। इसी वजह से सप्ताह में 3 दिन कृषि के लिए बिजली बन्द रहती है और उद्योगों के लिए भी बिजली में 25 प्रतिशत की कटौती रहती है। न गैस मिलती है, न आर0 एफ0 ओ मिलता है। गुजरात को ये मिलनी चाहिए। सभापति महोदय, इसका जो दाम है वह दुगना, तिगुना बढ़ गया है लेकिन रायल्टी वही चल रही है। इस रायल्टी के बारे में गुजरात के साथ अन्याय हो रहा है। इस अन्याय को जल्दी से जल्दी मिटाया जाए। दस साल के बाद इस पर विचार करने की बात थी तो अब वह समय भी आ चुका है। इसलिए इसके बारे में गुजरात के प्रति न्याय होना चाहिए।

सभापति महोदय, मुल्क के और भागों में 25 प्रतिशत ज़मीन को पानी मिलता है लेकिन गुजरात में 15 प्रतिशत जमीन को भी पानी नहीं मिलता है।

श्री मगनभाई बरोट (अहमदाबाद): हम गुजरात के बजट पर चर्चा कर रहे हैं। वित्त मंत्री महोदय अथवा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री को सभा में उपस्थित रहकर इसकी सराहना करनी चाहियें।

सभापति महोदय : यह सब की जिम्मेदारी है। सभा में इन दोनों मंत्रियों में से एक सभा में उपस्थित हैं। वित्त मंत्री महोदय प्रातःकाल से ही यहीं थे।

श्री मोतीभाई आर० चौधरी : गुजरात का क्या हो रहा है, यह मैं आपको बता रहा हूँ। वहां की 15 प्रतिशत ज़मीन को भी पानी नहीं मिलता है। इसलिए वहां की ज्यादा ज़मीन को पानी मिलना चाहिए और पूरे साल पानी मिलना चाहिए।

नर्मदा योजना का सम्बन्ध देश की समृद्धि के साथ है। लेकिन इस को 15 साल और पीछे ढकेल दिया गया है। अगर यह योजना अब तक चालू कर दी गयी होती तो गुजरात के लोगों को बिना पानी के अपनी जमीन छोड़ कर, झोंपड़ी छोड़कर के दूसरी जगहों पर नहीं जाना पड़ता जहां पर कि पीने का पानी मिलता है। अपना घर और ज़मीन छोड़कर वहां के मजदूरों और किसानों को दूसरी जगहों पर जाना पड़ता है। अगर वहां की जमीन को पानी मिल जाता तो वहां खेत लहलहाते, उत्पादन बढ़ता और जो वहां जोरों की बेरोजगारी है वह भी दूर होती। खाली कह देने से वहां कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए गुजरात के लिए सिंचाई की योजना बहुत जरूरी है। इसके लिए आखिरी स्वीकृति मिलनी चाहिए। कहा जाता है कि इसके लिए आखिरी स्वीकृति प्लानिंग कमीशन से मिलेगी। लेकिन आजकल तो प्लानिंग कमीशन

भी नहीं है । हम आशा करते हैं कि देश की भलाई के लिए जल्दी से जल्दी प्लानिंग कमीशन बन जाएगा ताकि नर्मदा योजना की स्वीकृति देश को मिल जाए । हम केन्द्र सरकार से विनती करते हैं कि वह इसमें सहायक हो ।

गुजरात में राजपथ की भी यही हालत है । वहां पर राजपथ को भी बढ़ाया जाना चाहिए । नागपुर प्लान के बारे में योजना में निश्चय किया गया था । और देश से राजपथ के मामले में हम तीस साल पीछे हैं । पांचवीं योजना में यह स्वीकार किया गया था कि 15 सौ की बस्ती वाले गाँव को गुजरात में रास्ता मिल जाएगा लेकिन वह काम भी पूरा नहीं हुआ है । इसलिए सरकार इस पर ज्यादा ध्यान दे । गुजरात की सरकार ने तो इस पर ज्यादा ध्यान दिया था और इसलिए कुछ बस्तियों को वहां रास्ते मिले हैं । गुजरात में नेशनल हाई वे को बढ़ाना चाहिए । मैं आशा करता हूं कि केन्द्र की सरकार इस मामले में गुजरात के साथ न्याय करेगी और वहां नेशनल हाईवे देगी ।

इसी तरह से विलेज अप्रोच रोड के बारे में केन्द्र सरकार की ओर से जनता पार्टी के समय में सेन्ट्रल के बजट में ग्रांट का प्रावधान किया गया था । वह पैसा गुजरात को मिलना चाहिए । मत्री महोदय से इस बारे में भी मैं आशा करता हूँ ।

बिजली के बारे में भी गुजरात में यही हालत है । वहां के 50 प्रतिशत गांवों को बिजली नहीं मिली है । वहां के थरमल पावर स्टेशन आर० एफ० ओ०, गैस और कोयले पर आधारित हैं । ये तीनों चीजें पूरी मात्रा में नहीं मिलती हैं । इसलिए बिजली में वहां भारी कटौती चल रही है । गुजरात के किसान को रात में बिजली मिलती है और वह रात को खेती करता है । इसलिए वहां अधिक बिजली मिलनी चाहिए और दूसरे नये प्रोजेक्ट और पावर स्टेशन बनाने के लिए योजनाएं गुजरात सरकार ने यहां भेजी हैं उन्हें जल्दी से जल्दी स्वीकृति मिलनी चाहिए ।

गुजरात के किसान लोगों ने पांच सौ से एक हजार फीट नीचे से पानी निकालने के लिए ट्यूबवेल लगाये हैं । होता यह है जिसके पास पैसा होता है वह तो ट्यूबवेल बना लेता है और जिसके पास नहीं होता है, जो कम जमीन का मालिक होता है, जो छोटा किसान होता है, वह ट्यूबवेल की सुविधा से वंचित हो जाता है । आपने एक नियम बनाया है कि 22 किलोमीटर के अन्दर अगर दस से ज्यादा नलकूप होंगे तो वहाँ नए नलकूप नहीं बनाये जायेंगे । इस नियम के मुताबिक जिनके पास पैसा नहीं है वे ट्यूबवेल की सुविधा से वंचित हो जाते हैं गांवों का सन्तुलित विकास करने के लिए जो आपकी योजना चल रही हैं और जिसके तहत सहायता और ऋणों की मदद का प्रावधान है, इस नियम की वजह से इस योजना का लाभ गरीब किसानों को नहीं मिल रहा है । गरीबों के हित को आगे बढ़ाने वाला जो नियम नहीं है और जो इसके रास्ते में बाधक होता है उस नियम को आप खत्म करें और यह जो अन्याय है इसको आप दूर करें ।

सीमेंट के बारे में भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है । हमारी माँग त्रिमासिक छः लाख टन से भी अधिक है लेकिन हमें केवल तीन साढ़े तीन लाख ही मिलता है । इसकी वजह से सीमेंट

के अभाव में सड़कें, इमारतें, सार्वजनिक संस्थाएं बन नहीं पा रही हैं, उनके काम-काज में बाधा उत्पन्न हो रही है। सीमेंट में इसकी वजह से काला बाजारी भी चल रही है। किसान को कुआं बनाने के लिए, पाइप लाइन बिछाने के लिए सीमेंट चाहिए लेकिन मिलता नहीं है। इस वास्ते सीमेंट का कोटा बढ़ाया जाना चाहिए।

जहां तक कोयले का सम्बन्ध है पावर स्टेशंज तक को कोयले की समस्या का सामना करना पड़ता है। जो छोटे बड़े उद्योग वहां चल रहे हैं उनको भी पूरी मात्रा में कोयला नहीं मिलता है। इस वास्ते वहां पर कोयले की सप्लाई भी बढ़ाई जानी चाहिए।

मुकेश्वर और सीपु सिंचाई योजनाओं को आपकी तरफ से स्वीकृति दी जानी चाहिए। फाइनेंस का भी प्रावधान उनके लिए होना चाहिए। बनासकांठा जिले में रेल नदी बांध बांधने की, एक बाढ़ नियंत्रण की जो एक योजना एक साल से चली आ रही है, इसको भी स्वीकृति नहीं मिल रही है। इस वास्ते वह काम भी रुका हुआ है। नदी पर बाढ़ नियंत्रण योजना को भी स्वीकृति दी जानी चाहिए।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें गांवों में खोलने का आन्दोलन चल रहा है। बनास कांठा जिले में बीस बीस मील के अन्दर भी एक भी बैंक की शाखा नहीं है। आपने नियम बना रखा है कि पंद्रह किलोमीटर के अन्दर जो गांव होते हैं वहां के लोगों को ही उस बैंक से लोन मिल सकता है। बनासकांठा में कई गांव ऐसे है जहां पर बैंकों की कोई शाखा ही नहीं खोली गई है और इस वास्ते वहां के किसानों को ऋण नहीं मिलता है और किसान अपना काम ऋण के अभाव में कर नहीं पाते हैं। जिन गांवों में बड़ी बड़ी बस्तियां हैं ऐसे गाँवों में जल्दी से जल्दी राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोली जानी चाहिये ताकि गरीब किसानों को, छोटे छोटे किसानों को ऋण की सुविधा मिल सके।

हमारी बहुत सालों से यह माँग चली आ रही है कि गुजरात और राजस्थान को मिलाने के लिए तो मीटर गेज है उसको ब्राडगेज में परिवर्तित किया जाए। रेल बजट में इसके लिए 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। यह राशि तो नक्शे बनाने में ही खर्च हो जाएगी और इससे कुछ होने वाला नहीं है। इस लाइन पर सिमेंट की फैक्ट्रियां बनती जा रही है, खनिज भंडारों का यहां पता चल रहा है। यह लाइन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जब तक इस लाइन को ब्राडगेज में कनवर्ट नहीं किया जाता है तब तक डबलिंग का काम भी नहीं हो सकता है और न ही तेज रफ्तार की गाड़ियां इस लाइन पर चलाई जा सकती हैं। इस वास्ते अहमदाबाद से दिल्ली तक वाली लाइन को ब्राड गेज लाइन में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिये। इस काम को जल्दी से जल्दी हाथ में लिया जाना चाहिये।

साल्ट और कैश क्राप्स जो मार्किट में आती है उनके लिए बड़ी मात्रा है बैगंज की जो आवश्यकता होती है वे नहीं मिलती हैं। इनकी भी व्यवस्था आपको करनी चाहिये। जब तक इस लाइन को ब्राडगेज में कनवर्ट नहीं कर दिया जाता है तब तक तेज रफ्तार की गाड़ियां भी इस लाइन पर दौड़ाई नहीं जा सकती हैं। इस ओर आप ध्यान देंगे, ऐसी मैं आप से आशा करता हूं।

आखिर में मैं एक बात यह कहना चाहता हूँ कि गुजरात में सहकारिता के बेस पर अच्छा काम चल रहा है, खासकर दूध के क्षेत्र में अच्छा काम चल रहा हैं। वहां हर रोज एक हजार टन कैटल फीड बनता है, लेकिन उसका निर्यात किया जाता है, वह बाहर भेजा जाता है इसलिये इस मैटीरियल का भाव वहां पर दुगुना हो गया है। किसानों को इस कैटल फीड के लिये ज्यादा कीमत देनी पड़ती है। और उन्हें दूध का पूरा-पूरा दाम नहीं मिलता है। मेरा निवेदन है कि इसके निर्यात को बन्द किया जाये और देश की जरूरत पूरी हो, इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

*श्री छीतूभाई गामित (माण्डवी) : अध्यक्ष जी, आप साहब ने मुझको बजट पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए जो समय दिया है। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्रीमन्, कल लोकसभा में गुजरात के लिए वर्ष 1980-81 का बजट पेश किया गया। मैंने उसे ध्यान से सुना है। मैं इस बजट का स्वागत करता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, सन् 1975 में गुजरात की जनता का दुर्भाग्य रहा क्योंकि गुजरात में, बड़े-बड़े जमींदारों, साहूकारों तथा निहित स्वार्थों का समर्थन करने वाली जनता सरकार बनी। गुजरात की जनता सरकार ने और अन्यनिहित स्वार्थों ने गुजरात के 28 लाख आदिवासियों का तथा 14 लाख हरिजनों का काफी शोषण किया। एक अर्थ में कहें तो लूट ही मचाई।

अध्यक्ष जी, गुजरात में सन् 1972 में उससे पहले कांग्रेस सरकार के शासन में भूमि सीमा कानून जैसे कई क्रांतिकारी कानून बनाये थे। जिसके कारण गुजरात में हजारों भूमिहीन भूमि पा सके। भूमि सीमा कानून के द्वारा कोई 47,000 एकड़ भूमि फालतू थी। 20 सूत्री कार्यक्रम द्वारा इस भूमि को भूमिहीनों में बांटने का कार्यक्रम बनाया गया। इस प्रकार गुजरात के कोई 20 लाख भूमिहीन खेतिहर मजदूर हमारी अपनी भूमि होगी इस प्रकार के स्वप्न देखने लगे। किन्तु दुर्भाग्य यह रहा कि गुजरात में जनता सरकार की स्थापना हुई और उसने इस कार्यक्रम की उपेक्षा की जिससे भूमिहीन भूमि नहीं पा सके। गुजरात की जनता सरकार ने 'भूमि आयोग' का गठन किया भूमि सुधार के कानूनों की उपेक्षा की।

मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि यह 47,000 एकड़ फालतू भूमि फौरन भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में बांट दी जाय तथा भूमि सीमा सम्बन्धी कानून पर अदालत द्वारा जो रोक लगा दी गई है, उस को रद्द किया जाय।

अध्यक्ष जी, गुजरात में कोई 20 लाख खेतिहर मजदूर हैं जो आबू अंबा जी से लेकर

*गुजराती में दिये गये भाषण का हिन्दी रूपान्तर।

दक्षिण में सूरत बलसाड़ तक बस रहे हैं। ये ग्राम तौर पर हलपति खेतिहर मजदूर हैं। उनके रहने के लिए ग्राज भी झोंपडियों की सुविधा नहीं हैं। उन लोगों के रहने के लिए कम से कम इसे 4 हजार रुपये का एक सामान्य झोंपड़ीनुमा मकान एक वर्ष की अवधि में बनाना होगा। उनके लिए रोजगार तथा उनके बच्चों की शिक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी।

गुजरात का पूर्वी क्षेत्र - अंबाजी से लेकर धर्मपुर तक आदिवासी क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में कोई 24 लाख आदिवासी रह रहे हैं। इस क्षेत्र का विकास अभी तक नहीं हो सका है। इस आबादी का 67.2 गरीबी की सीमा के नीचे जी रहा है। सरकार को इनकी गरीबी दूर करने के लिए सोनगढ़, व्यारा, धर्मपुर, वांसरा, मांडवी, राजपिपला, छोटा उदयपुर ग्रादि स्थानों पर लघु उद्योगों की स्थापना करके इन्हें रोजगार देना चाहिए। इन क्षेत्रों में अच्छे रास्ते नहीं हैं। यातायात की पर्याप्त सुविधा भी नहीं है। इन सुविधाओं को हमें शीघ्र ही वहां पर उपलब्ध करना होगा।

गुजरात के ग्रादिवासी हमेशा के लिए सराफों के ऋण में डूबे रहते हैं। सरकारी तथा सहकारी समितियों के भी इन पर भारी ऋण हैं। वे इन ऋणों से मुक्त नहीं हो सकते हैं क्योंकि इन लोगों का प्रधान व्यवसाय खेतीबाड़ी ही रहा है। खेती वर्षा पर निर्भर करती है। इसलिए समय पर पर्याप्त वर्षा न होने से फसल नष्ट हो जाती है। इनकी आय का कोई अन्य स्रोत नहीं।

मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि ग्रादिवासी लोगों के हर प्रकार के ऋण माफ किये जायें।

नर्मदा बांध गुजरात के लिए महत्वपूर्ण है। उसके निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर करना होगा। गुजरात में 24% भूमि में सिंचाई होती है 35% भूमि प्रायः हमेशा के लिए अकाल–ग्रस्त रहती है। नर्मदा योजना कार्यान्वित होने के बाद कुल कृषि–योग्य जमीन के 38% भाग में सिंचाई होने लगेगी। इसलिए इस योजना के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करनी चाहिए।

अध्यक्ष जी, गुजरात के विकास के लिए औद्योगिक विकास पर पर्याप्त ध्यान देना जरूरी है। इसलिए बम्बई हाइ से गुजरात को पर्याप्त गैस देनी होगी। पाइप बिछाने का काम अभी समाप्त नहीं हुआ है। उसे शीघ्र ही पूरा करना होगा।

गुजरात में हजिरा स्थित शिपयार्ड के निर्माण का कार्य तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वैसे ही हजीरा में पैट्रोकेमीकल्स संकुल कायम करने के लिए तुरन्त स्वीकृति दे देनी चाहिए।

अन्त में मैं आशा करूंगा कि मंत्री महोदय मेरे इन सुझावों पर पर्याप्त ध्यान देंगे तथा आवश्यक कार्यवाही भी करेंगे।

श्री मगन भाई बरोट (अहमदाबाद): यह सभा गुजरात राज्य के बजट पर विचार कर रही है। सबसे पहले मैं माननीय वित्त मंत्री को समाज के अधिक निर्धन वर्गों के लिये अनुमानित धनराशि में 104 करोड़ रुपये की राशि बढ़ाने के लिये बधाई देता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर): औपचारिकता का पालन करते हुये पहले माननीय प्रधान मंत्री को बधाई दीजिये।

श्री मगन भाई बरोट : जब हम वित्त मंत्री महोदय को बधाई देते हैं, तो इसमें माननीय प्रधान मंत्री के लिये भी बधाइयां शामिल होती हैं।

मैं माननीय वित्त मंत्री तथा नौवहन और परिवहन मंत्री, श्री ए० पी० शर्मा जी से गुजरात राज्य के बारे में कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। श्री ए० पी० शर्मा का गुजरात के साथ निकट संबंध है और वह यहां उपस्थित भी हैं। बहुत देर से समस्यायें चली आ रही है जिन्हें केवल यह सभा तथा सरकार ही हल कर सकते हैं।

पहली बात यह है कि अहमदाबाद में, जो भारत का मानचैस्टर है, जहां 68 मिलें हैं, उस नगर के दोष पूर्ण प्रवन्ध केकारण विभिन्न एककों को बन्द कर दिया गया। भारत सरकार के लिये यह अपेक्षित था कि वह पर्याप्त संख्या में अलाभकारी एककों को राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अन्तर्गत ले ले। किन्तु परम्परा यह रहीं है जो एक वस्त्र व्यापार में एक और अनुभव है कि हम राष्ट्रीय कपड़ा निगम एककों को जो गुजरात की सहायक एकक हैं, लाभ अर्जित करने वाले एककों में बदल दिया है। शायद यह समूचे भारत के समूह में से एक हैं जो आज लाभ अर्जित कर रही है। इस नगर में एक है जिसे मानक चौक मिल का नाम दिया गया है। इस मिल को ले लेने की मेरी मांग चार अथवा पांच वर्ष पुरानी है। यदि माननीय वित्त मंत्री यह कहते हैं कि उद्योग की सहायता करने के लिये लाभ अर्जित करने वाले एकक कुछ संकट ग्रस्त एककों को अपने हाथ में ले सकता है। यदि राष्ट्रीय कपड़ा निगम हमारी सहायता करे, तो एक अच्छा उदाहरण हो जायेगा। यदि राष्ट्रीय कपड़ा निगम इस बन्द एकक को अपने हाथ में ले ले, तो मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि इसे निश्चय ही लाभ अर्जित करने वाले एकक के रूप में बदला जा सकता है।

इसी प्रकार, एक अन्य मिल जो एक जिले में स्थित है जहां से केवल एकमात्र विरोधी सदस्य श्री मोतीभाई चौधरी संबंधित हैं जैसा कि मैं भी इस जिले से संबंधित हूं। चूंकि वह वहाँ से एकमात्र विरोधी पक्ष के सदस्य हैं, इसलिये हम उन्हें वर्दाश्त कर सकते हैं और मैं इस बात के लिये उनका समर्थन करता हूं। कृपया इस अनुरोध की ओर ध्यान दें। कृपया इन दो मिलों अर्थात मानक चौक मिल तथा काडी मिल, को अपने हाथ में ले लीजिये। एक वर्ष में ही वे निश्चय लाभ अर्जित करने वाले एकक हो जायेंगे। संयोगवश वह इस देश की सबसे बड़े मजदूर संघ आन्दोलन के सबसे बड़े नेता हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह हमारी सहायता करेंगे।

एक और बात है जो मेरे लिये थोड़ी व्यक्तिगत है, मेरे मित्र श्री चौधरी भी मेहसाना से संबंधित हैं। मैं अपने जिले के बारे में एक बात बता सकता हूं कि हम गुजरात और भारत को सर्वोत्तम वैज्ञानिक देते हैं। हम सर्वोत्तम गणितज्ञ देते है, तो भी हमारे युवकों को इंजीनियरी कालेज अथवा मेडिकल कालेज अथवा उस प्रकार की कोई अन्य सुविधा प्राप्त नहीं है। हम समय समय पर मांग करते रहे हैं कि वर्तमान गुजरात विश्वविद्यालय हमें दे देते, वहां एक डिविजन बना देते, इसे एक व्यवहार्य आवासीय विश्वविद्यालय का रूप दे देते और शेष को पुर्व गुजरात विश्वविद्यालय के रूप में हमें दिया जा सकता है। यह मेरी स विनय प्रार्थना है। जब मैं

सरकार में था और श्री मकवाना मेरा समर्थन करेंगे कि सिद्धान्त रूप में गुजरात सरकार मेरे सुझाव से सहमत हो गई थी ।

मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से हमें हमारा उचित हिस्सा देने के लिये कहें ।

गुजरात में गुजरात कृषि विश्वविद्यालय सर्वोत्तम कृषि विश्वविद्यालयों में से एक है । हमारा वर्तमान प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर इसका विकास करना पसंद नहीं करता । चूंकि यह मामला अब भारत संघ के प्रशासन में है और चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों का उत्थान ही इसका निश्चित हित है, इसलिये मैं एक सविनय प्रार्थना करता हूँ कि गुजरात कृषि विश्वविद्यालय को कृषि विश्वविद्यालयों के एक आदर्श रूप में बदल दिया जाये, इससे भारत भर के लिये एक आदर्श प्रस्तुत होगा । कृपया इस ओर ध्यान दें तथा इसे कार्यान्वित करें ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने प्रगति की है । हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दुग्धशाला ने खाद्य तेलों में 'आप्रेशन फलड़' नाम की एक योजना प्रदान की है । जैसा कि हम दूध में मामले में समूचे राष्ट्र का नेतृत्व किया, वैसे ही हम खाद्य तेल के मामले में भी राष्ट्र का नेतृत्व कर सकता है । कृपया इस पर विचार किजिये तथा खाद्य तेलों में आप्रेशन फलड' योजना को सहायता दीजिये, जिसका सुझाव हमने दिया है और आपको सभी लोगों का समर्थन मिलेगा । उन्हें यह करने दीजिये तथा हमारी सहायता कीजिये, मैं भारत सरकार को आश्वासन दे सकता हूं कि हम कांग्रेस (आई०) को पुनः सत्ता में लायेंगे ।

श्री आर० पी० गायकवाड़ (बड़ौदा) : श्रीमान् जी मैं गुजरात में राष्ट्रपति शासन के लागू किये जाने का स्वागत करते हुए केवल यही कहना चाहता हूँ कि इससे जनता पार्टी के तीन वर्षों के कुशासन, कुप्रबंधित शासन का अन्त हुआ है और इससे एक ऐसा वातावरण पैदा हुआ है जिससे लोगो को प्रतिक्रियावादी शक्तियों से मुक्ति मिल गयी है ।

गत लोक सभा चुनावों के परिणामों ने सिद्ध कर दिया है कि जनता नेताओं द्वारा, विशेषकर कि श्री चन्द्रशेखर द्वारा मुख्य मत्री, श्री बाबू भाई पटेल के लिए सभी प्रकार के प्रचार किये जाने तथा उनकी सराहना किये जाने के बावजूद वह अच्छे कार्य करने में असफल रहे हैं । इस बात में लेशमात्र भी संदेह नहीं है कि गुजरात के लोग जनता के कुशासन का अन्त करना तथा एक नयी सरकार चुनना चाहते थे और इसी कारण से ही उन्होंने कुल 26 स्थानों में कांग्रेस (आई) के 25 स्थानों पर चुनकर कांग्रेस (आई) को भारी विजय दिलायी है और अनेक मामलों में 1977 के चुनावों की अपेक्षा अधिक मतों से विजय मिली । इससे केवल जनता पार्टी के दावों का खोखलापन सिद्ध हो जाता हैं ।

लोक सभा चुनावों में भारी पराजय के तुरन्त बाद जनता पार्टी ने गुजरात के प्रत्येक समाचार पत्र में विज्ञापन नीति अपनाई और इससे उन्होंने लोगों का धन हजारों रुपये प्रतिदिन की दर से खर्च कर दिया ताकि उनका प्रभाव बना रहे । मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुजरात के लोग काफी बुद्धिमान है और वे इन चालों को समझ लेंगे और आगामी विधान सभा के

चुनावों में पहले की तरह उत्तर देगें। फिर भी मुझे प्रसन्नता है कि राज्यपाल के शासन के दौरान लोगों के धन को बेकार खर्च किये जाने का अन्त हुआ है।

मैं जनता के प्रतिक्रियावादी रवैये संबंधी एक उदाहरण बताना चाहता हूं। आपात-काल के दौरान, तत्कालीन गुजरात सरकार ने 3 करोड़ रुपये मूल्य के खाद्यान्नों तथा खाद्य तेलों जैसे दैनिक आवश्यकता के जमाखोरी के भण्डारों को ढूंढ निकाला था। किन्तु जब जनता सरकार सत्ता में आयी, तो उसने जमाखोरी तथा चोरबाजारी करने वालों को प्रसन्न करने के लिये केवल 1.5 लाख रुपये मूल्य की थोड़ी मात्रा में वस्तुओं को अपने पास रखकर शेष मुख्य भाग उन्हें वापिस कर दिया।

इस सभा के जनता पार्टी के सदस्य बढ़ते हुए मूल्यों के बारे में शोर मचा रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि उनकी तथाकथित सर्वोत्तम सरकारों में एक सरकार की एक ऐसे लज्जाजनक ढंग से जमाखोरों की सहायता करने की कार्यवाही के बारे में उनका स्पष्टीकरण क्या है ?

वर्तमान मूल्य वृद्धि केवल गत वर्षों के दौरान जनता पार्टी द्वारा अकुशल ढंग से किए गये शासन के बाद के परिणाम के कारण ही है। विरोधी पक्ष कहता है कि यह संकट है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसे किसने खड़ा किया है और यह ऐसे चरण पर क्यों पहुंच गयी है कि जिसमें सरकार को इस पर नियंत्रण करने के लिए कुछ समय लगेगा। हमें इस बात की अवश्य ही सराहना करनी चाहिए कि घर का निर्माण करने में लम्बा समय लगता है, किन्तु इसे गिराने में बहुत थोड़ा समय लगता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार मूल्यों पर नियंत्रण करने के लिए सभी आवश्यक पग उठायेगी। मैं माननीय प्रधान मंत्री से मूल्यों को कम करने के लिए सभी सम्भव कदम उठाने का अनुरोध करता हूं, क्योंकि विरोधी दल मूल्य वृद्धि की इस समस्या का अनुचित लाभ उठा रहें हैं।

जब जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई थी, उसके नेता हर समय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के बारे में कहते रहते थे। मैं यहाँ उनकी इसके प्रति ईमानदारी के एक उदाहरण का उल्लेख करना चाहता हूं। जनता दल ने गुजरात मे अपने शासन के दौरान सबसे अधिक संख्या में छपने वाले एक गुजराती दैनिक में न केवल विज्ञापन की दरों को कम कर दिया, बल्कि सरकार की ओर से मिलने वाले विज्ञापनों में कमी कर दी, क्योंकि यह दैनिक कांग्रेस-आई के प्रति थोड़ी सहानुभूति रखता था। मुझे आशा है कि मेरे राज्य में राष्ट्रपति शासन इस भेद-भाव का अन्त कर देगा, और यह सिद्ध कर देगा कि वर्तमान संघीय सरकार के मन में समाचार पत्रों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है।

कई बार, गुजरात में यह भावना फैलाई गई कि श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार गुजरात के विकास के प्रति ध्यान नहीं देती थी। किन्तु ऐसे आलोचकों के लिए यह एक अच्छा उत्तर है कि माननीय वित्त मंत्री ने गुजरात के योजना परिव्यय को 392 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 488 करोड़ रुपये कर दिया है। मैं बहुत ही प्रसन्न हूं कि लोगों को, विशेषकर

अधिक गरीब वर्गों को, दिए गये वचनों को पूरा करने के लिए यह योजना परिव्यय में की गयी यह वृद्धि काफी सीमा तक सफल रहेगी ।

मैं आपका तथा संघीय सरकार का ध्यान गुजरात की मुख्य महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं । वे समस्यायें बड़ी नर्मदा घाटी परियोजना को तेजी से कार्यान्वियन करना तथा गुजरात के लिए बम्बई हाई गेस पाइप लाइन भूमिबिन्दु संबंधी शीघ्र स्वीकृति देना है । श्रीमान् जी, मैं जानता हूँ कि रसायन मंत्री, श्री वीरेन्द्र पाटिल ने अभी-अभी कार्य भार सम्भाला है और उनके लिऐ इस ओर पूरा ध्यान देते तथा इस मामले पर विचार करने में कुछ समय लगेगा । गुजरात के लोग काफी समय से प्रतीक्षा करते चले आ रहे हैं और वे कुछ समय तक और धैर्य रखेंगे ।

कल सरकारी पूंजीनिवेश बोर्ड की बैठक हुई जिसमें कि गैस लाइन सम्बन्धी दो विकल्पों पर विचार किया गया और मुझे मालूम हुआ है कि कुछ अधिकारी आरम्भ से ही इसके मार्ग में अड़चनें डालने आ रहे हैं ताकि परियोजना की शीघ्र होने वाली क्रियान्वति में विलम्ब किया जा सके । परन्तु मैं सदन को यह याद दिला देना चाहता हूं कि भूतपूर्व पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री, श्री एल० एन० बहुगुणा ने गुजरात की पाईपलाइन के लिए भूमि देने का आश्वासन दिया था । मेरा विचार यह है कि इस निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिये और इसे बदला नहीं जाना चाहिये ।

जहाँ तक नर्मदा परियोजना की शीघ्र क्रियान्वति का प्रश्न है, मैं माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि उन्हें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश तथा राजस्थान के सलाहकारों की संयुक्त बैठक बुलानी चाहिये और इसके शीघ्र निपटाने हेतु संयुक्त समय-सारणी तैयार करनी चाहिये । श्रीमान जी, इस बात से सभी सहमत होंगे कि इस अन्तर-राज्यीय परियोजना में बिना अन्य राज्यों के सहयोग से कोई विशेष कार्य नहीं कर सकता । मुझे विश्वास है कि यह परियोजना चूंकि राष्ट्रीय हित से सम्बद्ध है, अतः मेरे अनुरोध पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जायेगा और इस कार्य में जो पहले असाधारण विलम्ब हो चुका है उसे भी दृष्टगत रखा जायेगा । इस मामले में शीघ्र निर्णय करने से लाखों जरूरतमद किसानों को लाभ होगा । मुझे यह कहते हुये दुःख हो रहा है कि यद्यपि हमारी सरकार हरिजानों तथा देश भर में पिछड़े वर्गों के लोगों के उत्थान के लिए वचनबद्ध है परन्तु फिर भी स्वतन्त्रता प्राप्ति के 30 वर्ष बाद भी अभी तक उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है । मेरा सुझाव है कि पिछड़े वर्ग आयोग का पुनर्गठन किया जाना चाहिये और हरिजन भाइयों तथा बहनों के कल्याण हेतु ऐसी योजना तैयार की जानी चाहिये जिससे उन्हें लाभ प्राप्त हो सके । धन्यवाद ।

श्री नरसिंह मकवाना (ढंढूका) : माननीय सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट सदन के सामने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ । गुजरात के बारे में लोगों के मन में अन्दर बहुत सी गलतफहमियां फैली हुई हैं । लोगों के दिमागों में यह भ्रम फैला हुआ है कि गुजरात बड़ा समृद्ध है, पैसे वाला है, इस गलतफहमी को

दूर करना बहुत जरूरी है। अगर सही ढंग से देखा जाय तो गुजरात की 50 फीसदी से ज्यादा आबादी ऐसी है जिन को दो टाइम पूरा खाने को भी नहीं मिलता है, उन के पास रहने के लिये मकान नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है। ऐसे गुजरात के बारे में जब इस सदन में विचार हो रहा है, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि गुजरात की हालत को सुधारने के लिये सब को सोच-समझ कर कुछ करना पड़ेगा।

गुजरात में आज 4 हजार से ज्यादा गांव ऐसे हैं जिन को पीने के लिये पानी भी नहीं मिलता है। आज जिस तरह से पानी की व्यवस्था का काम चल रहा है, उस तरह से तो 15 से 20 साल तक भी उन को पानी नहीं मिल पायेगा। हम समाजवाद की बात करते हैं, लेकिन देहातों में जो लाखों जनता रहती है, उन को पीने का पानी नहीं मिलता है, आज गुजरात की यह हालत है तो देश के दूसरे हिस्सों में क्या हालत होगी, आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। इसलिये सब को पीने का पानी मिले, ऐसा इन्तज़ाम हम को करना चाहिये।

हमारे गुजरात की धरती से आज तेल निकलता है, गैस निकलती है लेकिन उस की जो रायल्टी मिलती है, वह यदि आज के भाव को देखा जाय तो बहुत कम है। इस के लिये चाहे आप को फिर से एग्रीमेन्ट करना पड़े या कोई तबदीली या फेर-फार करना पड़े, परिवर्तन करना पड़े जो भी करना पड़े, लेकिन गुजरात की धरती से निकलनेवाले तेल की सही रायल्टी गुजरात को मिले, ऐसा इन्तज़ाम करना चाहिये।

गुजरात के बहुत से जिलों में आज अकाल की स्थिति है, बारिश बहुत कम हुई है। हमारी सरकार से मांग है कि वहां अकाल की स्थिति घोषित करे और इसके कारण जो लोग बेकार हो गये हैं उनको काम दिया जाय। वहां पर सरकार "अकाल क्षेत्र" घोषित नहीं कर रही है जिससे लोगों को राहत नहीं मिल रही है। मैं चाहता हूं कि सरकार तुरन्त ऐसा आदेश निकाले जिससे वहां के लोगों को कुछ राहत पहुंच सके।

मुझे बहुत खुशी है कि राष्ट्रपति जी ने गुजरात की सरकार को सस्पेण्ड कर दिया। अगर ऐसा नहीं होता, तो मुझे डर था कि वे सारे गुजरात को बेच देते।

सभापति जी, जनता पार्टी की सरकार ने राज भवन दे दिया और एक प्राइवेट संस्था उसके लिए बना दी। उसके चेयरमेन मुख्यमंत्री हो गये। इस तरह से लेने वाले भी मुख्य मंत्री और देने वाले भी मुख्य मंत्री।

इसी सम्बन्ध में एक बात यह भी कहना चाहता हूँ कि अहमदाबाद शहर के अन्दर एक मीटर जगह की कीमत 3 हजार रुपये हैं और वहां पर 26 लाख रुपये की कीमत वाली भूमि को डेढ़ लाख रुपये में एक सोसाइटी को दे दिया। इस तरह से जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जमीन दे दी गई और उसको सरकारी मिलकियत दे दी गई। मेरी मांग है कि इसके लिए एक कमीशन बैठाया जाए और इंक्वायरी कराई जाए कि राज भवन के बारे में ऐसा क्यों हुआ है। इस तरह से तो एक दिन तो लोग लाल किले को भी खरीद लेंगे। इस चीज को जल्दी से जल्दी देखना चाहिए।

एक बात और यह कहना चाहता हूं कि 1 करोड़ 59 लाख रुपया प्रौढ़ शिक्षा के लिए जो रखा गया है, उसको खत्म कर देना चाहिए। गुजरात में यह नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका दुरुपयोग होता है ।

अभी जो एक माननीय सदस्य बोले, उन्होंने ग्रामीण बैंक की बात कही कि वे बनाए जाएं। जब हमने ग्रामीण बैंक खोलने की बात कही थी, तो जनता पार्टी के मुख्य मंत्री ने उसका विरोध किया था और यह कहा गया था कि ग्रामीण बैंक की जरूरत नहीं है । हमारे सम्मानित सदस्य आज उसी बात को कह रहे हैं। उस वक्त तो कह दिया गया था कि कोआपरेटिव बैंक बनाए गए हैं और उनसे काम चल जाएगा ।

इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं ।

श्री दिग्विजय सिंह (सुरेन्द्रनगर) : श्रीमान जी, माननीय वित्त मंत्री द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। आबंटन की धनराशि को 392 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 488 करोड़ रुपये करने के लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं परन्तु इसके साथ ही मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि वर्ष 1980-81 के लिए जो आबंटन किया गया हैं, वह चालू वर्ष से कम है; वर्ष 1979-80 के लिए यह आबंटन 488 करोड़ था तथा 1980-81 के लिए 400 करोड़ है। अतः हम आशा कर सकते हैं कि आगामी वर्ष में किया जाने वाला आबंटन, चालू वर्ष के आबंटन से कम नहीं होगा ।

गुजरात राज्य को राहत कार्यों के लिए जो आबंटन किया गया है, उसके बारे में भी मेरी आशंकायें है। मेरा शहर भी मोखी के निकट का ही है जहां कि गत वर्ष बाढ़ आई थी। मैंने देखा है कि राहत कार्यों के लिए 17,75,00,000 रुपयों का आबंटन किया गया है परन्तु मैं मोखी क्षेत्र के अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि वहां बहुत सी अनियमिततायें हैं। धन को और अच्छी तरीके से खर्च किया जा सकता था और अधिक धनराशि राहत कार्यों के लिए दी जा सकती थी—केवल मोखी के लिए ही नहीं, अपितु उसी नदी की निकटवर्ती क्षेत्रों में राहत के लिए और अधिक धनराशि उपलब्ध करवाई जा सकती थी ।

मोखी बांध के टूटने के कारणों का पता लगाने के बारे में एक आयोग का गठन किया गया था और मैं चाहूंगा कि आयोग इस मामले के बारे में निष्पक्ष ढंग से अपना निर्णय दे ।

सर्दी में असमय पर वर्षा हो जाने के कारण इस बार उजरी गुजरात के सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र में कृषी की काफी नुकसान हुआ है और वहां जो क्षति हुई है, उसे यहां बताया नहीं गया है और मुझे आशा है कि गुजरात सरकार इस ओर ध्यान देगी और इसके लिए पर्याप्त मुआवजा दिया जायेगा। हमने नर्मदा सम्बन्धी प्रतिवेदन को पढ़ा है और उसमें बताया गया है कि 455 फुट की ऊँचाई पर बांध बनाया जायेगा। मुझे विश्वास है कि राज्य द्वारा जो बांध बनाये जाने

की योजना थी, उससे यह 20 फुट कम होगा तथा जिस स्तर पर वहां नहरें बनाई जाती थी, उनके स्तर से भी यह कम होगा।

मुझे आशा है कि अन्ततः सौराष्ट्र तथा कच्छ दोनों के लिए ही सिंचाई सम्बन्धी अधिक सम्भाव्यताओं का पता लगाया जायेगा। राज्य के यह भाग ऐसे है जो कि मरुस्थल तथा शुष्क है तथा जहाँ पानी की बहुत अधिक आवश्यकता है।

गुजरात ही एक ऐसा राज्य है जिसके साथ भारत में सबसे अधिक तटीय क्षेत्र जुड़ा हुआ हैं और इसीलिए इस राज्य के पास मत्स्य तथा उद्योगों व आर्थोफास्फेट के निर्यात की सम्भाव्यता काफी अधिक है। परन्तु गुजरात राज्य में पत्तनों के विकास कार्य की भारत सरकार द्वारा पूर्ण अवहेलना की गई थी। अब छोटे पत्तनों में कुछ विकास हुआ है परन्तु भारत सरकार द्वारा इन विकास कार्यों की गति पर जो बल दिया गया है, मेरे विचार से उस का पुनरीक्षण करने की काफी आवश्यकता है। मत्स्य उद्योग का विकास भी किया जा सकता है या उसे अधिक बढ़ावा दिया जा सकता है यदि भारत सरकार तथा राज्य सरकार इस पर अधिक ध्यान दे। इस कार्य के लिए क्षेत्रों का निर्धारण करके, मत्स्य के संसाधनों का पता लगा कर, मत्स्य पालन आदि के लिए उन क्षेत्रों में आधार-भूत ढांचा तैयार किया जा सकता है।

जहां तक सड़कों का सम्बन्ध है, उनके लिए गुजरात राज्य में बनाई गई नागपुर योजना काफी अपर्याप्त है। उसके बारे में पुरजोर ज्ञापन दिया गया है परन्तु मुझे खेद है कि उसका कोई लाभ नहीं हुआ है। जहां तक पर्यटन का सम्बन्ध है, उसके बारे तो सभी यह जानते है कि गुजरात राज्य में भी राजस्थान या उत्तर–प्रदेश की तरह ही पर्यटन की सम्भाव्यता काफी अधिक है परन्तु राज्य सरकार द्वारा काफी समय से इसकी अवहेलना के कारण पर्यटन उद्योग का वहां विकास नहीं हो पाया है। इसके लिए समग्र रूप से कोई आयोजन नहीं किया गया है और इसके सम्बद्ध आधारभूत ढांचें का विकास करने की ओर को ध्यान नहीं दिया गया है।

जहां तक संचार भावनाओं का सम्बन्ध है, तथा विशेष रूप से विमान सेवा का सम्बन्ध है सौराष्ट्र तथा कच्छ क्षेत्र को दिल्ली क्षेत्र के साथ जोड़ने की काफी आवश्यकता है। इसके बारे में भी जोरदार ज्ञापन दिये जा चुके है परन्तु दुर्भाग्यवश उनका कोई परिणाम नहीं निकला है।

जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुजरात में मद्य-निषेध के बारे एक सनक है सी है जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र में पर्यटन विकास कार्य में बाधा पहुंचती है। मुझे आशा है कि सरकार के बदलने है, के बाद अब इस पहलू पर भी पुनः विचार किया जायेगा जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में पर्यटन उद्योग चाहे वह राष्ट्रीय स्तर पर हो या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसे कुछ बल अवश्य मिलेगा।

मैं यहां सुरेन्द्रनगर चुनाव-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जिसके द्वारा सम्पूर्ण भारत के समुद्री नमक के 25 प्रतिशत भाग का उत्पादन किया जाता है। इसलिए मैं नमक के बारे में अधिकारपूर्ण ढंग से इस सदन में कुछ बोलने का दावा कर सकता हूं। नमक तो अन्ततः अन्य

आवश्यक वस्तुओं की तरह ही है। परन्तु यह खेद की बात है कि मेरे चुनाव-क्षेत्र में नमक उद्योग की भी बुरी तरह से अवहेलना की गई है। बिजली उपकर की तरह ही नमक उपकर भी देता हैं, जिसके सम्बद्ध विधेयक पर कल ही विचार किया गया था। कल हुई चर्चा में भी मैंने भाग लिया था और हमें यह जानकर संतोष हुआ कि भारत सरकार द्वारा जो धनराशि उपकर के रूप में एकत्रित की जाती है, उसे ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत पुन: राज्य सरकारों को बांट दिया जाता है। जहाँ तक नमक उपकर का सम्बन्ध है, उसके बारे में भी कोई इसी प्रकार का निर्णय किया जाना चाहिए या नीति तैयार की जानी चाहिये? करोड़ों रुपयों का नमक उपकर एकत्रित हो गया है और यह धनराशि भारत सरकार की तिजोरियों में बेकार पड़ी है और उत्पादक चाहे वह नमक कड़ाहों के मालिक हो या श्रमिक जिनकी संख्या मेरे चुनाव क्षेत्र में 22,000 है, इन लोगों को अभी तक एकत्रित नमक-उपकर में से एक रुपये का लाभ भी नहीं मिला है। मेरा यह भरपूर अनुरोध है कि यह अप्रयुक्त धनराशि का उपयोग नमक उत्पादकों तथा नमक श्रमिकों के लिए जाना चाहिये जिससे कि यह उद्योग और आगे विकसित हो सके तथा देश के लिए अपेक्षित नमक का उत्पादन और अधिक किया जा सके।

जहां तक उद्योगों का सम्बन्ध है, हमें मालूम है कि भारत सरकार की योजना कुछ क्षेत्रों को पिछड़े क्षेत्र घोषित करने की है और यह अच्छी बात है। मेरा अपना जिला सुरेन्द्र नगर तथा दो अन्य जिले पिछड़े हुये जिले हैं। परन्तु राष्ट्र तथा गुजरात दोनों ही के हित के लिए मैं समझता हूँ कि अधिक अच्छा यही होगा यदि पिछड़े क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन दिये जाये तथा तालुक स्तर पर उन्हें हर प्रकार की सहायता दी जाये जिससे कि गुजरात राज्य में उद्योगों का विकास समान स्तर पर होता रहे।

अब मैं अपनी अन्तिम बात कहना चाहता हूँ जो कि वनों के बारे में है तथा काफी महत्वपूर्ण है। गुजरात राज्य का कुछ भाग भी वनों से ढका हुआ है। यद्यपि हमारी नीति 33 प्रतिशत भूमि पर वन बनाने की है, गुजरात की इस मामले में बहुत अवहेलना की गई है और आपने 30 वर्षों के अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि वनों का हरा क्षेत्र अब केवल हमारे नक्शों पर रह गया है, वहां अब हरी घास का एक तिनका या पेड़ भी नहीं है। इस-लिए मैं यह चाहता हूं कि वन सम्पदा को सुरक्षित करने तथा उसका पुन: उत्थान करने के लिये कड़े उपाय किये जाने चाहिये परन्तु इसके साथ ही इस सम्बन्ध में बल वही अनियमितताओं तथा अपराधों जैसे कि अधिक चराई हो जाना, पेड़ों का काटा जाना, जंगली जानवरों का शिकार किया जाना आदि को पता लगाने के लिए इस कार्य में लगे लोगों को अधिक प्रोत्साहन दिये जाने चाहिये तथा इस कार्य हेतु कोई योजना बनाई जानी चाहिये।

श्रीमान जी, अन्ततत: इस परियोजना के साथ लोगों को अधिकाधिक सम्बद्ध किया जाना चाहिये। धन्यवाद।

* **श्री हीरालाल आर० परमार (पाटन)** : अध्यक्ष जी, इस बजट का समर्थन करते हुए मैं आपका ध्यान इस बात की ओर खींचना चाहता हूं कि गुजरात विनियोग लेखानुदान के आखिरी पृष्ठ पर 4,26,39,49000/- रुपये का समावेश किया गया है । पृष्ठ नं० 3 पर पशु पालन और डेयरी विकास के लिये 2,35,34,000/--रुपये की व्यवस्था की गयी है, जबकि पृष्ठ 4 पर समाज कल्याण और हरिजन--विकास के लिए सिर्फ 8,22 हजार की व्यवस्था की गई हैं । मैं आप श्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे गुजरात में 22 लाख हरिजनों की आबादी हैं और 90 लाख आदिवासियों की । तो इस प्रकार 1 करोड़ 12 लाख की आबादी के लिए केवल 8 लाख 22 हजार की ही व्यवस्था की जाय, और पशुओं के लिए 2 करोड़ और 35 लाख से भी अधिक रकम खर्च की जाय, तो यह हमारे लिए शर्मनाक बात है ।

एक दूसरी बात जिस पर मैं गम्भीरता पूर्वक आपका ध्यान खींच रहा हूं, हमारे गुजरात में मेहसाणा क्षेत्र भी है जो पिछड़ा हुआ इलाका है । इसमें हरिजनों की हालत काफी खराब है ।

गुजरात के 18 हजार गावों में बसे हुए हरिजनों को मरे हुए पशुओं को ले जाने के लिए कोई वाहन नहीं है । हरिजन भाइयों को अपने कंधों पर पांच क्विन्टल की लाश उठाकर ले जाना पड़ता है । दूसरी ओर, कृषि में वैज्ञानिक दृष्टि से विकास हुआ है, जिससे बैलों को भी भार नहीं ढोना पड़ता है । आजादी के 33 वर्षों के बाद भी यदि हरिजनों की इस प्रकार की हालत है, तो हमारे लिए शर्मनाक है । मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि गुजरात के 18 हजार गांवों के हरिजनों को पशुओं के शव को ढोने के लिए दो पहियों वाली रेहड़ी दे दी जाये ।

पहले भारत सरकार तथा गुजरात सरकार ने नियम नम्बर 219 की एक योजना लागू की थी । और इससे पिछड़े लोगों को मकान बनाने में कुछ राहत मिलती थी । किन्तु बाद में गुजरात में जनता पार्टी की सरकार बनी और उसने इस योजना को स्थगित कर दिया । इससे गुजरात में 160 गृह निर्माण समितियां अपना काम पूरा नहीं कर सकते हैं, जिससे हरिजनों के लाखों रुपये बरबाद हो गये हैं । किसी मकान का नींव तक तो किसी का छत तक ही निर्माण हो सका है इसे कार्यान्वित करने के लिए राज्य और राष्ट्र स्तर पर कई बार मांग कर चुके हैं । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे इस ओर भी ध्यान देकर इसे कार्यान्वित करें ।

एक दूसरी बात में आपके समक्ष बताना चाहता हूं कि इस देश में कांग्रेस से हरिजन और मुसलमान संबंध रखते हैं । जनता पार्टी इसी कारण से इन लोगों को खतम करना चाहती है । जनता पार्टी के ही अभिन्न अंग जनसंघ और आर० एस० एस० ने 1977 में भारत से निर्यात होने वाली हड्डियों पर प्रतिबन्ध लगाया है । उसके कारण हड्डियों का निर्यात 1977 में 60 हजार टन हुआ । 1978 में 30 हजार टन हुआ और 1979 में 15 हजार टन का निर्यात हुआ । इस देश में 5 लाख टन हड्डियों का उत्पादन होता है । इस देश में हड्डियों पर आधारित केवल आठ ही उद्योग हैं । उसके लिए 80 हजार टन हड्डियां चाहिए । बाकी हड्डियां पड़ी हुई हैं । इससे इस देश की एक सौ तीस बोने मिल रूग्णावस्था में हैं ।

---

* गुजराती में दिये गये भाषण का हिन्दी रूपान्तर ।

मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूँ कि इस देश के हरिजनों और मुसलमानों के कल्याण के लिए प्रयास करें। छोटे गांवों में हरिजनों और मुसलमानों का व्यवसाय हड्डियों और चमड़ों पर ही आधारित है।

पिछली सरकार ने हड्डियों के निर्यात पर जो प्रतिबन्ध लगाया था उसे तुरन्त हटा लिया जाय।

हरिजन विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की जो राशि 1952 में निर्धारित की गई थी, वहीं अब भी जारी है। इस समय 20 कि० बाजरे का मूल्य 3 रुपया था आज 30 रुपया हो गया हैं। इस प्रकार मंहगाई दस-पांच गुनी बढ़ी हैं फिर भी छात्रवृत्ति की राशि वही की वही है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस बात पर भी ध्यान देंगें। मैं आशा करता हूँ कि मन्त्री जी मैंने हाउसिंग स्कीम, हड्डियों का निर्यात तथा छात्रवृत्ति के बारे में जो सुझाव दिये हैं, उनके लिए इस बजट में प्रावधान करेंगें।

श्री सी०डी० पटेल (सूरत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा समय ही लूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि जहां तक समय का सम्बन्ध है उसकी एक सीमा है। परन्तु मैं गुजरात राज्य को प्रभावित करने वाली मुख्य-मुख्य बातों को ही लूंगा।

सर्वप्रथम मैं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण को लूंगा। जहां तक गुजरात का सम्बन्ध है, वहां ऐसे हजारों ग्राम हैं जिनका अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है। इस समय राज्य सरकार की स्थिति यह है कि यदि इन गांवों को उन पर छोड़ दिया जाए तो उनके पास एक गाँव को भी विद्युतीकरण करने की योजना नहीं है। निस्सन्देह एक योजना बनाई गई है। किसी न किसी प्रकार यह योजना निरुत्साहित ढंग से कार्यान्वित की जा रही है। बहुत सा पत्राचार की जा रही है और बहुत से वर्ष लग गए हैं। वस्तुस्थिति यह है कि इसमें देरी की गई और पत्राचार में ही 3 वर्ष के लगभग लग गए। मैंने मामले को उठाया है। राज्य सरकार द्वारा धन का आबंटन मुख्य बात है।

जहां तक बलसर और सूरत जिलों में पीने के पानी का सम्बन्ध है, वहां ऐसे सैंकड़ों गांव हैं जो पीने के पानी से वंचित है। इन लोगों को मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है और लोगों को लाईन में खड़ा होना पड़ता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए एक विशेष योजना बनाई जाए ताकि उन लोगों को पीने का पानी सप्लाई किया जा सके।

सूरत शहर का जहां तक संबंध है, वहां हजारों लोग गन्दी बस्तियों में रहते हैं। हाल ही में इसी महीने की 13 तारीख को एक विनाशकारी आग लग गई जिसमें हमारे गांव में लगभग 1600 झोंपड़ियां जल कर राख हो गई और 7000 लोग बेघर हो गए। इस सम्बन्ध में मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि एक विशेष योजना बनाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार द्वारा काफी धन व्यय करने की आवश्यकता है। जरूरतमंद लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने की आवश्यकता है। केवल इतना ही पर्याप्त नहीं। गन्दी बस्तियों में रहने वालों के लिए कोई स्थायी हल खोजने की आवश्यकता है।

बिक्री कर वसूली की समस्या की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जहां तक सरकार की बकाया राशि का संबंध है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को भूमि राजस्व संहिता के अधीन विभिन्न मुकदमे चलाकर और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करके स्वतंत्र कदम उठाने चाहिए। बहुत सा धन वसूल करना बाकी है।

बलसर और सूरत जिले के तटीय क्षेत्रों के ग्रामीण सड़कों का जहां तक संबंध है, जहां के तीन लोक सभा स्थानों में से दो सुरक्षित है जिससे वहां रह रहे आदिवासियों, गिरिजनों और हरिजनों की संख्या का पता चलता है, 50% जनसंख्या इसी श्रेणी में आती है। मेरा यही निवेदन है कि ग्रामीण सड़कों, मिलान करने वाली सड़कों, सम्पर्क सड़कों और लिंक रोड के विकास हेतु काफी धन की आवश्यकता है। इस संबंध में कुछ अधिक नहीं किया गया है। कुछ विशेष ध्यान भी नहीं दिया गया है।

सभापति महोदय : आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री सी० डी० पटेल : मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

सभापति महोदय : श्री नवीन रवाणी। उपस्थित नहीं है। माननीय मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री आर० वेंकटरामन : सभापति महोदय, बहस का आरम्भ करने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि इन दस बजटों का प्रस्तुत करना अलोकतान्त्रिक है। मैं अपनाई गई प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए सभा का समय नहीं लेना चाहता।

मैं उन्हें यही स्मरण कराना चाहता हूं कि 1977 में इन्होंने जो कुछ किया उससे यह कम लोकतान्त्रिक नहीं है। जहां तक गुजरात के आर्थिक विकास का संबंध है, मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि वर्ष 1980–81 में योजना परिव्यय की वृद्धि करके एक स्वागत योग्य कार्य किया गया है।

वर्ष 1979–80 के लिए आरम्भ में 392 रुपए रखे गए थे जो कि आई० ए० टी० पी० के अधीन अतिरिक्त सहायता के फलस्वरूप यह बढ़कर 488 करोड़ रुपए हो गया। वर्ष 1980-81 में यह बढ़कर 502.5 करोड़ रुपए हो गया। मैं अब इस धन के वितरण के संबंध में केवल एक या दो आंकड़े दूंगा। बाढ़ नियन्त्रण सहित सिंचाई और विद्युत पर 236 करोड़ रुपए रखे गए हैं। परिवहन और संचार के लिए लगभग 50 करोड़ रुपए और वास्तविक 49 करोड़ रुपए हो जाएंगे, सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाओं पर 79.7 करोड़ लग जाएंगे। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वितरण के मामले में कृषि और संबद्ध सेवाओं की ओर तथा इससे भी अधिक महत्वपूर्ण पहलू सिंचाई की ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। वास्तव में वाद-विवाद के दौरान उठाया गया एक मुद्दा यह था कि नर्मदा परियोजना के लिए धन की व्यवस्था की जानी चाहिए। आगामी वर्ष में नर्मदा परियोजना हेतु 31 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यह अगले वर्ष के दौरान गुजरात में किये जाने वाले विकास कार्यक्रमों की व्यापक रूपरेखा है। अतः इस बात को देखते हुए कि योजना व्यय में पर्याप्त

वृद्धि की गई है, यह आलोचना कि विभिन्न क्षेत्रों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है, कोई अर्थ नहीं रखती।

अब मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गए कतिपय मुद्दों का उत्तर दूंगा। श्री मिश्र ने कहा है कि साबरकांठा और दो अन्य जिले सूखे से प्रभावित हैं और वहां स्थिति बड़ी गम्भीर है। मैं उन्हें सूचित करना चाहता हूं कि सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के सम्बन्ध में 'काम के लिए अन्न' योजना के अधीन 41,000 टन अनाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त 75,000 टन अन्न एक विशेष कार्यक्रम के दौरान उपलब्ध कराया जाएगा। अतः गुजरात में सूखे से प्रभावित लोगों की अनाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी।

दूसरा मुद्दा उन्होंने बेरोजगारी का उठाया था। गुजरात उन राज्यों में से एक है जिन्होंने प्रशिक्षु योजना आरम्भ की है। इसमें लगभग 10,000 लोग आ जाते हैं। अगले वर्ष और लोगों को भी इस योजना में सम्मिलित करना विचाराधीन है।

श्री चौधरी ने अभी नर्मदा योजना का जिक्र किया था। मैंने अभी बताया है कि नर्मदा के लिए कितने धन की सहायता दी गई है। उन्होंने गुजरात की पाइप लाइन का भी जिक्र किया था। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह सरकार के विचाराधीन है। उन्होंने यह भी कहा है कि गांवों में अभी सड़कें नहीं बिछायी गई है परन्तु आंकड़ों से इस आलोचना का खंडन होता है। लगभग 6,500 गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है। 1982–83 में 3,400 और गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का विचार है।

उन्होंने सीमेन्ट की कमी का भी उल्लेख किया है। यह शिकायत तो सर्वव्यापी है, यह केवल गुजरात की या गुजरात तक सीमित नहीं है। मैंने सामान्य बजट पर बहस के दौरान यह कहा था कि हम 20 लाख टन सीमेन्ट आयात करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम देश में विद्युत की सप्लाई अधिक करके उत्पादन बढ़ाने पर भी विचार कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ रुग्ण एककों के अधिग्रहण की बात भी की है यह ऐसा मामला है जिस पर हम शीघ्र निर्णय नहीं ले सकते। परन्तु मैं उन्हें आश्वासन देता हूँ कि इस मामले पर गुजरात सरकार के साथ परामर्श किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि खाद्य तेलों की योजना को उच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार इस पर नियमित बजट के समय विचार करेगी।

अब, तेल पर अधिक रायल्टी की योजना काफी समय से विचाराधीन है। इस पर समय-समय पर बात की गई है और मेरे विचार में यह मामला सरकार के साथ चर्चा के समय फिर उठाया जाएगा। जहां तक मोखी की बाढ़ का संबंध है भारत सरकार ने गुजरात सरकार को मोखी बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 37.95 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। कुल व्यय 50.6 करोड़ रुपए होने की सम्भावना थी और 75% भारत सरकार की ओर से अनुदान के रूप में दिए गए हैं। इसलिए 37-95 करोड़ दिए जाएंगे।

श्री मगन भाई बरोट ने दो मिलों का जिक्र किया है। यह शिकायत की गई है कि ग्रामीण पानी सप्लाई पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। लगभग 9,600 गांव ऐसे हैं जहां पानी सप्लाई के उचित स्रोत नहीं हैं। इनमें से 3700 गांवों को पानी सप्लाई की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। शेष गांवों को 1982-83 में पानी सप्लाई करने का विचार है।

श्री छीतूभाई गामित ने कहा कि आदिवासी योजना के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं की गई है। मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि वर्ष 1980-81 में धन की व्यवस्था 39 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 47.15 करोड़ रुपए कर दी गई है। एक और बात नमक उपकर निधि का ज़िक्र किया गया है। महोदय, नमक जांच समिति इस मामले पर विचार कर रही है और भारत सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। मुझे विश्वास है कि समिति की रिपोर्ट पर पर्याप्त विचार किया जाएगा और प्रयत्न यह किया जाएगा कि इसका लाभ उन क्षेत्रों को मिले जहां नमक का उत्पादन होता है। मेरे विचार में मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का उत्तर दे दिया है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बजट स्वीकार किया जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि "मांग संख्या 2, 3, 5 से 12, 14 से 20 और 22 से 81 के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दर्शाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च,1981 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक लेखानुदान राशियां गुजरात राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए।"

मांग की संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०
2	मंत्रि परिषद	6,11,000	--
3	निर्वाचन(चुनाव)	1,81,62,000	--
5	सामान्य प्रशासन विभाग	37,31,000	--
6	आर्थिक सलाह और सांख्यिकी	26,56,000	--
7	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधि अन्य व्यय	34,91,000	18,64,000
8	वित्त विभाग	14,46,000	--
9	कर संग्रह प्रभार(वित्त विभाग)	7,19,12,000	--
10	राजकोष और लेखा प्रशासन	85,87,000	--
11	पेंशनें और अन्य सेवानिवृति लाभ	5,09,37,000	--

1	2	3	
12	वित्त विभाग से संबन्धित अन्य व्यय	4,76,21,000	33,76,000
14	विधि विभाग	8,15,000	–
15	न्याय प्रशासन	1,68,66,000	–
16	विधि विभाग से संबंधित अन्य व्यय	9,38,000	21,80,000
17	खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग	2,88,000	–
18	नागरिक पूर्ति	9,20,000	33,33,000
19	खाद्य	53,11,000	10,09,50,000
20	खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग से संबंधित अन्य व्यय	–	9,58,000
22	राज्य विधान मण्डल	17,34,000	--
23	गुजरात विधान मण्डल सचिवालय में सरकारी सेवकों को उधार और अग्रिम	--	2,03.000
24	कृषि,वन और सहकारिता विभाग	14,95,000	--
25	सहकारिता	1,54,36,000	76,26,000
26	कृषि	7,49,37,000	55,39,000
27	लघु सिंचाई, मृदा(भूमि) संरक्षण क्षेत्र विकास	2,96,89,000	49,16,000
28	पशु पालन और डेरी विकास	2,35,34,000	3,33,000
29	मीन उद्योग	69,93,000	--
30	वन	1,22,40,000	8,95,000
31	कृषि, वन और सहकारिता विभाग से संबंधित अन्य व्यय	–	79,22,000
32	शिक्षा विभाग	5,91,000	–
33	शिक्षा	55,61,75.000	15,66,000
34	शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य		

1	2	3	
	व्यय	35,94,000	3,85,54,000
35	गृह विभाग	9,09,000	—
36	कर--संग्रह प्रभार (गृह विभाग)	10,53,79,000	—
37	पुलिस	14,75,48,000	—
38	जेलें	49,18,000	—
39	सूचना प्रचार और पर्यटन	39,94,000	8,33 000
40	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	56,96,000	1,85,12,000
41	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	6,92,000	—
42	चिकित्सा	10,41,47,000	—
43	परिवार कल्याण	3,01,27,000	—
44	लोक स्वास्थ्य	6,99,47,000	2,91,09,000
45	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से संबंधित अन्य व्यय	5,15,92,000	57,16,000
46	उद्योग, खान और विद्युत विभाग	8,07,000	—
47	कर संग्रह प्रभार (उद्योग, खान और विद्युत विभाग)	9,86,000	—
48	लेखन सामग्री और मुद्रण	1,76,96,000	—
49	उद्योग	2,79,03,000	56,63,000
50	खानें और खनिज	43,78,000	—
51	विद्युत परियोजनाएं	—	—
52	उद्योग, खान और विद्युत विभाग से संबंधित अन्य व्यय	13,15,000	32,70,000
53	श्रम समाज कल्याण और जन जाति विकास विभाग	8,22,000	—
54	राज्य उत्पाद शुल्क	17,61,000	—
55	श्रम और रोजगार	2,22,86,000	—

(1)	(2)	(3)	
56	समाज सुरक्षा और कल्याण	8,23,08,000	40,82,000
57	श्रम, समाज कल्याण और जन जाति विकास विभाग से संबंधित अन्य व्यय	1;28,000	29,27,000
58	जन जाति क्षेत्र उप-आयोजना	10,30,05,000	4,19,09,900
59	पंचायत, आवास और नगर विकास विभाग	9,43,000	—
60	सामुदायिक विकास	6,20,83,000	—
61	आवास	1,12,56,000	70.37,000
62	नगर विकास	1,12,00,000	35,33,000
63	पंचायती राज	1,44,56,000	—
64	पंचायत, आवास और नगर विकास विभाग से सबंधित अन्य व्यय	53,61,000	3,46,90,000
65	सिंचाई विभाग	12,12,000	—
66	सिंचाई और मृदा (भूमि) संरक्षण	27,94,49,000	46,16,44,000
67	सिंचाई विभाग से संबंधित अन्य व्यय	3,33,000	68,99,000
68	भवन और संचार विभाग	12,45,000	—
69	गैर-रिहायशी भवन	5,51,79,000	1,91,92,000
70	रिहायशी भवन	1,94,82,000	86,79,000
71	पत्तन	2,15,25,000	3,78,98,000
72	सड़कें और पुल	12,30,36,000	2,71.71,000
73	गुजरात पूँजीगत निर्माण योजना	—	1,74,49,000
74	भवन और संचार विभाग से संबंधित अन्य व्यय	22,27,000	48,96,000
75	राजस्व विभाग	20,44,000	—
76	कर संग्रह प्रभार (राजस्व विभाग)	1,40,38,000	—
77	जिला प्रशासन	1,84,70,000	--
78	दैवी विपत्तियों के कारण राहत	17,23,83,000	3,33,000
79	डांग जिला	1,18,79,000	2,00,000
80	मुआवजें और समनुनिष्ट राशियां	30,97,000	13,66,000
81	राजस्व विभाग से संबंधित अन्य व्यय	36,02,000	64,72,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय: मैं अब अनुपूरक मांगों को मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां गुजरात की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए।

मांग संख्या 2,3 5 से 7,9 से 12,14 से 20, 24से 52,56 से 64,66,67 और 69 से 81"।

मॉग की संख्यां	शीर्षक	राशि	
(1)	(2)	(3)	
		राजस्व	पूंजी
		रुपए	रुपए
2	मंत्रीपरिषद	2,67,000	—
3	निर्वाचन (चुनाव)	91,24,000	—
5	सामान्य प्रशासन विभाग	8,89,000	—
6	आर्थिक सलाह और सांख्यिकी	9,35,000	—
7	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	—	21,34,000
9	कर संग्रह प्रभार (वित्त विभाग)	2,87,09,000	—
10	राजकोष और लेखा प्रशासन	7,91,000	—
11	पेंशनें और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	11,49,000	—
12	वित्त विभाग से संबंधित अन्य व्यय	1,000	81,51,000
14	विधि विभाग	1,51,000	—
15	न्याय प्रशासन	2,65,000	—
16	विधि विभाग से संबंधित अन्य व्यय	57,000	22,04,000

(1)	(2)	(3)	
17	खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग	98,000	—
18	नागरिक पूर्ति	1,95,000	7,00,000
19	खाद्य	60,35,000	—
20	खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग से संबंधित अन्य व्यय	—	14,01,000
24	कृषि, वन और सहकारिता विभाग	1,000	—
25	सहकारिता	97,65,000	7,79,64,000
26	कृषि	6,000	50,00,000
27	लघु सिंचाई, मृदा (भूमि) संरक्षण और क्षेत्र विकास	3,000	2,00,00,000
28	पशु पालन और डेरी विकास	1,000	2,50,00,000
29	मीन उद्योग	—	25,00,000
30	वन	—	20,00,000
31	कृषि, वन और सहकारिता विभाग से संबंधित अन्य व्यय	—	1,32,89,000
32	शिक्षा विभाग	1,70,000	—
33	शिक्षा	9,98,10,000	73,21,000
34	शिक्षा विभाग से संबधित अन्य व्यय	15,70,000	5,71,00,000
35	गृह विभाग	3,13,000	—
36	कर संग्रह प्रभार (गृह विभाग)	3,55,82,000	—
37	पुलिस	5,15,28,000	—
38	जेलें	26,04,000	—
39	सूचना, प्रचार और पर्यटन	14,99,000	—
40	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	—	52,51,000

(1)	(2)	(3)	
41	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	2,87,000	—
42	चिकित्सा	4,45,45,000	—
43	परिवार कल्याण	1,000	—
44	लोक स्वास्थ्य	4,13,55,000	1,95,00,000
45	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से संबंधित अन्य व्यय	15,00,000	1,54,37,000
46	उद्योग, खान और विद्युत विभाग	3,37,000	—
47	कर संग्रह प्रभार (उद्योग, खान और विद्युत विभाग	2,89,000	—
48	लेखन सामग्री और मुद्रण	2,79,79,000	—
49	उद्योग	3,69,62,000	18,65,00,000
50	खानें और खनिज	20,31,000	—
51	विद्युत परियोजनाए	11,19,000	—
52	उद्योग, खान और विद्युत विभाग से संबंधित अन्य व्यय	—	1,06,20,000
56	समाज सुरक्षा और कल्याण	1,10,39,000	90,81,000
57	श्रम, समाज कल्याण और जनजाति विकास विभाग से संबंधित अन्य व्यय	—	64,82,000
58	जनजाति क्षेत्र उप-आयोजना	8,000	3,000
59	पंचायत, आवास और नगर विकास विभाग	2,44,000	—
60	सामुदायिक विकास	1,07,86,000	—
61	आवास	—	42,50,000
62	नगर विकास	96,61,000	85,01,000
63	पंचायती राज	50,08,000	—
64	पंचायत आवास और नगर विकास विभाग से संबंधित अन्य व्यय	—	1,90,79,000

(1)	(2)	(3)	
66	सिंचाई और मृदा (भूमि) संरक्षण	11,09,15,000	5,20,25,000
67	सिंचाई विभाग से संबंधित अन्य व्यय	5,02,000	69,91,000
69	गैर रिहायशी भवन	2,33,58,000	1,25,000
70	रिहायशी भवन	3,00,00,000	63,21,000
71	पत्तन	35,000	70,50,000
72	सड़कें और पुल	7,78,44,000	1,000
73	गुजरात पूंजीगत निर्माण योजना	—	2,29,31,000
74	भवन और संचारत विभाग से संबंधित अन्य व्यय	1,69,000	35,00,000
75	राजस्व विभाग	5,84,000	—
76	कर संग्रह प्रभार (राजस्व विभाग)	2,55,42,000	—
77	जिला प्रशासन	91,58,000	—
78	दैवी विपत्तियों के कारण राहत	35,46,84,000	1,02,50,000
79	डांग जिला	18,04,000	—
80	मुवावजे और समनुदिष्ट राशियां	62,16,000	—
81	राजस्व विभाग से संबंधित अन्य व्यय	—	83,17,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री मगनभाई बरोट (अहमदाबाद) : मैं एक या दो प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री आर० वेंकटरामन : आप मेरे कमरे में आकर पूछ सकते हैं।

सभापति महोदय : यह एक अन्तरिम बजट है। केन्द्र के माननीय वित्त मन्त्री इस बजट पर कार्यवाही कर रहे हैं। बाद में विधान सभा में इस पर चर्चा करने का अवसर आयेगा।

श्री मगनभाई बरोट : यह प्रश्न उन उत्तरों से सम्बद्ध ही है जो यहां दिये गये हैं।

सभापति महोदय : उन्होंने आपसे अनुरोध किया है कि आप उनसे उनके कमरें में मिल लें।

श्री मगनभाई बरोट : अगर उन प्रश्नों का उत्तर सदन में दिया जाये तो उससे अधिक आश्वासन मिल सकेगा।

सभापति महोदय : ऐसे अच्छा नहीं लगता । मैं इसे सभा में मतदान के लिये प्रस्तुत कर रहा हूँ।

गुजरात विनियोग (लेखानुदान) विधेयक १९८०

श्री आर० वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1980–81 के एक भाग की सेवाओं के लिये गुजरात राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1980–81 के एक भाग की सेवाओं के लिये गुजरात राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आर० वेंकटरामन: मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

सभापति महोदय: श्री वेंकटरामन।

श्री. आर. वेंकटरामन: मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1980-81 के एक भाग की सेवाओं के लिए गुजरात राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री मगनभाई बरोट: मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। महोदय, अब स्थिति ऐसी है ·····

सभापति महोदय: यह विनियोग विधेयक है। यदि आप प्रश्न पूछना चाहते थे तो आपको उसकी सूचना देनी चाहिए थी। अब आप माननीय मंत्री को उनके चेम्बर में मिल सकते हैं।

श्री मगनभाई बरोट: यदि माननीय मंत्री देना चाहें तो मैं बस एक छोटी सी सूचना चाहता हूं। गुजरात सरकार उत्तरी गुजरात विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये सिद्धान्त रूप से सहमत हो चुकी है। वर्तमान गुजरात विश्वविद्यालय को दो विश्वविद्यालयों में बांटना होगा, एक अहमदाबाद विश्वविद्यालय तथा दूसरा शेष उत्तरी गुजरात क्षेत्रों के लिये। इस योजना को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया गया है और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की अनुमति की प्रतीक्षा है। चूँकि इन दोनों के बारे में मन्त्री महोदय को कार्यवाही करनी है, अतः क्या वह इस प्रश्न का उत्तर देंगे?

सभापति महोदय: यह अच्छा होगा यदि आप मन्त्री महोदय को उनके कक्ष में मिल लें। वह यह सूचना यहां देने में शायद हिचकिचायें। इसके अतिरिक्त, आपने अपने भाषण में यह बात उठाई है।

प्रश्न यह हैं : "कि वित्तीय वर्ष 1980-81 के एक भाग की सेवाओं के लिए गुजरात राज्य की संचित निधी में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

प्रस्तस्व स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय: अब हम खण्डवार विचार आरम्भ करेंगे । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2,3 तथा अनुसूची में जोड़ दिये गये ।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

श्री आर० वेंकटरामन: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

गुजरात विनियोग विधेयक, १९८०

वित्त तथा उद्योग मत्री (**श्री आर० वेंकटरामन**) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1979--80 की सेवाओं के लिए गुजरात राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1979--80 की सेवाओं के लिए गुजरात राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री आर वेंकटरामन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

सभापति महोदय : श्री वेंकटरामन

श्री आर० वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1979-80 की सेवाओं के लिए गुजरात राज्य को संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्रातिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'कि वित्तीय वर्ष 1979--80 की सेवाओं के लिए गुजरात राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 तथाअनुसूची विधेयक में जोड़े दिये गये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मध्य प्रदेश बजट, १९८०–८१–सामान्य चर्चालेखानुदान अनुदानों की मांगे, १९८०–८१ और अनुदानों की अनुपूरक मांगें (मध्य प्रदेश) १९७९–८०

सभापति महोदय : अब हम मध्य प्रदेश बजट पर विचार आरम्भ करेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत मध्य प्रदेश के बजट में सरकार की नीति में कोई अमूल-चूल परिवर्तन नहीं हुआ है। आप इस बात से परिचित हैं कि मध्य प्रदेश की 50 प्रतिशत से अधिक आबादी पर सूखा का प्रभाव पड़ा है। राज्य के 500 लाख लोगों में से 264 लाख लोगों पर सूखे का प्रभाव पड़ा है। जो 15 करोड़ रुपये की राशि दी गई है वह सूखा से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिये बहुत ही कम है।

मध्य प्रदेश में राहत कार्यों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है। 50 प्रतिशत से भी अधिक राहत कार्य अभी हाल में चुनी गई ग्राम पंचायतों के माध्यम से कार्यान्वित किये जा रहे हैं। शेष कार्यों का कुछ अंश गैर–सरकारी ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है। गैर-सरकारी एजेंसियों के माध्यम से किये जा रहे कार्यों के संबंध में अनेक शिकायतें हैं। राज्य के इतिहास में यह पहला समय है जबकि सूखा संबंधी कार्य गैर-सरकारी ठेकेदारों को दिया गया है। मेरा यह सुझाव है कि मध्य प्रदेश में राहत कार्यों पर निगरानी रखने के लिए सार्वजनिक समितियों का गठन किया जाये।

आजकल चीनी 6--7 रुपये प्रति किलो की दर से बेची जा रही है। अधिकांश चीनी मिलों को प्रबन्धकों की श्रमिक-विरोधी-नीति के कारण बन्द करना पड़ा है। श्रमिकों को मजूरी और बोनस नहीं दिया जाता तथा चीनी उत्पादकों को अभी भी उसका मूल्य प्राप्त नहीं हुआ है। प्रशासन ने इन चीनी मिलों को उत्पाद शुल्क में राहत भी दे रही है।

वर्तमान सरकार भी राज्यों के विभिन्न भागों में श्रम आन्दोलन तथा श्रमिकों के असंतोष को दवाने के लिए वहीं दमनकारी कदम उठा रही है। अनेक सीटू गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भलाई इस्पात संयन्त्र के आस-पास इस संयंत्र के विभिन्न प्रकार के उपकरण और पुर्जे निर्मित करने वाले अनेक छोटे तथा मध्यम उद्योग हैं। इन कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की स्थिति बड़ी खराब है। इनमें से अधिकांश श्रमिक ठेकेदारों के अन्तर्गत कार्य करते हैं और इनके स्थाई होने की कोई संभावना नहीं है। रेहोरा आयरन ओर, कोरवा में भारत आलुमीनियम तथा भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स में प्रशासन श्रमिक वर्ग को दबाने के लिए दमनकारी उपाय कर रहे हैं।

बजट में पिछली सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों का कहीं उल्लेख नहीं है, उन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने का आश्वासन दिया था। भूतपूर्व सरकार द्वारा भत्ता दिया गया था किन्तु इस बजट से पता चलता है कि भूतपूर्व सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों को इसमें कोई सम्मान नहीं दिया गया है, न ही गांव पंचायतों के वेतनों में वृद्धि की गई है, हालांकि इन्हें बहुत ही कम वेतन दिया जाता है। सरकार राज्य में भूमि—सुधारों को लागू करने के सम्बन्ध में भी गम्भीर नहीं है। सत्तारूढ़ दल भूमि—सुधारों के बारे में शोर तो बहुत मचाता है किन्तु व्यवहार में हम देखते हैं कि पिछले 30 वर्षों में इन्हें राज्य में लागू नहीं किया गया है।

भूमिहीन मजदूर तो ज्यादातर आदिवासी लोग हैं। आज उनकी स्थिति बड़ी ही दयनीय है। उनमें से अधिकाश को घास खाने को बाध्य होना पड़ रहा है। इस राज्य में न्यूनतम मजूरी अधिनियम का कार्यान्वियन नहीं किया गया है। अतः मैं यह सुझाव देता हूं कि सरकार न्यूनतम मजूरी अधिनियम तथा भूमि सुधार अधिनियम लागू करके इनकी स्थिति में सुधार करे। इस राज्य में 70 प्रतिशत लोग गरीब किसान हैं। उनमें से 40 प्रतिशत लोग भूमिहीन हैं। यदि भूमिहीनों में भूमि का वितरण किया जाये तो उनकी आय बढ़ सकती है। तब राज्य की कुछ समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। मैं यह सुझाव देता हूं कि सरकार भूमिहीन मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिये तथा वर्तमान सरकार द्वारा उनके विरुद्ध दमनकारी उपायों को रोकने के लिये कदम उठाये। सरकार को अनेक अभ्यावेदन दिये गये हैं कि उन पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि आज जो दमनकारी कदम उठाये जा रहे हैं उन्हें एकदम रोका जाये। मैं आशा करता हूं कि सरकार इन सब पर विचार करेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री मुंडेर शर्मा (जबलपुर): सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जब मैं

आसाम, बिहार और गुजरात की बातें सुन रहा था और उनको पिछड़े हुए राज्य कहा जा रहा था तो मुझे आश्चर्य हो रहा था कि मध्य प्रदेश को किस श्रेणी में रखा जाय। यदि पिछडे हुए राज्यों की कोई दूसरी सूची बनाई जाय तो मध्यप्रदेश का सम्भवतः प्रथम स्थान होगा। आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश जंगल और पहाड़ों से अच्छादित प्रदेश है। जब तक हम वहां के खनिज पदार्थों के सही-सही दोहन की व्यवस्था नहीं करते, जब तक हम अपने बजट में इस काम के लिये सही प्रावधान नहीं करते, तब तक हम वहां के जंगलों और खनिज पदार्थों का सही-सही लाभ नहीं उठा सकते। जब तक हम वहां के खनिज पदार्थों के दोहन की व्यवस्था कर के छोटे छोटे और बड़े-बड़े उद्योग नहीं लगाते, तब तक मध्य प्रदेश उन्नति की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। हम जानते हैं आज तक हर साल बजट बनते रहे हैं, आगे भी बनते रहेंगे लेकिन हमें देखना यह है कि वास्तव में गरीबों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये कौन सा बजट आता है जिस से कि हमारी गरीब जनता जो जीवन-स्तर से नीचे अपना जीवन-यापन कर रही है, वह उससे ऊपर उठ सके। इसके लिये हमें सम्भवतः देहातों की ओर जाना पड़ेगा। बापू ने कहा था "भारत की आत्मा देहातों में बसती है।" यदि हम उन ग्रामीण क्षेत्रों का उद्धार नहीं करेंगे, उन्नति नहीं करेंगे, तो सम्भवतः भारतवर्ष की गरीबी दूर नहीं हो सकती।

आज जंगलों की जो स्थिति है-वह हमारे सामने है। हमारे जंगलों में ऐसी लकड़ी हैं जिस का ठीक-ठीक उपयोग नहीं हो रहा। पहले ज़माने में किसानों को मकान बनाने के लिये लकड़ी मिला करती थी लेकिन आज वह चोरी से जहां तहां चली जाती है और उसका ठीक-ठीक उपयोग नहीं हो पाता है। महाराष्ट्र के चन्द्रपुर में एक ऐसी योजना बनाई गई है, जिसके अनुसार किसानों को लकड़ी दी जाती है, उसी तरह की योजना हम अपने यहां भी लागू कर सकते हैं।

मध्य प्रदेश के जंगलों में गुलू-गोंद होता है जिस को भारत वर्ष से निर्यात किया जाता है और उस से देश को काफी पैसा भी मिलता है। लेकिन उसको इस प्रकार से निकाला जाता है, जिससे उसके पेड़ नष्ट होते जा रहे हैं और सम्भव है निकट भविष्य में यह उत्पादन हमारे हाथ से निकल जाय। मेरा निवेदन है कि इस के संरक्षण की तरफ़ ध्यान दिया जाय। इससे दो लाभ होंगे, एक तो यह कि चोरी से जो माल जाता है, जिससे निजी व्यापारी मालामाल हो रहे हैं और राष्ट्रीयकरण के बावजूद भी जो पैसा सरकार के खज़ाने में आना चाहिये, वह नहीं आ रहा है, वह बन्द हो सकेगा और साथ ही पेड़ों की सुरक्षा भी हो सकेगी। मैं अनुरोध करता हूं कि इस की तरफ विशेष ध्यान दिया जाय। आदिवासियों को अधिक मूल्य दिया जाए, जिससे उन को लाभ हो सके। इसकी तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं उद्योग के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूं। मध्य प्रदेश अभी पिछड़ा हुआ राज्य है क्योंकि वहां पर रेल कनक्शन ठीक नहीं हैं अथवा आवागमन के रास्ते नहीं हैं। इसलिए वह उद्योगों के मामले में बहुत पिछड़ गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बड़े

बड़े उद्योग जो लगाए जाएं, वे किसानों से समन्वित छोटे उद्योगों से सम्बन्धित हों। जब तक किसानों से समन्वित उद्योग नहीं लगाए जाएंगे, तब तक शायद मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो सकती। यह बहुत ही इम्पोर्टेन्ट है। पहाड़ी जमीन होने के कारण नहरें बहुत कम हैं। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि किसानों के लिये ट्यूबवेल का प्रावधान किया जाए। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि ट्यूबवेल्स के लिए जो किसानों को रुपया दिया जाता है, वह बहुत चक्कर लगाने पर मिलता है और उस तक पहुंचते पहुंचते वह राशि आधी ही रह जाती है। केन्द्रीय सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि किसानों को कम ब्याज़ पर पैसा मिले या कुछ सब्सीडी दे कर आप उनकी मदद कर सकते हैं।

हमारे यहां बिजली की बहुत कमी है। वैसे तो देश में ही बिजली की कमी है। लेकिन हमारे यहां बिजली की आंख मिचौनी होती रहती है। निर्धारित अवधि के लिए बिजली मिलती है। इससे यह होता है कि किसान जो मज़दूरों को ले जा कर अपना काम करवाता है, वह नहीं होता है। इस से किसानों को नुकसान होता है और छोटे छोटे उद्योगों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। इस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, उस के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं यह कहना चाहूंगा कि वही राज्य उन्नति के शिखर पर जाता है जहां के लोग शिक्षित होते हैं। हमको यह देखना होगा कि हर एक गांव में एक प्राइमरी स्कूल हो। हमारे यहाँ गांवों में बहुत कम स्कूल हैं और जहां पर स्कूल हैं भी, वहाँ की बिल्डिंगों की हालत बहुत जर्जर है। भवन ठीक नहीं हैं। वहां से जो विद्यार्थी पढ़ कर निकलेंगे, वे कैसे होंगे इस का आप अन्दाजा लगा सकते हैं। जबलपुर के सम्बन्ध में मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा। जबलपुर मध्य प्रदेश की राजधानी बनने वाला था लेकिन राजधानी बनने की बजाए वहां से हाई कोर्ट भी इधर उधर ले जाई जा रही हैं, जिस से वहां पर बड़ा असंतोष है। ऐसा करना जबलपुर के लिए अन्याय होगा।

व्हीकिल फैक्टरी, जी० सी० एफ० और पी एण्ड टी के केन्द्रीय स्थान वहां पर हैं लेकिन फिर भी लोकल ट्रेन नहीं है। इस ओर भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। यह कहा जाता है कि अहमदाबाद एक सस्ता मार्केट है। जबलपुर में कोई ट्रेन ऐसी नहीं है, जिस से अहमदाबाद को जोड़ा जा सके। वहां पर सीधी ट्रेन लाइन दी जाए, तो यह समस्या हल हो सकती है।

हमारे यहां पर एकमात्र उद्योग बीड़ी का उद्योग है। उस की तरफ़ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जब जनता सरकार आई तो उस ने यह व्यवस्था की कि जो व्यक्ति प्रति वर्ष 60 लाख बीड़ी बनाएगा, उस को तम्बाकू पर एक्साइज में छूट दी जाएगी। ऐसा नियम उन्होंने बना दिया था। इस से यह हुआ कि बड़े बड़े लोगों ने बीड़ियां बना ली और उन के लेबिल हटा कर इस एक्साइज ड्यूटी से छूट ले ली। इस से एक तो मज़दूरों को काम नहीं मिला और दूसरे सरकार को भी बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है। जो तम्बाकू पर एक्साइज ड्यूटी उस को मिल रही थी, वह नहीं मिल पाई। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। गुजरात में अहमदाबाद में तम्बाकू की खेती अधिक होती है। जब जनता सरकार आई,

तो वित्त मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी गुजरात के थे। इसलिए उन्होंने तम्बाकू को एक्साइज ड्यूटी से माफ कर दिया। इस से सरकार को काफी नुकसान हुआ। इस पर ध्यान देना चाहिए। सूखे की स्थिति की बात भी बहुत ही अहम है। अपने क्षेत्र का दौरा करते समय मैंने धीमरखेड़ा ब्लाक के कदरागांव में देखा कि वहां आदिवासी घास के बीज खाते हैं और छाल पीस कर रस पीते हैं। वहां के आदिवासियों ने मुझे बताया कि चुनाव से पूर्व तो राहत कार्य वहां किये गये लेकिन चुनाव के पश्चात् वे सब राहत कार्य बंद हो गये। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि ऐसा सूखा वहां 85 वर्ष के बाद पड़ा है। आजकल वहां के लोग घास खाने पर मजबूर हो रहे है जिसके बीज को खाने से शरीर में सूजन आ जाती है और उनके शरीरों में सूजन आ गयी है। इस सम्बन्ध में हमारा एक ही निवेदन है कि वहां राहत कार्य चालू किये जाए। हमें बताया गया है कि राहत कार्यों के लिए 50 हजार रुपये तक खर्च करने का तो कलेक्टर को अधिकार है लेकिन उससे अधिक की स्वीकृति राज्य शासन से लेनी पड़ती है। इस सम्बन्ध में हमारा निवेदन है कि वहां राहत कार्यों को तीव्र गति से चलाने के लिए इस नियम में ढील दी जानी चाहिए। जब तक वहां महुए की और तेन्दुवे की फसल नहीं आ जाती तब तक बड़ी बड़ी योजनाओं को सरकार को अपने हाथ में लेकर चलाना चाहिए ताकि कहीं ऐसा न हो कि वहां के लोगों को भुखमरी का शिकार होना पड़े।

इस समय 125 किलोमीटर क्षेत्र में केवल दो जगह राहत कार्य देखे गये। वहां के सरपंच, वहां के सफेदपोश लोग मिलकर राशन की दुकानों में लूट मचाये हुए हैं जिसकी ओर जिला अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया गया है और उनसे कहा गया है कि हम कौन-सी मशीनरी रखे हुए हैं कि कुछ मुट्ठी भर लोग गरीब मजदूरों का हक मार रहे हैं।

हमारे यहां एक खमरिया गांव है जिसका सरपंच आदिवासी है। एक आदिवासी ने उसके खिलाफ मुंह खोला तो वह सरपंच उसको नाना प्रकार से तंग करने के लिए पहुंच गया। इस ओर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है।

इसी प्रकार से वहां एक कछार गांव है वहां के एक व्यक्ति को अपनी कसेसी बेचने के लिए बाध्य होना पड़ा। वहां के लोगों की मांग है कि अगर सरकार उस क्षेत्र के कुछ लोगों को केवल दो रुपये रोज में ही कुछ काम सप्ताह के सातों दिन दे दें तो भी उनका काम चल सकता हैं। लेकिन चुनाव के पूर्व राहत कार्य जोरों से होने के बाद, चुनाव के पश्चात् सब बंद हो गये हैं। इसके बारे में मै कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। सरकार को देखना चाहिए कि सहकारी समितियों में और पंचायतों में भ्रष्टाचार न होने पावे।

एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जो वाणी स्वतंत्रता की बात कही जाती है उसके बारे में बताना चाहता हूं कैसी वाणी स्वतंत्रता रही है। हमारे जबलपुर से एक नवीन दुनिया-पत्र निकलता है। उसको पिछले 10-15 वर्षों से यू०पी०एस०सी० से विज्ञापन मिल रहा था लेकिन जनता सरकार के आने के बाद उसे विज्ञापन मिलना बंद हो गया। इसी तरह से 1977 के चुनावों के पहले जनता पार्टी ने बहुत से आश्वासन दिये थे कि बेकारों को बेरोजगारी का भत्ता दिया

जायगा और नाना प्रकार के आश्वासन दिये थे। लेकिन शासन में आने के बाद उन्होंने क्या किया उसके बारे में एक कहानी कहकर मैं समाप्त करूंगा —

नाच करो नाच करो बीबी पैसे मिलेंगें।

जब नाच होने लगा तो कहा गया कि

एक नहीं, दो नहीं, तीन मिलेंगें।

वह समाप्त हो गया तो कहा गया कि

आज नहीं, कल नहीं, परसों मिलेंगें।

यह हालत जनता शासन की रही है।

श्री दलबीर सिंह (शहडोल) : संविधान के अनुच्छेद 206 का अनुसरण करते हुये वित्तमन्त्री जी ने 1980--81 का जो बजट यहां प्रस्तुत किया है उसका मैं स्वागत करता हूं। इसको देखने से ऐसा पता चलता है कि उड़ीसा का बजट तो संतुलित बनाया गया है और महाराष्ट्र का फायदे का बनाया गया है लेकिन हमारे बजट में आठ करोड़ 65 लाख का घाटा दिखाया गया है। इसको मैं समझता हूँ कि इसका श्रेय पिछली जनता सरकार को जाता है। मैं सखलेचा जी के लिए जो जनता राज में वहां मुख्य मन्त्री थे दो शब्द कहना चाहता हूँ। इतिहास में आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो अपने लड़के को अपना लड़का न कहता हो। लेकिन धन के लालच में श्री सखलेचा ने विधान सभा, भोपाल में जब उनके लड़के ओमप्रकाश का प्रकरण आया कि उसका लड़का इसी दिल्ली शहर में एक करोड़ तीस लाख की बोली एक प्लाट के लिए लगाई थी तो यह कह दिया कि ओमप्रकाश नाम का मेरा कोई लड़का नहीं है। इतना ही नहीं पिछले वर्षों में श्री सखलेचा के न बालिक लड़के के नाम से भोपाल में एक कोठी भी बनवाई गई है और उसके खिलाफ आयकर विभाग द्वारा कुछ कार्रवाई भी की गई थी। मैं इस सदन के माध्यम से मध्य प्रदेश के राज्यपाल से निवेदन करना चाहूँगा कि वह इसको भी देखें। इसको वह देखें कि सरकारी मशीनरी का कितना मिसयूज किया गया। एक विशेष विमान विमान से श्री सखलेचा अपने परिवार के साथ नेपाल गये थे और वहां जा करके वहां के बैंक में करोड़ों रुपये उन्होंने जमा कराए। भ्रष्ट तरीके की जो वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था थी इसको भी राज्यपाल महोदय को देखना चाहिए। वहां पर मीसा बन्दियों के नाम से जिन लोगों ने दो-दो दिन की जेल भी काटी थी उनको भी पच्चीस--पच्चीस हजार रुपया दे दिया गया था और बिना ब्याज के उनको यह पैसा दिया गया। मैं समझता हूँ कि इस सब का यह नतीजा है कि मध्य प्रदेश के बजट में आठ करोड़ से ऊपर का आपको घाटा दिखाना पड़ गया है। मैं कहूंगा कि यह पैसा बांटा गया है करोड़ो रुपया बांटा गया हैं, यह उनसे वापिस लिया जाना चाहिए।

हमारे प्रदेश में 45 जिले हैं। अकाल ग्रस्त क्षेत्रों के लिए 15 करोड़ की व्यवस्था की गई है। मैं समझता हु कि हमारे प्रदेश में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो अभाव ग्रस्त क्षेत्र न हो। सारे अभाव ग्रस्त है। हमारा जिला शहडोल तो सारे का सारा अभाव ग्रस्त है।

हमारे यहां आदिवासियों ने गायों को मार खाया है और कुछ लोग तो उमरिया थाने में इस आरोप में बन्द हैं। इस जिले में राहत कार्य बड़े पैमाने पर चलाये जाने चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जितने भी मध्य प्रदेश में कोटेदार हैं, जितने भी फ्री सेल डीलर हैं वे सब आर एस एस के लोग हैं। जब तक उनको निकाला नहीं जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा ।

इस बजट का मैं स्वागत करता हूं। पहले 504 करोड़ की योजना बनाई गई है । लेकिन प्लानिंग कमीशन के साथ चर्चा करने पर इसको बढ़ाकर 531 करोड़ की कर दिया गया और उसको स्वीकृति दे दी गई। उस में केन्द्र की जो सहायता है वह 161 करोड़ की है। मध्य प्रदेश एक विशाल प्रदेश है। वह भारत का हृदय स्थल कहलाता है। मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार की जो सहायता की राशि है इसको और भी बढ़ाया जाना चाहिये। वहां पर जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं, ग्रामीण अंचल हैं और जो जंगल हैं वहां पर साल सीड प्लांट लगाए जाने चाहिए। साथ ही वहां पर जब तक छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना नहीं की जाती है तब तक लोगों की गरीबी दूर नहीं हो सकती है। रिजर्वेशन को भी आपने बढ़ा दिया है। आपकी यह नीति है कि बजट का 22 प्रतिशत बैकवर्ड क्लासेस पर, आदिवासियों व हरिजनों पर खर्च किया जाए। आज तक जो कुछ भी हम ने इस पर खर्च किया है उसको आप निकाल कर देखें, आपको वास्तविकता का पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि इतनी राशि उन पर खर्च की जा रही है या नहीं। इस ओर शासन को विशेष ध्यान देना चाहिए।

मेरा क्षेत्र नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। अमर कटक से यह निकलती है। मैं मध्य प्रदेश में विधायक रह चुका हूं। वहां पर विधान सभा में मैंने इस प्रश्न को उठाया था। वहाँ पर बालकों की स्थापना की गई है। नर्मदा नदी का जहां पर उदगम है वहां करोड़ों हिन्दुओं में इस वास्ते उत्तेजना फैली हुई है कि वहां पर उत्खनन कार्य चल रहा है। उसका जो इतना उत्खनन हो रहा है, वहां पर स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथोरिटी कायम की गई है, लेकिन राज्य शासन उसमें कोई कदम नहीं उठा रहा है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 8 किलोमीटर का जो रेडियस है, उसमें उत्खनन न किया जाये। मैंने राज्य शासन का इस ओर कई बार ध्यान आकर्षित किया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहां से 8 किलोमीटर पर जो वाटरफाल कैपिलधारा है, वहां लाखों तीर्थयात्री स्नान करने आते है, लेकिन वहां पर उत्खनन की वजह से पानी का स्रोत नीचे चला जाता है, इसलिए 8 किलोमीटर के रेडियस में बाक्साइट खोदा ही न जाये। मेरा निवेदन है कि इस ओर कड़े कदम उठाये जायें, केन्द्रीय शासन की नीति को बदला जाये। वहां के पहले मुख्यमंत्री ने इस काम को बन्द कर दिया था, फिर अब केन्द्रीय सरकार ने एक मास बाद इसको शुरू कर दिया है। मेरा फिर निवेदन है कि 8 किलोमीटर के रेडियस में कोई उत्खनन न किया जाये, ताकि किसी प्रकार की क्षति न हो सके।

सिंचाई में जो 91 करोड़ रुपये आपने दिये हैं,

सभापति महोदय : आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री दलबीर सिंह : सभापति महोदय, मैं बोलना तो और चाहता था, लेकिन अब मैं इसके साथ ही इस बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री एन०के० शेजवालकर (ग्वालियर) : सभापति महोदय, मुझे आज जो यह अवसर मिला है, उसके बारे में मैं प्रसन्नता व्यक्त करूं या खेद व्यक्त करूं, यह समझ में नहीं आ रहा है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको जो समय मिला है, उसका उपयोग कीजिये।

श्री एन०के० शेजवालकर : मैं इस समय दो गम्भीर प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। आज जो यह बजट प्रस्तुत करने का अवसर आया है, वह विधानसभाओं को भंग करने के कारण आया है। मेरा विनम्र निवेदन है कि यह विधान-सभाएं असंवैधानिक रूप से भंग की गई हैं। कम से कम मध्य प्रदेश के बारे में तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उसका भंग किया जाना बिल्कुल ही असवैधानिक था। (व्यवधान)

आप अगर मेरा तर्क सुनेंगे तो जो बात आप कह रहे हैं, शायद फिर से नहीं कहेंगे।

मेरा निवेदन है कि संविधान की जिस धारा के अन्तर्गत यह कार्यवाही की जाती है, उसमें लिखा है कि वहां पर कोई संवैधानिक संकट उत्पन्न हो या ला एंड आर्डर की सिचुएशन पैदा हो गई हो तो इन कारणों के आधार पर इस प्रकार से केन्द्र के द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने की उसमें व्यवस्था है। लेकिन आज वहां के जो राज्यपाल महोदय हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से पब्लिक घोषणा की थी कि इस प्रदेश के अन्दर न तो कोई संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ है और न ही यहां पर ला एंड आर्डर की स्थिति खराब है।

एक माननीय सदस्य : सन् 1977 में क्या हुआ था ?

श्री एन० के० शेजवालकर : 1977 में वहां के राज्यपाल ने कुछ और कहा होगा, यह नहीं कहा था।

इसके सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी हो चुका है।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं। यह सवैधानिक संकट नौ राज्यों में तो आया, मगर दो राज्यों में, जहां पहले जनता पार्टी की सरकारें थीं – हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, वहां यह संवैधानिक संकट टल गया। दूसरे राज्यों में एक दिन पहले ला एंड आर्डर की अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन दूसरे दिन वह खराब हो गई। इससे स्पष्ट रूप से मालूम होता है कि इस कार्रवाई के पीछे विद्वेष की भावना काम कर रही थी।

आज हमारे देश में जो संविधान है, जिसके अन्तर्गत गणराज्य की व्यवस्था है, यदि उसको संशोधित कर दिया जाता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर यह निर्णय कर लिया जाता है कि राजनैतिक आधार पर ही सब बातों का निर्णय होगा, तो मुझे कोई चिन्ता नहीं है – मै सहर्ष उसे स्वीकार कर लूंगा और फिर हम सबको पक्ष तथा विपक्ष में तर्क उपस्थित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो फिर ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि इन चुनावों के परिणाम स्वरूप फिर कांग्रेस का बहुमत न हुआ, दूसरे किसी विरोधी दल का बहुमत हो गया,

तो क्या फिर उन राज्यों में राष्ट्रपति का शासन लागू कर दिया जायेगा ? या अगर बहुत से राज्यों में कांग्रेस का बहुमत हो गया, और किसी कारण लोकसभा के चुनाव दोबारा हुए और कोई दूसरा दल सत्ता में आ गया, तो क्या फिर उन विधान सभाओं को भंग करना होगा ? (व्यवधान) माननीय सदस्य कहते हैं कि इसके चांसिज ब्लीक हैं। 1977 में कहा जाता था कि हमारे सत्ता में आने के चांसिज ब्लीक हैं। इस बार हम भी कहते थे कि जनता पार्टी के अलावा किसी दूसरे दल की सफलता के चांसिज नहीं हैं, लेकिन हमको सबक सीखना पड़ा। मैं एक गम्भीर प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को सब बातों पर पहले से विचार कर लेना चाहिए। हमें इस संवैधानिक सवाल पर विचार करना चाहिए कि क्या ऐसे मामलों पर राजनैतिक आधार पर निर्णय किया जायेगा।

विधान सभाओं को भंग करने से पहले श्रीमती इन्दिरा गांधी ने, जो आज प्रधान मंत्री हैं, कहा कि मध्य प्रदेश मे ला एंड आर्डर की सिचुएशन खराब है। उन्होंने यह भी कहा कि केन्द्रीय सरकार को बदनाम करने के लिए वहां जबिया नसबंदी कराई जा रही है। इस स्टेटमेंट को खुलम-खुल्ला चैलेंज किया गया। हमारे मुख्य मंत्री ने एक प्रेस कांफ्रेंस में इसका प्रतिवाद किया। आज तक उस स्टेटमेंट को सबस्टैंशिएट करने की कोशिश नहीं की गई है। अगर यह निर्णय कर लिया जाये कि केवल राजनैतिक आधार पर इन बातों का निर्णय लिया जायेगा, तो फिर कोई चिन्ता की बात नहीं हैं। मैं बहुत विनम्रता के साथ यह भी निवेदन करूंगा कि अगर किसी ने एक ग़लती की है, तो उस ग़लती को दोहराना या उसका समर्थन करना उचित नहीं हैं।

मैं एक दूसरा प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। संविधान में इस बात की कोई मुमानियत या मनाही नहीं हैं कि किसी विधान सभा के भंग होने के बाद उस राज्य का बजट संसद् में प्रस्तुत न किया जाये। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह उचित नहीं है कि पहले विधान सभा को भंग करने का प्रोक्लेमेशन सदन के द्वारा स्वीकार किया जाये और फिर राज्य का बजट लाया जाये। क्या यह प्रोप्रायटी नहीं है ? मैं एक एकेडेमिक प्रश्न उठाना चाहता हूं कि अगर प्रोक्लेमेशन इस सदन के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, तो फिर इन सब बजटों की क्या स्थिति होगी।

मैं ने पहले ही स्पष्ट किया है कि संविधान में ऐसी मनाही नहीं हैं कि प्रोक्लेमेशन के स्वीकार हो जाने के बगैर यहाँ पर राज्य का बजट पेश नहीं हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यह आवश्यक, उचित और न्यायोचित है कि पहले प्रोक्लेमेशन को स्वीकार करा लेना चाहिए था। इस बारे में कोई जल्दी नहीं थी। वोट आन एकाउंट दो रोज बाद आ सकते थे। अभी मार्च का समय बाकी है। लेकिन यह क्यों नहीं किया, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। यह बात उचित नहीं हैं। पहले प्रोक्लेमेशन का एपरूवल होना चाहिए था। इन दो बातों की ओर ध्यान दिलाने के पश्चात् मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरे मित्रों ने बात कही है उस को रिपीट न करूं, लेकिन मध्य प्रदेश के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। 1956 में मध्य प्रदेश बना। तो वह एक रेज़िड्युअरी स्टेट के रूप में

बना। महाराष्ट्र बन गया मराठी भाषा के आधार पर, गुजरात बन गया गुजराती भाषा के आधार पर, और दूसरी स्टेट्स बन गई। उत्तर प्रदेश में से कुछ हिस्सा काट नहीं सके। जो बाकी बचा वह मध्य प्रदेश बना। लेकिन मैं यह कहूंगा किसी कारण यह सौभाग्य है मध्य प्रदेश का कि यह एक इस प्रकार का प्रदेश है जिसके अंदर सब प्रकार की सम्पदाएं हैं। खनिज सम्पदा है, एक तिहाई के लगभग फारेस्ट का एरिया है, अनेक नदियां हैं, जमीन अच्छी है, तरह तरह के मिनरल्स हैं, वहां हीरा तक मिलता है, लोहा बहुत है, कोयला बहुत है, लकड़ी के अच्छे अच्छे लम्बे फारेस्ट्स हैं। इतने सब रिसोर्सेज़ के होने के बाद भी आज मध्य प्रदेश की स्थिति इस प्रकार की है कि मध्य प्रदेश में लगभग 74 फीसदी लोग आज की तारीख में गरीबी की रेखा के नीचे हैं। यह क्यों हुआ? अभी कुछ दिन पहले प्रधान मंत्री महोदया का एक स्टेटमेंट आया कि तीस महीने में जो बिगाड़ कर रखा है उस तीस महीने की बिगड़ी हुई एकोनामी को हम एकदम से कैसे सुधार सकते हैं? मैं ऐसा ही सवाल उन से करूं कि तीस साल तक जिस एकोनामी को उन्होंने बिगाड़ कर रखा उसको तीस महीने में या दो साल में कैसे सुधारा जा सकता था? मैं याद दिलाना चाहता हूं, 1974 में मध्य प्रदेश में एक स्थिति इस प्रकार की आ गई थी कि वहां पर एम्प्लाईज़ को वेतन का चेक देने के लिए गवर्नमेंट के पास रुपया नहीं था। 29 अप्रैल 1974 को गवर्नमेंट की ट्रेज़री में एम्पलाईज़ को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं था। उस दिन प्राइवेट बोर्ड्स, एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स और एजूकेशन बोर्ड्स इन लोगों से 6 करोड़ रुपया बैंक में इकट्ठा करवाया गया। फाइनेंस सेक्रेटरी की ओर से काफी जोर डालकर यह पैसा इकट्ठा कराया गया। श्री एम ए राव का इस सम्बन्ध में एक प्रकाशन हुआ है उसी साल 1974 में, एम पी क्रानिकल में उसको देखा जा सकता है। यह स्थिति उस प्रदेश की बना दी गई जिस के अन्दर इतने रिसोर्सेज थे, इतनी सम्पदाएं थीं। उसके बाद भी इस प्रकार की बैंकरप्सी की स्थिति वहां बना दी और उस समय प्रकाश चन्द्र सेठी जी मुख्य मंत्री थे 1974 में, उस समय यह स्थिति थी।

इस के पश्चात् जो कुछ हुआ, परिवर्तन आया, परिवर्तन के बाद मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अन्दर तमाम सिंचाई योजनाएं लागू कर दी गईं। एलेक्ट्रिफिकेशन का जहाँ तक प्रोग्राम था 200 करोड़ रुपये का.......(व्यवधान)...... आपकी स्कीम होगी, लेकिन आप कर नहीं पाए, वह हमने किया। दो सौ करोड़ रुपये की एलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम की थी, 1 हजार से ऊपर वाले जितने गांव हैं, उनमें से 83 प्रतिशत गांवों के अन्दर दो साल के अन्दर बिजली पहुंच गई। एक हजार से ऊपर की आबादी के गांवों की बात कर रहा हूं और यह दो साल के अन्दर ही हुआ है। जिन 83 प्रतिशत विलेजेज़ का एलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है उस में से लगभग 50 प्रतिशत इन दिनों के अन्दर हुआ है।

इसी तरह स्कूल बिल्डिंग्स की बात है। एक हजार से ऊपर की आबादी वाले स्थानों की बात कर रहा हूं, वहां प्राइमरी स्कूलों की बिल्डिंग्स नहीं थीं। मैं बता सकता हूं, अकेले ग्वालियर जिले में 85 स्थान ऐसे थे जिनमें प्राइमरी स्कूलों की बिल्डिंग्स पिछले दिनों में बनाई गई। इसी तरह और दूसरे स्थानों पर भी बनाई गई।

मेरे मित्र ने राहत की योजना की तरफ ध्यान दिलाया। मैं इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह 15 करोड़ रुपये की राशि जो इसके लिए निर्धारित की है यह बहुत कम है। इस के साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि लोगों को राहत और दूसरे कार्यों से भी मिलती है। जो एलेक्ट्रिफिकेशन के काम हैं या इरींगेशन के काम हैं, सड़कें बनाने का काम है, इन कामों को भी अगर साथ साथ चालू नहीं किया और इन का इम्पलीमेंटेशन रोक दिया तो मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत भयंकर होगी। मैं आपकी कल्पना में यह बात लाना चाहता हूं कि इन जिलों के अन्दर बारिश नहीं हुई है, कुओं का पानी खत्म हो गया है। अभी तक तो थोड़ा थोड़ा पानी खींचकर लोग काम चलाते थे। आपके पास मशीनें जो हैं, सेठी जी ने कहा था कि मशीनें देने वाले हैं और बाहर से भी मशीनें मंगायेंगे लेकिन पता नहीं, कब मंगायेंगे। अगर वहां पर जल्दी से मशीनें नहीं गई तो स्थिति बहुत खराब हो जायेगी। छत्तीसगढ़ में तो बहुत से लोग गांवों को छोड़कर पहले ही चले गए हैं और आगे दूसरी जगहों से भी लोग गांव छोड़कर चले जायेंगे क्योंकि वहां पर पीने के पानी का कोई प्रबन्ध नहीं है। इसलिए आप इस स्थिति को बहुत गम्भीरता से लें। 15 करोड़ के प्रावधान से कुछ नहीं होगा।

कर्मचारियों की नियुक्ति की जहां तक बात है, इसमें विद्वेष की भावना से लोगों को इधर से उधर डाला गया है। मेरी किसी भी अधिकारी में रुचि नहीं है लेकिन मैं चाहता हूं कि जो राहत कार्य चल रहे हैं जो कल्याणकारी योजनायें चल रहीं हैं उनको चलते रहना चाहिए क्योंकि इसका लाभ ग्रामीण बन्धुओं को मिलेगा। अभी एक भाई कह रहे थे कि 22 प्रतिशत धनराशि इसके लिए निर्धारित की गई है लेकिन वे इस बात को भूल जाते हैं कि मध्य प्रदेश में हरिजनों की आबादी 13.1 प्रतिशत है और आदिवासियों की आबादी 20.1 प्रतिशत है – इस प्रकार से उनकी आबादी 33 प्रतिशत बनती है। 33 प्रतिशत आबादी के लिए अगर 22 प्रतिशत राशि ही खर्च की जाए तो वह बहुत कम है, यह राशि 33 प्रतिशत नहीं बल्कि 40 प्रतिशत होनी चाहिए। जब आप उनको पिछड़ा वर्ग मानते हैं तो उनके हित के लिए योजनायें बनाकर ज्यादा से ज्यादा रकम खर्च की जानी चाहिए।

इसी तरह से मैं संक्षेप में बतलाना चाहता हूं कि आपने राजनीतिक बदला हमसे तो लिया, वह कोई बात नहीं है आप बदला लीजिए लेकिन आप कम से कम उन कर्मचारियों से बदला मत लीजिए जिनका वेतन बढ़ाया गया है, मंहगाई भत्ता बढ़ाया गया है। (व्यवधान) सभी कर्मचारी आर एस एस के नहीं हैं। जिन कर्मचारियों का वेतन भत्ता बढाया गया है उनसे आप बदला न लें। विरोध की भावना से आप उनको बन्द मत करें। बेरोजगार युवक मण्डल जो है, उसके लिए जो प्रावधान किया गया है उसमें भी आप कृपा करके कटौती न करें, उसको इंप्लीमेन्ट करने की कोशिश करें। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीतिक दृष्टि-कोण न अपनाकर, आवश्यकता के अनुरूप जो निर्णय पहले हुए हैं उनको आप जारी रखें।

अब मैं कुछ थोड़ा सा रिसोर्सेज के बारे में कहना चाहता हूं......

.....(व्यवधान)......

सभापति महोदय : उन की तरफ़ से दो ही बोलने वाले हैं, इसलिये उन को थोड़ा ज़्यादा समय दिया गया है।

श्री एन० के० शेजवलकर: मान्यवर, मैं फिर एक बात की तरफ़ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ-आज हमारे यहां जो फारेस्ट रिसोर्सेज़ हैं उन रिसोर्सेज़ को अच्छी तरह टैप नहीं किया जा रहा है। आप यदि उनको अच्छी तरह से टैप करेंगे तो प्रदेश की आय में बढ़ोत्तरी हो सकती है। आज हमें तेंदू के पत्ते से बहुत कम आय हो रही है, करीब 13 करोड़ आय होती है, यदि हम उसकी ठीक से व्यवस्था करें तो उससे आय बढ़ सकती है। आज जिस तरह की व्यवस्था है उसमें ठेकेदार लोग सब खा जाते हैं, गरीब आदिवासी जो पत्ते इकट्ठा करके लाता है उसको पूरा पैसा नहीं मिलता है। सरकारी कर्मचारी इस काम को कितना कर पायेंगे, मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन आपको उस की ठीक से व्यवस्था करनी चाहिये।

इसी तरह से मिनरल्ज़ और बाक्साइट की बात है। बाक्साइट से 1.2 करोड़ रुपया, कोयले से 76.3 करोड़ रुपया, डायमण्ड्स से 1.2 करोड़ रुपया और आयरन-ओर से 19.7 करोड़ रुपये की उपलब्धि हो पा रही है। इनके रिसोर्सेज़ बढ़ जायं तो इनसे प्रदेश की आय बढ़ेगी और वहां गरीबी मिटाने में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश एक तरह से रेसीड्यरी नहीं स्टेट बना, लेकिन उसके पास इतनी वन संपदा और इर्रिगेशन के साधन हैं कि उनका सही उपयोग किया जाय, तो प्रदेश को बहुत लाभ पहुँच सकता है। इर्रिगेशन की स्कीमों को क्लियर कीजिए, इनसे मध्य प्रदेश में अनाज की पैदावार बढ़ सकती है, बिजली पैदा हो सकती है और वह प्रदेश खुशहाल हो सकता है। लेकिन यह तभी संभव है, जबकि आप कुछ करना चाहें। मैं आग्रह करूंगा कि आप इनकी तरफ़ ध्यान दें और कुछ करें।

सभापति महोदय : श्री ठकुर शिवकुमार सिंह। वह यहाँ उपस्थित नहीं।

कुमारी पुष्पादेवी सिंह

कुमारी पुष्पादेवी सिंह : (रायगढ़) : सभापति महोदय, मैं राज्य के वर्ष 1980-81 के बजट का स्वागत करती हूँ। मैं मध्य प्रदेश के एक पिछड़े क्षेत्र की रहने वाली हूं और मेरा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति क्षेत्र है अतः मैं आपका ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं की ओर दिलाना चाहती हूं, चूंकि आदिवासियों, हरिजनों और समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए पर्याप्त उपबन्ध हैं मैं चाहती हूं 20 सूत्री कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित किया जाए और उसके लिए पर्याप्त धन दिया जाए ताकि हम लोगों का जीवन स्तर विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों का जीवन स्तर ऊपर उठा सकें और ताकि उनका आर्थिक उद्धार हो।

आदिवासियों के लिए दी गई जमीन का आबंटन समाप्त नहीं होना चाहिए और उसका उचित ढंग से प्रयोग किया जाना चाहिए मेरे क्षेत्र में सूखे से पीड़ित-लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने की आवश्यकता है। राहत कार्य जो भूतपूर्व सरकार ने बन्दकर दिए थे वह फिर से चालू किए जाने चाहिए।

अनाज तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के वितरण और सप्लाई की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए

कमी वाले क्षेत्रों में पीने का पानी पहुंचाने के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि आगामी गर्मियों में कुछ कठिनाई न हो।

रायगढ़ के मेरे आदिवासी जिले में कोई बड़ी सिंचाई परियोजना नहीं हैं। सरकार ने 1976 में केलो परियोजना का प्रस्ताव रखा था। इससे मेरे जिले के 221 गांवों को फायदा होता भूतपूर्व। सरकार ने इस प्रस्ताव को विचाराधीन रखा और अब यह केन्द्रीय जल आयोग के समक्ष है मैं चाहती हूं इस परियोजना को तुरन्त स्वीकृति दी जाए और तत्काल कार्यवाही आरम्भ की जाए क्योंकि यदि यह सिंचाई परियोजना पूरी हो जाती है तो इससे मेरे निर्वाचन क्षेत्र के हज़ारो किसानों को बहुत लाभ होगा।

देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधर रही है और लोगों में विश्वास पैदा हुआ है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आदिवासी, हरिजनों और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हेतु अधिक धन का आबंटन किया जाए

मेरे क्षेत्र में अत्यधिक बेरोजगारी है अतः वहां एक बड़ा उद्योग शुरू करके बेरोजगारी को कम किया जाए। मेरे विचार में बढ़ती जनसंख्या ही बेरोजगारी का कारण है और इस पर नियन्त्रण करने के लिए जबर्दस्ती न की जाए अपितु लोगों को समझाया जाए।

पिछले बजट में रायगढ़ में विभागीय तार-घर की स्थापना की व्यवस्था की गई थी लेकिन इस सम्बन्ध में अब तक कोई कार्य आरंभ नहीं किया गया। मेरा अनुरोध है कि इस बारे में शीघ्र कार्य प्रारम्भ किया जाए।

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है मेरे जिले में आदिवासी छात्रों के लिए हॉस्टल में जगह मिलने की समस्या है। मैं अनुरोध करती हूं कि इस उद्देश्य हेतु अधिक धन दिया जाए। मैं आशा करती हूं कि उपरोक्त समस्याओं पर विचार किया जाएगा और अनुरूप कार्यवाही की जाएगी। धन्यवाद।

श्री गोदिल प्रसाद अनुरागी (बिलासपुर) : सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत मध्य प्रदेश के 1980-81 के बजट का मैं समर्थन करता हूं। मैं इस अवसर पर विशेष तौर से आपका ध्यान राहत कार्यों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने अभी हाल में बिलासपुर जिले के 9 विधान सभाई क्षेत्रों का दौरा किया और मुझे मालूम हुआ कि 99 प्रतिशत जो चावल और शक्कर उठाते हैं – वे जनसंघी एजेन्ट हैं। जो शक्कर और चावल हमारे मजदूरों और किसानों के लिये आता है, वह उन तक नहीं पहुंच पाता, बीच में ही ब्लैक में चला जाता है और ये जनसंघी लोग बीच में ही बिक्री करके उसको खा जाते हैं।

सभापति महोदय, आज हमारे प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है और इन जनसंघियों के अत्याचारों के कारण हमारे प्रदेश के, हमारे जिले के लोग भूखों मर रहे हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि पिछले प्रधान मंत्री, दल बदलू प्रधान मंत्री श्री चरणसिंह से हम लोगों ने निवेदन

किया था और जनसंघ के मुख्य मंत्री श्री सकलेचा और श्री पटवा से हमने निवेदन किया था कि हमारे प्रदेश में राहत कार्य खोले जाएं क्योंकि वह अकालग्रस्त राज्य है। अकाल के कारण हमारे जिले से 7 लाख आदमी अपना दरवाजा बन्द करके अपनी भैंसे और बर्तन बेचकर दूसरे प्रदेशों में जीविकोपार्जन के लिए चले गये और छोटे छोटे रोते हुए बच्चों को लेकर घर से निकल पड़े और यहां पर जनसंघ और भूतपूर्व प्रधान मंत्री आँखों से इसको देखते रहे और कोई राहत कार्य नहीं खोले। आज भी भयंकर अकाल में हमारा प्रदेश है। हमारे यहां जिला स्तर पर जनसंघ के अधिकारी हैं और वे राहत कार्य उस समय वोट लेने के लिए खोले गये और वहां पर मजदूरों ने काम किया लेकिन आज तक उन मजदूरों को भुगतान नहीं किया गया है। केवल वोट लेने के लिए उन्होंने ऐसा किया था लेकिन असली काम वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। अब जबकि श्रीमती इन्दिरा गांधी की केन्द्र में सरकार बनी, तो पद ग्रहण करते ही इन्होंने तुरन्त राहत कार्य खोलने के लिए कहा है और हमारे यहाँ के लोगों को पूरी आशा और विश्वास था कि अगर इन्दिरा जी भारत की प्रधान मंत्री बनेंगी, तो हमारे प्रदेश में और हमारे जिले में राहत कार्य खोले जाएँगे। परिणाम यह निकला कि लोगों ने कांग्रेस (आई) को वोट दिया और जैसे ही श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री बनीं, मध्य प्रदेश में तत्काल युद्ध स्तर पर राहत कार्य खोल दिये गये और इससे वहाँ के लोगों में काफ़ी संतोष है। वे राहत कार्य काफी संतोषजनक चल रहे हैं और हमें ऐसा विश्वास है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी एक भी आदमी को भूखा नहीं मरने देंगी और नई फसल के आने तक राहत कार्य चलते रहेंगे।

अब मैं आपका ध्यान सिंचाई की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है। मारवहां में सोन नदी है। उसका सर्वे कराकर तत्काल काम शुरू किया जाए जिससे वहां के लोगों को सिंचाई के साधन मिल सके। इसी तरह से आगरहाप परियोजना और मुंगली का भी तुरन्त सर्वे करया जाए क्योंकि बहुत सा पानी समुद्र में बहकर बेकार चला जाता है जबके हमारे प्रदेश में सिंचाई के साधन बहुत कम है।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे प्रदेश में केवल 12 से 15 प्रतिशत ही सिंचाई होती है। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करूंगा और निवेदन करूंगा कि जबकि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात आदि प्रांतों में 50 प्रतिशत सिंचाई के साधन हैं, हमारे मध्य प्रदेश का यह दुर्भाग्य है कि वहाँ पर केवल 12 से 15 प्रतिशत ही सिंचाई होती है। मैं यह फिर से निवेदन करना चाहता हूँ कि मरवाही में सोन नदी का तत्काल सर्वे कराया जाए और युद्ध स्तर पर यह काम चालू होना चाहिए। इसके अलावा फूटाधार बांध और खुरिया बांध में 80 प्रतिशत जो सिंचाई होती है, उससे 100 प्रतिशत सिंचाई भी जा सके, इसको सक्षम बनाया जाए।

सभापति महोदय, इसी तरह से बिलासपुर जिला है उस जिले में पुल का निर्माण होना चाहिए। दूसरा निवेदन है कि हमारे यहां रायगढ़ जिला है, सारंगगढ़ स्टेट है। सूर्यनारायण के बीच में महानदी में भी पुल का निर्माण होना बहुत ज़रूरी है।

सभापति महोदय, आपने हमें समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री मोतीलाल सिंह (सीधी) : आदरणीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश का जो बजट पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। हमारे मध्यप्रदेश के अन्दर एक बहुत ही पिछड़ा जिला है सीधी। मध्यप्रदेश के पूर्वी किनारे पर स्थित है और बहुत ही पिछड़ा है। वहाँ पर आवागमन के साधन नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं, रेलवे लाइन भी नहीं है। मध्यप्रदेश के इस जिले में पर्याप्त मात्रा में कोयला है। अगर कोयले की खानों का दोहन किया जाए तो वहां का बहुत विकास हो सकता है।

आवागमन के क्षेत्र में वहां पर रेलवे लाइन का शायद सर्वे हो चुका है लेकिन उस पर अभी तक काम नहीं शुरू हुआ है। सिंचाई के क्षेत्र में भी वहां कोई योजना नहीं बनायी गयी है। वहां भिन्न भिन्न नदियां है। गोपद नहीं है। अगर इस नदी का सर्वे करके कोई सिंचाई योजना चालू कर दी जाए तो उस क्षेत्र का विकास होना असम्भव नहीं है।

सिंगरौली की कोलियरीज में हिन्दुस्तान का सबसे अच्छा कोयला मिलता है। अगर वहां पर आवागमन के साधनों की सुविधा हो जाए तो उससे भी वहां के विकास में सहायता मिलेगी।

सीधी जिला शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत पिछड़ा हुआ है। वहाँ आज तक कोई पोस्ट ग्रेज्जूट नहीं खुल पाया है। अगर उस जिले में ट्राइबल प्रोजेक्ट्स चालू कर दिये जाएं तो वहां का विकास हो सकता है। वह एक पूर्ण रूपेण आदिवासी क्षेत्र है।

श्री चक्रधारीसिंह (सरगुजा) : सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय द्वारा जो बजट सदन में रखा गया है उसका हम बहुत खुले दिल से स्वागत करते हैं। परन्तु इसमें कुछ संशोधन चाहते हैं और कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं। वे सुझाव मेरे विचार में बहुत उपयोगी है और खासकर हमारे जिले के लिए तो बहुत ही उपयोगी हैं।

अभी जो बजट रखा गया है और जिस क्षेत्र से सरगुजा से मैं चुनकर आया हूं उस सरगुजे जिला के विकास के लिए बहुत उपयोगी हैं। मैं समझता हूं कि आज तक वहां के डवलपमेंट के लिए कोई सुझाव नहीं रखा गया जिसमे कि उस जिले का विकास हो सके, प्रगति हो सके। इस दिशा में मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा। अपने जिले की परिस्थितियों और समस्याओं के बारे में थोड़े से शब्दों में बताना चाहूंगा।

हमारे जिले की प्रमुख समस्या है कि हमारे जिले को अन्य प्रदेशों से या अन्य जिलों से जोड़ने के लिए कोई बस सेवा समुचित रूप से नहीं है या रेल मार्ग ऐसा नहीं हो पाया है जिसके द्वारा हम एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में सुगमतापूर्वक आ जा सकें। इस तरीके से आवागमन की सुविधा अभी तक नहीं हो पाई है।

सरगुजा जिले का मुख्यालय अम्बिकापुर है, वहाँ से एक सड़क बनारस के लिये जा रही थी जो निर्माणाधीन है, परन्तु वह सड़क अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। इस बारे में विशेष ध्यान दिया जाये।

मैं एक जानकारी इस सदन को और देना चाहता हूं, मैं इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अन्तर्गत लाना चाहता था, परन्तु क्योंकि अब समय मिला है, मैं कहना चाहता हूं कि सरगुजा

में विश्रामपुर जो कौलरी है, उसमें जो कोयले का प्रोडक्शन होता है, वह ओपन कौलरी है, बाहर कोयला पड़ा रहता है, पिछले गत एक वर्ष से उस कोयले में आग लगी हुई है जो आज तक जलती आ रही है। जब मैं अम्बिकापुर के लिये गया था तो मैं उस कौलरी का निरीक्षण करने भी गया। वहां अभी भी आग लगी हुई है और हजारों, लाखों टन कोयला बेकार हो रहा है। वहां यह भी पता लगा कि वैगन्स की शर्टिज है। वास्तविकता तो यह है कि वहां के जो अधिकारी हैं, वह इतने निकम्मे सिद्ध हुए हैं कि उनके कारण वगनों में कोयले का डिस्पैच नहीं किया जा रहा है। जितना भी और कोयले का प्रोडक्शन किया जाता है, वह उस जलते हुए ढेर पर डाल दिया जाता है। इस तरह से करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। इसके कारण हमारे देश की आर्थिक प्रगति अवरुद्ध हो गई है।

मैं एक सुझाव इस बजट प्रस्ताव में और देना चाहता था, क्योंकि हम एक आदिवासी जिले से चुनकर आये हैं, वहां जब भुखमरी का समय होता है तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ताकि तत्काल उनको सहायता दी जा सके। मेरा निवेदन है कि ऐसी व्यवस्था इस बजट में प्रावधान करके करनी चाहिये कि तत्काल उनको सहायता, आवश्यकता पड़ने पर, दी जा सके।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरगुजा एक जंगली इलाका है, जहाँ जंगलों में पहले बहुत से बांस होते थे। उन बांसों को काटकर वहां के निवासी छोटी-छोटी उपयोगी चीजें बनाकर अपनी जीविका का उपार्जन किया करते थे। परन्तु उन बांसों को काटकर बाहर भेज दिया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर बाँसों का प्लान्टेशन कराना चाहिये। 2,3 साल में बांस तैयार हो जायेंगे और वहां के निवासी जरूरत के समय में उनसे उपयोगी चीजें बनाकर अपना जीविकोपार्जन कर सकेंगे।

वहां पर एक थर्मल पावर स्टेशन पहले से बना हुआ था विश्रामपुर में। उसको दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया है। वह एक पिछड़ा हुआ जिला है; वहां जो विकास के साधन हैं, उनको भी वहां से हटा दिया गया है। वहां पर जो फर्टिलाइजर की फैक्टरी थी, उसको भी हटा दिया गया है। मेरा निवेदन है कि इस बजट में उस प्रदेश के विकास के लिये कुछ ऐसे प्रावधान किये जायें जिससे वहाँ के निवासियों को लाभ हो, लेकिन वहां जो साधन पहले से थे उनको भी हटा दिया गया है। मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : मध्यप्रदेश के बजट पर चर्चा के समय मध्यप्रदेश के सुखाड़ की बड़ी चर्चा की गई है। अभी हमारे ट्रेजरी बैंचेज के एक माननीय सदस्य ने कहा कि उनको यह आशा थी की जब श्रीमती इन्दिरा गांधी हिन्दुस्तान की प्रधान मंत्री होंगी तो राहत के कार्य काफी चलेंगे और मध्यप्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरेगा। इस सिलसिले में जो टेलीग्राम इस सदन के भूतपूर्व माननीय सदस्य श्री होमी दाजी ने हमारे कम्युनिस्ट ग्रुप के नेता श्री इन्द्रजीत गुप्त को भेजा है, मैं वह पढ़कर सुना देता हूं। "भीषण अकाल और सूखा पड़ा है। आधी जनसंख्या प्रभावित है और राहत कार्य न के बराबर है। भुगतान अनियमित है और भूख से लोग मर रहे हैं उदाहरण के लिए एक महीने के भीतर

पिपरिया जिले के पन्ना और हरचरया चमार, जिला पन्ना के विराज अतन्या की भूख के कारण मृत्यु हुई—होमीदाजी" यही नहीं, टाइम्ज आफ़ इंडिया के कारेसपांडेंट ने उस इलाके में घूमने के बाद इसी तरह की एक रिपोर्ट दी है, जो 11 तारीख के टाइम्ज आफ इंडिया में छपी है।

जब कभी अकाल या सुखाड़ की स्थित हो, तो हम सब का यह फ़र्ज हो जाता है कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठें। अगर आपके शासन में जानता भूख से मर रही है, उसको रोजी-रोटी नहीं मिल रही है, हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग गांव छोड़ कर बाहर जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी अगर आप सच बात को मानने के लिए तैयार न हो, क्योंकि इससे आप पर एसपर्शन होता है, तो यह उचित नहीं है। आम तौर पर सरकार की ओर से यह जवाब दिया जाता है कि इस तरह की मौतें नहीं हुई हैं, लोग बीमारी से मरे हैं। अगर मंत्री महोदय ने इस तरह का जवाब देना है, तो मैं उसको चैलेंज करता हूं और मांग करता हूँ कि सदन की एक कमेटी बनाई जाये और उसके ज़रिये इस मामले की जांच कराई जाये।

मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, जिसकी चर्चा अखबारों मे हो रही है। शासक दल के एक बहुत ही प्रभावशाली माननीय सदस्य हैं, उनके ज़ोर से यहां के एक दूसरे माननीय सदस्य वैस्टर्न कोलफ़ील्ड्ज़ के हैडक्वार्टर को नागपुर से शिफ्ट करके छिंदवाड़ा ले जा रहे हैं। अखबारों में इस बारे में काफ़ी टिप्पणियां की जा रही हैं। इसके साथ ही वहां के आफ़िसर्ज, एम्पलाईज़ और आम जनता में इस सवाल को लेकर भयंकर असंतोष है। पता नहीं क्यों इस तरह की बात की जा रही है और इसका क्या औचित्य है। इसका औचित्य तो यही हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर माननीय सदस्य का शासन के किसी पार्टिकुलर मिनिस्टर या उनके लोगों के साथ गहरा सम्बन्ध है, इसलिए वह उस हैडक्वार्टर को उस इलाके में ले जाना चाहते हैं।

वहां के खेत-मजदूरों और आदिवासियों के सामने बेरोजगारी, मिनिमम वेजिज़ और जमींन की समस्या है। ये सारी समस्यायें ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं। आप जनता पार्टी को एक्यूज़ करते हैं, लेकिन आपको तीस वर्ष तक हुकूमत करने का मौका मिला, श्रीमती इन्दिरा गांधी को 11 बरस प्रधान मंत्री रहने का मौका मिला और फिर भी देश के आधे से ज्यादा हिस्से में अकाल और सुखाड़ की स्थिति है। उसके बाद भी आप कहते हैं कि आपको और ज्यादा मौका मिले। मैं नहीं समझता कि किसी पार्टी को इन समस्याओं से लड़ने के लिए कितना समय चाहिए।

श्री कालीचरण शर्मा (भिन्ड) : सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस समय ग्वालियर डिविज़न में भयंकर सूखा है। लेकिन दतिया जिले में गत वर्ष ओला पड़ने के कारण भुखमरी जैसी स्थिति है। वहां पर सरकार के राहत-कार्य बहुत कम चल रहे हैं। वहां पर अधिक तादाद में राहत-कार्य खोले जायें और अनाज की व्यवस्था कराई जाये।

हमारे जिले में एक-एक बीघा, आध-आध एकड़, दो-दो एकड़ के छोटे-छोटे काश्तकार हैं । उनके दस पंद्रह परिवार के लोग हैं। उनके सामने जीवन-यापन की समस्या हैं। इसलिए हमारे जिलों में पशुपालन पर अधिक खर्च किया जाय ताकि एक बीघे, दो बीघे का काश्तकार अपनी और अपने परिवार की गुजर कर सके। सरकार एकदम सभी को नौकरी नहीं दे सकती है। इसलिए उसके लिए साधन जुटाए जायं । हमारे यहां जो नहरें हैं उनमें पानी नहीं है, इसलिए वहां कनौरा में लिफ्ट स्कीम जो चम्बल से मंजूर की गई है उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाय और उसके लिए धन दिया जाय । वित्त मंत्री जी का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

हमारा ग्वालियर डिवीजन उद्योग की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में ग्वालियर इटावा ब्राडगेज लाइन के लिए स्कीम बनी थी, रेलवे बोर्ड ने कई बार उसका सर्वे भी किया लेकिन आज तक काम शुरू करने के बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ। हमारे यहां बसों में और नैरो गेज लाइन की जो रेलें हैं उनमें छतों पर बैठकर सवारियां चलती हैं। बसों में घनी आबादी होने के कारण भेड़ बकरियों की तरह भर कर लोग जाते हैं । यातायात के साधनों का वहां अभाव है। वहां का किसान काफी मजबूत और परिश्रमी है । अगर दो-दो बीघे के किसान के लिए एक भैंस खरीदने के लिए कर्ज सरकार दे तो कोई वजह नहीं है कि वह उससे अपना जीवन निर्वाह न कर सके।

हमारे डिवीजन में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मजदूरी नहीं कर सकते, वे चोरी और डकैती कर सकते हैं अथवा दूसरे काम कर सकते हैं। उनके पास जमीन है, मकान है, सरकार उन्हें कर्ज दे और एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि किसान के लिए हमारे देश में कम ब्याज पर कर्ज नहीं दिया जाता है उद्योगों का उसके मुकाबिले में कम ब्याज पर कर्ज दिया जाता है । हमारा किसान उस मामले में हिसाब ठीक से नहीं जानता। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ब्याज पर किसानों को और छोटे वर्ग के लोगों को कर्ज दिया जाय। हमारे जिले की जो समस्याएं हैं वह काफी गंभीर हैं और हमारे प्रदेश के दूसरे जिलों को भी नुकसान पहुंचाने वाली हैं। हमारे जिले के लोगों को उद्योग की बहुत आवश्यकता है वरना वही पुरानी डकैती की समस्या चालू हो सकती है। मैं कहना चाहूंगा जैसा कि अभी सदस्य महोदय श्री शेजवलकर ने वहां, कि म.प्र. में शांति व्यवस्था ठीक थी सही नहीं है हमारे भिंड जिले की लहार और दतिया जिले की स्यौढ़ा तहसीलमें आज भी सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहां गांवों में आज भी डाकुओं का राज है। इसलिए आज वहां मजबूत अधिकारियों की जरूरत है जो कंट्रोल कर सकें। आज से तीन वर्ष पहले हमारे जिले में शांति और व्यवस्था थी। लेकिन ड़ेढ़ साल से वहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं मिलती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि गृह मन्त्री जी रायज्पाल के मार्फत ऐसे मजबूत अधिकारी वहां भेजें जितनी जल्दी कर सकें। अभी छोटे से गैंग तैयार हो रहे है, उनको जल्दी से कंट्रोल में लाया जा सकता है लेकिन अच्छे अधिकारी के जरिए यह काम संभव है। इसलिए सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे।

सभापति महोदय : आज हमारा सदन सात बजे तक काम करने जा रहा है, ऐसा हमने कहा था। मेरे पास अभी तीन-चार नाम है। मैं उन सबको टाइम दे रहा हूँ मगर इस शर्त पर

दे रहा हूँ कि यह काम आज खत्म करना होगा। उसके लिए दस पंद्रह मिनट ज्यादा बैठने की जरूरत होगी तो आप सब लोग बैठने के लिए तैयार होंगे ।

श्री प्रतापभानु शर्मा (विदिशा) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने वित्तमंत्री श्री वेंकटरामन जी को धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा। उन्होंने मध्य प्रदेश के बजट में जो दिलचस्पी ली और उसको जिन कठिन परिस्थितियों में आज छोड़ा गया था, जो परिस्थितियां हमारे प्रदेश को विरासत में मिली थीं, उनको देखते हुए अपनी योग्यता के आधार पर जो प्राथमिकताएं दी हैं और जो उन्होंने मुद्दे तय किए है वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है, जनता पार्टी के ढाई और तीन वर्ष के शासन के दौरान, सकलेचा और पटवा शासन ने जो मध्य प्रदेश प्रशासन को चौपट करके दिया था, उससे जो स्थिति उत्पन्न हो गई थी, वह पूरे देश के लोग जानते हैं। चाहे वह उद्योग के उत्पादन का क्षेत्र रहा हो या बिजली के उत्पादन का क्षेत्र रहा हो या कोई और क्षेत्र रहा हो सभी क्षेत्रों में स्थिति खराब थी । 75-76 में हमारा राज्य बिजली उत्पादन के मामले में सरप्लस राज्य कहलाता था । साढ़े बारह सौ मेगावाट बिजली उस समय हमारे यहाँ उत्पादित होती थी जब कि क्षमता के अनुसार करीब 1500 मेगावाट का उत्पादन होना चाहिए था । उस समय उसके 80 प्रतिशत का उत्पादन हमारे यहां होता था। जब 1977 में सकलेचा सरकार को शासन सौंपा गया उस समय हमारे यहां विद्युत का उत्पादन 1050 मेगावाट था। आज हमारे प्रदेश में बिजली का उत्पादन 650 से लेकर 700 मेगावाट है जो कि टोटल क्षमता का 50 प्रतिशत भी नहीं है जिसके कारण उद्योगों में जो प्रगति होनी चाहिए वह नहीं हो पा रही है और उद्योग जिस रफ्तार से चलने चाहिए उस रफ्तार से नहीं चल पा रहे है। खेती के काम में इधर जहां पर डीजल की कठिनाई पैदा हो गई थी पिछले 6 महीने या साल भर से वहां पर बिजली जो कि एक आलटरनेटिव सोर्स है पावर का वह जिस मात्रा में चाहिए उस मात्रा में नहीं मिल पा रही है। इसलिए किसान देहातों में परेशान हैं। इन परिस्थितियों में वर्तमान बजट में सिंचाई और बिजली को जो प्राथमिकता दी गई है वह प्रशंसनीय है और मैं इसका पुरजोर तरीके से समर्थन करता हूं ।

अभी शेजवलकर जी ने यहां पर कहा कि विधान सभाओं को भंग करना असांविधानिक था लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 1977 में भी वे इस सदन के सदस्य थे, क्या उस समय उन्होंने यहां की प्रोसीडिंग्ज़ में इस तरह की आपत्ति उठाई थी ? इस बार 90 प्रतिशत क्षेत्रों से जनता ने उनको रेजेक्ट कर दिया, 40 में केवल 4 सीटें विपक्ष को मिलीं इसलिए आज इस प्रकार के शब्द उनके मुंह से शोभा नही देते। चाहिए तो यह था कि सकलेचा और पटवा सरकार स्वयं ही तुरन्त इस्तीफा दे देती और राष्ट्रपति से वे मांग करते कि फिर से चुनाव कराये जायें। इस परम्परा का पालन न करके आज बजट के अवसर पर इस तरह की बात यहां पर कहना उनके लिए उचित नहीं था ।

जहां तक उद्योगों का सम्बन्ध है, मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है जबकि वहां पर उद्योगों के विकास की पूरी सम्भावनायें मौजूद हैं। खनिज पदार्थ, पानी, बिजली और लेबर यह सारे आधार उद्योगों के विकास के लिए वहां पर मौजूद हैं और काफी तादाद में

वहाँ पर उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। मैं वित्तमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जब सारे देश का बजट यहां पर प्रस्तुत करें तो उस समय मध्य प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से आगे ले जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मदद दें।

हमारी प्रधान मंत्री ने बीस सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की बात कही है लेकिन मध्य प्रदेश के बजट में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मेरा सुझाव है कि 5-10 करोड़ रुपया आप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दीजिए और उनके माध्यम से कमजोर वर्ग के लोगों को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए।

श्री अरविन्द नेताम (कांकेर) : सभापति जी, मुझे बहुत कुछ कहना था पर मैं एक ही मुद्दे को आपके माध्यम से मन्त्री जी के समक्ष रखना चाहता हूं। सन् 1975 में केन्द्रीय सरकार के माध्यम से देश के बहुत से आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों को शराब बनाने की छूट दी गई थी जिनमें मध्य प्रदेश भी है। जो पहले ठेकेदारी प्रथा, कांट्रेक्टर सिस्टम था लिकर शाप्स का उसमें बहुत शोषण होता था और आदिवासियों पर बहुत एकोनामिक बर्डन पड़ता था। इसीलिए इस सिस्टम को एबालिश करके आदिवासियों को शराब बनाने की छूट दी गई थी और इसमें प्रधान मंत्री का बहुत बड़ा हाथ था। यह छूट 1975 से चल रही थी लेकिन नवम्बर, 1979 में उस समय की सरकार ने इस सुविधा को बन्द कर दिया। मैं इसलिए इस बात को यहां पर उठा रहा हूं कि हम आदिवासी शराब शौक के लिए नहीं पीते बल्कि शराब का हमारा सम्बन्ध संस्कृति, धर्म और रीति-रिवाज तीनों से ही है। सरकारी डिस्टिलरी की शराब का हमारे पूजा के काम में कहीं उपयोग नहीं होता। काँट्रेक्टर्स के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में यह शराब दी जा रही है लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी सामाजिक समस्या यह है कि हम पूजा के काम के लिए शराब कहां से लायें? गवर्नमेंट ने तो कह दिया कि आप बना नहीं सकते, पी नहीं सकते। जो सरकारी शराब मिलती है, उसी को पीजिए। इस तरह से हमारे यहां बहुत कठिनाई हो रही है। हमारे यहां पूजा के लिये सरकारी शराब का उपयोग नहीं होता है—यह एक सबसे बड़ी सामाजिक समस्या हमारे यहां है। पिछली बार जब मैं अपनी कांस्टीचूएन्सी के दौरे पर गया, तो एक जगह मैं पूजा के लिए गया। हमारी संस्कृति में उस शराब के बिना पूजा नहीं होती, हाथ-भट्टी की शराब न होने के कारण पूजा का काम मुझे अधूरा छोड़ना पड़ा। मैं वित्त मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं—पहले भी एक दफ़ा इस नीति को छोड़ने का प्रयास किया गया, उस समय हम बहुत से संसद सदस्य, माननीय कार्तिक-ओरांव जी का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ था, केन्द्रीय सरकार के माध्यम से उसको ठीक कराने में सफल हुए थे। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं—मैं जानता हूं इस में कुछ कानूनी अड़चनें आयेंगी, पिछली 18 और 19 जनवरी को जब शराब की दुकानों की नीलामी हो रही थी, तब मैंने राज्यपाल और वहां के चीफ़ सैक्रेटरी को टेलीग्राम भेजा था और निवेदन किया था कि इसको बन्द किया जाय तथा नवम्बर से पहले की स्थिति को लागू करने का अनुरोध किया था, लेकिन फिर भी सारी दुकानें नीलाम कर दी गई और यह नीलाम 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। चुनाव भी उसके पहले नहीं हो पायेंगे। इस तरह की कानूनी अड़चन आपके सामने आयेगी। इसलिए मैं

आप से निवेदन करना चाहता हूं कि नवम्बर से पहले की स्थिति को आप वहां लागू करायें। मैं यह बात आज स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस ईशू पर मैं चाहे आने वाली गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, समझौता करने को तैयार नहीं हूं। क्योंकि यह चीज हमारी संस्कृति, धर्म और रीति-रिवाजों से सम्बन्धित है।

इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको गम्भीरता से लें और उसको लागू करने की कृपा करें। मेरा आप के माध्यम से वित्त मंत्री जी से इस समय यही निवेदन है।

श्री बाबूलाल सोलंकी (मुरैना) : सभापति महोदय, आप ने मुझे पहली बार सदन में बोलने का मौका दिया है, इस के लिये मैं आप का बहुत आभारी हूं। वित्त मंत्री महोदय ने मध्य प्रदेश का जो बजट पेश किया है, उसका मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं।

मैं इस अवसर पर अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। मैं मध्य प्रदेश के मुरैन क्षेत्र से चुन कर यहां आया हूं, मेरे क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है और इतनी ज्यादा बढ़ गई है जिस में मुरैना जिले में रहने वाली गरीब जनता के लिये सामान्य जीवन बिताना भी कठिन हो रहा है। मैं सभापति, महोदय, आप के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में कोई ऐसा कारखाना खोला जाए, जिस से काफी मात्रा में बेरोजगारों को रोजगार मिल सके।

मैं अधिक समय न लेते हुए एक बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में चम्बक-बीहड़ कृषि योजना के तहत जमीनों का समतलीकरण हो रहा है। मैं चाहता हूं कि उस जमीन का वितरण सरकार के माध्यम से भूमि हीनों में किया जाय।

1977 के पूर्व, जब हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी थीं, उस समय 20 सूत्री कार्यक्रम के तेहत भूमिहीन किसानों को जमीनें बांटी गई थीं। वे जमीनें जनता पार्टी की सरकार ने उन से छुड़ा लीं। मैं उन से आग्रह करना चाहता हूं कि फिर से 20 सूत्री कार्यक्रम के तेहत गरीब किसानों को जमीन बांटने का काम शुरू किया जाय।

वित्त और उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं माननीय सदस्य श्री शेजवलकर द्वारा उदघोषणा की वैधता के संबन्ध में उठाए गए प्रश्न को लेना चाहता हूं। मैं उन्हें यह कहना चाहता हूं कि जिन लोगों के घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारने चाहिए। सभा में उदघोषणा के सम्बन्ध में पूरी चर्चा होगी और तब इसकी वैधता तथा औचित्य के प्रश्न पर भी चर्चा की जाएगी। शायद श्री शेजवलकर बाद में होने वाले वाद–विवाद का पूर्वाभ्यास करना चाहते है मैं सभा को संक्षेप में बताना चाहता हूं कि संविधान और उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार तथा न्यायिक पूर्वोदाहणों तथा राजनीतिक पद्धति द्वारा विघटन को न्यायोचित ठहराया गया है। इसके अतिरिक्त श्री शेजवलकर ने कहा है कि आप उदघोषणा के अनुमोदित न होने की स्थिति में बजट कैसे पेश कर सकते है।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : हमने औचित्य के संबन्ध–में प्रश्न किया है ताकि वैधता के बारे में...

श्री आर० वेंकटरामन : मेरे पास इसका उत्तर है। ऐसा पहले भी किया गया था।

जब कर्नाटक विधान सभा भंग की गई थी तो उदघोषणा 27 मार्च 1971 को जारी की गई थी और 27-3-71 को ही उदघोषणा सभा पटल पर रखी गई तथा बजट भी 27-3-71 को पेश किया गया। लेखानुदान 29-3-71 को पारित किए गए और 24-5-71 को उदघोषणा का अनुमोदन किया गया।

श्री एन० के० शेजवालकर : आप तिथियों को अलग अलग मत बताइए। मार्च के अंतिम सप्ताह में यह हुआ था।

श्री आर० वेंकटरामन : प्रश्न यह है कि क्या लेखानुदान पेश करना वैध है।

श्री एन० के० शेजवालकर : वैधता और औचित्य दो बातें हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं दोनों का उत्तर दूंगा। यदि आप पहली बात वैधता को मानते है तो मैं औचित्य के प्रश्न को लूंगा। आपने कहा दोनों और अब आप अपनी बात से हटते दिखाई देते हैं।

श्री एन० के० शेजवालकर : मैं अपनी बात से नहीं हट रहा।

श्री आर० वेंकटरामन : जहां तक औचित्य का सम्बन्ध है कानून के अंतर्गत उदघोषणा दो महीने के लिए वैध है और इस अवधि के दौरान बिना किसी अनौचित्य के लेखानुदान पेश किया जा सकता है। ऐसा केवल पहली बार नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में मेरे पास पूर्वोदाहरण है और यदि मेरे पास समय हुआ तो मैं शकधर को व्याख्या को भी उद्–धृत करूंगा। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मामले में, अन्य लोगों ने चाहे जो भी राय दी हो, श्री शेजवालकर किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं कर सकते।

अब मैं मुख्य बजट को लेता हूँ। इस बजट में 503.56 करोड़ रुपये के योजना परि-व्यय की व्यवस्था है और इस परिव्यय में बिजली के लिए 205 करोड़ रुपये. सिंचाई के लिए 92.10 करोड़ रुपये और कृषि के लिए लगभग 84 करोड़ रुपये निश्चित किए गए हैं। मध्य प्रदेश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मदों में इस राशि का वितरण उचित है। वैसे भी सभा के किसी पक्ष द्वारा आवंटन के वितरण की आलोचना नहीं की गई है लेकिन सूखे की स्थिति के सम्बन्ध में सरकार और प्रतिपक्ष दोनों ही चिन्तित है। सरकार ने मध्य प्रदेश के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों को खाद्य सहायता देने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। राज्य को सामान्य काम के बदले अनाज सहायता के अन्तर्गत 1,30,000 टन अनाज दिया गया परन्तु विशेष सहायता के रूप में सूखे से प्रभावित लोगों के लिए 1,95,000 टन खाद्यान्न आवं-टित किया गया है।

केन्द्र सरकार ने सूखे से राहत के लिए योजना सहायता के रूप में 21.45 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। हमने इतनी सहायता की व्यवस्था जो की है वह इस बात की द्योतक है कि समस्या काफी गंभीर है और लोगों को इस कष्ट से उबारने के लिए हर सभव प्रयास किए जाने चाहिए। मैं केवल यही कहूंगा कि इस मामले में सभी पार्टियों को सहयोग देना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह सहायता लोगों तक पहुंच सके। खाद्य सामग्री सभी संसाधनों और धन का आबंटन करने का स्वतः अर्थ यह नहीं कि सामग्री लोगों तक पहुंच जाएगी। यह सहायता लोगों तक पहुँचाने के लिए स्वेच्छिक संस्थाओं द्वारा हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए ।

एक माननीय सदस्य : केन्द्रीय दल की रिपोर्ट की क्या स्थिति है ?

श्री आर० वेंकटरामन : मेरे पास इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं है अतः इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता कि यह सब झूठ है। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता इसलिए मैं ऐसा नहीं कहूँगा।

श्री वसुदेव आचार्य ने एक बहुत तर्कसंगत बात कही है उन्होंने कहा है कि राहत रोजगार ठेकेदारों जो कि लोगों का शोषण करते हैं के जरिए न देकर, प्रत्यक्ष दिया जाना चाहिए। उनकी इस बात से मैं पूर्णतया सहमत हूं। हमने अपने दिनों में भी ठेकेदारों के जरिए रोजगार देने की पद्धति का विरोध किया था। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि सचिवों की समिति, जिसने हाल ही में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है, ने निदेश दिया है कि अधिकतम रोजगार हाज़री रजिस्टर के जरिए दिया जाए न कि रोजगार ठेकेदारों के जरिए।

जहां तक बिजली की नियमित और पर्याप्त सप्लाई का संबंध है 1980-81 में बिजली के लिए योजना में 221 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है और अधिक बिजली पैदा करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं और यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि वितरण प्रणाली के लिए बिजली की नियमित सप्लाई होती रहे। माननीय सदस्य जानते है कि हमारे पावर स्टेशन विशेषकर थर्मल पावर स्टेशन पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं। हम उनकी कार्यक्षमता में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं।

कुछ कुरीतियों का उल्लेख किया गया है कि बीड़ी के निर्माता छोटे लोगों को बीड़ी के निर्माण से काम में लगाते हैं और फिर उनसे माल वापिस ले लेते है और फिर उसको बेच देते है केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं अन्य स्थानों में भी सरकार ने इस प्रकार की शिकायतों की जांच कर रही है।

श्री दलबीर सिंह ने सिंचाई पर पर्याप्त व्यय का प्रश्न उठाया है। 1979-80 में बड़ी सिंचाई के लिए 83.25 करोड़ रुपये का उपबंध था। अब बड़ी तथा छोटी सिंचाई के लिए 92.10 करोड़ रुपये का उपबन्ध है। छोटी सिंचाई के लिए 1979-80 में 20.2 करोड़ रुपये का उपबन्ध था और अब इसे बढ़ाकर 36.5 करोड़ रुपये कर दिया गया है योजना आयोग भी बिजली और सिंचाई के इस संबंध में परिव्यय को बढ़ाने के लिए तैयार हो गया है। जिन

कुछ बड़ी परियोजनाओं को लिया गया है उनमें महानदी, बांस सागर आदि है। यह हर्ष की बात है कि कुछ लघु परियोजनाओं के बारे में अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों से सहायता प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है

श्री शेजवलकर ने सुझाव दिया है कि तेंदू पत्ती और अन्य वन उत्पाद से आमदनी बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। बजट में वन कार्यों से आमदनी 1979–80 में 119.47 करोड़ रुपये की तुलना में 1980–81 में बढ़कर 140 करोड़ रुपये की गई है। खनिज की कुछ मदों का भी जिक्र किया गया है जिन पर रायल्टी बढ़ाई जानी चाहिए। यह मामला बातचीत के द्वारा किया जा सकता है।

कुछ सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों के पिछड़ेपन का उल्लेख किया है। इस सम्बन्ध में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि इस बात पर उस समय विचार-विमर्श किया जाये जब राज्य सरकार का नियमित बजट प्रस्तुत किया जाये।

श्री मोतीलाल सिंह ने यह सुझाव दिया है कि कुछ क्षेत्रों की सिंचाई संभावनाओं का सर्वेक्षण किया जाये। मेरा यह सुझाव है कि इस मामले पर यहां निर्णय नहीं किया जा सकता, इसे राज्य सरकार के साथ लिया जाना चाहिये।

कुमारी पुष्पा देवी सिंह ने अपने प्रथम भाषण में आदिवासी क्षेत्रों के सम्बन्ध में अपर्याप्त व्यवस्था सम्बन्धी बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। मुझे सदन को सूचित करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि 1980–81 की योजना के अन्तर्गत आदिवासी योजना के लिये लगभग 147 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसकी तुलना 1979–80 वर्ष के लिये संशोधित प्राक्कलनों में 119.32 करोड़ रुपये राशि से की जा सकती है। इसका अधिक से अधिक उपयोग करने के लिये हर सम्भव प्रयास किया जायेगा।

आदिवासी जनता के सम्बन्ध में कुछ और बातों की ओर भी ध्यान दिलाया गया है, यह विशेषकर उनके शराब निर्मित करने के अधिकार के सम्बन्ध में है। किन्तु इस सम्बन्ध में मैं अपना उत्तर एक दम नहीं दे सकता, किन्तु यदि ऐसी परम्परा है और उसमें गलती से परिवर्तन कर दिया गया है तो सरकार इस पर विचार करेगी और मामले पर निर्णय लेगी ... ...।

श्री अरविन्द नेताम (कंकर) : पहली अप्रैल से एक कानूनी पेचीदगी पैदा हो गई है—यह शराब की दूकानों पर कब्जा करने के बाद पैदा हुई है।

श्री आर. वेंकटरामन : मुझे समस्या को शीघ्र ही सुलझाने की आवश्यकता से परिचित करा दिया गया है अतः मैं यथाशीघ्र इस मामले पर विचार करूंगा।

श्री रामप्यारे पनिका (राबर्टस् गंज) : न केवल मध्य प्रदेश किन्तु देश का समूचा पिछड़ापन ... ... (**व्यवधान**)

श्री आर. वेंकटरामन : यह मांग सभी पक्षों से की जा रही है ।

मैं सदन को उनके बहुमूल्य सुझावों के लिये धन्यवाद देता हूँ और मुझे विश्वास है कि जिन विभागीय अधिकारियों ने नोटस् लिये हैं वह उनका ध्यान रखेंगे ।

मेरा विश्वास है कि वह उन पर ध्यान देकर विचार करेंगे ।

सभापति महोदय : अब मैं मध्य प्रदेश राज्य के लिए 1980–81 वर्ष के सम्बन्ध में लेखानुदानों की मांगें मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूँ ।

प्रश्न यह है कि :

"मांग संख्या 1 से 43 के लिये कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दर्शाये गये शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिये कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूँजी लेखा संबंधी राशियों में अनधिक लेखानुदान राशियाँ मध्य प्रदेश राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दीं जाये ।"

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
1	सामान्य प्रशासन	1,47,59,000	—
2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	12,56,000	—
3	पुलिस	20,07,38,000	1,88,000
4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	93,49,000	1,16,85,000
5	जेलें	1,57,56,000	—
6	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	5,78,72,000	3,82,40,000
7	पृथक राजस्व तथा पंजीयन विभागों से संबंधित व्यय	3,53,10,000	33,000
8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	9,15,76,000	70,83,000
9	राजस्व तथा भू-सुधार विभागों से संबंधित अन्य व्यय	1,99,36,000	—
10	वन	28,05,66,000	44,45,000

1	2	3	
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	2,58,24,000	1,58,02,000
12	विद्युत	9,44,61,000	40,97,66,000
13	कृषि	11,24,40,000	5,85,53,000
14	पशुपालन	3,88,79,000	—
15	डेरी विकास	2.27,57,000	—
16	मत्स्य उद्योग	43,46,000	5,40,000
17	सहकारिता	1,84,16,000	2,68,00,000
18	श्रम तथा सेवा नियोजन	1,90,39,000	—
19	चिकित्सा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	21,68,54,000	33,000
20	लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	14,51,86,000	1,02,47,000
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	59,47,000	1,18,67,000
22	स्थानीय शासन विभाग से संबंधित व्यय	1,12,20,000	5,00,000
23	सिंचन निर्माण कार्य	15,66,75,000	42,52,13,000
24	लोक निर्माण कार्य	28,77,91,000	6,85,72,000
25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय	34,65,000	—
26	भाषा	5,20,000	—
27	शिक्षा	52,15,92,000	13,16,000
28	राज्य विधान मंडल और निर्वाचन	1,55,17,000	—
29	न्याय प्रशासन	1,74,63,000	—
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	16,89,74,000	66,000
31	योजना, आर्थिकी तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	71,72,000	18,08,000

1	2	3	
32	सूचना तथा प्रकाशन	50,72,000	4,000
33	आदिमजाति तथा हरिजन कल्याण	12,83,82,000	41,83,000
34	समाज कल्याण	3,14,07,000	—
35	पुनर्वास	43,95,000	10,69,000
36	नागरिक प्रदाय	6,47,000	—
37	पर्यटन	7,49,000	16,95,000
38	पुरातत्व	17,21,000	—
39	खाद्य विभाग से संबंधित व्यय	34,92,000	7,00,000
40	सिंचाई अधीन क्षेत्रों का विकास	2,20,95,000	3,15,77,000
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	20,84,31,000	11,63,56,000
42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य	6,26,000	3,14,80,000
43	सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अतिरिक्त व्यय	13,20,00,000	9,05,00,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अब मैं मध्य प्रदेश राज्य की वर्ष 1979-80 के अनुदानों की अनुपूरक मांगें सदन में मतदान के लिये रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिये कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बंधित अनुपूरक राशियां मध्य प्रदेश राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें ।"

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
1	सामान्य प्रशासन	17,49,000	—

1	2	3	
2	सामान्य प्रशासन विभाग संबंधित अन्य व्यय	5,63,000	—
3	पुलिस	2,92,77,000	—
4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	2,20,60,000	35,00,000
6	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	68,27,000	—
7	पृथक राजस्व तथा पंजीयन विभागों से संबंधित व्यय	21,000	—
8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	41,53,000	44,40,000
9	राजस्व तथा सुधार विभागों से संबंधित अन्य व्यय	13,18,000	
10	वन	8,30,19,000	38,84,000
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	7,86,000	88,50,000
13	कृषि	71,000	4,17,00,000
17	सहकारिता	7,20,000	59,50,000
18	श्रम तथा सेवा नियोजन	3,85,000	—
19	चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	25,44,000	—
20	लोक स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	3,63,85,000	—
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से सम्बंधित व्यय	—	1,000
22	स्थानीय शासन विभाग से संबंधित व्यय	11,78,000	12,00,000
23	सिंचन निर्माण कार्य	52,000	11,000
24	लोक निर्माण कार्य	21,000	—
27	शिक्षा	2,000	3,00,000
28	राज्य विधान मण्डल और निर्वाचन	65,68,000	—
29	न्याय प्रशासन	21,10,000	—

1	2	3	
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास से सम्बन्धित व्यय	3,06,98,000	54,84,000
32	सूचना तथाप्र काशन	5,00,000	—
33	श्रादिम जाति तथा हरिजन कल्याण	3,000	42,00 000
34	समाज कल्याण	4,000	15,30,000
35	पुनर्वास	—	30,90,000
40	सिचाई अधीन क्षेत्रों का विकास	1,000	—
4!	ग्रादिवासी क्षेत्र उपयोजना	4,35,000	—
43	सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अतिरिक्त व्यय	25,07,02,000	—

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मध्य प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 1980

वित्त और उद्योग मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 1980–81 के एक भाग की सेवाओं के लिये मध्य प्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1980–81 के एक भाग की सेवाओं के लिये मध्य प्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री आर. वेंकटरामन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ ।

श्री आर. वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि वित्तीय वर्ष 1980–81 के एक भाग की सेवाओं के लिये मध्य प्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1980--81 के एक भाग की सेवाओं के लिये मध्य प्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अब हम इस विधेयक के सम्बन्ध में खण्ड-वार विचार आरम्भ करेंगे ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, 3 और अनुसूचित विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2, 3 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मध्य प्रदेश विनियोग विधेयक—1980

वित्त और उद्योग मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि वित्तीय वर्ष 1979–80 की सेवाओं के लिए मध्य प्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तिय वर्ष 1979–80 की सेवाओं के लिए मध्य प्रदेश राज्य की संचित निधि में कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : आज आपके पास बहुत पैसा है आप सोमवार को ही क्यों नहीं आते ?